19 मार्च 1981 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[पांचवां सत्र]



मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 24, गुरुवार, 19 मार्च, 1981/28 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 432 और 434 से 440	...	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 433, 441, 442 और 444 से 451	...	20-26
अतारांकित प्रश्न संख्या 4164 से 4253, 4255 से 4279 और 4281 से 4342	...	26-134
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	135-136
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति		
कार्यवाही-सारांश	...	137
राज्यसभा से संदेश		137
सभापटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति		
छठा प्रतिवेदन	...	138
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति		
पाँचवाँ प्रतिवेदन	...	138
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण		
श्री जगदीश टाइटलर	...	138-142
श्री भीष्म नारायण सिंह	...	139-155
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	...	142-145
श्री सज्जन कुमार	...	145-147

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री भीम सिंह ... 148-151

श्री एच०के०एल० भगत ... 151-155

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अरावली स्वचालित वाहन आटोमोबाइल लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को पुनः चालू करने के उपाय ... 156

श्री रामसिंह यादव ... 156

(दो) आयुध वस्त्र कारखाना, शाहजहाँपुर की क्षमता के उपयोग में सुधार करने की आवश्यकता ... 156

श्री जितेन्द्र प्रसाद ... 156

(तीन) कर्नाटक में देवदासी प्रथा समाप्त करने के उपाय ... 156-157

श्री बी०डी० सिंह ... 156-157

(चार) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विज्ञान नीति अध्ययन केन्द्र को बन्द किए जाने का समाचार ... 157

श्री के०ए० राजन ... 157

(पाँच) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना बरेली में करने की आवश्यकता ... 157-158

श्री हरीश कुमार गंगवार ... 157-158

(छः) राजस्थान के एक जिला और सेशन न्यायाधीश के 16 मार्च, 1981 से लापता होने का समाचार ... 158

श्री कृष्ण कुमार गोयल ... 158

(सात) उत्तर प्रदेश के बिछड़े जिलों में दूर संचार सुविधाओं में सुधार करने के उपाय ... 158-159

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत ... 158-159

(आठ) चित्तौड़गढ़ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता प्रो० निर्मल कुमारी शकतावत ... 159

(नौ) हैजा और मलेरिया के फैलने को रोकने के लिए यमुनापार की कालोनियों में सफाई की व्यवस्था ... 159-160

श्री भीखा भाई ... 160

(दस) मैसर्स कार्टर कूलर एण्ड कम्पनी प्रा० लि० कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण ... 160

श्री मुकुन्द मण्डल ... 160

विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव ... 160

श्री सत्यनारायण जटिया ... 161-167

श्री बाबूसाहिब परुलेकर ... 163-167
श्री आर० वेंकटरामन ... 165-169

खण्ड 2 से 9 और ।

पारित करने का प्रस्ताव

श्री आर० वेंकटरामन ... 169-182
श्री ज्योतिर्मय बसु ... 169-182
श्री गिरधारीलाल व्यास ... 172-174
श्री जी०एम० बनातवाला ... 174-175
श्री ए०के० राय ... 175-176
श्री सोमनाथ चटर्जी ... 176-182

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक-संकल्प

मणिपुर बजट, 1981-82 सामान्य चर्चा ... 185-210

लेखानुदानों सम्बन्धी मांगें (मणिपुर) 1981-82 और अनुदानों की

अनुपूरक मांगें (मणिपुर) 1980-81 ... 185-210

श्री जैलसिंह ... 185-186
श्री सुबोध सेन ... 186-187
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत ... 187-188
श्री एन० गोजागिन ... 188-189
श्री एन०के० शेजबलकर ... 189-191
श्री गिरधारीलाल व्यास ... 191-192
श्री नगनगोम मोहेन्द्रा ... 192-210
श्री हरिकेश बहादुर ... 196-208
श्री चित्त बसु ... 201-204
श्री योगेन्द्र मकवाना ... 204-208
श्री मगन भाई बरोट ... 208-210

मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 पुरः स्थापित तथा

विचार करने का प्रस्ताव

श्री मगनभाई बरोट ... 213-214

खण्ड 2, 3 और ।

पारित करने का प्रस्ताव ... 214
श्री मगनभाई बरोट ... 214

श्री भीम सिंह ... 148-151

श्री एच०के०एल० भगत ... 151-155

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अरावली स्वचालित वाहन आटोमोबाइल लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को पुनः चालू करने के उपाय ... 156

श्री रामसिंह यादव ... 156

(दो) आयुध वस्त्र कारखाना, शाहजहाँपुर की क्षमता के उपयोग में सुधार करने की आवश्यकता ... 156

श्री जितेन्द्र प्रसाद ... 156

(तीन) कर्नाटक में देवदासी प्रथा समाप्त करने के उपाय ... 156-157

श्री वी०डी० सिंह ... 156-157

(चार) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विज्ञान नीति अध्ययन केन्द्र को बन्द किए जाने का समाचार ... 157

श्री के०ए० राजन ... 157

(पाँच) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना बरेली में करने की आवश्यकता ... 157-158

श्री हरीश कुमार गंगवार ... 157-158

(छः) राजस्थान के एक जिला और सेशन न्यायाधीश के 16 मार्च, 1981 से लापता होने का समाचार ... 158

श्री कृष्ण कुमार गोयल ... 158

(सात) उत्तर प्रदेश के बिछड़े जिलों में दूर संचार सुविधाओं में सुधार करने के उपाय ... 158-159

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत ... 158-159

(आठ) चित्तौड़गढ़ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता प्रो० निर्मल कुमारी शकतावत ... 159

(नौ) हैजा और मलेरिया के फैलने को रोकने के लिए यमुनापार की कालोनियों में सफाई की व्यवस्था ... 159-160

श्री भीखा भाई ... 160

(दस) मैसर्स कार्टर कूलर एण्ड कम्पनी प्रा० लि० कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण ... 160

श्री मुकुन्द मण्डल ... 160

विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव ... 160

श्री सत्यनारायण जटिया ... 161-167

श्री बाबूसाहिब परुलेकर ... 163-167
श्री आर० वेंकटरामन ... 165-169

खण्ड 2 से 9 और ।

पारित करने का प्रस्ताव

श्री आर० वेंकटरामन ... 169-182
श्री ज्योतिर्मय बसु ... 169-182
श्री गिरधारीलाल व्यास ... 172-174
श्री जी०एम० बनातवाला ... 174-175
श्री ए०के० राय ... 175-176
श्री सोमनाथ चटर्जी ... 176-182

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक-संकल्प

मणिपुर बजट, 1981-82 सामान्य चर्चा ... 185-210

लेखानुदानों सम्बन्धी मांगें (मणिपुर) 1981-82 और अनुदानों की

अनुपूरक मांगें (मणिपुर) 1980-81 ... 185-210

श्री जैलसिंह ... 185-186
श्री सुबोध सेन ... 186-187
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत ... 187-188
श्री एन० गोजागिन ... 188-189
श्री एन०के० शेजबलकर ... 189-191
श्री गिरधारीलाल व्यास ... 191-192
श्री नगनगोम मोहेन्द्रा ... 192-210
श्री हरिकेश बहादुर ... 196-208
श्री चित्त बसु ... 201-204
श्री योगेन्द्र मकवाना ... 204-208
श्री मगन भाई बरोट ... 208-210

मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 पुरः स्थापित तथा

विचार करने का प्रस्ताव

श्री मगनभाई बरोट ... 213-214

खण्ड 2, 3 और ।

पारित करने का प्रस्ताव ... 214
श्री मगनभाई बरोट ... 214

मणिपुर विनियोग विधेयक, 1981

पुरःस्थापित तथा विचार करने का प्रस्ताव

श्री मगनभाई बरोट ... 214-216

श्री एन० गोजागिन ... 215-216

खंड 2 से 3 और ।

पारित करने का प्रस्ताव ... 216

श्री मगनभाई बरोट ... 217

सभापटल पर रखे गये पत्र ... 217

लोक सभा

गुरुवार, 19 मार्च, 1981/28 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सामान्यतया हम रोज गणपूर्ति के अभाव के कारण तीन मिनट का समय गंवा देते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अन्य सदस्यों को भी उपस्थित रहने हेतु राजी करें।

प्रो. मधु दंडवते : जो पहले ही उपस्थित हैं आप उन्हें कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह संदेश पहुचाने के लिए कह रहा हूं। (व्यवधान)। मैं चाहता हूँ कि यह संदेश पहुँचाया जाए।

तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम

*432. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ डाक्टरों की अखिल भारतीय फैडरेशन ने सरकार से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम रद्द करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जूनियर डाक्टरों की एसोसिएशन की अखिल भारतीय फेडरेशन ने मांग की है कि :

"हाल में प्रस्तावित उस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम को तत्काल समाप्त कर दिया जाए जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे दर्जे की चिकित्सा परिचर्या प्रदान करना है।"

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमान, इस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम को शुरू करने के कारण सभा के ध्यान में नहीं लाये गये हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से इस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के शुरू करने के कारण जान सकता हूं, क्या मैडिकल कालिजों में चिकित्सा छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति है और क्या सरकार इस नीति को उदार बनाने जा रही है।

श्री निहार रंजन लस्कर : श्रीमान्, हाल ही में 26-2-1981 को पश्चिम बंगाल सरकार ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति माँगी थी। इसलिए यह पत्र हमें हाल ही में मिला है और इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रवेश तथा इन मैडिकल कालिजों में कार्य संचालन के अन्य पहलुओं के बारे में आन्दोलन चल रहा है। जहाँ तक प्रति व्यक्ति शुल्क का सम्बन्ध है कुछ कालेजों ने बताया है कि वे इस शुल्क को समाप्त किये जा रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री के. लकप्पा : एक और प्रश्न भी है। उसे भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न बाद में आयेगा।

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ कालेजों ने प्रतिव्यक्ति शुल्क हटा दिया है। परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में एक अन्य प्रणाली शुरु कर दी है कि उन्हें दान की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ न्यास बना लिए हैं : क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है ?

श्री बी. शंकरानन्द : इसमें ली जाने वाली प्रतिव्यक्ति फीस के बारे में हमें पश्चिम बंगाल सरकार ने जानकारी दी है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : प्रश्न के उत्तर से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। मेरे लिए यह बड़ी गंभीर चिन्ता का विषय है।

सरकार को शायद मालूम हो या न हो कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों का अभाव है और ग्राम निवासियों को डाक्टरी सहायता लेने के लिए मीलों जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि यदि वह इस तथ्य से अवगत हैं कि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पूर्व-शर्त यह है कि छात्र दस वर्ष से अधिक का ग्रामनिवासी अवश्य होना चाहिए और कि डिप्लोमा लेने के बाद उसे गाँवों में दस वर्ष तक डाक्टरी करनी होगी। इससे गाँवों में प्रचूर मात्रा में डाक्टर हो जायेंगे। इस पृष्ठभूमि के साथ क्या सरकार इस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम को समाप्त न करने पर विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पाठ्यक्रम सभी अन्य राज्यों में भी शुरू किये जाएं।

श्री बी. शंकरानन्द : यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव है।

श्री जेवियर अराकल : मंत्री महोदय के उत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ तक इस शिक्षा का सम्बन्ध है, ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। इन डाक्टरों के स्तर गिर रहे हैं। जनता की जो सेवायें ये डाक्टर कर रहे हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय नीति तथा डाक्टरों के गिरते हुए स्तर के अभाव में क्या आने वाले वर्षों में इन डाक्टरों को उपयुक्त प्रशिक्षण तथा योग्यता प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी किए जायेंगे ?

श्री बी. शंकरानन्द : प्रश्न तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के बारे में है। डाक्टरों को तीन वर्षीय पाठ्क्रम वाले डाक्टर अभी बनना है। उसके बाद इन बातों का पालन किया जाएगा।

श्री जेवियर अराकल : मुझे बड़ा खेद है। मैंने पूछा है कि क्या इस मामले में एक राष्ट्रीय नीति होगी और क्या कार्यवाही की जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह विचाराधीन है।

श्री जेवियर अराकल : जी नहीं। मुझे यह सुनकर बड़ा खेद है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं श्री परुलेकर के प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा।

श्री के. ए. राजन : अन्य सदस्य के प्रश्न को आगे मत बढ़ाइये ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन तक वापस मत ले जाइये।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : ऐसा कहे बिना मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मैं इस पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए कनिष्ठ डाक्टरों की मांग का समर्थन करना चाहूँगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जो हमें बतायें कि क्या वह अवगत हैं (व्यवधान) श्रीमान वह अनुशासन-हीनता की धमकी दे रहे हैं। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : दोनों को यहाँ से निकासित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा में आपके हितों की रक्षा करूंगा। बाहर की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। परन्तु यहां पर मैं देख लूंगा। चिन्ता मत कीजिये।

श्री बापू साहिब परुलेकर : भूलिए मत। वह बम्बई नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं न की ग्रामीण क्षेत्रों का।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : बम्बई के दो भाग हैं—ग्रामीण बम्बई और शहरी बम्बई। गन्दी बस्ती वाला भाग ग्रामीण बम्बई है। मैं चाहूँगा कि श्री परुलेकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आयें। मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र में रहा हूं। मैं जानता हूं ··· व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी भी रक्षा क्यों न करूं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान संसदीय शिष्ट मंडल।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं चाहूँगा कि मन्त्री जी उन भूलों से लाभ उठायें जो चीन ने नंगे पाँव डाक्टरों के बारे में की थी। डाक्टर बनने के लिए एक डाक्टर को जितने वर्ष अध्ययन करना पड़ता है उसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता। यह सर्व विदित है और मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है 99 प्रतिशत आम बिमारी होती हैं। बल्कि ऐसी बिमारियाँ 75 प्रतिशत हैं और उनका पंद्रह दवाइयों से इलाज हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए शुरू होने वाले एक मुश्त पाठ्यक्रम पर विचार किया जा सकता है। क्या सरकार ने गाँव के लिए शीघ्र एक मुश्त पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया है ? स्कूल का मास्टर या गाँव के स्तर का कार्यकर्त्ता बिना डाक्टर कहलाये डाक्टर का काम कर सकता है। (व्यवधान)

श्री ए. के. लकप्पा : एकूपक्चर।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : पहले श्री लकप्पा को सुई की आवश्यकता है।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमान, इस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम को शुरू करने के कारण सभा के ध्यान में नहीं लाये गये हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से इस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के शुरू करने के कारण जान सकता हूं, क्या मैडिकल कालिजों में चिकित्सा छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति है और क्या सरकार इस नीति को उदार बनाने जा रही है।

श्री निहार रंजन लस्कर : श्रीमान्, हाल ही में 26-2-1981 को पश्चिम बंगाल सरकार ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति माँगी थी। इसलिए यह पत्र हमें हाल ही में मिला है और इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रवेश तथा इन मैडिकल कालिजों में कार्य संचालन के अन्य पहलुओं के बारे में आन्दोलन चल रहा है। जहाँ तक प्रति व्यक्ति शुल्क का सम्बन्ध है कुछ कालेजों ने बताया है कि वे इस शुल्क को समाप्त किये जा रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री के. लक्कप्पा। एक और प्रश्न भी है। उसे भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न बाद में आयेगा।

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ कालेजों ने प्रतिव्यक्ति शुल्क हटा दिया है। परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में एक अन्य प्रणाली शुरु कर दी है कि उन्हें दान की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ न्यास बना लिए हैं। क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है ?

श्री बी. शंकरानन्द : इसमें ली जाने वाली प्रतिव्यक्ति फीस के बारे में हमें पश्चिम बंगाल सरकार ने जानकारी दी है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : प्रश्न के उत्तर से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को समाप्त करना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। मेरे लिए यह बड़ी गंभीर चिन्ता का विषय है।

सरकार को शायद मालूम हो या न हो कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों का अभाव है और ग्राम निवासियों को डाक्टरी सहायता लेने के लिए मीलों जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि यदि वह इस तथ्य से अवगत हैं कि इन पाठ्क्रमों में प्रवेश की पूर्व-शर्त यह है कि छात्र दस वर्ष से अधिक का ग्रामनिवासी अवश्य होना चाहिए और कि डिप्लोमा लेने के बाद उसे गाँवों में दस वर्ष तक डाक्टरी करनी होगी। इससे गाँवों में प्रचूर मात्रा में डाक्टर हो जायेंगे। इस पृष्ठभूमि के साथ क्या सरकार इस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम को समाप्त न करने पर विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पाठ्यक्रम सभी अन्य राज्यों में भी शुरू किये जाएं।

श्री बी. शंकरानन्द : यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव है।

श्री जेवियर अराकल : मंत्री महोदय के उत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां तक इस शिक्षा का सम्बन्ध है, ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। इन डाक्टरों के स्तर गिर रहे हैं। जनता की जो सेवायें ये डाक्टर कर रहे हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय नीति तथा डाक्टरों के गिरते हुए स्तर के अभाव में क्या आने वाले वर्षों में इन डाक्टरों को उपयुक्त प्रशिक्षण तथा योग्यता प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी किए जायेंगे ?

जाती है। बदमाशों को पकड़ने के लिये राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने कहा है कि बरेली-कासगंज रूट पर ट्रेनें देर से चलने के कारण बिजली का उपलब्ध न होना है, जबकि वहां बिजली से कोई ट्रेन नहीं चलती हैं। केवल डीजल से एक, दो गाड़ियां चलती हैं, शेष गाड़ियां कोयले के इन्जनों से चलती हैं। इसके अलावा आपने बदमाशों की गतिविधियां भी एक कारण बताया है जिसकी वजह से ट्रेनें सही समय पर नहीं चलती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या बदमाशों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही की है? और जिन कर्मचारियों को अपने ट्रेनों को देर से चलाने का दोषी पाया है उसके लिये कोई कार्यवाही की है? क्या आपने यू. पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी इस बात का प्रयास अभी तक किया है कि वह बिजली में कटौती न किया करें।

अध्यक्ष महोदय : यह 'बदमाश' शब्द अनपार्लियामेंटरी तो नहीं है?

श्री मलीकार्जुन : मान्यवर, पावर सप्लाई में कमी का कारण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि वहां जो लोको शेड है वहां 75 परसेंट पावर कट हो जाता है जिसकी वजह से लोको-मोटिव को मेन्टन करने के लिये दिक्कत होती है। यह एक कारण है।

बदमाशों के खिलाफ .....

अध्यक्ष महोदय : बदमाश मैं कह रहा हूं अनपार्लियामेंटरी है।

श्री मलीकार्जुन : दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने बदमाशों के बारे में पूछा है। तो बदमाशों के लिये स्टेट सरकार काफी यत्न करती रहती है उनको कुछ अच्छे रास्ते पर लाने के लिये। .....

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य भी यत्न करते रहते हैं संघ विरोधियों को ठीक-ठाक रखने के लिये, किन्तु यह हमारे हाथ के बाहर की बात है फिर भी बदमाशों को हमारी रेलवे हर तरीके से सख्त तरीके से डील करेगी। जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है,

प्रो. मधु दण्डवते : बदमाशों का नेशनलाइजेशन कीजिये।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, यह दुरुस्त हैं कि गुजिस्ता साल में जो बरेली कासगंज ट्रेन लेट चल रही हैं, इसमें कर्मचारियों का भी एक कारण रहा है। लोको मेन्टीनेन्स स्टाफ और वैगन कैरिज के स्टाफ भी एजीटेशर करते रहे हैं। जब हमारे कर्मचारी अपने कर्तव्य को भुलाकर इस तरह से करते रहते हैं तो ट्रेनों पर देर से चलने का प्रभाव पड़ता है। लिहाजा मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि हमने सख्त निर्णय कर लिया है कि ट्रेनों का पवचुएलिटी मेन्टेन करेंगे और हम इसमें सारे सदन का सहयोग चाहते है।

एक माननीय सदस्य : सहयोग मिलेगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : वहां के रेल-यात्री संघ की ओर से कुछ शिकायतें आई हैं और आम लोगों की भी शिकायतें हैं कि बरेली कासगंज रूट पर प्राइवेट बस चलती हैं और उनको नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये इन ट्रेनों को दिन में लेट चलाया जाता है और रात में ट्रेने सही टाइम पर चलती हैं। क्या इस सम्बन्ध में आपके पास शिकायत आई है? क्या सरकार इस पर बाहर से अधिकारी भेज कर जांच कराने की कार्यवाही करेगी?

श्री मल्लिकार्जुन : बाहर से किसी अधिकारी को भेज कर जाँच कराने के बारे में सरकार नहीं सोचती है। अगर कोई प्राईवेट बस वाले कुछ कर लेते हैं तो उनके मामले में हमारे प्रजा के प्रतिनिधि श्री कश्यप मित्र हैं, उनको सख्त तरीके से डील करना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : प्राइवेट बस वालों से रेल कर्मचारी मिले हुए हैं, यह मैंने कहा है।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि कुछ रेल कर्मचारी बस कर्मचारियों से मिले हुए हैं, अगर एवीडैंस के साथ कुछ मामला देते हैं तो हम इमीडिएटली डिस्मिस कर देंगे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : भिजवा देंगे आपको।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने केवल बरेली-कासगंज लाइन पर गाड़ियों के देर से चलने की बात कही है। आज भारतीय रेल की सारी गाड़ियां, जो इनकी प्रेस्टीजियस गाड़ियां हैं, जिनमें राजधानी और डीलक्स भी हैं, सब देर से चलती हैं। बार-बार सदन में यह बात आई है, माननीय मन्त्री ने उसके तरह-तरह से कारण बताने का प्रयास किया है, लेकिन नेट रिजल्ट यह है कि इतने प्रयास के बावजूद भी सारी गाड़ियां लेट चलती हैं।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या वह केवल कारण ही बताते रहेंगे, जैसा कि बदमाशों की बात कही, इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि नीचे के बदमाशों को तो वह रोक लेंगे लेकिन जो यहाँ के बदमाश हैं, उसका क्या निराकरण है ?

अध्यक्ष महोदय : गलत बात है, यहाँ कोई आक्षेप न करें। आप कोई आपत्ति नहीं करते ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुत आपत्ति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजधानी के दो अर्थ हैं कौन सी राजधानी ?

श्री मल्लिकार्जुन : रेलों की पंक्चुएलिटी के बारे में जो हमने हर समय कारण बताये हैं वह सच्चे हैं और अगर इस सत्य को हमें हासिल करना है तो हमें सब का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। हम इस बारे में बहुत सख्ती से स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। जनरल मैनेजर्स को स्ट्रिक्टली इसमें जाइजन रखने के वास्ते भी कहते हैं। बदमाशों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। जब हमारे यादव जी पटना से खुद निकलते हैं, चेन-पुलिंग की बात कहते हैं, उन्होंने कई बार कम्पलेंट किया जिसकी वजह से देर होती है।

बम्बई पत्तन न्यास के "ट्रान्जिटशेडों" तथा भाण्डागारों में रुका हुआ माल

*435 श्री बी. वी. देसाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास के "ट्रान्जिट शेड" तथा भाण्डागार दो वर्ष से अधिक समय बीतने पर न उठाए गए आयातित माल से एक बार फिर भरे पड़े हैं,

(ख) क्या यह सच है कि इन स्थानों पर 3.5 लाख पैकेजों की सामान्य क्षमता होने पर 8.24 लाख पैकेजो को रखागया है, जिससे माल की धीमी गति से निकासी का पता चलता है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य कारण क्या हैं, और

(घ) पत्तन से माल की निकासी के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) बम्बई पत्तन पर पिछले कुछ समय से माल का जमाव हो रहा है क्योंकि आयात किया गया माल धीरे-धीरे उठाया जाता है। क्लियरिंग एजेन्टों के कर्मचारियों की 21-2-1981 से 9-3-1981 तक हड़ताल होने से माल का जमाव और भी बढ़ गया है। हड़ताल से पूर्व यहाँ भाँडागार, ट्रांजिट शेडों और खुली जगह में 6.91 लाख गांठे थी जो 9 मार्च, 1981 को बढ़कर 11.75 लाख हो गई।

बम्बई पत्तन के केवल भाँडागार की क्षमता मोटे रूप में 3.5 लाख गाठें हैं।

(घ) बम्बई पत्तन न्यास अधिकारियों ने माल उठाने की गति तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस तरह "मुक्त अवधि" का समय 4 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया गया है और विलम्ब शुल्क बढ़ा दिया गया है। दो महीनों से अधिक अवधि से पड़ी गाँठों का निपटान करने के लिए व्यापक प्रचार के बाद नीलामी की जाती है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों की सहमति से अधिक क्षेत्रों को सीमा शुल्क क्षेत्र घोषित किया जा रहा है।

क्लीयरिंग एजेन्टों के कर्मचारियों की हाल ही की हड़ताल के कारण उत्पन्न समस्या पर काबू पाने के लिये कई उपाय किए गए हैं, जैसे हड़ताल के बाद के रात्रि/छुट्टी के दिन के प्रभार की वसूली के बिना एक सप्ताह तक दिन-रात माल की डिलीवरी की व्यवस्था, गोदियों से माल उठाने के बाद रेल/सड़क द्वारा माल आगे भेजने तक के लिए सात एकड़ खुली जगह की व्यवस्था जहाँ पर उक्त माल को रखा जा सके। यहाँ 18 मार्च, 1981 को कुल 8.78 लाख गाँठे थी।

श्री बी. बी. देसाई : मंत्री जी ने 18 मार्च, 1981 को गोदामों में पड़े बण्डलों के ताजे आँकड़े बड़ी तत्परता से दिए हैं। लगभग 8.78 लाख बण्डल पड़े हुए हैं। इसका कारण उन्होंने कर्मचारियों की हड़ताल बताई है।

क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि 2 भण्डारण क्षमता की लगातार कमी को देखते हुए सरकार का विचार भण्डारण क्षमता का विस्तार करने का है?

क्या सरकार राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम जैसी उन सरकारी ऐजेंसियों के माध्यम से इन बण्डलों की निकासी करेगी जो इनका आयात करती हैं और क्या सरकार इन्हें अपनी भन्डारण क्षमता तैयार करने की इजाजत भी देगी?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सही है कि सभी पत्तनों में से बम्बई पत्तन में ही सबसे अधिक भीड़भाड़ है। पर यह भीड़भाड़ केवल पिछले दो वर्षों से नहीं है। यह स्थिति पिछले 10 वर्ष से चली आ रही है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए हम भी आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि इसमें यथा सुधार किया जाए।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य व्यापार निगम और अन्य सरकारी ऐजेंसियों के अपने गोदाम होने चाहिए। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। यदि एक व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम तथा प्राइवेट क्षेत्र के संगठन बम्बई में अपने गोदाम बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कठिनाई है बम्बई शहर में गोदामों के लिए स्थान मिलने की। यही वास्तविक समस्या है।

मेरे विचार से नव सेवा पत्तन का शीघ्र निर्माण ही इस समस्या का हल है। इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

दूसरा कदम हमने बम्बई में कन्टेनर भाड़ा स्टेशन बनाने की दिशा में उठाया है। हमने हाल में 150 एकड़ भूमि चुनी है जहां हम कन्टेनर भाड़ा स्टेशन बनाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि तीन या चार मास के भीतर यह स्टेशन बन कर तैयार हो जायेगा।

श्री बी. वी. देसाई : इस समय भारतीय पत्तनों की आयात किए माल को संभालने की क्षमता लगभग 58 लाख टन है। सभा की जानकारी के लिए मैं यह बताऊं कि अकेले सिंगापुर में इतनी क्षमता है। भारत के सभी दस पत्तनों पर उठाने-धरने की क्षमता की कमी को देखते हुए क्या छठी योजना में इस क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो भण्डार का, संभाल और निकासी का वैकल्पिक समाधान क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमारे बड़े पत्तनों की संभाल क्षमता 58 लाख टन नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्य ने बताए हैं। आज हमारे सभी पत्तनों की संभाल क्षमता 800 लाख टन है और छठी योजना के अन्त तक हम इसे बढ़ा कर 1300 लाख टन करना चाहते हैं। अत: 1300 लाख टन यातायात की समाल के लिए हम अपने पत्तनों का आधुनिकरण करने और वहां के लिए नए उपकरण खरीदने तथा क्रेन लगाने की दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। हम इस बारे में अनेक कदम उठा रहे हैं जिनका विवरण मैं यहां नहीं दे सकता।

श्री बी वी. देसाई : क्या यह सच है कि सिंगापुर के मुकाबले हमारे सभी पत्तनों की कुल संभाल क्षमता कम है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने सिंगापुर की संभाल क्षमता के बारे में पूछा है। पर यह प्रश्न केवल बम्बई पत्तन के बारे में है।

श्री के. एन. राजन : बम्बई पत्तन में भीड़भाड़ से पिछले दो-तीन सालों से हमारे देश के लिए एक समस्या खड़ी हो गयी है। इस समस्या ने 1979 में अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया। बम्बई पत्तन में माल रखने की क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि पत्तन अधिकारियों और प्राइवेट व्यापारियों के बीच सांठ-गांठ है। ये व्यापारी व्हार्फेज क्षेत्र के अन्दर माल रखना पसंद करते हैं क्योंकि बाहर के क्षेत्र में किराया अधिक देना पड़ता है। यह सांठ-गांठ है। इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : दुर्भाग्य की बात है कि सदस्य महोदय को पत्तन अधिकारियों और आयातकों के बीच सांठ-गांठ का सन्देह हुआ। मैं इस आरोप का पुरजोर खण्डन करता हूँ। किसी भी किस्म की सांठ-गांठ नहीं है। पर मैं पहले ही मान चुका हूँ कि बम्बई पत्तन में बहुत अधिक भीड़भाड़ है और इस भीड़भाड़ को कम करने हेतु सरकार ने कदम उठाए है। मैं कह चुका हूँ कि इसका एकमात्र समाधान नव सेवा पत्तन का निर्माण है। सभा की जानकारी के लिए मैं यह बताऊं कि बम्बई पत्तन ने 1979-80 में विलम्ब शुल्क के रूप में 28,57,00,000 रु. वसूल किया है।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि रेलों की भांति बम्बई पत्तन के मामले में यह अनुभव है कि जो माल आयात किया जाता है उसका देश में मूल्य गिर जाने के

कारण उसे पत्तनों से नहीं उठाया जाता और एक कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है तथा जब माल बढ़ जाते हैं तो उसकी निकासी की जाती है। मेरा सुझाव यह है कि रेलवे की भाँति पत्तनों को भी यह व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि यदि मुफ्त समय जमा सात दिन के अन्दर माल नहीं उठाया जाता तो उसका नीलाम कर दिया जाए। क्या सरकार ऐसी सख्त कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसकी व्यवस्था मौजूद है। मुफ्त समयावधि केवल तीन दिन है। माल के पैकटों की प्राप्ति के बाद उन्हें तीन दिन तक ट्रांजिट शेडों में रहने दिया जाता है और चौथे दिन से विलम्ब शुल्क लगना आरम्भ हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वे इससे भी सख्त कार्यवाही चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माल को ट्रांजिट शेड़ों में 15 दिन तक रखा जाता है। फिर इसे भण्डागारों में भेज दिया जाता है। दो मास के बाद नीलाम कर दिया जाता है। इस प्रकार हम काफी रकम वसूल कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूँगा। उन्होंने अभी कहा है कि इस समस्या का असली समाधान नव सेवा पत्तन का निर्माण है। बम्बई और सभी अन्य पत्तनों में भी भीड़भाड़ है। वास्तव में इस दिशा में सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। पिछले सत्र में भी सरकार की ओर से यही उत्तर था। क्या निर्णय लेने वाली व्यवस्था पंगु हो गई है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आपके उत्तर के मुताबिक आज भी नव सेवा पत्तन का निर्माण ही एक मात्र समाधान है। बम्बई व्यापार और अन्य दृष्टि से भारत का बड़ा पत्तन है। आप को इस बारे में जल्दी फैसला करना चाहिए। क्या आप इस भावना को अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों तक पहुंचा देंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आपकी भावनाओं को वहां तक पहुँचाने का सवाल ही नहीं है। सारा मन्त्रिमण्डल इसके प्रति जागरूक है···(व्यवधान) सारे मंत्रि परिषद् को इसका पता है।

प्रो. मधु दण्डवते : निधन सम्बन्धी उल्लेख जरूरी नहीं है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : हम समस्या के प्रति जागरूक हैं। उस अभिव्यक्ति में कुछ भी गलत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम कार्यवाही कर चुके हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। आशा है आगामी छः आठ महीनों में हमें परियोजना रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट मिलते ही हम धन निवेश सम्बन्धी निर्णय लेंगे। अन्ततः मन्त्रिमंडल ही इस पर फैसला लेगा। भारत सरकार और मेरा मंत्रालय इस परियोजना को यथासम्भव शीघ्र आरम्भ करने के इच्छुक हैं।

श्री शिव कुमार सिंह : व्यापारियों की यह प्रवृत्ति बन गई है, आर्टिफिशियल शार्टेज क्रियेट करने के लिए बम्बई के पोर्ट ट्रस्ट पर माल रोका जाता है। मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट में बताया है कि व्यापक प्रचार के बाद नीलामी की जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस वर्ष में या जो भी आँकड़े उनके पास उपलब्ध हों उसके अनुसार बताएं कि कितनी नीलामी की गई ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसके लिए मुझे अलग सूचना चाहिए।

बैगनों से गेंहूँ की चोरी

*436 श्री सुभाष यादव :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैगनों से बड़े पैमाने पर गेंहू की चोरी होने का पता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कदाचार में कितने रेल कर्मचारी सम्मिलित पाए गये;

(ग) विभिन्न प्रकार के कदाचारों में सम्मिलित कुल कितने रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, यदा-कदा ऐसे मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है ।

(ख) बीस ।

(ग) विभिन्न कदाचारों में शामिल होने के कारण सभी भारतीय रेलों पर वर्ष 1980 के दौरान 147 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था ।

(घ) इनमें से, 117 कर्मचारियों के विरुद्ध कानून के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत और शेष 30 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय रूप से कार्यवाही की गयी थी ।

श्री सुभाष चन्द्र यादव : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि "वैरियस प्राविजन्स आफला" क्या हैं और 30 जिनके मामले डिपार्टमेन्टली टेक-अप किए गए, उस सन्दर्भ में मेरा यह कहना है कि यह एक बहुत बड़ा कांड है जोकि रेलवे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है और जिसके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हर वर्ष हो रहा है । मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि 14-2-81 को एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि 40 हजार क्वींटल, के गोलमाल की जिसकी कीमत 40 लाख रुपए होती है । इस तरह से मार्कफेड के भ्रष्ट अधिकारी के माध्यम से बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है । मन्त्री जी और विभाग को इस बात को बहुत गम्भीरता के साथ लेना चाहिए । मन्त्री जी ने जवाब देने का जो तरीका अपनाया है वह गोलमाल है, यह सदन उससे संतुष्ट नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि वे यहाँ पर साफ बात कहने की कोशिश करें, कतई सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें ।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, हमारा कर्तव्य सदन में गोलमाल करने का नहीं है। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसको धीरज से समझें···

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : भवन गोल है । आप इसे गोलमाल नहीं कह सकते ।

श्री मल्लिकार्जुन : इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी गुड्स ट्रेन्स में से कुछ व्हीट की बिलफ्रेज होती रही है । हमने कुछ दिन पहले सब्जी मंडी दिल्ली में दो फूडग्रेन्स की स्पेशल ट्रेन्स पर स्पेशल रेड कराई थी, उसकी सील इनटैक्ट होते हुए भी उसमें से 542 वैगन गायब थे और 800 क्वींटल व्हीट गायब था । इसका कारण क्या हो सकता है ? इसका कारण यह हो सकता है कि लोडिंग प्वाइन्ट पर शार्ट हो । एफ. सी. आई. वाले इसकी लोडिंग करते हैं । अब माननीय सदस्य समझ गए होंगे कि मैं कोई गोलमाल बात नहीं कर रहा हूँ ।

: अध्यक्ष महोदय : गोलमाल होता है, यह समझ गये हैं।

श्री सुभाष चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी के उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और न ही इस सदन के सदस्य संतुष्ट हैं । मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कैबिनेट मन्त्री, श्री केदार पांडे जी इसका ठीक से जवाब दें और वे इस पर गम्भीरता से विचार करें । मैं 40 हजार क्वींटल की बात कर रहा हूं और वे 800 क्वींटल की बात कर रहे हैं । इसमें मार्कफेड एफ सी आई. और रेलवे—तीनों के अधिकारी मिले हुये हैं इसलिए इसको गम्भीरता से लेना चाहिए । इसमें हमको बहुत बड़े षडयन्त्र की बू आती है। मैं माँग करता हूं कि इसको गम्भीरता से लिया जाये और पांडे जी यहाँ पर इसका ठीक से उत्तर दें ।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : यह बात सही है कि पिलफ्रेज होता है, इस बात को हम एडमिट करते हैं । हम बताते हैं कि 1980 में कितना व्हीट का मिलफ्रेज हुआ, 1979 में कितना हुआ और 1978 में कितना हुआ । यह तीनों फीगर्स आपको बताता हूं । करीब 55,94,592 रुपये का गेहूं 1980 में मिलफ्रेज हुआ । इसके अलावा 1979 में 47 लाख 51 हजार 480 रुपए का पिलफ्रेज हुआ था ··(व्यवधान)··· पहले गेहूं की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है और दूसरा सवाल इसमें नहीं है । 1978 में 39 हजार 422 रुपये का गेहूं पिलफ्रेज हो गया । जब गेहूं पिलफ्रेज होता है। तो उसके कई कारण हैं···(व्यवधान)···पहले मेरी बात सुनिए । आपने जब पूछा है तो मैं जवाब देता हूं, ताकि मैं एन्लाइटन कर सकूं । यह भी जरूरी है कि जैसा कि माननीय सदस्य···(व्यवधान) ·· यह बात है । इसमें कारण कई हैं । पहला तो यह है कि देखा गया है कि एम. सी. आई. से जो लोडिंग हुआ और वैगस में लाया गया, उन्होंने कहा कि इतना बोरा है और वहीं पर सील लगा दिया, मोहर लगा दिया । देखा गया कि सील टूटी भी नहीं, लेकिन जब खोला गया तो मालूम हुआ कि 500 बोरा गायब हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : कौन जादूगर था—सरकार या गोगियापाशा ।

श्री केदार पांडे : मैं कहना चाहता हूं कि लोडिंग में भी गड़बड़ है और दूसरी बात यह है कि पहले तो कुछ ऐसा था कि वैगन्स खुला रहता था । वैगन्स खुला रहने में ज्यादा पिलफ्रेज होता था, लेकिन जब से बन्द वैगन्स, बाक्स वैगन्स जब से शुरू हुआ है, उसमें पिलफ्रेज कम पाया गया है । इस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं, वहां भी देखो और एफ. सी. आई. के अधिकारियों से भी हम बात करना चाहते हैं लोडिंग के बारे में । नहीं तो हमें बेरीफाई करने दीजिए और सारा खर्चा हमको दीजिए—यही बात है ।

श्री सत्य नारायण जाटिया : अध्यक्ष महोदय अभी क्विन्टल में बात हो रही थी, मैं टनों में आपको बता रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : एक नाम और है । श्री कृष्ण प्रतापसिंह । वे यहां नहीं हैं श्री सत्य नारायण जाटिया ।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, अभी क्विंटलों में मामला चल रहा था, मैं आपको टनों में बताना चाहता हूँ । पिछले साल इसी सदन में मध्य प्रदेश को 40 हजार टन शक्कर वैगन से गायब होने का समाचार मिला था, लेकिन उस शक्कर का अभी तक पता नहीं चला । इसलिए मैं माननीय रेल मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की 40

हजार टन शक्कर जो गायब हुई थी, महाराष्ट्र से चली थी उसका क्या आपको अभी तक पता चला है ?

श्री केदार पांडे यहां पर सिर्फ गेहूँ की बात है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप। आप दूसरा प्रश्न दीजिए।···(व्यवधान)

एक गंदम की चोरी है और एक मीठी चोरी है। आप मीठी चोरी की बात क्यों करते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हुँ कि आप इसके लिए एक पृथक नोटिस दें। श्री घोष।

श्री नीरेन घोष : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि मुगलसराय रेलवे चार्ड इस बात के लिए बदनाम है कि वह चोरी का सबसे बड़ा केन्द्र है। रेलवे सुरक्षा बल से सांठ-गांठ करके बाक्स वेगन में से भी चोरी कर ली जाती है। वहां कई गाड़ियां आती है, और चोर आते हैं और वेगन तोड़कर सामान बाहर निकाल लेते हैं। रेलवे में बड़ा भ्रष्टाचार है कि निजी उद्योगपति 'डरे अलर्ट' पर विशेष गाड़ियां प्राप्त करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मुगलसराय पर विशेष निगरानी रखेंगे जोकि चोरी का बहुत बड़ा केन्द्र है। इसे चोर बजार कहा जाता है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जाफर शरीफ) : हमने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि वहां सांठ गाँठ होती रहती है और मन्त्री महोदय ने भी बताया है कि वहाँ चोरी होती है।

महोदय उत्तर देते समय मेरे माननीय साथी श्री मल्लिकार्जुन ने छापा मारने तथा उसके बाद जिस सत्य का पता लगाया था उसका उल्लेख किया है। रेलवे सुरक्षा बल का ही यह प्रयत्न था। वहां अच्छे और बुरे दोनों तत्व हैं और वहाँ होने वाली सांठ-गाँठ की सभावना से हम इन्कार नहीं करते। और हम अपराधियों को सजा देने और उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य महोदय से केवल इतना ही कहूँगा कि जब हम उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने लगे तो उस समय उनका बचाव न किया जाये। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग दें।

अस्पतालों और औषधालयों में उपलब्ध पोलियो वैक्सीन की किस्म

*437. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अस्पतालों और औषधालयों में पोलियो वैक्सीन उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के पोलियो वैक्सीन उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) : भारत में खाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। यह वैक्सीन उन कुछेक अस्पतालों और औषधालयों में उपलब्ध है जिनमें कोल्डस्टोरेज की सुविधायें मौजूद हैं।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय यदि आप उत्तर को पढ़ें तो आप देखेंगे कि भाग (क)

और (ख) दोनों को इकट्ठे ले लिया गया है और मन्त्री महोदय ने मेरे भाग (ख) का अस्पष्ट उत्तर दिया है

महोदय, यह वर्ष विकलांग वर्ष है और आपको यह जानकर अचम्भा होगा कि केन्द्रीय सरकार पोलियो वैक्सीन 'न्यूरोविरुलेंस टेस्ट' किए बिना सप्लाई कर रही है। जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों बच्चे पक्षपात के शिकार हुए हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय अस्पतालों और औषधालयों में जो पोलियो वेक्सीन उपलब्ध है उसका समुचित परीक्षण किया जाता है। क्या उनसे बच्चों को आवश्यक निरापदता प्राप्त हो जाती है ? दूसरा क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या पोलियो वेक्सीन का प्रयोग 'राष्ट्रीय सस्क्रामक रोग संस्थान' की पोलियो वेक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : महोदय, मुख से दिए जाने वाले पोलियो वेक्सीन का प्रयोग इस देश में तब तक नहीं किया जाता जब तक कि उसका समुचित परीक्षण नहीं कर लिया जाता और हमें कोई शिकायत भी इस बारे में प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अमर राय प्रधान : क्या न्यूरोविरुलेंस परीक्षण किया जाता है।

श्री बी. शंकरानन्द : जी हां।

श्री अमर राय प्रधान : पोलियो वेक्सीन परीक्षण के लिए दो प्रकार के परीक्षण के लिए दो प्रकार के परीक्षण अनिवार्य हैं। एक है क्षमता परीक्षण (पोटेन्सी टेस्ट) और दूसरा है न्यूरोविरुलेंस परीक्षण (न्युरोविरुलेंस टेस्ट) जोकि बहुत महंगा है। एक बैच का अर्थ है लगभग दस से बारह लाख खुराक जिसके परीक्षण में कम से कम नौ महीने लग जाते हैं। प्रत्येक दस लाख खुराक के एक बैच के लिए अन्तः रीढ़ और अन्तः प्रमस्तिष्क खुराक देने हेतु 120 बन्दरों की आवश्कता होती है। इन बन्दरों को तीन सप्ताह तक निगरानी में रखा जाता है जिसके उपरांत उनकेऊतकों की जांच की जाती है। यह एक लम्बी प्रकिया है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि केवल "हाफकिन बायोफर्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन" विदेशों से बड़ी मात्रा में इस दवा का आयात करती है और इसका आगे वितरण करने के लिए इसे बोतल में बन्द करती है। दूसरी बात यह है कि चूंकि यह सप्लाई विदेशों से प्राप्त होती है क्या इसलिये इसे प्रमाणित मान लिया जाता है और इसका कोई न्यूरोविरुलेंस टेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि यह यहीं बम्बई में बोतल बन्द होती हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, जहां तक पोलियो वैक्सीन का सम्बन्ध है हमें अब भी इसका आयात करना पड़ता है क्योंकि इसे हम देश में नहीं बनाते। हम रूस और बेल्जियम से इसका आयात करते हैं। महोदय हमारे देश में परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम इसका नियमित रूप से परीक्षण करते हैं।

श्री डी. पी. यादव : महोदय, हमारे देश में बच्चों की संख्या लगभग 15 करोड़ होगी और पोलियो वैक्सीन 14 वर्ष की आयु तक दी जाती है। इस दवा की प्रभावोत्पादकता को देखते हुए इन 15 करोड़ बच्चों को में स कितने बच्चों को पोलियो वैक्सीन कार्यक्रम के अधीन दी गई है ? दूसरी बात यह कि क्या आपके पास ऐसा कोई व्यापक कार्यक्रम है जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो एवम् ट्रिपल एंटीजेन औषधि दी जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री निहार रंजन लास्कर : हम देश भर में बाल कल्याण और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। वर्ष 1980-81 में हमने 20 लाख बच्चों को दवा देने की योजना बनाई थी। हमने इस संख्या को बढ़ा दिया है और वर्तमान वर्ष में हम अधिक बच्चों को सम्मिलित करने का विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री डागा।

भारत में कुष्ठ रोगी

*438. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है और उनके उपचार के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) कुष्ठ रोगियों की सेवा में रत स्वयंसेवी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक संगठन को दी गई वार्षिक सहायता की राशि दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश में लगभग 32 लाख कुष्ठ रोगी होने का अनुमान है। इन रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए एक राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम चल रहा है, जिसे सरकारी और स्वैच्छिक दोनों एजेंसियाँ चला रही है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगभग 97 स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं। इनमें से कुछ को केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिल रहे हैं। इन संगठनों के बारे में वांछित सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	1979-80 में दी गई सहायता की राशि
1	2	3
		रुपये
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, करीम नगर जम्मीकुंटा	68,600
2.	श्री गौतम जीव कारुण्य संगम, राजामुंदरी	21,100
3.	फिलाडफिया कुष्ठ अस्पताल, सलूर	32,470
	असम	
4.	श्रीमंत शंकर मिशन नवगांव	24,147

1	2	3
	बिहार	
5.	गाँधी कुष्ठ निवारण प्रतिष्ठान अखलासपुर	2,70,396
6.	कुष्ठ सेवा समिति, कपासिया (क)	1,01,776
	(ख)	50,00
	(निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त)	
7.	राजेन्द्र सेवाश्रम अनुग्रह नगर, मेरवा	1,42,470
	गुजरात	
8.	बड़ौदा जिला, कुष्ठ-रोधी संघ, बड़ौदा और रावपुरा	42,559,60
	केरल	
9.	पूअर लेपरोसी अस्पताल, ग्रीन गार्डन शेरटल्ले	56,600
10.	होली क्रास कान्वेंट कोट्टयम, क्वीलोन	32,600
11.	दामियन लैपरोसी इन्सटीट्यूट, कुझुम कुल्ली	67,519
	मध्य प्रदेश	
12.	वसर्जन आश्रम कुष्ठ नियन्त्रण एकक अवालखा, इंदौर	12,197.88
	महाराष्ट्र	
13.	कोठरा लैपरसी हास्पिटल एण्ड होम्स, अमरावती।	1,31,070
14.	रिचर्डसन लैपरसी हास्पिटल, मिराज	67,100
15.	गांधी मेमोरियल लैपरसी फाउंडेशन, वर्धा	27,714.93
16.	वडाला लैपरसी कन्ट्रोल यूनिट, अहमदनगर	1,77,979.39
17.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, सांगली	13,761.38
18.	महारोगी सेवा समिति, दत्तापुर, वर्धा	1,00.000
	(निर्माण के लिए)	
	तमिलनाडु	
19.	दयापुरम कुष्ठ केन्द्र, मनमदुरई	49,567.75
20.	रवथकुप्पम हमेरीजेक्स, ग्रामीण कुष्ठ केन्द्र	68,250
21.	कुष्ठ मिशन अस्पताल, वडाथोरासालूर	44,250
22.	क्रिश्चियन फैलोशिप अस्पताल, मदुराई	50,460.76
	उत्तर प्रदेश	
23.	बी. आर. डी. कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया	2,49,012.50
24.	कुष्ठ सेवाश्रम गोरखपुर	1,33,910
25.	पूर्वांचल सेवा संस्था, देवरिया	28,800
26.	कुष्ठ मिशन, फैजाबाद	13,550

1	2	3
	पश्चिम बंगाल	
27.	बंकुरा कुष्ठ केन्द्र, बंकुरा	77,260
28.	महाकुना कुष्ठ निवारण समिति मिदनापुर	97,250
	दिल्ली	
29.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, नई दिल्ली ।	63,990.49 (प्रकाशनार्थ)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो फीगर्स मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिये हैं, मेरा ख्याल है कि आपके यहाँ जवाब छपा रहता है और उसको ही हर दफा दे दिया जाता है । 8 मार्च, 1979 के मेरे प्रश्न के जवाब में आपने कहा था कि कुष्ठ रोगियों की संख्या 32 लाख है, फिर 24-7-80 के जवाब में भी यह संख्या 32 लाख बताई थी और आज जब मैं 19 मार्च को यही प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो भी उनकी संख्या 32 लाख ही है । तीन बार मैंने इस प्रश्न को पूछा है और इन तीन सालों के दरम्यान उनकी संख्या 32 लाख ही रही है । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप इन रोगियों की जनसंख्या की गणना किस आधार पर करते हैं और दूसरी बात आप यह बताइए कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद कितने रोगी इन दिनों ठीक हो गये हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : कुष्ठ रोगियों की कोई नियमित रूप से गणना नहीं की जाती । हमने 1955-56 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम आरम्भ किया था । वर्ष 1981 के अन्त तक के आँकड़े इस प्रकार हैं, हमने 382 कुष्ठरोग नियन्त्रण इकाइयाँ आरम्भ की हैं। हमारे पास 6645 सर्वेक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र हैं । हमारे यहाँ 440 शहरी कुष्ठरोग केन्द्र हैं । हमारे पास कुष्ठरोगी प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या 41 है ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । आप सर्वेक्षण कैसे करवाते हैं और अब तक कितने रोगी ठीक हुए हैं ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जो सामाजिक दृष्टि से एक कलंक है । लोग यह बताते हिचकिचाते हैं कि वे कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं । देश में सर्वेक्षण करना बहुत कठिन है । इस सब के बावजूद हमें यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इस देश में सर्वेक्षण किया गया था और हम इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रहे हैं । यदि आँकड़ों में समानता नहीं है तो इसका यह कारण है कि प्रत्येक वर्ष कुछ नए मामलों का पता चलता है और उनका इलाज किया जाता है । इस समय लगभग 40 लाख लोग हैं । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितने सम्मिलित किये गये । माननीय सदस्य को सूचनार्थ मैं यह बताता हूँ कि 21 लाख लोगों को सम्मिलित किया गया ।

श्री मूलचन्द डागा : आखिर एक सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर तो दिया जाना चाहिए । कृपया मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दीजिए । मैंने यह कहा था कि मैंने चार दफा क्वेश्चन पूछे हैं । मेरे पास उनके जवाब की कापियाँ हैं । 1979 में जो उत्तर दिया, 1980

में आपने जो उत्तर दिया उनमें आपने 3.2 मीलियन संख्या बताई है। मैंने यह पूछा था कि इसका आधार क्या है और आज तक कितने रोगी ठीक हो गये हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : मैंने सभा को पहले ही बता दिया है कि अनुमानित आँकड़े हैं। हम सही-सही आँकड़े नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु ये कहते हैं कि लगभग 21 लाख लोगों का इलाज किया गया है।

श्री बी. शंकरानन्द : जब तक नया सर्वेक्षण न हो जाए। मैं नए आँकड़े नहीं दे सकता।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि आपने कुल 97 वोलेन्ट्री आरगेनाइजेशंस बताई हैं और आपने 29 के नाम दिये हैं जिन्हें आपने सहायता दी है। आपने आरगेनाइजेशंस को 1978-79 में 2,30,800 रुपये और 1979-80 में 3,24,800 रुपये की धनराशि दी। आप यह धनराशि किस प्रकार से वितरित करते हैं और इस धनराशि को स्वयंसेवी संस्थाओं में वितरित करने का आधार क्या है ?

श्री बी. शंकरानन्द : भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हमारे अपने कुष्ठरोग कार्यक्रम हैं। भारत सरकार के कार्यक्रमों के अतिरिक्त कई स्वैच्छिक संगठन हैं जो सेवा कर रहे हैं तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और सीधे सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्वैच्छिक संगठनों को किस आधार पर अनुदान दिया जाता है ? राजस्थान में ऐसी कई संस्थाए हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : अनुदान विभिन्न आधारों पर दिए जाते हैं। यह बिस्तरों की संख्या, उनके पास सहायक सामग्री, मार्मिकों की सख्या और भूमि के क्षेत्रफल आदि के आधार पर दिया जाता है। इन आधारों पर उन्हें अनुदान दिया जाता है।

श्री मूल चन्द डागा : कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद दी, कितनी स्टेट्स ने मदद दी, यह बताया ही नहीं।

डा. कर्ण सिंह : महोदय, कुष्ट रोग विश्व में चिकित्सा की दृष्टि से एक असाध्य रोग है, और शायद जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में विश्व के लगभग 1/8 कुष्ट रोगी रह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि (क) क्या जिस प्रकार हमने चेचक उन्मूलन अभियान सफलता पूर्वक चलाया था उसी प्रकार हम कुष्ट रोग उन्मूलन अभियान चलाएंगे जो 2000 ईस्वी में पूरा होगा। इस अभियान में विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार, राज्य सरकारें और स्वैच्छिक संगठन लगे हुए हैं। यह एक व्यापक अभियान होगा। क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से राष्ट्रीय कुष्ट रोग उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा ? और (ख) कुष्ट रोग-रोधी टीके के विकास में क्या प्रगति हुई है ? क्योंकि जब तक इस रोग के लिए टीके का विकास नहीं कर लिया जाता तब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस मुद्दे पर प्रकाश डालें।

श्री बी. शेकरानन्द : माननीय सदस्य ने चेचक की तुलना कुष्ट रोग से करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार तुलना नहीं हो सकती। आप चेचक को नहीं छुपा सकते। कुष्ट रोग होने पर लोग यह बताने के इच्छुक नहीं होते कि वे कुष्टरोग से पीड़ित हैं क्योंकि वे जानते हैं कि

एक बार उनके बता देने से उनके साथ समाज में अछूतों जैसा व्यवहार किया जाएगा। परन्तु चेचक के मामले में यह बात नहीं है। चेचक के लिए हम प्रतिरोधी टीका बनाने में सफल हुए हैं परन्त कुष्टरोग के लिए हम नहीं बना सके हैं। अतः आप इन रोगों की तुलना नहीं कर सकते॥ परन्तु माननीय सदस्य द्वारा इस घातक रोग के उन्मूलन के लिए दिए गए व्यापक अभियान के सुझाव की मैं सराहना करता हूँ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि कुष्ट रोगियों के जिस सर्वेक्षण से 32 लाख मामलों का पता लगा है, वह कब किया गया था तथा क्या यह सर्वेक्षण बहुत समय पहले किया गया था एवम् क्या नया सर्वेक्षण कराने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है। महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण को यदि आप देखें तो पायेंगे कि कुष्ट रोगियों को सबसे अधिक सख्या उड़ीसा में है परन्तु उड़ीसा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह इसका क्या कारण है ?

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, मैंने जैसा कि पहले कहा है, कुष्टरोग का सर्वेक्षण कराना बहुत कठिन है (व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं कहता हूँ भारत में 100 लाख कुष्टरोगी हैं। कौन सी संख्या ठीक है।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, इस मामले में माननीय सदस्य जो कहना चाहें कह सकते हैं परन्तु हम संस्थाओं द्वारा कराए गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर चलते हैं और उन्हीं के आंकड़ों को मानते हैं।

कंजुर रेल स्टेशन का अप्रयुक्त आहाता

*439. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कजुर रेल स्टेशन, बम्बई में रेलवे का विशाल अप्रयुक्त अहाता है;

(ख) क्या इस समय यह भूमि खाली पड़ी है और असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयुक्त की जा रही है और वहां पर बहुत-सा कूड़ा करकट जमा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग का विचार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किराये के आधार पर शिक्षित बेरोजगारों को इस भूमि के छोटे-छोटे खड देने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मध्य रेलवे के बम्बई उपनगरीय खड के कंजूर मार्ग रेलवे स्टेशन से है। कजूर मार्ग रेलवे स्टेशन पर रेलपथ के पश्चिम की ओर 94 मी० × 32.4 मीटर आकार का परिचलन क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अप्रयुक्त क्षेत्र कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि यह क्षेत्र परिचलन क्षेत्र के रूप में काम में आ रहा है।

(ख) इस समय यह भूमि खाली है। इस भूमि पर कोई कूड़ा करकट जमा नहीं है तथा इसका उपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा नही किया जाता है।

(ग) इस भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में किराये के आधार पर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए शिक्षित बेरोजगारों को लाइसेंस पर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, हमारे गोल-माल मन्त्री जी का कहना है कि इसमें कोई गोलमाल नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे वहां जाएं और इन रिपोर्टों पर विश्वास न करें।

एक माननीय सदस्य : क्या वे गोलमाल मन्त्री कह सकते है ?

एक माननीय सदस्य : इन्होंने गोलमाल मन्त्री नहीं कहा है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं गोलमोल कह कह रहा हूँ।

महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है। यह खाली भूमि है और केवल एक भाग के अन्त में परिचालन क्षेत्र है, वह इसका एक भाग नहीं है। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस प्रकार की अप्रयुक्त भूमि संवर्धा नीति के बारे में जानना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और आमतौर पर बम्बई में रेलवे के पास काफी अधिक भूमि है जो अप्रयुक्त पड़ी है जबकि उसके कई वैकल्पिक प्रयोग हैं। कई क्षेत्रों में गन्दी बस्तियां हैं रेल मंत्रालय की उसर-वाली पड़ी भूमि के बारे में क्या नीति है। जो अप्रयुक्त पड़ी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय जहां तक रेलवे की अप्रयुक्त पड़ी भूमि के प्रयोग का संबन्ध है रेलवे के पहली प्राथमिकता इसे रेलवे के हित में विकसित करने की है। जहां तक कंजुर क्षेत्र के इस विशेष क्षेत्र का संबन्ध है इसे नहीं दिया जा सकता यद्यपि सरकार की शिक्षित बेरोजगारों से पूर्व सहानुभूति है और चाहती है कि उन्हें रोजगार मिलें। परन्तु इस क्षेत्र को शिक्षित बेरोजगारों को लाइसेन्स उद्देश्य आदि के लिए केवल इसीलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि रेलवे उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं दी जानी है। हमें इसकी आवश्यकता है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी मेरा दूसरा प्रश्न यह कि क्या रेल मंत्री को पता है कि वे इस प्रकार की लाइसेंसिंग व्यवस्था के लिए जिस दर पर वसूली कर रहे हैं वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी भूमि के लिए प्राप्त किए जा रहे प्रभार से चार गुना अधिक है।

श्री मल्लिकार्जुन : यह उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा क्योंकि महोदय, यह एक पूर्णतया अलग संगठन है, हम राज्य सरकार की उन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों का अनुसरण नहीं कर सकते।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या राज्य सरकार विदेशी सरकार है ?

पुरी में रेलवे होटल

*440. श्री के. पी. सिंह देव :

श्री चिंतामणि जेना : क्या रेलो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से पुरी में रेलवे होटल का विस्तार करने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग ने इस मामले पर विचार किया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में बनाई गई विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न काल समाप्त हुआ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को दवाओं की कम सप्लाई

*433. **श्री जय नारायण रोट :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को दवाओं की कम सप्लाई की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, नहीं। वैसे बाजार में दवाओं की आम कमी होने या माल देर से पहुँचने के कारण कुछ औषधालयों में कभी-कभार दवाओं की कमी हुई है।

सियालदह दक्षिण स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रात में यात्रियों को परेशान किया जाना

*441. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सियालदह दक्षिण स्टेशन पर कुछ रेल कर्मचारियों तथा असामाजिक तत्वों के सहयोग से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अर्द्धरात्रि में अथवा रात के अन्तिम प्रहर में यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशान किया जाता है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा कालेजों द्वारा प्रति व्यक्ति फीस लेने की पद्धति

*442. **श्री एस. बी. सिदनाल :**

श्री भीकू राम जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन के अखिल भारतीय फेडरेशन का एक शिष्ट मंडल, चिकित्सा कालेजों, द्वारा भारी मात्रा में खासकर कर्नाटक राज्य में प्रति व्यक्ति फीस लेने की पद्धति समाप्त करवाने के लिए उनसे मिला था;

(ख) यदि हां, तो देश में और विशेषकर कर्नाटक में उन मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है जहाँ प्रति व्यक्ति फीस लेने की पद्धति विद्यमान है; और

(ग) इस पद्धति को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हाँ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य में चार मेडिकल कालेज हैं जो प्रति व्यक्ति शुल्क ले रहे हैं। इन कालेजों के अलावा यह भी सूचना मिली है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में कुछ और संस्थाएं प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की सोच रही है।

(ग) भारत सरकार ने पहले ही ऐसी सभी राज्य सरकारों को, जहां प्रति व्यक्ति शुल्क लेने वाले मेडिकल कालेज हैं, यह सलाह दे दी है कि वे इस परिपाटी को बिलकुल समाप्त कर दें ।

रेलवे मजदूर संघ के एक कार्यकर्त्ता की हत्या

*444. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में रेलवे के मजदूर संघ के एक कार्यकर्त्ता की हत्या तथा रेलवे के अनेक उग्रवादी व्यक्तियों पर हमले के बारे में मुरादाबाद में रेल कर्मचारियों द्वारा पारित संकल्प का पाठ प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ ।

(ख) फोटिवार विभिन्न एसोसिएशनों तथा समन्वय समितियों में संगठित सभी कर्मचारियों को आतंकित करने की तथा कथित गहरी साजिश पर संकल्प में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है । ट्रेड यूनियनवाद के स्वस्थ विकास को रोकने की साजिश की सीमा का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच कराने की भी मांग की गई है । संकल्प में रेल कर्मचारियों पर हमलों और उनकी हत्याओं के मामले भी गिनाये गये हैं ।

(ग) यह मामला एक रेल कर्मचारी की उसके घर में दूसरे कर्मचारी द्वारा चाकू घोंपकर हत्या करने का है । अपराध के लिए निजी व्यक्तिगत झगड़े के सभी संकेत मिलने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अपराधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की दफा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया । पुलिस से अनुरोध किया गया है कि ऐसी घटना फिर न हो इसके लिए वह निरोधक कार्यवाई करे । मुरादाबाद में रेलवे उग्रवादियों की हत्या के किसी अन्य मामले की सूचना नहीं मिली है ।

विश्व भारतीय एक्सप्रेस को पकौर तक ले जाया जाना

*445. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व भारती एक्सप्रेस हावड़ा और रामपुर हाट के बीच चलती है और रात भर वहीं रुकती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बरहरा और पंकौर स्टेशन रामपुर हाट से 60 किलोमीटर की दूरी पर है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पकौर तक विश्वभारती एक्सप्रेस का चलाए जाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ । 335/336 विश्व भारती फास्ट पैसेंजर गाड़ी रामपुर हाट पर 22.00 बजे से 4.40 बजे तक खड़ी रखी जाती है ।

(ख) रामपुर हाट से पाकूर और बर्नीहाट की दूरी क्रमश: 52.39 कि. मी. और 78.3 कि. मी. है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) पाकूर में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण 335/336 विश्व भारती फास्ट पैसेंजर को पाकूर तक बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है ।

कटक-पारादीप सवारी गाड़ी को भद्रक तक ले जाया जाना

*446. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के लाभ के लिए कटक-पारादीप सवारी गाड़ी को भद्रक रेल स्टेशन तक ले जाये जाने की माँग रही है; और

(ख) यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) यातायात के औचित्य की कमी के अलावा, मुख्यत: टर्मिनल और क्षमता की तंगी के कारण फिलहाल । सी. पी./2 सी. पी. कटक-पारादीप मिली-जुली सवारी गाड़ी को भद्रक तक बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का बनाया जाना

*447. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नहीं बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रारुप विशेषज्ञों, व्यावसायिक संघों, आदि के परामर्श से तैयार कर दिया गया है और इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

मेडीकल कालेजों और अस्पतालों में हड़ताल और आन्दोलन

*448. **श्री के. प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के मेडीकल कालेजों और अस्पतालों में हड़ताल और आन्दोलन की घटनाओं में हाल में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार देश में चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण (प्रेक्टिस) सम्बन्धी व्यापक योजना को बनाने हेतु एक समिति का गठन करने के बारे में विचार करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) रिपोर्ट बताती है कि पिछले दिनों मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों में हड़तालों तथा आन्दोलनों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर रेलवे में हुई दुर्घटनाएं

*449. श्री अशोक गहलोत : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान उत्तर रेलवे में हुई रेल दुर्घटनाओं की डिवीजन-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या फरवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह में मरुधर एक्सप्रेस के चालक ने मेड़ता रोड़ स्टेशन पर खड़ी हुई माल गाड़ी के साथ दुर्घटना की आशंका से गाड़ी रोक दी थी;

(ग) यदि हाँ, तो भविष्य में इस तरह दुर्घटनाओं का होना रोकने के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि कदम नहीं उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान उत्तर रेलवे पर हुई दुर्घटनाओं की मंडलवार संख्या नीचे दी गई है :—

मडल	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	
	जनवरी, 1980	जनवरी, 1981
(1) इलाहाबाद	2	—
(2) दिल्ली	6	2
(3) फिरोजपुर	1	1
(4) लखनऊ	1	—
(5) मुरादाबाद	1	1
(6) बीकानेर	3	2
(7) जोधपुर	1	—
जोड़	15	10

(ख) ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। चूंकि दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारण रेल कर्मचारियों की विफलता है, अतः गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा सम्बन्धी अधिक जागरुकता पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि, कर्मचारी नियमों का उलंघन न करें या ऐसे लाघव तरीके न अपनाएं जिससे दुर्घटनाएं हों, रेलों के संरक्षा संगठन निरन्तर अभियान चला रहे हैं।

गाड़ियों की तथा सवारी और माल गाड़ी डिपुओं में मौके पर जाँच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और रेल पथ के समुचित अनुरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्वों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, पहियों, धुरा और पटरियों, धुरा काउंटरों, रेल पथ

परिपथन आदि के लिए पराश्रव्य दोष संसूचक जैसे परिष्कृत उपकरण उत्तरोत्तर लागू किये जा रहे हैं।

चूंकि समपारों की दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की अन्धाधुन्ध और असावधानीपूर्ण कृत्यों के कारण होती है, अतः रेलवे इश्तिहार, पम्पलेट, बांटकर, सिनेमा हालों में स्लाइड, आदि प्रदर्शित करके सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच शैक्षिक अभियान चला रही है। सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके अचानक जांचें भी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक खतरनाक समपारों पर रेलों की लागत से चौकीदार तैनात किये जाते हैं।

मालगाड़ी का गार्ड एवं गार्ड के डिब्बे के बिना कथित रूप से चलाया जाना

*450. **श्री ईरा मोहन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल गाड़ियों का गार्ड और गार्ड के डिब्बे के बिना चलाया जाना एक प्रथा बन गई है,

(ख) क्या दक्षिण रेलवे में और विशेषरूप से त्रिची डिवीजन में रेल कर्मचारियों द्वारा नियमों (गार्ड और गार्ड वैन का साथ होना) के कठोरता से पालन करने की मांग पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या माल गाड़ियों का नियम के इस उल्लंघन के साथ चलाया जाना तमिलनाडु में वानीयामबड़ी की हाल की दुर्घटना का कारण था,

(घ) क्या गार्ड और गार्ड का डिब्बा रखने के नियम का भारतीय रेलवे द्वारा कड़ाई से पालन करने का विचार है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (घ) और (ङ) सामान्यतया, गाड़ियां गार्ड अथवा ब्रेक यान के बगैर नहीं चलायी जाती हैं। लेकिन परिचालनिक आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए, नियमों के अन्तर्गत बगैर गार्डों अथवा ब्रेक-यानों के गाड़ियों को चलाये जाने की अनुमति है। इस प्रकार की छूट केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत ही दी जाती है। ऐसे सभी मामलों में, संरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।

(ख) त्रिची मंडल पर विशेष अनुदेशों का अनुपालन न करने के कारण एक गार्ड के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

(ग) 11-2-1981 को वणियम्बाडि के समीप जो माल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें ब्रेकयान की व्यवस्था की गयी थी। गार्ड को जो ब्रेकयान में था इस दुर्घटना में चोटें आई थी और बाद में इन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

बेलधारिया रेलवे स्टेशन पर लूट खसोट

*451. **श्री के. मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रुद्ध भीड़ ने सियालदह के उत्तर में बेलधारिया स्टेशन पर

19 फरवरी, 1981 को उसके बुकिंग कार्यालय, माल और पार्सल गोदामों तथा लेवल क्रासिंग 'लोज' सहित लूट-खसोट की और बिजली से चलने वाले तीन डिब्बों में आग लगा दी, और

(ख) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। एक एस. एल. आर. और 2 बोगियां अर्थात् सवारी गाड़ी के डिब्बे भीड़ द्वारा जलाए गए थे न कि 3 बिजली गाड़ी सवारी डिब्बे। इसका विवरण निम्नलिखित है :

19-2-81 को 3 सशस्त्र रक्षक जिन्हें मार्गरक्षी के रूप में 723 अप माल गाड़ी के साथ जाने के लिए तैनात किया गया था तथ इस गाड़ी के इन्जन कर्मी पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल के बेलगढ़िया रेलवे स्टेशन पर 7.25 बजे पहुँचे और उन्होंने सहायक स्टेशन मास्टर बेलगढ़िया को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की। जब ये तीनों रक्षक सहायक स्टेशन मास्टर बेलगढ़िया के कार्यालय से बाहर आ रहे थे, उस समय कुछ व्यक्तियों से उनकी कहा-सुनी हो गई। शरारती तत्वों ने जो संख्या में आंधक थे, रक्षकों पर हमला कर दिया और उन पर पथराव किया और यहां तक कि उनकी राइफलें भी छीनने की कोशिश की जिसके परिणामस्रूप 2 रक्षकों को गंभीर चोटें आयीं। एक रक्षक ने अपनी राइफल से आत्मरक्षा के लिए एक राउन्ड गोली चलाई परन्तु शरारती तत्वों ने उनका पीछा करना और उन पर पथराव करना जारी रखा। तब रक्षकों ने सरकारी रेलवे पुलिस की चौकी में शरण ली जिसे भी भीड़ द्वारा घेर लिया गया। भीड़ ने स्टेशन मास्टर सहायक स्टेशन मास्टर/पार्सल गोदाम/आवक/जावक पार्सल कार्यालय, माल कार्यालय, टिकट कार्यालय, समपार गुमटी सहित रेलवे स्टेशन की इमारत के विभिन्न भागों को आग लगा दी और यहां तक कि वे सरकारी रेलवे पुलिस चौकी में रक्षकों पर आग्नेय अस्त्रों से हमला करने लगे। तब रक्षक ने अपनी राइफल से एक और राउन्ड गोली चलाई जिसके फलस्वरूप भीड़ में एक व्यक्ति मारा गया।

भीड़ ने सरकारी रेलवे पुलिस चौकी और गाड़ी सं. 363 अप लालगोला गाड़ी की 3 बोगियों को आग लगा दी जिसे बेलगढ़िया स्टेशन के पास जबरन रोक लिया गया था। ये तीनों बोगियां पूरी तरह जल कर राख हो गयी। बिजली इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा सिरोपरि बिजली की तारें पिघल गयीं।

मौके पर पहुँचने वाले पुलिस दल को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के 12 गोले छोड़ने पड़े। लेकिन भीड़ जब भी नहीं छंटी और वह हिंसक बनी रही, तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह रिपोर्ट मिली है कि पुलिस ने 12 राउन्ड गोली चलाई। इस प्रक्रिया में रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों के अतिरिक्त जनता और पुलिस के 10 व्यक्ति घायल हो गये। यह रिपोर्ट मिली है कि बेलगढ़िया पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक की एक रिवाल्वर भी भीड़ द्वारा छीन ली गयी।

सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन, सियालदह ने 19-2-81 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/307/379/435/436/427 तथा आई. आर. ए. की धारा 121 और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा सं. 3/5 के अन्तर्गत क्रम संख्या 22 पर एक मामला दर्ज किया है। बेलगढ़िया पुलिस चौकी ने भी दिनांक 19-2-81 को क्रम संख्या 29 पर भारतीय दंड संहिता 147/148/149/363/323/324/337/338/307/427/304 तथा भारतीय विस्फोटक अधिनियम

की धारा 6/3 और शस्त्र अधिनियम की धारा 24/29 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है। मृतक श्री अमित कुमार मोइत्रा के भाई श्री प्रदीप कुमार मोइत्रा की शिकायत पर सरकारी रेलवे पुलिस सियालदह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 के तहत 20-2-81 को अप सं. 24 पर रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों के विरुद्ध एक और मामला दर्ज कर लिया और इस मामले की भी जाँच की जा रही है।

फाइव डेज इन डा. राम मनोहर लोहिया हास्पिटल शीर्षक समाचार

4164. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री एम. एम. कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 जनवरी, 1981 के इण्डियन एक्सप्रैस, नई दिल्ली नामक अंग्रेजी समाचार पत्र में "फाइव डेज इन डा. राम मनोहर लोहिया हास्पिटल" शीर्षक से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय के लाभ-प्राप्तकर्ता की भयंकर कथा देखी है जिनसे उसकी पत्नी की मृत्यु हुई;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राजधानी में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मामले को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ, 31 जनवरी, 1981 के इन्डियन एक्सप्रैस नई दिल्ली में छपे समाचार को देख लिया गया है। वैसे, इस मामले की रिपोर्ट से समझा जाता है कि रोगी का ठीक ढंग से उपचार किया गया था और उसके उपचार में कोई असावधानी नहीं बरती गई थी।

(ख) और (ग) जब कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उनकी जाँच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारी उपाय बरते जाते हैं।

अमरीका में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या

4165. **श्री एस. ए. शिव प्रकाशम :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका में हमारे दूतावास के कर्मचारियों की संख्या (पदनाम और संख्या) कितनी है,

(ख) उनमें से कितने भारतीय हैं और भारत राष्ट्रिकता रहित कितने भारतीय हैं,

(ग) क्या कर्मचारियों द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया गया है, उनकी जिनमें समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया गया है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) यहां 104 भारत-आस्थानी अधिकारी हैं, 76 भारतीय ऐसे हैं जो भारत-आस्थानी नहीं हैं और 14 विदेशी राष्ट्रिक है।

(ग) जी हाँ।

(घ) सितम्बर 1980 में वाशिंगटन स्थित भारतीय राज दूतावास की स्थानीय कर्मचारी संस्था के अध्यक्ष ने एक अभ्यावेदन देकर यह मांग की थी कि उनका वेतन बढ़ाया जाय।

विदेश स्थित हमारे मिशनों और केन्द्रों में हमारे इन कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के देश के नियमों और वेतनमानों के अनुसार वेतन दिया जाता है। उनकी आय और वेतनमानों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि जहां तक सम्भव हो, सम्बद्ध देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के कारणों को निष्प्रभावी किया जा सके।

वाशिंगटन स्थित भारतीय मिशन के स्थानीय कर्मचारियों के वेतन में कुछ वृद्धि की मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

विवरण जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका स्थित भारतीय दूतावास में स्टाफ के सदस्यों की संख्या (पदनाम और संख्या) बतायी गई है।

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या
	भारत-आस्थानी अधिकारी (104)	
1	राजदूत	1
2	मंत्री	4
3	परामर्शदाता	3
4	प्रथम सचिव	7
5	द्वितीय सचिव	4
6	निदेशक (क्रय)	2
7	सहायक निदेशक (क्रय)	3
8	अताशे	10
9	अताशे और निजी सचिव	2
10	अनुसंधान अधिकारी	1
11	सेना और नौसेना अताशे	1
12	सहायक सेना और नौसेना अताशे	1
13	नायब सूबेदार	1
14	हवलदार क्लर्क	3
15	वायु अताशे	1
16	सहायक वायु अताशे	2
17	वारन्ट अधिकारी	1
18	सारजेंट लिपिक	1
19	उप वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1
20	लेखा अधिकारी	2
21	अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार	5

1	2	3
22	सहायक	21
23	निजी सहायक (वर्ग II)	12
24	आशुलिपिक (वर्ग III)	2
25	उच्च श्रेणी लिपिक	7
26	सुरक्षा गार्ड	6
	स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारी	90
27	सहायक	4
28	वरिष्ठ लिपिक	21
29	लेखाकार	4
30	अनुसंधान सहायक	1
31	फिल्म सहायक	1
32	पुस्तकाध्यक्ष	1
33	संदेशवाहक	8
34	कनिष्ठ लिपिक	27
35	समाज कार्य सचिव	1
36	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
37	स्टेनो-टाइपिस्ट	5
38	टेलेक्स आपरेटर	3
39	स्वागत अधिकारी	1
40	मेमोग्राफ आपरेटर	2
41	स्विच बोर्ड आपरेटर	2
42	हैंडीमैन	1
43	शोफर	6
	कुल	194

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन पर प्रत्येक देश द्वारा खर्च की गई राशि

4166. **श्री आर एन. राकेश :** क्या विदेश मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन के लिए प्रत्येक देश द्वारा कितनी राशि दी गई थी,

(ख) उक्त सम्मेलन में प्रत्येक देश के कितने कर्मचारी थे और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा किस रूप में,

(ग) क्या यह सच है कि उनके कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के सम्बन्ध में विभिन्न देशों को वित्तीय सहायता के आवंटन के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए गए थे, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी वी. नरसिंह राव : (क) सम्मेलन से सम्बद्ध काम पर किया गया खर्च जिसमें सम्मेलन संचिवालय के कर्मचारियो का वेतन भी शामिल है, भाग लेने वाले सदस्य देशों द्वारा सम्मलित रूप से वहन किया जाएगा। स्थापित प्रथा के अनुसार यह खर्च पहले करता तो मेजबान देश ही है, लेकिन बाद में उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

(ख) किसी भी सदस्य देश द्वारा कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई थी, मेजबान देश होने के कारण भारत को सम्मेलन के लिए कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अहमदपुर कटरा लाईन पर रेल-फाटक

4167 **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-कटरा (छोटी लाईन) (हावड़ा डिवीजन) पूर्व रेलवे पर कितने रेल फाटक हैं;

(ख) क्या पूर्व रेलवे की इस अहमदपुर-कटरा (छोटी लाईन) लाईनों पर और अधिक फाटकों के निर्माण और किरनाहार तथा महेशपुर रेलवे स्टेशनों के बीच प्लाट संख्या जैड 546, मौजा गोमाई, किरनाहारा रेलवे हैल्थ सेन्टर के पास लाईन से दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ करने तथा पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) पूर्व रेलवे के अहमदपुर-कटवा (छोटी लाइन) खंड पर 57 समपार हैं।

(ख) पूर्व रेलवे के अहमदपुर-कटवा (छोटी लाइन) खंड पर नये समपार की व्यवस्था करने या दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ से होकर जाने वाली दिल्ली और सहारनपुर के बीच और अधिक रेलगाड़ियां चलाना

4168. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि मेरठ से होकर जाने वाले दिल्ली-सहारनपुर रेलवे में यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्या में कई गुनी वृद्धि हुई है;

(ख) इस सैक्शन में इस समय कितनी रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस सैक्शन में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1975-76 की तुलना में दिल्ली-सहारनपुर खंड (मेरठ के रास्ते) पर सवारी यातायात में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) इस समय इस खंड पर 10 गाड़ियां अप दिशा में और 11 गाड़ियां डाउन दिशा में चल रही हैं।

(ग) और (घ) परिचालनिक तंगियों और कोचिंग स्टाक तथा बिजली की कमी के कारण इस समय इस खंड पर सवारी गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

लेनिनग्राड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सोवियत संघ से प्राप्त मेडिकल उपाधियों को भारत में मान्यता दिये जाने के लिए ज्ञापन

4169. **श्री मनीराम बागड़ी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेनिनग्राड मेडिकल इन्स्टीट्यूट सोवियत संघ से भारतीय छात्रों द्वारा प्राप्त मेडिकल उपाधियों को भारत में मान्यता प्राप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सोवियत संघ के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षित भारतीय डाक्टरों की उपाधियों को मान्यता प्रदान किए जाने के लिए सरकार को कोई ज्ञापन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) लेनिनग्राड मेडिकल इन्स्टीट्यूट, सोवियत संघ से भारतीय छात्रों द्वारा प्राप्त मेडिकल डिग्रियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन मेडिकल अर्हताओं के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। सोवियत संघ की मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने के बारे में अभ्यावेदन मिलते रहे हैं। इस मामले को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के साथ उठाया गया और उसने यह सिफारिश की है कि फर्स्ट लेनिनग्राड मेडिकल इन्स्टीट्यूट, लेनिनग्राड सोवियत संघ की जनरल फिजीशियन की मेडिकल डिग्री, यदि वह किसी भारतीय के पास हो, तो उसे 1985 तक अस्थायी मान्यता दे दी जाये। इस मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में रेलवे बुकिंग कार्यालय

4170. **श्री रशीद मसूद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में दिल्ली में कितने रेलवे बुकिंग कार्यालय काम कर रहे हैं;

(ख) इन बुकिंग कार्यालयों में इस समय प्रत्येक मामले में कर्मचारियों को स्वीकृत संख्या की तुलना में कितने-कितने व्यक्ति (श्रेणी-वार) तैनात हैं;

(ग) इन बुकिंग कार्यालयों में यदि कोई पद (श्रेणी-वार) रिक्त पड़े हैं, तो कितने समय से वे रिक्त पड़े हैं और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(घ) स्टाक की कमी होने के कारण यदि किसी समयोपरी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है तो समयोपरी भत्ते की मासिक औसत क्या है; और

(ङ) सरकार का कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के अनुसार जनशक्ति उपलब्ध करवाने हेतु इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 20.

(ख), (ग) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रतिमाह 2298 रु.।

विवरण

दिल्ली में बुकिंग लिपिकों (सभी ग्रेड) की स्वीकृत तथा रिक्तियों की संख्या

स्टेशन का नाम	ग्रेड 550-750	(455-700)	425-640	(330-560)	260-430		रिक्तियां* (550-750)	455-700	(425-640	(330-560)	260-430
दिल्ली	3	5	17	63	71	(1/सी 20 एलआर)	1	3	3	6	1
दिल्ली शहादरा	1	...	2	3	11	(2 एल आर)	...	...	...	...	1
सब्जी मंडी	...	...	1	3	2	(1 एल आर)	...	...	...	1	1
दिल्ली आजादपुर	...	...	...	...	1		...	...	...	...	...
दिल्ली कृष्णगज	...	...	1	2	2		...	...	1	1	...
दया बस्ती	...	...	...	...	1		...	...	...	...	...
शकूर बस्ती	...	...	1	2	2		...	...	...	...	...
नयी दिल्ली	2	2	9	21	46	(8 एल आर)	...	2	2	3	...
मिन्टो ब्रिज	...	...	...	...	1		...	...	...	...	...
निजामुद्दीन	1	2	1	2	5	(1 एल आर)	...	1	...	...	...
ओखला	...	...	...	...	2		...	...	...	...	...
तिलक ब्रिज	...	...	...	...	2		...	...	...	...	...
तुगलकाबाद	...	...	...	...	1		...	...	...	...	...
लाजपत नगर	...	...	...	...	2	(1 एल आर)	...	...	...	...	...
सेवा नगर	...	...	...	...	1		...	...	...	...	...
लोधी कालोनी	...	...	...	...	1		...	...	...	...	...
सरोजनी नगर	...	...	...	...	1		...	...	...	...	...
दिल्ली सफदरजंग न्यू आजादपुर बरार स्कवायर	**										
	7	9	32	96	152	(33 एल. आर.)	1	6	6	11	3

*जिन पदों के ग्रेड बढ़ाये गये हैं उन्हें न भरने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण विभिन्न अवधियों में यह रिक्तियां हैं।

**इन स्टेशनों में बुकिंग क्लर्कों की व्यवस्था नहीं की गयी है। इन स्टेशनों के बुकिंग कार्यालयों में सहायक स्टेशन मास्टर तैनात रहते हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि

4171. श्री जगदीश टाईटलर : क्या नौहवन और परिहवन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सड़क निधि खत्म करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

फाइलेरिया उन्मूलन केन्द्र खोलना

4172. श्री मनमोहन दुडु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजनावधि के दौरान कुछ फाइलेरिया उन्मूलन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में भी इस प्रकार का कोई फाइलेरिया उन्मूलन केन्द्र खोला जाएगा; और

(ग) उड़ीसा में खोले जाने वाले इस प्रकार के फाइलेरिया उन्मूलन केन्द्रों की संख्या और जहां ये केन्द्र खोले जाएंगे उन स्थानों के सम्बन्ध मे ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) चूंकि फाइलेरिया रोग का कई उपचार उपलब्ध नहीं है इसलिए फाइलेरिया के उन्मूलन का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। फाइलेरिया रोग के नियन्त्रण के लिए स्थानिक भारी वाले राज्यों में 1955 से राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया रोग से ग्रस्त नगरीय क्षेत्रों में रोग नियन्त्रण के उपाय करने के लिए फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटें खोली गई है। छठी पचवर्षीय योजना के दौरान देश से ऐसी 22 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटें खोलने का विचार है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य में पहले से कार्य कर रही 13 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटों को चलाये रखने के अलावा उक्त योजना अवधि में तीन नई फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटें खोलने का प्रस्ताव है। ये नई यूनिटें कहाँ खोली जाएंगी, इसका निर्णय फाइलेरिया सर्वेक्षण यूनिटों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा।

सिल्चर में आरक्षण कोटा

4173. डा. आर. रोथुआमा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर से मिजोरम, करीमगंज, बदरपुर, लोअर हेफ्लांग के लिए चलने वाली पैसेन्जर ट्रेन/मेल, एक्सप्रेस आदि के प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में दैनिक आरक्षण सीटें कितनी हैं;

(ख) क्या पूरे मिजोरम राज्य के लिए प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में केवल दो सीटें ही हैं जबकि सिल्चर से शुरू होने वाली किसी पैसेंजर ट्रेन/एक्सप्रेस आदि में प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में सिल्चर नगर, जो मात्र जिला राजधानी है, के लिए प्रतिदिन आठ आरक्षण सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिजोरम के लिए प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में आरक्षित कोटे की अत्यधिक कमी के करण एक भी मिजो परिवार, प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में सिल्चर से रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा नहीं कर सका है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में मिजोरम के वर्तमान आरक्षित कोटे को दो सीटों से बढ़ाकर कम से कम पाँच सीटें करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सिल्चर और गुवाहाटी के बीच चलने वाली 12 डाउन बारक वैली एक्सप्रेस में विभिन्न स्टेशनों के लिए आवंटित पहले दर्जे की बुकिंग का कोटा इस प्रकार है : ऐजवल (मिजोरम)-2 वर्थ, सिल्चर-8 वर्थ, करीमगंज-2 वर्थ और बदरपुर-2 वर्थ और लोअर हफ्लोंग-2 वर्थ। यद्यपि सिल्चर के लिए आवन्टित कोटे का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है किन्तु ऐजवल (मिजोरम) के लिये आवंटित कोटे का उपयोग केवल 45 प्रतिशत होता है। अतः कोटा बढ़ाने का कोई फिलहाल औचित्य नहीं है।

शाहाद के निकट उपरि रेलवे पुल

4174. **श्री आर. के. महालगी** : रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : गत छः महीनों के दौरान मन्जूर की गई धनराशि का उपयोग करने के बारे में शाहाद (जिला थाना, महाराष्ट्र) के निकट उपरि पुल के मामले में कितनी प्रगति हुई है और प्राप्त किये गए वास्तविक लक्ष्य क्या हैं;

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना में अपने हिस्से का काम पूरा किया है,

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

रेल मत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उपरि सड़क पुल से निर्माण के लिए स्थान अधिग्रहण करने के उद्देश्य से वर्तमान समपार को हटाकर एक अस्थायी नये स्थान पर ले जाने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था कर ली गई है। पुल के लिए पहुँच मार्गों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है जबकि पुल खास का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाता है। रेलवे के हिस्से की लागत के लिए जिस धन की व्यवस्था की गई थी, उसका उपयोग आंशिक रूप से किया गया है।

(ख) से (घ) रेल पथ पर रेलवे के हिस्से वाले पुल क, निर्माण तथा राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य साथ-साथ किया जायेगा। राज्य सरकार को पहुँच मार्गों का निर्माण करने के लिए भूमि पर से अधिक्रमण को हटाने से कठिनाई हो रही है और राज्य सरकार सड़क प्राधिकारी राज्य सरकार के अन्य सम्बन्धित विभागों से इन-मामलों को निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संचालन कर्मचारी

4175. **श्री जी. एम. बनातवाला** : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचालन (आपरेशनल) कर्मचारियों (बम्बई सैंट्रल यार्ड,

वैस्टर्न रेलवे) को उनके वेतन का भुगतान से बहुत दूर बम्बई सैंट्रल स्टेशन पर किया जाता है इस प्रकार वे काफी समय तक अपनी संचालन ड्यूटी नहीं कर सके, और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य स्थल पर ही वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था की जायेगी।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर

4176. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में 1 जनवरी,1981 को अस्थाई और स्थाई स्टेशन मास्टर मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की डिवीजन-वार और ग्रैडवार संख्या कितनी थी;

(ख) अन्य सवर्ग के व्यक्ति कितने पदों पर हैं; और

(ग) स्टेशन मास्टरों की श्रेणी के व्यक्ति अन्य संवर्ग के किन-किन पारस्परिक पदों पर हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल रख दी जायेगी।

दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में गाड़ियों का पटरी से उतर जाना

4177. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 1 दिसम्बर, 1980 और एक जनवरी 1981 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे में कुछ यात्री गाड़ी और मालगाड़ी पटरी से उतर गई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या खुर्दा डिवीजन में कोई गाड़ी पटरी से उतरी है;

(ग) ऐसी यात्री या माल गाड़ियों के नाम क्या हैं;

(घ) पटरी से उतरने की तिथि तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उनके मन्त्रालय का क्या प्रयत्न करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। दक्षिण पूर्व रेलवे में 1-12-80 से 1-2-81 तक गाड़ियों के पटरी से उतरने की 28 घटनायें हुई थीं जिनमें 7 सवारी गाड़ियां थी और 21 माल गाड़ियां।

(ख) से (घ) खोरधा मंडल में गाड़ी के पटरी से उतरने की दो घटनायें हुई थी, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) 7-12-80 को ए. आर. ए. एच. विशेष माल गाड़ी यांत्रिक उपस्करों की खराबी के कारण पटरी से उतर गई थी।

(ii) 16-12-80 को 202 डाउन सवारी गाड़ी रेल पथ खराबी के कारण पटरी से उतर गई थी।

(ङ) गाड़ियों की तथा सवारी और माल गाड़ी डिपुओं में मौके पर जांच करने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है और रेल पथ के समुचित अनुश्रवण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

मानवीय तत्वों पर निर्भरता कम करने के लिए पहियों, धुरा और पटरियों, धुरा काउन्टरों, रेल परिपथन आदि के लिए पराश्रव्य दोष संसूचक जैसे परिष्कृत उपकरण धीरे-धीरे लागू किए जाए ।

इलाहाबाद के रास्ते होकर दिल्ली और जबलपुर के बीच अति तीव्र गाड़ी

1178, श्री मार्तण्डसिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद के रास्ते होकर दिल्ली और जबलपुर के बीच एक अति तीव्र रेल गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह नई रेलगाड़ी कब तक शुरु हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

रेल लाइन विस्तार कार्य क्रम

4179. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए उत्तर रेलवे का रेल लाइन विस्तार कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को नई रेलवे लाइनें बिछाने के मामले में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस जोन में कौन-कौन सी लाइनों की निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जम्मू से उधमपुर तक एक नई बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को छठी योजना में शामिल किया जा रहा है ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को सप्लाई की गई औषधियों का मूल्य

4180. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भण्डार से प्रत्येक तिमाही के दौरान कुल कितने मूल्य की देशी, होम्योपैथी, यूनानी और एलोपैथी औषधियां सप्लाई की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक औषधालय द्वारा बाजार से कुल कितने मूल्य की औषधियां खरीदी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) औषधालय वार औषधियों के मूल्य का हिसाब नहीं रखा जाता । फिर भी इस अवधि में दिल्ली

के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न औषधालयों को चिकित्सा-पद्धति वार जो औषधियां सप्लाई की गई थी उनका मूल्य नीचे दिया गया है :—

एलोपैथी	—	2,73,01,282,90
आयुर्वेद	—	18,86,523.09
होम्योपैथी	—	3 20,522-54
यूनानी	—	3,68,653,62

रेल कर्मचारियों को बोनस

4181. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई समझौता किया गया है कि उन पात्र रेल कर्मचारियों को उत्पादिता से सम्बद्ध बोनस अदा किया जायेगा जो 1 अप्रैल, 1969 को अथवा उसके बाद सेवा में थे;

(ख) क्या यह सच है कि उन कर्मचारियों को 15 दिनों का बोनस अदा कर दिया गया है जिनके नाम 1 नवम्बर, 1979 को वेतन चिट्ठा में थे;

(ग) क्या ऐसे रेल कर्मचारियों को बोनस अदा कर दिया गया है जो 1 अप्रैल, 1979 से 31 अक्तूबर, 1979 की अवधि में सेवा निवृत हो गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या रेलवे बोर्ड ने ऐसे रेल कर्मचारियों को बोनस अदा करने के लिये कोई आदेश जारी किया है।

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को बोनस अदा करने हेतु आदेश जारी करने का है जो 1 अप्रैल, 1979 और 31 अक्तूबर, 1979 के बीच सेवा निवृत हो गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) उन पात्र कर्मचारियों को, जो 1 नवम्बर, 1979 को सेवा में थे, 15 दिन के वेतन का तदर्थ भुगतान किया गया था।

(ग) (घ) और (ङ) जो रेल कर्मचारी 1-4-1979 से 3-10-79 तक सेवा निवृत हुए थे उन्हें उत्पादकता सम्बद्ध बोनस दिया गया है। लेकिन वे 15 दिन के वेतन के तदर्थ भुगतान के पात्र नहीं थे।

नौवहन कपनियों का एक कन्टेनर कन्सर्टियम बनाने के लिए भारत पाकिस्तान बंगलादेश सम्मेलन का प्रस्ताव

4182: **श्री हरिहर सोरन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान, बंगलादेश सम्मेलन ने इसकी नौवहन कंपनियों का एक कन्टेनर सार्थ संघ बनाने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्लक माल को तेजी से लाने ले जाने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा, और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) भारतीय नौवहन निगम, सिंधिया और इंडिया स्टीमशिप के एक कन्सर्टियम द्वारा जो आई. पी. बी. कान्फ्रेंस का सदस्य है, 1-4-81 से अपनी जहाज सेवा चलाए जाने की संभावना है। यह सेवा 1981 में अप्रैल के पहले सप्ताह कलकत्ता से चलाना शुरू की जाएगी और उसके बाद दो सप्ताह में एक बार चलाई जाएगी। कन्टेनर जहाज सीधे कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और बम्बई जाएंगे और उसके बाद यू. के. में फेलिक्सटोवे और यूरोप में हैम्बर्ग और रोटर्डम भी जाएंगे। ये जहाज यू. के. और यूरोप के मुख्य पत्तनों पर माल उतारेंगे और वहां से उठाएंगे भी। शेष ब्रेक-बल्क कार्गो को उठाने के लिए कन्टेनर जहाजों के पीछे दूसरे सामान्य जहाज भी चलाए जायेंगे। जिन पत्तनों को कन्टेनर जहाजों की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी वहां ब्रेक-बल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स

4183. **श्री निरेन घोष** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : चितरंजन रेल इंजन कारखाने के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को 3 वर्ष के अन्दर (1980-83) 7.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा करने की योजना है। इसके अन्तर्गत कुल 847 गतायु मशीन एव संयन्त्र का बदलाव किया जाना है।

मिराज लामैंडूर रेल लाइन का बदला जाना

4184. **श्री बी. एन. गाडगिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज लाटूर रेल लाइन को बदलने की परियोजना को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयले की ढुलाई हेतु रेल परिवहन के उपलब्ध न होने के कारण उज्जैन के तापीय बिजली घर को हो रही वर्तमान क्षति को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के बारे में विचार किया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस परियोजना को इस कारण सैकोड़ दिया गया था कि इस पर होने वाला सम्भावित यातायात किसी परियोजन की लाभप्रदता के लिए निर्धारित निम्नतम प्रतिफल भी नहीं दे पाएगा।

उर्वरकों का आयात किए जाने वाले पत्तन

4185. **श्री के.ए.राजन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पत्तनों के नाम क्या है, जहाँ उर्वरकों का आयात किया जाता है;

(ख) प्रत्येक पत्तन में माल के उतारे जाने की प्रति हुक प्रति पारी दर क्या है, और

(ग) प्रत्येक पत्तन पर प्रतिदिन निकासी की दर क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) दसों बड़े पत्तनों पर अर्थात

बम्बई, कलकत्ता/हल्दिया, मद्रास, कांडला, विशाखापत्तनम, कोचीन, परादीप न्यू मंगलौर, टूटीकोरिन और मार्मुगाओ पर आयतित उर्वरकों की ढुलाई की जाती है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पत्तन	1980 में माल उतारने की प्रति हुक प्रति पारी औसत दर। (टन)	जिन पत्तनों पर उर्वरकों की ढुलाई होती है, उन पत्तनों पर 1980 में माल की निकासी की दैनिक औसत दर (सभी जहाजों के सम्बन्ध में) (टन)
बम्बई	60.76	2060
कलकत्ता (हल्दिया सहित)	63	1566
मद्रास	80.8	934
कांडला	177*	888
विशाखापत्तनम	75(खुला माल) 154(बोरीबंद माल)	942
कोचीन	135.8	1632**
परादीप	54	137
न्यू मंगलौर	180*	700
टुटीकोरिन	245*(खुला माल) 310*(बोरीबंद माल)	1075
मार्मुगाओ	48 (खुला माल) 96 (बोरीबंद माल)	619

* ये आंकड़े माल उतारने की प्रति हुक प्रति जहाज दिन की दर से सम्बन्धित है। उल्लेखनीय है कि हिन्दी पत्तनों पर माल 3 जहाजों में और कुछ पत्तनों पर माल 2 जहाजों में उतारा जाता है।

** अगस्त से दिसम्बर, 1980 तक के आंकड़ों पर आधारित।

अतिरिक्त महाप्रबंधकों के पद

4186. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न रेलों में अतिरिक्त महाप्रबंधकों और अतिरिक्त मंडलीय प्रबन्धकों के पद बनाये गये हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन पदों को क्या कार्य सौंपे गये हैं और उन पर लगभग कितना वार्षिक व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) त्रैमासिक संवर्ग समीक्षा के अन्तर्गत मण्डल मुख्यालयों और मण्डलों में संरचनात्मक अन्तरालों को भरने की दृष्टि से और अधिकारों को प्रभावी रूप से अधोगामी क्रम में प्रत्यायोजन करने सहित अनिवार्य विकेन्द्रीयकरण लागू करने के विचार से अन्य उपायों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के वर्तमान 18 पदों को 250/-रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन देकर अपर महाप्रबन्धक के रूप में पद नामित किया गया हैं और 2000-2250 रुपये के ग्रेड में तदर्थ आधार पर अपर मण्डल रेल प्रबन्धकों के 83 पदों का सृजन किया गया है। जिन्हें प्रवरण ग्रेड के पदों की हकदारी में समायोजित किया जायेगा।

(ग) अपर महाप्रबन्धक, विभिन्न परिचालनिक और तकनीकी गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करते हैं ताकि महाप्रबन्धकों की नीति और योजना सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण मामलों की देखभाल करने के लिए समय मिल सके। अपर मण्डल रेल प्रबन्धक मंडल रेल प्रबंधकों के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारियों (परिचालन/तकनीकी/सामान्य) के रूप में कार्य करते हैं ताकि मंडल रेल प्रबन्धक के नियंत्रण क्षेत्र में कमी कर सके जो कि बहुत बोझिल था। वार्षिक खर्च लगभग 8 लाख रुपये होगा।

असम में सवारी डिब्बे बनाने की फैक्टरी

4187. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में सवारी डिब्बे बनाने की फैक्ट्री की स्थापना करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल सवारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नया रेल सवारी डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। परियोजना के प्रस्ताव को उनकी मंजूरी देने के लिए योजना आयोग को भेजा गया है। योजना आयोग की मंजूरी मिल जाने पर प्रस्तावित नये रेल सवारी डिब्बा निर्माण कारखाना के कार्यक्षेत्र, तकनीक, लागत, स्थान आदि से सम्बन्धित विवरणों को शामिल करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

महाराष्ट्र में रेल लाइन की किलोमीटर लम्बाई

4188. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में, राज्यवार, रेलवे लाइन की किलोमीटर में कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र में गत दस वर्षों में नई जोड़ी गई रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र में नई रेल लाइने बिछाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कुछ नहीं । किन्तु भिगवां और पोफलज (मार्ग परिवर्तन) के बीच 34 कि. मी. रेलपथ 1976 में बिछाया गया था ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखि नई लाइनों का निर्माण-कार्य शुरू किया गया है :—

(i) आप्ता से रोहा तक 62 कि. मी. लम्बी बड़ी लाइन ।

(ii) वानी से चनाका तक 76 कि. मी. लम्बी बड़ी लाइन ।

(iii) दिवा से बसई रोड़ तक 42 कि. मी. लम्बी बड़ी लाइन ।

(iv) मानिकगढ़ से चन्दूर तक 26 कि. मी. लम्बी बड़ी लाइन ।

विवरण

राज्यवार मार्ग किलोमीटर

राज्य	मार्ग कि. मी.
महाराष्ट्र	5,234
आन्ध्र प्रदेश	4,709
असम	2,194
बिहार	5,312
गुजरात	5,671
हरियाणा	1,450
हिमाचल प्रदेश	256
जम्मू एवं काश्मीर	77
कर्नाटक	3,013
केरल	916
मध्य प्रदेश	5,739
नागालैंड	9
उड़ीसा	1,948
पंजाब	2,139
राजस्थान	5'614
तमिलनाडु	3,822
त्रिपुरा	12
उत्तर प्रदेश	8 811
पश्चिम बंगाल	3,7हें2
केन्द्र शासित	
चण्डीगढ़	11
दिल्ली	168
गोवा, दमन और दिव	79
पांडीचेरी	27

जमालपुर रेलवे वर्कशाप में कर्मचारियों की संख्या

4189. **श्री डी. पी यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1981 को जमालपुर स्थित पूर्वी रेलवे वर्कशाप में रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) 1980 के दौरान कितने कर्मचारी सेवा निवृत हुए ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 14053 (ख) 409

स्वतन्त्रता पूर्व बने क्वार्टर

4190. **श्री एन. डेनिस** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता पूर्व समय में रेलवे कर्मचारियों के लिए निर्मित रेलवे क्वार्टरों को अभी तक आवासीय रूप में उपयोग में लाया जाता है; और

(ख) रेलवे-कर्मचारियों के लिए छोटे क्वार्टर बनवाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। जहाँ इसका औचित्य होता है वहाँ योजनाबद्ध कार्यक्रम के आधार पर क्वार्टरों का पुनर्निर्माण किया जाता है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले रिहायशी आवास के मानकों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में कई बार संशोधन किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप आवासों के कुर्सी क्षेत्र उत्तरोत्तर छोटे होते जा रहे हैं। रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले रिहायशी क्वार्टरों का वर्तमान आवास क्षेत्र उतना ही है जितना कि निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा, आवास पर गठित मत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन पर अगस्त, 1975 में विनिश्चित किया गया था। इसके अन्तर्गत निर्धारित आवास का क्षेत्र बिल्कुल ठीक है तथा यह अधिकांश टाइप के क्वार्टरों के कुर्सी क्षेत्र में की गई कमी का द्योतक है।

राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र द्वारा अन्धे किए गए विचाराधीन बंदी रोगियों को छुट्टी दिया जाना

4191. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्धे किए कुछ विचाराधीन बंदियों को राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में उपचार हेतु भर्ती किया गया था;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1980 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ऐसे विचाराधीन बन्दी रोगियों में चार को केन्द्र द्वारा पूर्ण उपचार होने से पूर्व ही छुट्टी दे दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है और यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) हाँ।

(ख) हां।

(ग) उपर्युक्त समाचार बिलकुल गलत है। अन्धे किए गए जिन 20 विचाराधीन बंदियों का इलाज डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में विभिन्न टोलियों में हो रहा था उनमें से किसी को भी पूर्ण उपचार से पहले छुट्टी नहीं दी गई जैसा कि 19 जनवरी, 1981 को इन्डियन एक्सप्रेस में छपी प्रैस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके विपरीत उन्हें अस्पताल में आवश्यकता से अधिक समय तक रखा गया।

इन 20 विचाराधीन बंदियो में से 12 को किसी विशेष इलाज की आवश्यकता नहीं थी। शेष 8 बंदियों में से पाँच का अभी भी नेत्र केन्द्र में उपचार हो रहा है और तीन रोगियों को उनके संक्रमण पर काबू पा लेने के पश्चात छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें बताये गये उपचार को करते रहने की सलाह दी गई थी। चूंकि ऐसे जख्मों को भरने में कुछ महीनों का समय लगता है और उन पर मामूली दवा लगाने और पटियां करने की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें अस्पताल में रखना आवश्यक नहीं था। जब इन रोगियों को छुट्टी दी गई थी तब उनमें रोग के कोई लक्षण नहीं थे। यदि किन्हीं रोगियों में रोग के लक्षण दुबारा उभर आते हैं तो इसका अर्थ होगा कि अस्पताल से छुट्टी पाने के बाद उन रोगियों ने निर्धारित इलाज नहीं लिया है।

डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में सभी विचाराधीन बंदियों का न केवल चिकित्सा की दृष्टि से बल्कि शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भी यथा संभव उत्तम इलाज किया गया था।

उत्तर रेलवे में कोयले की कमी के कारण बन्द की गई गाड़ियां

4192. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से लेकर कोयले की कमी एवं अव्यवस्था के कारण उत्तर रेलवे में कितनी रेल गाड़ियाँ बन्द की गई हैं और ये गाड़ियां कितनी बार तथा कितने दिनों के लिये बन्द की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लिए भेजे गये कोयले को पश्चिम रेलवे के अधिकारियों द्वारा रोक लिया जाता है जिसके कारण इस प्रकार की अव्यवस्था होती है; यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जोधपुर में बाड़मेर, बाड़मेर से जोधपुर, जैसलमेर से जोधपुर तथा जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर, भिलारी, आदि के लिए लगभग 20 रात्रि गाड़ियां 24 जनवरी, 1981 से कोयले की कमी अथवा अव्यवस्था के कारण रद्द की गई हैं; यदि हां, तो उक्त अव्यवस्था के लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में उक्त अव्यवस्था को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे पर 1980 के दौरान कोयले की कमी के कारण रद्द की गई गाड़ियों की औसत संख्या 20 और 84 के बीच थी। अप्रैल और मई, 1980 के दौरान कोई गाड़ी रद्द नहीं की गई थी।

(ख) पश्चिम रेलवे द्वारा 1980 के दौरान उत्तर रेलवे के कोयले को नहीं रोका गया। लेकिन, जयपुर मंडल में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाने से पश्चिम रेलवे द्वारा जनवरी 1981 में उत्तर रेलवे के कोयले के थोड़े से माल डिब्बों को रोका गया था।

(ग) कोयले की कमी के कारण 24-1-81 से जोधपुर मंडल में 10 जोड़ी गाड़ियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से रद्द किया गया था।

(घ) कोयले की कमी के कारण उत्तर रेलवे पर रद्द की गई सभी सवारी गाड़ियों को 27-2-81 से फिर से चला दिया गया है और रेलों को होने वाली कोयले की सप्लाई पर निरन्तर नजर रखी जाती है।

कांडला पत्तन न्यास के पत्तन कर्मचारियों को भूखण्डों का आवंटन

4193. **श्री ई. बालानन्दन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कांडला पत्तन न्यास के पत्तन कर्मचारियों को गांधीधाम कस्बे में पट्टे के आधार पर भू-खंडों का आवंटन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : पत्तन कर्मचारियों को रहने के लिए आवासीय भू-खण्डों का आवंटन करने की योजना के अधीन, कांडला पत्तन न्यास ने गांधीधाम नामक कस्बे में अलग-अलग आकार के 588 भू-खण्डों का एक विशाल भू-क्षेत्र निश्चित किया है। इनमें से, 573 भू-खण्ड पत्तन कर्मचारियों को पहले ही दिए जा चुके हैं।

हाल ही में, पत्तन न्यास बोर्ड ने पत्तन कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए 337 और आवासीय भू-खण्डों के ले-आउट की मंजूरी दी है।

आयुर्वेद के नाम को समाप्त करना

4.94. **श्री अटल विहारी वाजपेयी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 के अपने पत्र द्वारा भारतीय औषधि पद्धति की वर्तमान नामपद्धति से आयुर्वेद का नाम समाप्त करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिपत्र में क्या-क्या लिखा था और आयुर्वेद का नाम हटाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की कार्यवाही के प्रति जनता में रोष है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाए किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नाम को बदलने के खिलाफ कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। किन्तु, चूंकि इस नाम परिवर्तन का आशय, किसी प्रकार, आयुर्वेद, यूनानी आदि के नामों को हटाना नहीं है, इसलिए इस समय इस बात पर पुनः विचार करने की कोई जरूरत प्रतीत नहीं होती।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सड़कों और पुलों के लिए सीमेंट का आवंटन

4195. **श्री एम एम. लारेंस :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल ही में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सड़कों तथा पुल निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा के लिए अनुरोध किया गया है, और अब तक कितना आवंटन किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य सरकार ने इस मंत्रालय से अनुरोध किया था कि उसे 1981 की पहली तिमाही में 3008 मीट्रिक टन सीमेंट आवंटित किया जाए। लेकिन, मंत्रालय ने सीमेंट की कुल उपलब्धि और अखिल भारतीय स्तर पर चालू निर्माण कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को 1410 मीट्रिक टन सीमेंट आवंटित किया।

विदेशों में जाने वाले डाक्टर

4196. **श्री सुधीर गिरि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान विदेशों में जाने वाले और वहां बसने वाले मेडिकल स्नातकों की संख्या कितनी है; और

(ख) एक मेडिकल स्नातक बनने में राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा औसतन कितना व्यय किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पत्तनों और गोदियों में कार्यरत श्रमिक संघों को मान्यता

4197. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदियों और पत्तनों पर कार्य कर रहे श्रमिक संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम क्या हैं,

(ख) उक्त संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है, और

(ग) मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों और फैडरेशनों के नाम क्या-क्या हैं और उन्हें किस तारीख को मान्यता दी गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) डाक लेबर बोर्डों और बड़े पत्तन न्यासों में पत्तन तथा गोदी वर्कर्स के यूनियनों को मान्यता देने के बारे में कोई सांविधिक नियम नहीं है।

(ख) बड़े पत्तन न्यासों और गोदी श्रम बोर्डों में 31-12-1980 तक कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बड़े पत्तन न्यासों में वर्कर्स की जिन यूनियनों को मान्यता दी गई है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक गोदी कर्मचारियों की यूनियनों का प्रश्न है, इस तरह की कोई मान्यता नहीं दी गई है। परन्तु डाक लेबर बोर्ड में जिन यूनियनों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, वे यूनियनें ही मान्यता प्राप्त यूनियनें समझी जाती हैं पत्तन और गोदी कर्मचारियों यूनियनों के किसी फेडरेशन को मान्यता नहीं दी गई है।

विवरण

बड़े पत्तन न्यास और गोदी श्रम बोर्डों में 31-12-1980 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या दिखाने वाला विवरण

पत्तन का नाम	पत्तन न्यास के कर्मचारियों संख्या	गोदी श्रम बोर्डों के कर्मचारियों की संख्या
1. बम्बई	31,846	8901
2. कलकत्ता	33,555	8918
3. कोचीन	6,635	1234
4. कांडला	5,434	2200
5. मद्रास	11,743	2344
6. मार्मुगाओ	3,314	1856
7. न्यू मंगलौर	1,155	यहां कोई डाक लेबर बोर्ड नहीं
8. परादीप*	2,739	—यथोक्त
9. टूटीकोरिन	2,124	—यथोक्त
10. विशाखापत्तनम	12,122	3035
कुल	1,10,667	28,488

* पत्तन न्यास तट पर और जहाजों पर माल उतारने-चढ़ाने वाले 2267 कर्मचारियों की सूची भी रख रहा है।

विवरण 2

पत्तन का नाम मान्यता प्राप्त संघों का नाम	मान्यता देने की तारीख	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
बम्बई		
बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवेमैन्स यूनियन	नवम्बर, 1928	
बम्बई पोर्ट ट्रस्ट एम्पलाईज यूनियन	जुलाई/सितम्बर. 1929	
बम्बई स्टीविडोर्ज एंड डाक लेबरर्ज	फरवरी, 1957	
कलकत्ता		
कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन	मई, 1931	
नेशनल यूनियन आफ वाटरफ्रन्ट वर्कर्ज	अप्रैल, 1939	
कोचीन		
कोचीन पोर्ट स्टाफ एसोसिएशन*	अप्रैल, 1946	* सर्विस एसोसिशन के रूप में

1	2	3
कोचीन पोर्ट स्टाफ एंड वर्कर्ज यूनियन	जून, 1966	शुरू में इसका नाम कोचीन हारबर वर्कर्ज यूनियन था।
कोचीन पोर्ट वार्फ स्टाफ एसोसिएशन	नवम्बर, 1969	
मद्रास		
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट एम्पलाईज यूनियन	मार्च, 1943	
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट रेलवेमेन्स यूनियन	अगस्त, 1946	
मार्मुगाओ		
मार्मुगाओ पोर्ट एन्ड रेलवे वर्कर्ज यूनियन	अप्रैल, 1964	
न्यू मंगलौर	इस पत्तन पर अभी तक किसी भी यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है।	
टूटीकोरिन	फिलहाल किसी भी यूनियन को पत्तन न्यास बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है	
कांडला		
कांडला पोर्ट वर्कर्ज यूनियन	अप्रैल, 1965	
परादीप		
परादीप पोर्ट वर्कर्ज यूनियन	अप्रैल, 1967	
विशाखापत्तन		
विशाखापत्तनम हार्बर एंड पोर्ट वर्कर्स यूनियन	1942	
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट इम्पलाईज यूनियन	1964	कोई लिखित मान्यता नहीं है लेकिन इसे मान्यता प्राप्त समझा जाता है।
नेशनल पोर्ट ट्रस्ट इम्पलाईज यूनियन	1964	—यथोक्त—
पोर्ट खलासीज यूनियन	1964	—यथोक्त—

जलने से हुए घावों पर अफ्रीकी-एशियायी सम्मेलन

4198. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलने से हुए घावों पर अफ्रीकी-एशियायी सम्मेलन 16 और 17 जनवरी, 1981 को बम्बई में हुआ था;

(ख) किन देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और प्रतिनिधियों के नाम क्या थे;

(ग) चर्चा की गई मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इसमें की गई सिफारिशें क्या क्या हैं और किए गए निर्णय क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जलने से हुए घावों पर पहला अफ्रीकी-एशियायी सम्मेलन 14-15 और 16 जनवरी, 1981 को बम्बई में हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में निम्नलिखित देशो ने भाग लिया था :

भारत, श्रीलंका, बंग्लादेश, अफगानिस्तान, कातार, नाइजीरिया, मौरीशस, जापान, ब्रिटेन, नीदरलैन्ड्स, स्वीडन, पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, चैकोस्लोवाकिया, स्पेन, अमेरिका अर्जेन्टीना।

इस सम्मेलन में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनके नाम संलग्न सूची में दिए गये हैं।

(ग) इस सम्मेलन का मुख्य विषय विकासशील देशों में जलने की घटनाओं की रोकथाम करने और जलने से हुए घावों का उपचार करने से सम्बन्धित था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2134/81]

(घ) इस सम्मेलन का निष्कर्ष यह था कि जलने से हुए घावों पर पानी डालना प्राथमिक उपचार का सबसे अच्छा तरीका है और देश में और अधिक बर्क्स यूनिटें खोली जानी चाहिए।

हावड़ा स्टेशन

4199. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा स्टेशन परिसरों में व्याप्त अस्त-व्यस्त स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन के परिसरों से अनधिकृत कब्जा हटाने और दक्षिण पूर्वी रेलवे प्लेट फार्मों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए निर्गम द्वारों अवरोधों को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हवड़ा रेलवे स्टेशन के परिसरों का हाकरों/वैंडरों, भिखारियों आदि द्वारा अनधिकृत अधिक्रमण की रेलों की जानकारी है। विगत में किए गये अनेक उपायों का कोई वांछनीय परिणाम नहीं निकला है। इस बुराई को रोकने के लिए राज्य सरकार से सहायता मांगी गई है।

अफ्रीकी-एशियाई कानूनी सलाहकार समिति

4200. **श्री एस. एम. कृष्ण** :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी-एशियाई कानूनी सलाहकार समिति द्वारा हाल ही में आयोजित तीन दिवसीय बैठक में 23 एशियायी और अफ्रीकी देशों ने सर्वसम्मति से विकासशील देशों से प्राप्त उस प्रस्ताव पर अपनी आशंकायें व्यक्त की थीं जिससे कि खनिजों के लिए समुद्री तेल की खोज के मामले में विकसित देशों को अधिक लाभ पहुचेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हाँ

(ख) जैसा कि ज्ञात होगा समुद्री-कानून सम्बन्धी तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं से परे बहुधातु-पिन्डों के खनन को नियमित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में कार्य कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह प्रस्ताव किया है कि जब तक इस बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय नहीं हो जाता, जिसमें इस सम्मेलन के बाद भी 4-5 वर्ष लग सकते हैं, तब तक के लिए भावी संविदाकारों को पहले ही निश्चित जगह देकर अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री तेल क्षेत्र में उनके प्रारम्भिक निवेशों की रक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए—जोकि अधिकतर संयुक्त राज्य अमरीका और प्रौद्योगिक दृष्टि से अन्य उन्नत देशों के हैं। भारत सम्मेलन की समाप्ति के बाद और अभिसमय लागू होने तक की अन्तिम अवधि में भी अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री तल क्षेत्र में निवेश बढ़ाते रहने की आवश्यकता के महत्व को समझता है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र के संसाधनों को निकालकर शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके, जो कि सम्पूर्ण मानव-जाति की सम्मिलित सम्पदा है। तथापि, भारत महसूस यह करता है कि निवेशों की अन्तरिम सुरक्षा का कोई भी प्रस्ताव कुछ महत्वपूर्ण शर्तों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ शर्तों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के उद्यम के लिए नियत किए जाने वाले संभाव्य आरक्षित खान स्थानों की खोज और विकास उसी सीमा तक किया जाये, जिस तरह अन्तरित अवधि के दौरान सम्भाव्य संविदा खान-स्थानों की खोज और विकास किया जायेगा;

(2) अपने निवेशों की अन्तरिम सुरक्षा चाहने वाले अपने समुद्रीतल खनन उद्योगों को, विकासशील देशों से चुने हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त करनी होगी; और

(3) अन्तरिम अवधि के दौरान संरक्षण तथा सुरक्षा चाहने वाले सम्भाव्य संविदाकारों ने, समुद्री कानून अभिसमय के अनुसार किसी राष्ट्रीय विधान के अन्तर्गत पहले संरक्षण प्राप्त न किया हो। दूसरे शब्दों में, इस अन्तरिम अवधि के दौरान, ऐसे राष्ट्रीय विधानों के अन्तर्गत समुद्रीतल खनन विनियमित नहीं होगा।

लिम्का के विज्ञापन

4201. श्री के. लकप्पा :

श्री धर्मदास शास्त्री : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री लिम्का के विज्ञापन के सम्बन्ध में 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिम्का और अन्य ब्रांडों के अन्य नींबू और कोला शीतल पेयों में पाई जाने वाली कैलोरियों की मात्रा के सम्बन्ध में ब्योरा सभा पटल पर रख दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(क) कम्पनी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) लिम्का, थम्स अप, 77 केम्पा कोला में कितनी कितनी कैलोरी है, इसका ब्योरा विश्लेषक से प्राप्त हो गया है और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना सम्भव है या नहीं, इस बात की जांच की जा रही है।

क्षयरोग के इलाज के लिए औषधि के लिए अनुसंधान

4202. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग के इलाज के लिए किसी प्रभावी औषधि का पता लगाने हेतु, कोई अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) क्षय रोग का उपचार करने के लिए औषधियों का कारगर मिश्रण ढूंढ कर निकालने के उद्देश्य से क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास, नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली, क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा, तथा क्षयरोग केन्द्र बड़ौदा में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

(ख) इन अध्ययनों में क्षयरोग के संक्रामक रोगियों को फिफेम्पीसिन पाइराजिनामाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनियाजिड वाली अत्यधिक प्रभावकारी जीवाणु नाशी दवाइयां दी जाती हैं ताकि निम्नलिखित का पता लगाया जा सके।

(1) फुप्फुस यक्ष्मा को रासायनिक चिकित्सा में छः महीने तक सप्ताह में दो बार और सप्ताह में तीन बार नुस्खे खिलाकर उनकी तुलनात्मक गुण-कारिता।

(2) 3 से 6 महीने के अनुरक्षण चरण के दौरान सप्ताह में एक बार और सप्ताह में दो बार रसायनिक चिकित्सा की तुलनात्मक गुणकारिता।

(3) अनुरक्षण चरण में स्ट्रेप्टोमाइसिन से हुआ लाभ।

भारत में कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव

4203. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के सम्बन्ध में वर्ष 1981-82 के दौरान भारत में किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और सरकार द्वारा सम्मेलन का आयोजन करने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग सम्मेलन 1983 में आयोजित किया जाएगा, न कि 1981-82 के दौरान।

(ख) यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो पाँच वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है विश्व भर के कुष्ठ विज्ञानियों के लिए एक ऐसे मन्च का काम करेगा जहां कुष्ठ रोग का मुकाबला करने के लिये सारे विश्व में किए गए प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। हिन्द कुष्ठ निवारण संघ इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए इसने एक प्रबन्ध समिति तथा एक कार्यकारी समिति गठित की है।

केरल में बीड़ी उद्योग

4204. श्रीमती सुशीला कुमारी गोपालन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल में बीड़ी उद्योग से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि माल डिब्बों की कमी के कारण व मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य भागों से बीड़ी की पत्ती की ढुलाई में असमर्थ हैं और बीड़ी के पत्तों की कमी के कारण बीड़ी श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो बीड़ी के पत्तों की ढुलाई हेतु वैगनों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) अलग अलग स्टेशनों को अधिमान्य यातायात अनुसूची में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार माल डिब्बों की सप्लाई की जाती है। अगस्त 1980 से फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों से केरल के लिए बड़ी लाइन पर 1975 तथा मीटर लाइन पर 234 माल डिब्बों में बीड़ी के पत्तों का लादान किया गया था। बीड़ी के पत्तों की निकासी के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने के लिए मध्य, पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण मध्य और पश्चिम रेलों पर, जहाँ से अधिकांश मात्रा में यह यातायात शुरू होता है, न्यूनतम दैनिक लदान सुनिश्चित करने के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया है।

चण्डीगढ़ प्रशासन का बस किराए बढ़ाने का प्रस्ताव

4205. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में बस किरायों में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचना दी है कि बसों के किराए बढ़ाने के उनके प्रस्ताव पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है और इस विषय में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा जाएगा।

अखिल भारतीय जूनियर डाक्टर्स फैडरेशन द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र

4206. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन की फेडरेशन ने अपनी मांगों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में 90 दिन का नोटिस दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हाँ।

(ख) आल इण्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर एसोसिएशन से प्राप्त उनके 5 अक्तूबर, 1980 के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इससे यह देखा जा सकता है कि यह पत्र सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को भी भेजा गया है। चूंकि विभिन्न मांगों और विशेष रूप से ठोस मागों पर, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी समुचित विचार किया जाना है इसलिये इस मंत्रालय ने उन्हें भी आवश्यक कार्यवाई के लिए लिखा है।

विवरण

आल इण्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर एसोसियेशन

तारीख: 5 अक्तूबर, 1980

सेवा में,

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

महोदय,

हम, देश के विभिन्न जूनियर डाक्टर संघों के प्रतिनिधियों ने (जिसमें इटर्न, हाउसमैन, पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रार और अन्य रैंजीडैंट डाक्टर शामिल हैं) अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 4 और 5 अक्तूबर, 1980 को आल इडिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर एसोसियेशन की जनरल कौंसिल की बैठक की थी।

हमें यह देख कर बड़ी चिन्ता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ बड़ी उपेक्षता वस्ता में हैं। जहाँ हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बुनिवादी न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं तक से वंचित है, वहां यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि अनेक अर्हंरता प्राप्त डाक्टर बेरोजगार हैं और कई अल्प-रोजगार कर रहे हैं। विसंगति की यह स्थिति स्वास्थ्य परिचर्या के प्रति नीति निर्माताओं की सामान्य उदासीनता का परिचायक है और इसे तत्काल दूर किए जाने की जरूरत है।

दूसरे, जूनियर डाक्टरों के मामले में, अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का आधार स्तम्भ खड़ा करने के लिए, उनका भारी शोषण किया जा रहा है। साथ ही उनके लिए नौकरी अवसर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जिसके कारण उनके मन में बड़ी निराशा और रोष बढ़ता जा रहा है।

इन सब बातों पर विचार करने के उपरान्त हमारा निवेदन है कि :

1. स्वास्थ्य परिचर्या का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार होना चाहिए।

2. यह कहना कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के प्रति उदासीन हैं बहुत बड़ा धोखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसर हैं ही नहीं। गाँवों के लोगों को बराबर की स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है और वित्तीय सुविधाओं के रूप में समुचित साज

सामान तथा सुप्रशिक्षित कर्मचारी अनिवार्यत: उपलब्ध किए जायें। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ सुविधाएं काफी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अच्छी विशेषज्ञ परिचर्या प्रदान की जा सके।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे दर्जे की स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में जिस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. डिप्लोमा कोर्स का प्रस्ताव किया गया है उसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

4. स्वत: रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डाक्टरों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने चाहिए ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कार्य शुरू कर सके। इसके अतिरिक्त उनको प्रारम्भ में बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए।

5. ग्रामीण इन्टर्नशिप की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे गांवों के लोगों का तो कोई हित होता नहीं बल्कि इससे इन्टर्नों के प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है।

6. मेडिकल कालेजों की सीटों की संख्या उस क्षेत्र की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों तथा उपलब्ध नौकरियों के अनुसार होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी डाक्टरों को उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर उपयुक्त नौकरियों में लगाया जाए।

7. सभी जूनियर डाक्टरों के काम के घंटे एक सप्ताह में अधिक से अधिक 48 घंटे निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ओवर टाइम करने पर उन्हें ओवरटाइम भत्ता दिया जाना चाहिए।

8. सभी जूनियर डाक्टरों को छुट्टियों के सभी लाभ-जैसे अर्जित छूट्टी, आकस्मिक छूट्टी, बीमारी की छूट्टी तथा प्रसूति छूट्टी, वैसे ही दिए जाने चाहिए जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

8. सभी जूनियर डाक्टरों के वेतनमानों में उपरयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे उनकी योग्यता के अनुरूप हो क्योंकि वे इस अवधि के दौरान पूर्ण डाक्टर अथवा पूर्ण विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं।

10. जूनियर डाक्टरों के रूप में उनकी सेवा अवधि के पूर्ण लाभ वेतन वृद्धि, वरिष्ठता तथा पेंशन के लिए उन्हें मिलने चाहिए।

11. भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन तत्काल किया जाना चाहिए।

12. मेडीकल कालेजों में कैपिटेशन फीस समाप्त की जानी चाहिए।

13. जूनियर डाक्टरों को उनसे सम्बन्धित निर्णय लेने वाले सभी निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

14. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए थीसिस बन्द कर दी जानी चाहिए।

ऊपर कुछ एक समस्याएं दी गई हैं जिनसे देश की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को आघात पहुंच रहा है और उनका तत्काल निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है ताकि सभी वर्गों के लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं दक्षता पूर्वक पहुँचायी जा सकें। अत: हमारा आग्रह

है कि आप इन समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें और इनके लिए कोई सन्तोषजनक समाधान ढूंढें ।

सधन्यवाद,

भवदीय,

ह०/-

(डा. पी. एम. साहनी)

अध्यक्ष,

आल इंडियां फेडरेशन आफ

जूनियर डाक्टर एसोसियेशन

प्रतिलिपि :

1, माननीय प्रधान मन्त्री, नई दिल्ली ।

1. सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रीगण ।

3. स्थाई कार्यालय, आल इन्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर एसोसियेशन ।

गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में स्वीकृत अन्तिम घोषणा

4207. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि गुट निरपेक्ष देशों के फरवरी, 1981 में दिल्ली में हुए सम्मेलन में स्वीकृत अन्तिम घोषणा में अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों, कम्पूजिया में स्थिति और हिन्द महासागर में स्थिति के प्रश्नों पर हुआ मतैक्य भारत द्वारा तैयार किये गये प्रारूप में रखे गये दृष्टिकोण से भिन्न था, और

(ख) यदि हाँ, तो भारत के प्रारूप दस्तावेज के प्राधिकार तथा दिल्ली में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन द्वारा स्वीकृत अन्तिम घोषणा के दृष्टिकोण में क्या अंतर था ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत अन्तिम घोषणा, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले 93 देशों के बीच विभिन्न मसलों के बारे में व्यापकता संभव आम सहमति का प्रतिनिधित्व करती है । आतिथेय देश की हैसियत से भारत ने इसका प्रारूप तैयार करते समय अफगानिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया और हिन्द महासागर के बारे में वे दृष्टिकोण अपनाया था, वह अपने अनिवार्य रूप में यद्यपि इसमें है, लेकिन इसे जिस अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया है, उससे सम्मेलन में व्यक्त विचारों का और प्रस्तावित संशोधनों का एक समरस रूप परिलक्षित होता है ।

इन पर और अन्य विषयों पर मुख्य रूप से भारत के रचनात्मक प्रयत्नों के माध्यम से आम सहमति हुई जिसमें सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से इसकी कार्यवाई को दिशा-निर्देश दिया था ।

आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को दो इन्जनों से जोड़ा जाना

4208. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को आँध्र प्रदेश एक्सप्रेस को दो इन्जनों से जोड़ने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 123/124 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में दो इन्जन लगाकर चलाने के औचित्य और व्यावहारिकता की जांच की जा रही है और जो भी व्यावहारिक पाया जायेगा, उस पर, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही की जायेगी ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना

4209. **श्री चिंगवांग कोनयक :**

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) उक्त संस्थान कहां स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करना सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है ।

कुर्द विद्रोहियों द्वारा पकड़े गए भारतीय

4210. **श्री जी. बाई कृष्णन :**

श्री आर. एन. राकेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि इराक सरकार द्वारा गिरफ्तार कैदियों की अदला बदली की मांग करते हुए कुर्द विद्रोहियों द्वारा इराक में गत महीने से चार भारतीयों सहित नौ व्यक्तियों को पकड़ रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां, सरकार को इस बात की जानकारी है कि 31 जनवरी 1981 के बाद से इराक में कुर्दिश यूनाइटेड पार्टी से सम्बद्ध कुर्दिश विद्रोहियों ने 9 व्यक्तियों को बन्दी बनाया है, जिनमें 4 भारतीय भी हैं ।

(ख) 31 जनवरी, 1981 को इराक की कुर्दिश यूनाइटेड पार्टी के कुर्दिश विद्रोहियों ने 9 व्यक्तियों का अपहरण किया था जिनमें एक ब्रिटिश था, एक मिस्री' तीन लेबनानी और चार भारतीय । इन भारतीयों के नाम हैं (1) शमशुद्दीन फैजुद्दीन कुरैशी (2) नोइल हेरी जोपलिन (3) एवकारा पूरत कृष्ण नारायणन और (4) रामनरेश जगदेव शर्मा । ये सभी व्यक्ति लेबनानी कम्पनी मैसर्स एफ. ए. केट्टनेह के दोकान (इराक) में उनकी सुलेमानिया जलपूर्ति परियोजना में काम करते थे ।

इनमें से रामनरेश जगदेव शर्मा को विद्रोहियों ने 1 फरवरी, 1981 को छोड़ दिया था।

वह बगदाद स्थित हमारे राजदूत के नाम अन्य तीन भारतीयों द्वारा लिखे पत्र लाया था जिनमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए सहायता माँगी थी। कुर्दिश विद्रोहियों ने संकेत दिया कि वे अपहृत विदेशियों को तभी रिहा करेंगे जब इराकियों द्वारा कुछ विद्रोहियों के बन्दी बनाए गए परिवारों को छोड़ा जाएगा।

इस सूचना के मिलने के बाद बगदाद स्थित हमारे राजदूतावास ने इस मामले को उपयुक्त रूप से इराक सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ उठाया। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राष्ट्रिकों की रिहाई के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं।

इराकी प्राधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे राष्ट्रिकों की रिहाई के लिए वे आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल में छठी योजना के दौरान रेल लाइनें

4211. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में पश्चिम बंगाल में कितनी रेल लाइनें निर्माण के लिए शामिल की गई हैं; और

(ख) इस तरह शामिल की गई अथवा शामिल किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक परियोजना का विवरण क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) छठी योजना में नयी लाइनें योजना शीर्ष के अन्तर्गत 380 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस शीर्ष के लिये जो सीमित राशी उपलब्ध करायी गयी है वह चालू योजनाओं को ही पूरा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त होगी। इसलिए छठी योजना में पश्चिमी बंगाल के लिए कोई नयी रेल लाइन बनाने का काम शामिल नहीं किया जा सका।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

4212. **श्री दौलत राम सारण** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, यदि हाँ, तो प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या अमृतसर से अहमदाबाद बरास्ता फिरोजपुर, अबोहर, सूरतगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पालो और आबू रोड राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा यातायात और परिवहन तथा रेगिस्तान क्षेत्र के पिछड़ेपन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण व लाभकारी होगा,

(ग) यदि हाँ, तो क्या छठी योजना में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) संभवतः सदस्य महोदय 1980-85 योजना के प्रारम्भ से राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का उल्लेख कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें बियोरा-जयपुर सड़क बरास्ता राजगढ़-खिलचीपुर, अकलेरा, झालावाड़, कोटा, बून्दी, देवली और टोक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग

घोषित करने का अनुरोध किया गया था। इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के विस्तार के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है।

(ख) से (घ) अमृतसर से बीकानेर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पहले से ही मौजूद है जो फरीदकोट, भटिण्डा, अबोहर और सूरतगढ़ से होते हुए फिरोजपुर के पास से गुजरता है। इसके अतिरिक्त, बीकानेर और अहमदाबाद के बीच के क्षेत्र को तीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 11 और 15 लगते हैं। बीकानेर, जोधपुर, पाली और आबू रोड के बीच कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसान रैली के लिए ली गई दिल्ली परिवहन निगम की बसें

4213. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 फरवरी, 1981 को कांग्रेस (आई) रैली के लिए दिल्ली परिवहन निगम कुल कितनी बसें ली गई थी, और

(ख) इस सम्बन्ध में कुल व्यय कितना हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई) और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली परिवहन निगम से 100 बसें किराए पर लीं। ये बसें 14 फरवरी से 16 फरवरी 1981 की सुबह तक इनके इस्तेमाल में रहीं। इसके बाद, 16 फरवरी 1981 की शाम को एक बार फिर 120 बसें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी गई। चूंकि, 14 और 15 फरवरी, 1981 को सरकारी छुट्टियाँ थीं इसलिए आम जनता को असुविधा पहुचाए बिना इन्हें आसानी से किराए पर दिया जा सकता था। इसी प्रकार, जो बसें 16 फरवरी, 1981 को दी गई थी, वे तब दी गई जब भीड़-भाड़ का समय नहीं होता। ये बसें 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर की विशेष किराया दरों पर दी गई थीं। इसके अलावा, बसों को खड़ी करने के लिए प्रति घन्टा प्रति बस 20 रुपये रात को 11 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच बसें करने के लिए प्रति बस 15 रुपये के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लिए गए। निगमों के नियमों के अनुसार, एक बस को बुक कराने के लिए कम से कम 80 रुपये देने पड़ते हैं।

हुबली करवार रेल लाइन

42.4. **श्री देवराय नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार हुबली से करवार तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य का संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कोई सर्वेक्षण समिति नियुक्ति करने का है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गांधीधाम-लाखापत रेल लाइन

4215. **श्री डी. पी जदेजा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंडिआ-मांडवी के रास्ते से गांधीधाम-लाखापत रेल लाइन का निर्माण कार्य करने के लिए कोई यातायात सर्वेक्षण किया गया था,

(ख) यह सर्वेक्षण कब किया गया था,

(ग) क्या सरकार को इस परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया है और क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण के लिए शामिल किया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इसे शामिल करने पर विचार करेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकाजुन) : (क) से (घ) गांधीधाम-भुज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और मांडवी के रास्ते इसे भुज से लाखपट तक बढ़ाने के लिए 1970-71 में किए गए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से पता चला था कि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं होगी। फिर भी, चूंकि काफी समय बीत चुका है, इसलिए पहले किये गये सर्वेक्षण को 3 लाख रुपये की लागत से अद्यतन करने का काम 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो जाने और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद इस मामले में निर्णय लिया जायेगा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन पटना की वाणिज्यिक सेवाओं को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को अन्तरित करने का प्रस्ताव

4216. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन पटना द्वारा वर्तमान में संचालित वाणिज्यिक सेवाओं को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को अन्तरित करने का प्रस्ताव आजकल विचाराधीन है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त अन्तरण के पश्चात् अन्तर्देशीय जल परिवहन थोड़े से कर्मचारियों से ही जल सर्वेक्षण कार्य करेगा, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का अन्तर्देशीय जल परिवहन पटना के अतिरिक्त कर्मचारियों को किस तरह खपाने का विचार है जिससे उनकी वेतन संभावनाओं और वर्तमान में उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को सुनिश्चित किया जा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के अधीन जिस प्रकार के क्षेत्रीय निदेशालयों के स्थापित करने का विचार किया गया, उसी प्रकार के काम मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को भी सौंपे जाएंगे। उस समय इस निदेशालय का काम केवल जलीय सर्वेक्षण करना ही नहीं रहेगा बल्कि इसका काम योजनाओं को बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने और उनकी प्रगति की देख रेख करने में राज्य सरकार को सहायता करना भी हो जाएगा।

(ग) जब वाणिज्यिक सेवाओं को हस्तांतरित करने का काम पूरा हो जाएगा और क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यों के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा तभी उक्त कार्यालय में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या का पता लग सकेगा। यदि आवश्यकता से अधिक कर्मचारी पाये गये तब इन कर्मचारियों के वेतन और सीमान्त लाभ के बारे में वे संबंधित सरकारी नियम लागू होंगे जो उक्त विषय पर लागू हैं।

बेरोजगार डाक्टर और नर्सें

4217. श्री जेवियर अराकल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1978 से अब तक कितने-कितने डाक्टर और नर्सें बेरोजगार हैं;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अभी कितने मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान की जानी शेष है और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश के बेरोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में स्नातक और स्नातकोत्तर डाक्टरों और नर्सों की संख्या इस प्रकार है :

	स्नातक और स्नातकोत्तर डाक्टरों की संख्या	नर्सों की संख्या
(1) 31-12-78 को	11,264	4,796
(2) 31-12-79 को	13,847	4,740
(3) 30-6-80 को	15,187	उपलब्ध नहीं

इन आंकड़ों में न तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दादर नगर हवेली की सूचना शामिल है क्योंकि इनमें रोजगार कार्यालय नहीं है और न दिल्ली और महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और निर्देशन कार्यालयों की सूचना समाहित है।

(ख) जन स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है और इसलिए बुनियादी तौर पर यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने यहां उपलब्ध डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयुक्त रोजगार योजनाएं बनाएं। डाक्टरों को भी चाहिए कि वे निजी प्रैक्टिस द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करके अपने लिए रोजगार ढूंढें। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक डाक्टरों को क्लिनिक नर्सिंग होम, आदि खोलने के लिये आकर्षित शर्तों पर ऋण देते हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अधीन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जिनमें यह योजना चलाई जा रही है, एक अतिरिक्त अर्थात तीसरे डाक्टर की नियुक्ति की भी व्यवस्था है। यह तीसरा डाक्टर उसी चिकित्सा पद्धति से हो सकता है जो उस क्षेत्र में प्रचलित होती है और इसका निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया गया है।

(ग) निम्नलिखित दोनों कालेजों को अभी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता दी जानी है :

(1) एस. आर. टी. आर. मैडिकल कालेज, अम्बाजोगी

(2) गुरू गोविन्द सिंह मैडिकल कालेज, फरीदकोट

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि अम्बाजोगी वाले कालेज को मान्यता देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पहले उसका एक बार और निरीक्षण किया जा रहा है।

नामीबिया के लिए स्वाधीनता

4218. **श्री पी. के. कोडियन :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बात चीत के माध्यम से नामीबिया के लिए स्वाधीनता प्राप्त करने के राष्ट्र संघ के सभी प्रयासों का दक्षिण अफ्रीका द्वारा विरोध किया गया है;

(ख) क्या नामीबिया के लोगों के पास सशस्त्र संघर्ष से अपने देश को मुक्त करवाने के के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह गया है;

(ग) यदि हां, तो नामीबिया के लोगों को राष्ट्रीय मुक्ति के लिए उनके संघर्ष में सहायता करने के लिए भारत क्या कार्यवाही कर रहा है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) इस वर्ष जनवरी में जनेवा में पूर्व-कार्यान्वयन बैठक में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमन्डल की हठधर्मी के कारण बातचीत विफल हो जाने से, नामीबिया के लोगों संधि-वार्ता द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करने की आशा धूमिल पड़ गई है। दक्षिण अफ्रीका लगातार टालमाटोल का रवैया अपनाता आया है और इस तरह उसने बातचीत के द्वारा नामीबिया को शीघ्र स्वातन्त्रता देने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रयास विफल कर दिए हैं।

(ख) दक्षिण अफ्रीका के इस रवैये के परिणामस्वरूप दक्षिणपश्चिम अफ्रीका जन संगठन इस निष्कर्ष पर पहुँचा प्रतीत होता है कि अपने देश को मुक्त करवाने के लिए सशस्त्र संघर्ष तेज कर देने के सिवाय, नामीबिया के लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है।

(ग) भारत सरकार को उपनिवेशवाद-विरोधी और अफ्रीकी मुक्ति आन्दोलन के समर्थन की नीति सुविदित है। भारत सरकार, दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन के माध्यम से नामीबिया के लोगों को पूर्ण नैतिक, सामग्रीगत और राजनयिक समर्थन प्रदान करती है, जोकि उनका एकमात्र, वैध और वास्तविक प्रतिनिधि है।

कलकत्ता और हल्दिया बन्दरगाह न्यासों की भूमि को किराए पर देना

4219. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों के चहुं ओर कलकत्ता पत्तन न्यास के स्वामित्व वाले कुल कितने क्षेत्र की पत्तनों की गतिविधियों के साथ संबद्ध प्रयोजनों के लिए आवश्यकता नहीं है,

(ख) क्या यह सच है कि पत्तन न्यास की भूमि आवंटन समिति की सिफारिश पर इन

भूमियों पर प्लाटों का आवंटन औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को किराये के आधार पर दीर्घावधि पट्टे पर दिए जाते हैं.

(ग) इस प्रकार पट्टे पर दिये गए प्लाटों से पत्तन न्यास को किराये और सलामी के रूप में कुल कितनी वार्षिक आय होती है,

(घ) क्या यह सच भी है कि ऐसी भूमियों से प्लाट किराये पर देने की प्रथा पत्तन न्यास द्वारा नवम्बर, 1979 से सरकर से प्राप्त अनुदेशों पर निलम्बित कर दी गई है, और

(ङ) यदि हो तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास के अधिकारियों ने सूचित किया है कि हल्दिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है। कलकत्ता में इस प्रकार का यदि कोई स्थान है तो उसका पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

(ख) कलकत्ता और हल्दिया स्थित प्लाट औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दीर्घ अवधि की पट्टे पर और वाजिब किराए पर दिए गए हैं। कलकत्ता और हल्दिया की भूमि एवं भवन के आवंटन से सम्बधित स्थाई समिति केवल भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्रों पर सिफारिशें करती हैं। महा पत्तन न्यास अधिनियम के अनुसार, यदि पट्टे की अवधि 30 साल से अधिक हो तो केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति लेकर भूमि पट्टे पर दी जा सकती है। 30 साल तक के पट्टे वाली भूमि के बारे में निर्णय न्यासी मंडल द्वारा किया जाता है।

(ग) पत्तन की भूमि पर कोई 'सलामी' नहीं लगाई जाती। 1979-80 में कलकत्ता और हल्दिया स्थित भूमि से उक्त मद में लगभग 4.43 करोड़ रुपये की वार्षिक आय हुई।

(घ) और (ङ) : कुछ गम्भीर शिकायतों पर विचार करने के बाद कलकत्ता पत्तन न्यास के अधिकारियों को नवम्बर 1979 में कहा गया था कि वे भविष्य में किसी भी भूमि का आवंटन मन्त्रालय की सलाह से करें।

सवारी गाड़ियों में विलम्ब तथा उनका रद्द किया जाना

42.20. **श्री कमलनाथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी संख्या में सवारी गाड़ियों को माल गाड़ियों को रास्ता देने तथा उनके शीघ्र पहुंचने की सुविधा के कारण या तो रद्द कर दिया जाता है, या वे देर से चलती हैं,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि कोयले की कमी तथा रेल पथ के कम उपयोग से भी ऐसा हो रहा है, और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल उपायों के रूप में क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि कोयला खदानों पर भारी मात्रा में कोयला उपलब्ध है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भाप कोयले की कमी के कारण कुछ सवारी गाड़ियाँ रद्द करनी पड़ी थी। इस समय ८0 जोड़ी सवारी गाड़ियों को छोड़कर जो दक्षिण रेलवे पर 17-3-81 को रद्द थीं, इस वजह से रद्द की गई शेष सभी गाड़ियों को फिर से शुरू कर दिया गया है।

बिहार शरीफ-शेखपुरा रेल लाइन

4221. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलची और कोनन के रास्ते से होकर मुंगेर जिले में बिहार शरीफ से शेखपुरा तक नई रेल लाइन बनाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धन की कमी के कारण इस लाइन के निर्माण के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

क्षय रोग के कारण मौतों में वृद्धि

4222. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में क्षयरोग के कारण प्रति वर्ष होने वाली मौतें निरंतर बढ़ रही है और यह अत्याधिक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या बन रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 1955 के बाद क्षयरोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए सरकार ने कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे रोगियों की संख्या किन-किन राज्यों में (गाँवों और शहरों दोनों में ही) बहुत अधिक है तथा उसके लिए किन-किन प्रमुख कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) सरकार का इस रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है तो वे क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए किस प्रकार की तथा कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है,

स्वास्थ्य, और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इसका कोई प्रमाण नहीं है कि देश में क्षय रोग के कारण मरने वालों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है।

(ख) और (ग) क्षय रोग के बढ़ने का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा सन् 1955-57 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि मद्रास, बंगलौर तथा नई-दिल्ली में देशान्तरीय अध्ययन किए जा चुके हैं। इन अध्ययनों ने क्षयरोग में कोई बढोतरी नहीं दिखाई है।

(घ) भारत सरकार एक व्यापक राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है जिसमें रोगियों का पता लगाना, उनका उपचार करना और रोकथाम के कारगर उपाये बरतना शामिल है। इस कार्यक्रम के अधीन जिले में स्थित सभी चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से क्षयरोगियों का पता लगाने, उनका उपयुक्त उपचार करने तथा रोगी निरोधी सुविधाए सुलभ

करने के लिए देश भर के प्रत्येक जिले में जिला क्षयरोग केन्द्र खोले जा रहे हैं जिनमें पर्याप्त उपकरण तथा कर्मचारी होंगे। शिशुओं तथा बच्चों को इस रोग से बचाने के लिए बी. सी. जी. के के लगाने टोके कार्यक्रम को रोग प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बी. सी. जी. का टीका लगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि इस टीके की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चों के भी मिल जाएं।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 700 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है। राज्य, संघशासित क्षेत्रों को तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित क्षयरोग क्लिनिकों को क्षयरोग रोधी दवाइयां तथा राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को सामग्री तथा उपकरण सप्लाई करने का प्रस्ताव है।

राजामुद्री और विशाखापत्तनम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग

4223. **श्री के. ए. स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश राजामुंद्री और विशाखापत्तनम शहर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत की जानकारी है; और

(ख) इस सेक्टर में राजमार्गों के वृहत्तर विकास के लिए सरकार की क्या योजना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राजामुन्दरी और विशाखापत्तनम के बीच वाली सड़क में यायायात रुकने, यातायात को कठिनाई होने या किसी अन्य प्रकार की क्षति होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रस्ताव है कि पूरे देश के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कुल धनराशि और विभिन्न राज्यों की पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के विजयवाड़ा विशाखापत्तनम सड़क खण्ड में जो पहले ही दो लेनों का बना हुआ है और जिसमें राजामुन्दरी से विशाखापत्तनम तक का हिस्सा भी शामिल है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान आवश्यक सुधार कार्य किए जाएं।

आसाम मेल के लिए मुजफ्फरपूर में एक अलग सवारी डिब्बे की व्यवस्था करना

4224. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी जक्शन में यात्रियों की भारी असुविधा होती है क्योंकि मुजफ्फरपुर में आसाम मेल में चढ़ने वाले यात्रियों के लिये अलग सवारी डिब्बा नहीं है;

(ख) क्या बहुत से संसद सदस्यों ने इस बारे में उन्हें शिकायतें भेजी हैं लेकिन उन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की ये कठिनाईयां दूर करने का है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी

नहीं। फिलहाल मुजफ्फरपुर और नयी दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर और नई दिल्ली के बीच चल रही 28 डाउन/85 अप और 86 डाउन/27 अप गाड़ियों में पहले ही तीन थ्रू सवारी डिब्बे लगाये जा रहे हैं।

(ख) मुजफ्फरपुर और नयी दिल्ली के बीच थ्रू सवारी डिब्बे की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कार अटेन्डेन्टों की सेवा शर्तें

4225. श्री चतुर्भुज : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे मजदूर संघ, बम्बई ने रेलवे में 'कार-अटेन्डेन्ट' के वेतनमान और खराब होती जा रही सेवा-शर्तों के बारे में 3 जुलाई, 1980 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांग क्या हैं और प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में निम्नलिखित मुख्य मांगे की गयी है :—

(1) वाणिज्य विभाग की पदोन्नति सरणि में इस कोटि को सम्मिलित करना,

(2) पिछली कमी को पूरा करने के लिए इस कोटि के 50% पदो के ग्रेड बढ़ाना,

(3) वर्ग 'ग' और 'घ' समितियों की रिपोर्ट के अनुसार अपग्रेडेशन पूर्वव्याप्ति से किया किया जाना,

(4) आरक्षित सवारी डिब्बों और सेलूनों में तैनात यान्त्रिक कार परिचरों के हित में सामान कारवाई।

उपर्युक्त मांगों की सभी भारतीय रेलों के परामर्श से जांच की जा रही है।

एन्टीबायोटिक का दुरुपयोग के कारण प्रतिरोध और अप्रभावी उपचार

4226. डा. बसंत कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन जनरल आफ मेडिकल रिसर्च के हाल के अंक में आशय के लेख की ओर दिलाया गया है, कि लेडि हार्डिंग मेडिकल कालेज, दिल्ली के डा. के.बी. शर्मा और तीन अन्य सुक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने एन्टीबायोटिक के दुरुपयोग से प्रतिरोध और अप्रभावी उपचार के स्पष्ट साक्ष्य सिद्ध किया है;

(ख) क्या बम्बई में वैज्ञानिकों ने भारत में सात विभिन्न कम्पनियों द्वारा बेची जा रही एक ही एन्टी एपोलिटिक औषधि में जैविय प्रभाव में बहुत अन्तर को सिद्ध किया है; और

(ग) क्या सरकार के पास सूक्ष्म जीव विज्ञान फारमेस्युटिकल अनुसंधान और औषधियों जैविक प्रभाव के परीक्षण के लिए अति उत्तम प्रकार की विदेशी टेकनालजी उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) जी हां। प्रतिरोधी एशोरिशिया कोलाइ के प्रमाण के लिए सामान्य व्यक्ति,

अस्पताल कर्मचारी और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरण बाल चिकित्सालय नई दिल्ली में इलाज के लिए भर्ती रोगियों के तीन अलग-अलग समूहों के अध्ययन के आधार पर ये लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अस्पतालों में भर्ती रोगियों में प्रतिरोधी ई-कोलाइ सर्वाधिक पाये जाने का कारण एन्टीबायोटिक्स के अत्यधिक प्रयोग से हो जाने वाला सलेक्शन प्रेशर हो सकता है। सामान्य व्यक्तियों में आर-प्लासमिड्स के अधिक प्रकोप का कारण एन्टीबायोटिक्स का अन्धाधुन्ध प्रयोग हो सकता है।

(ख) बम्बई फार्मेसी कालेज तथा ग्रांट मेडिकल कालेज बम्बई के क्लीनिक फार्मेकोलाजी विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा भारत के बाजारों में बेचे जाने वाले वाणिज्यिक फेनीटोइन फार्मूलेशनों की जीव उपलब्धता पर किए गए काम के बारे में इण्डियन जनरल आव मेडिकल रिसर्च, 72 दिसम्बर, 1980 में दो रिपोर्टें प्रकाशित हुई थी। "इन वाइवो एण्ड इन विट्रो अवेलेबिलिटी आव कमर्शियल फेनीटोइन फार्मूलेशन्स कन्टेनिंग फेनोबार्बिटोन" शीर्षक पहले निबन्ध में वैज्ञानिकों ने एक सिंगल डोज अध्ययन में छः फेनीटोइन फार्मूलेशनों की जीव उपलब्धता की तुलना की है। इन फार्मूलेशनों में फेनीटोइन सोडियम और फेनोबार्बिटोन वाली गोलियों के तीन ब्राण्ड, फेनीटोइन सोडियम वाली गोली का एक ब्राण्ड और दो सस्पेन्सन थे जिनमें से एक में फेनीबार्बिटोन भी था। इन फार्मूलेशनों में जीव उपलब्धताओं में कोई खास अन्तर, देखने में नहीं आया। फेनोबार्बिटोन का फेनीटोइन सोडियम के प्लाजमा स्तरों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता नहीं देखा गया। "बायोअवेलिबिलिटी इन कूयूमन्स आव सालिड डोजेज फार्म आव फेनीटोइन मार्केटेड इन इंडिया" शीर्षक वाले दूसरे अध्ययन में वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में पूरा क्रास ओवर अध्ययन करके मिरगी के उपचार में अधिक पसन्द की जाने वाली सात फेनीटोइन फार्मूलेशनों की उनकी जीव उपलब्धता जानने के लिए तुलना की है। ये औषधियां भिन्न-भिन्न कम्पनियों द्वारा बनायी गई हैं और सभी कम्पेंडियल स्पेसिफिकेशनों को पूरा करती है। यह देखा गया है कि इन अनेक फार्मूलेशनों में रक्त के प्लाजमा नमूनों में फेनीटोइन की मात्रा में बड़ा अन्तर था।

(ग) देश में जीव उपलब्धता अध्ययन करने के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध हैं फिर भी ऐसे अध्ययन करने के लिए सुविधाएं थोड़ी सी संस्थाओं में ही उपलब्ध हैं। छठी योजनावधि में केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला कलकत्ता में जीव-उपलब्धता अध्ययन करने के लिए एक एकक खोलने का विचार है।

वेरावल और अहमदाबाद के बीच अधिक गाड़ियां चलाया जाना

4227. श्री नवीन रवाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे में वेरावल और अहमदाबाद रेल स्टेशनों के बीच यात्रियों की बहुत भीड़ रहती है;

(ख) क्या भावनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर जामनगर जिलों के विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार एवं उद्योग में; काम करने वाले दैनिक यात्रियों द्वारा वेरावल तथा अहमदाबाद के बीच बरास्ता खेजादिया एक ओर तथा सीधी गाड़ी चलाने की मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त गाड़ी आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि गाड़ियों में अमरेली अहमदाबाद के लिए केवल 2 डिब्बे आरक्षित किये जाते हैं;

(ङ) क्या अमरेली तथा अन्य जिलों के विभिन्न वर्गों से मांग की जा रही है कि उक्त गाड़ी में दो डिब्बों के स्थान पर चार डिब्बे आरक्षित किये जायें जिससे कि दैनिक यात्रियों को कठिनाई न हो और

(च) यदि हां, तो मांगों को पूरा करने के लिये की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है;

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) : खिजडिया तथा अमरेली के रास्ते वेरावल और अहमदाबाद के बीच दो अतिरिक्त डिब्बों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

वेरावल तथा जूना गढ़ के बीच लाइनों की टूट-फूट के कारण 23/24 सोमनाथ मेल में तथा मेल लेने वाली गाड़ी में वेरावल तथा अमरेली से एक-एक थ्री डिब्बा लगाया गया है। यातायात का औचित्य न होने के अलावा 23/24 सोमनाथ मेल में गुंजाइश न होने के कारण वेरावल/अमरेली/अहमदाबाद के बीच अतिरिक्त थ्री डिब्बे लगाना परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

दरभंगा-समस्तीपुर रेल लाइन

4228. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा से समस्तीपुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू किया जायेगा और इस कार्य को पूरा होने की अनुमानित अवधि कितनी है, और

(ख) इसमें कितना खर्च होने का अनुमान है और किस समय तक दरभंगा से समस्तीपुर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह एक अनुमोदित कार्य है और आशा है इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा। यह काम कितने समय में पूरा होगा यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिलहाल, इस काम के पूरे होने में लगभग 3 से 4 वर्ष तक का समय लग सकता है।

(ख) दरभंगा-सकरी-जयनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले की आगे जांच की जायेगी और यदि अर्थश्रम पाया गया तो इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा बशर्ते कि योजना आयोग इसके लिए स्वीकृति दे तथा धन आबंटित करे।

विदेशी दूतवासों द्वारा शरण दिया जाना

4229. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य नागरिकता वाले सदस्यों को राजनीतिक शरण प्रदान किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए दूतावासों को निदेश जारी किए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों से दिल्ली स्थित विभिन्न दूतावासों द्वारा इस तरह के कितने व्यक्तियों को शरण दी गई है और वे देश कौन से हैं जहाँ से ये लोग भाग आये थे ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) कोई नहीं।

दोषपूर्ण रेल पटरियों के कारण दुर्घटनायें

4230. **प्रो. अजीत कुमार मेहता :**

श्री राम बिलास पासवान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में हुई कुल रेल दुर्घटनाओं में कितनी दुर्घटनायें दोषपूर्ण रेल पटरियों के कारण हुई;

(ख) उनके फलस्वरूप यदि जान वा माल की कोई हानि हुई तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन दोषपूर्ण रेल पटरियों को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात 1979-80 और 1980-81 (फरवरी, 1981 तक) में भारतीय रेलों में हुई 1881 दुर्घटनाओं में से 171 दुर्घटनाएं रेल पटरी की खराबियों के कारण हुई।

(ख) इन 171 गाड़ी दुर्घटनाओं में 42 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 97.82 लाख रुपये की रेल सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाया है।

(ग) गत दो वर्षों के भीतर निम्नलिखित सीमा तक रेल पटरियों का नवीकरण किया गया है :—

वर्ष	प्रायमरी पटरियां	नवीकरण स्लीपर	सेकेन्डरी नवीकरण पटरियां	स्लीपर
1978-79	668	765	236	217
1979-80	749	782	213	206

1980-81 में इतनी ही सीमा तक रेलपथ के नवीकरण की संभावना है। 1981-82 में रेल पथ नवीकरण का परिव्यय बढ़ा कर 110.00 करोड़ रुपये कर दिया जायेगा जबकि 1980-81 में यह 70.00 करोड़ रुपये था। रेल पथ नियत्रित रूप से निरीक्षण किया जाता है और कमियों को दूर करने का काम पूरे वर्ष चलता रहता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का दृष्टिकोण

4231. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों ने जो हाल ही में नई दिल्ली में मिले थे,

यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि परमाणु निरस्त्रीकरण होने तक परमाणु युद्ध के खतरे को दूर करने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय परमाणु अस्त्रों के प्रयोग अथवा प्रयोग किये जाने की धमकी पर प्रतिबन्ध लगाना है;

(ख) क्या उन्होंने इस बात का भी सुझाव दिया है कि 1925 की जिनीवा विज्ञप्ति की परिपाटी पर रासायनिक एवं जैविक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन परमाणु विध्वंश के विरुद्ध कुछ सुरक्षा दे सकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सुझाव के प्रति परमाणु शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) नई दिल्ली घोषणा के सम्बन्धित अंश के बारे में नाभिकीय हथियार वाले राज्यों से कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 35वें अधिवेशन में नाभिकीय हथियारों को प्रयोग न करने और नाभिकीय युद्ध को रोकने से सम्बद्ध एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके पक्ष में 112, विपक्ष में 19 मत पड़े और 14 देशों ने रतदान में भाग नहीं लिया। संकल्प में यह घोषणा की गयी कि :

(क) नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लघन और मानवता के विरुद्ध एक अपराध होगा; और

(ख) इस लिए नाभिकीय निरस्त्रीकरण लागू होने तक नाभिकीय हथियारों के प्रयोग अथवा उनके प्रयोग की धमकी पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

नाभिकीय हथियारों वाले पाँच राज्यों में से फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका ने इस संकल्प के विरोध में मत दिये; सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने मतदान में भाग नहीं लिया तथा चीन ने इसके पक्ष में मत दिया।

अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट

4232. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान संहिता में निहित उपबन्धों के अनुसरण में अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों को भरने में महाप्रबन्धक, पश्चिम रेलवे द्वारा कोई नियम नहीं बनाये गये हैं, प्रकाशित किये गये हैं अथवा परिचालित किये गये हैं,

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) ये नियम कब तक प्रकाशित किये जाने और उन्हें यूनियनों में परिचालित किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कमीशन पर माल बेचने वालों का कमीशन

4233. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की विभागीय जल पान सेवा के अधीन कमीशन पर माल बेचने वालों के

लिये कमीशन की क्या दर निर्धारित है और वस्तुतः उन्हें जोन वार कितना कमीशन अदा किया जा रहा है,

(ख) क्या रेल प्रशासन ने इन विक्रेताओं को इनके निर्वाह के लिए पर्याप्त कमीशन दरें देने की नीति निर्धारित कर रखी है,

(ग) क्या महा प्रबन्धकों को ये निर्देश दे रखें है कि वे इन विक्रेताओं के कमीशन में हर दो वर्ष वाद वृद्धि कर दें,

(घ) यदि हाँ, तो गत 10 वर्षों के दौरान उक्त कमीशन की दरों में कितनी वृद्धि की गई, और

(ङ) सरकार उन जोनों में भी कमीशन की दरें बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है जहाँ उक्त दरें बढ़ाई नहीं गई हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कमीशन वेन्डरों को कमीशन की निर्धारित दरों के अनुसार कमीशन का भुगतान किया जाता है। कमीशन की जोन वार दरें नीचे दी गई हैं :—

मध्य रेलवे	3 से 12%
पूर्व रेलवे	3 से 24%
उत्तर रेलवे	4 से 31%
पूर्वोत्तर रेलवे	2 से 12%
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2 से 12%
दक्षिण रेलवे	2 से 10%
दक्षिण मध्य रेलवे	3 से 11%
दक्षिण पूर्व रेलवे	3 से 22%
पश्चिम रेलवे	3 से 10%

(ख) जी हाँ।

(ग) से (ङ) ऐसे अनुदेश है कि रेलों को तीन वर्षों में एक बार कमीशन की दरों की समीक्षा करनी चाहिए। इन अनुदेशों को एक बार फिर दोहराया गया है। हाल ही में भोजन आदि की दर सूची में दी गयी दरों में वृद्धि की गयी थी। दर सूची में दी गई दरों में उर्ध्वगामी संशोधन होने से कमीशन वेन्डरों के कमीशन में स्वतः ही वृद्धि हो गयी है।

इन्नोर और बेसिन ब्रिज ताप विद्युत केन्द्र को कोयला ले जा रहे 134 रेल वैगनों का लापता होना

4234. **श्री के. मालन्ना** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी 1981 के 'दि मेल' समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि तमिलनाडु में इन्नोर और बेसिन ब्रिज ताप विद्युत घरों को कोयला ले जा रहे 134 रेल वैगन 1978 से लापता हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

और (ख) बिजली घरों को कोयला ले जाने वाले माल-डिब्बों को एक निश्चित समयावधि के लिए समायोजित किया जाता है। वर्ष 1978 के लिए इस प्रकार के समायोजन पूरे किये जा चुके हैं।

लदे हुए माल-डिब्बों के लेबलों के स्थान पर दूसरे लेबल लगाना और उनको फाड़ना

4235. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लदे हुए माल-डिब्बों पर लगाये गये लेबलों के स्थान पर मार्ग में दूसरे लेबल लगाने अथवा लेबलों को फाड़ने और उनको उनके गन्तव्य स्थानों के बजाय अन्य स्थानों को भेजने के मामलों की ओर दिलाया गया है,

(क) क्या सरकार को यह भी पता है कि जाली रेलवे रसीदें पेश करके ऐसे माल डिब्बों से माल छुड़ाने के मामले हुए हैं,

(ग) यदि हाँ, तो क्या अलवर में ऐसी एक घटना हुई है जहां स्टील से लदे दो माल डिब्बे छुड़ाने के लिए जाली रेलवे रसीदें पेश की गई परन्तु रेल अधिकारियों को सन्देह हो गया और उन्होंने माल की खेप नहीं छोड़ी,

(घ) यदि हाँ, तो क्या उन दो माल डिब्बों की खेप की अभी तक किसी ने मांग नहीं की है, और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम के लिए कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हाँ। यदा-कदा ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती हैं।

(ग) और (घ) जी हाँ।

(ङ) अलग-अलग मामलों का विश्लेषण किया जाता है और कार्यवाही की जाती है।

टोबेको क्यूरर्स एसोसियेशन, ओंगोले से अभ्यावेदन

4236. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट टोबेको क्यूरर्स एसोशियेशन, ओंगोले से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि तम्बाकू सुखाने के प्रयोजनार्थ प्रकाशम जिले को कोयले के रैक शीघ्र भेजे जायें, और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) आंध्र प्रदेश के टोबैको क्यूरर्स अपनी आवश्यकता के लिए सिंगरेनी कोयला खानों से कोयला प्राप्त करते हैं। सिंगरेनी कोयला खानों में श्रमिक समस्या के कारण फरवरी, 1981 में वे प्रतिदिन 1050 माल डिब्बों की लदान की वचन-बद्धता की तुलना में केवल 875 माल डिब्बों का ही लदान कर सके। मार्च, 1981 में और गिरावट आई और पहले सप्ताह के दौरान 821 माल डिब्बों का ही लदान किया जा सका। टोबैकों क्यूरर्स के कष्ट का कारण कोयले की कमी है न कि कोई परिवहन समस्या।

रेलवे बोर्ड समितियों का गठन

4237. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छ महीनों के दौरान रेलवे बोर्ड से सम्बद्ध कितती समितियों का गठन/पुर्नगठन किया गया और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पिछले छः महीनों के दौरान रेलवे बोर्ड से सम्बद्ध चार समितियों/परिषदों का पुनर्गठन किया गया है।

इन समितियों/परिषदों का ब्योरा इस प्रकार है :

	नाम	अवधि
1.	स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति	3 वर्ष
2.	यात्री सुविधा समिति	2 वर्ष
3.	कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति	3 वर्ष
4.	राष्ट्रीय रेलवे खान-पान परामर्श परिषद	2 वर्ष

कलकत्ता में अमरीकी केन्द्र की गतिविधियां

4238, **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में, विशेषकर पूर्वोत्तत क्षेत्र में अमरीकी केन्द्र की गतिविधियां क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के सेमीनारों का उद्देश्य क्या था और उसमें भाग लेने वालों का विवरण क्या है; और

(ग) सेमीनार में किन विषयों पर चर्चा की गई और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी वी. नरसिंह राव : (क) से (ग) कलकत्ता स्थित अमरीकी केन्द्र जो कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय संचार अभिकरण की ही एक इकाई है, कलकत्ता-स्थित अमरीकी प्रधान कौंसलावास के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करता है जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है यह केन्द्र विचार-गोष्ठियां, व्याख्यान, विचार-विमर्श, कार्यशालायें आयोजित करके, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें परिचालित करके और प्रदर्शनियां आयोजित करके, फिल्में दिखाकर और संगीत गोष्ठियां आदि आयोजित करके संयुक्त राज्य के राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रणाली से सम्बद्ध सामयिक हित के विषयों के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य के विचारों के बारे में प्रचार करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता स्थित अमरीकी केन्द्र की गतिविधियों में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं :

(1) जोरहाट में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला और असम कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य विश्वव्यापी स्त्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की संभावनाओं के बारे में विचार-गोष्ठी।

(2) धुलियाजान, नामरूप, जोरहाट और गाहाटी में पीटर ड्रकर की "एफेक्टिव एग्जीक्यूटिव" फिल्म श्रृंखला का प्रदर्शन।

(3) "भारत में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों की संभावित भूमिका" के बारे में गोहाटी में विचार गोष्ठी।

(4) गोहाटी में "प्रबन्धक और संगठन" फिल्में दिखाना।

(5) असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट में 'ऊर्जा और कृषि विज्ञान' के बारे में पुस्तक प्रदर्शनी।

(6) नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनिवर्सिटी शिलांग में "अमरीकी सांस्कृतिक परम्परा" नामक पुस्तक प्रदर्शनी।

विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों ने इन गतिविधियों में भाग लिया जिनमें विद्यार्थी, संकाय सदस्य, वैज्ञानिक, स्थानीय संगठनों के भिन्न-भिन्न सदस्य भी शामिल थे।

विभिन्न विषयों के बारे में विचार-विनिमय के लिए भारत स्थित विदेशी मिशनों की विचार-गोष्ठियाँ आदि आयोजित करने की अनुमति है।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में सस्ती दरों पर तेल प्रदान करने का प्रस्ताव

4239. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री आर. एन. राकेश : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों को सस्ता और तत्काल तेल प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमत हो गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रस्ताव से भारत को लाभ होगा;

(ग) यदि हाँ, तो किस सीमा तक; और

(घ) सम्मेलन में हुए समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब और हरियाणा में आउट एजेंसियां

4240. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के अन्तर्गत पंजाब और हरियाणा में ऐसी कौन-कौन सी आउट एजेंसियां हैं जिनकी ठेके की अवधि चालू वर्ष के दौरान समाप्त होनी है,

(ख) क्या रेलवे आउट एजेंसियों की नियुक्तियों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु समय पर स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक विज्ञापन देने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में उत्तर रेलवे को आवश्यक अनुदेश जारी करने का विचार है कि वह नये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये बिना ही इन आउट एजेंसियों का नवीकरण न करें तथा केवल पुरानी आउट एजेंसियां ही न बनी रहने दें ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल जगाधरी टाउन आउट एजेंसी।

(ख) और (ग) जी नहीं। वर्तमान ठेकेदार के ठेके की अवधि समाप्त होने से पहले उसके समग्र कार्य-निष्पादन के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा इस मामले में निर्णय किया जायेगा।

छात्रों द्वारा महिला कन्डक्टर तथा ड्राइवर के साथ कथित हाथापाई।

4241. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री उत्तम भाई एच. पटेल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1981 को दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों एवं कन्डक्टरों ने कुछ छात्रों द्वारा महिला कन्डक्टर तथा ड्राइवर के साथ कथित हाथापाई के विरोध स्वरूप देशबन्धु गुप्त रोड, करोल बाग होकर गुजरने वाली सभी बस सेवाओं को रोक दिया था,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस घटना के बारे में कोई जाँच की गई है, और

(ग) महिला बस कन्डक्टरों से इस प्रकार हाथापाई रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। पूर्वाह्न में लगभग तीन घन्टे तक बस सर्विस स्थगित रही।

(ख) पुलिस ने ओरिजिनल रोड स्थित पुलिस स्टेशन में आई. पी. सी. 186/353/332/-379 के अधीन केस दर्ज किया है। इसके द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) पुलिस कर्मचारियों को सादे वेश में और वर्दी में दोनों ही रूपों में बस स्टैंडों पर खासतौर से ऐसे बस स्टैंडों पर जो कालेजों/स्कूलों के पास स्थित हैं तैनात किया जा रहा है।

निरसा और बराकर नदी पुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति .

4242. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरसा से बराकर नदी पुल (पश्चिम बंगाल सीमा) तक राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड और बराकर पुल खराब स्थिति में है जिससे हजारों मालवाहक ट्रकों और बहुत सी मोटर कारों को प्रतिदिन क्षति पहुंचती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि बराकर पुल को, जो खराब स्थिति में है पार करने में काफी समय लग जाता है, और

(ग) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के इस सेक्शन की मरम्मत कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवाहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारी यातायात के आने-जाने से पुराने बराकर पुल से लेकर नए बराकर पुल के पहुचमार्ग के आखिरी सिरे तक के बीच वाले हिस्से में समय-समय पर मरम्मत करने की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि, सड़क पर यातायात आसानी से आ जा सके।

(ख) और (ग) बराकर नदी पर बना मौजूदा पुल पुराना, तंग और कमजोर है। इसलिए इस पर अधिक यातायात का आना जाना बंद करने की जरूरत है। नया पुल और इसके

पहुँचमार्ग जिनका निर्माण शीघ्र पूरा होने वाला है, बहुत जल्द यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे जिनसे यातायात को और राहत मिलेगी और अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा।

दादर पर उपनगरीय टर्मिनल सुविधा

4243. **श्री आर. के. महालगी** : क्या रेल मन्त्री दादर से थाणे तथा कल्याण तक स्थानीय गाड़ी के चलाये जाने के बारे में 18 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है,

(ख) यदि कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सुझाव को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं और इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) धन की कमी के कारण तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण दल द्वारा दादर स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन के सुझाव की योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। संसाधनों की स्थिति सुधर जाने पर ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जा सकता है।

रेलवे डाक्टर

4244. **श्री आर. के. महालगी** : क्या रेल मंत्री रेलवे डाक्टरों के पदोन्नति के अवसर के बारे में 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे डाक्टरों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस आशय के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। डाक्टरों की सेवा तथा वृत्ति संभावनाओं में सुधार लाने के लिए संवर्ग पुनरीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावों की जांच की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संवर्ग पुनरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अब गृह और वित्त मन्त्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाना है और उसके बाद इन पर मन्त्रिमंडल की स्वीकृति लेनी होगी। इस मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

बम्बई सेन्ट्रल यार्ड का विस्तार

4245. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचालन गतिविधि में अधिक वृद्धि हो जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार बम्बई सेन्ट्रल यार्ड (पश्चिम रेलवे) के विस्तार की आवश्यकता पर विचार करेगी, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और

(ख) बम्बई सेंट्रल यार्ड के ढाँचे में परिवर्तन का प्रथम चरण का कार्य एक अनुमोदित कार्य है और यह प्रगति पर है। चरण II के लिए सर्वेक्षण करने का काम 1981-82 के बजट में शामिल किया गया है सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच कर लिए जाने के पश्चात् अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

1 अप्रैल, 1980 से चालू की गई अतिरिक्त यात्री सेवायें :

4246. **श्री जो. एम. बनातवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल 1980 से रेलवेवार, कितनी और कौन-कौन सी अतिरिक्त यात्री सेवायें चालू की गई हैं;

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) 1-4-1980 से दिसम्बर, 1980 तक कुल 79 (अनुपनगरीय) यात्री गाड़ियाँ चलायी गयी हैं। इन गाड़ियों की सूची संलग्न है।

विवरण

1-4-80 से चलायी गयी अनुपमगरीय नयी गाड़ियों की सूची

बड़ी लाइन

175/176 पुरी नयी दिल्ली नीलाचल एक्सप्रेस	(सप्ताह में तीन बार)
1 के एम/2 के एम खुर्जा जंक्शन-मेरठ सिटी शटल	(दैनिक)
395 त्रिवेन्द्रम् नगरकोइल सवारी गाड़ी	,,
5 ए ए/6 ए ए आद्रा-आसनसोल सवारी गाड़ी	,,
149/150 गुना-बीना सवारी गाड़ी	,,
183/184 हतिया चन्नीगढ़ रांची एक्सप्रेस	(सप्ताह में तीन बार)
53/54 सियालदह-मालदाटाउन गौड़ एक्सप्रेस	सप्ताह में तीन बार)
1 आर. के. बी/2आर.. के. बी रोहतक-भिवानी शटल	दैनिक
3 आर के बी/4 आर के बी रोहतक-भिवानी शटल	,,
185/186 नयी दिल्ली-भिवानी एक्सप्रेस	,,
1 वी डी/2 बी डी बीना-दामोह सवारी गाड़ी	,,
305/306 मद्रास अरक्कोनम तेज सवारी गाड़ी	,,
187/ 88 मथुरा-टुन्डला यमुना लिंक एक्सप्रेस	,,
191/192 पटना-दिल्ली सोनभद्रा एक्सप्रेस	(सप्ताह में तीन बार)
47 ए/48 ए वीरमगाम-राजकोट सवारी गाड़ी	(दैनिक)
1 एच आर/2 एच आर हातिया-रांची सवारी गाड़ी	,,
193/194 बम्बई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस	(सप्ताह में दो बार)
आर सी 7/आर सी 8 समालकोट-काकीनाडा रेल कार	(दैनिक)
89 ए/90 ए राउरकेला-रांची लिंक एक्सप्रेस	,,
5 आर के बी/ 6 आर के बी भिवानी-रोहतक शटल	,,
1 यू एस डी/2 यू एस डी दिल्ली-शाहदरा-अम्बाला सिटी सवारी गाड़ी	,,
29/30 पटना-धनबाद एक्सप्रेस	,,
357/358 बंगारापेट कोरोमंडल सवारी गाड़ी	,,

49/50 शोरानुर-कन्नानोर एक्सप्रेस	(दैनिक)
मीटर लाइन	
113/114 तिरुचिरापल्ली-मदुराई एक्सप्रेस	,,
1 बी बी आर/2 बी बी आर रतनगढ़-बीकानेर सवारी गाड़ी	,,
1247/1248 धर्मावरम-पोकला सवारी गाड़ी	,,
911/912 बेंगलौर-टुमकुर सवारी गाड़ी	,,
1073/1074 कैनगिरि-बेंगलौर सवारी गाड़ी	,,
1075/1076 कैनगिरि-बेंगलौर सवारी गाड़ी	,,
205/206 मैसूर-बेंगलौर तिप्पू एक्सप्रेस	,,
1093/1094 चिकजाजुर-चित्रदुर्ग सवारी गाड़ी	,,
1123/1124 अरसीकेर-बीरूर सवारी गाड़ी	(सप्ताह में दो बार)
503/504 जोधपुर-जयपुर मारुधर एक्सप्रेस	(6 दिन)
एच डी 13/डी एच 14 हुबली-धारवाड़ सवारी गाड़ी	(दैनिक)
एच डी 15/एच डी 16 हुबली धारवाड़ सवारी गाड़ी	,,
221/222 मैसूर-बेंगलौर कावेरी एक्सप्रेस	,,
263/264 वीरमगाम महसाना मिली जुली गाड़ी	,,
1083/1084 होस अग्रहारा-मैसूर सवारी गाड़ी	,,
633/634 नागोर-मयूरम सवारी गाड़ी	,,

वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव

4247. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करने का है जिससे कि विभिन्न प्रकार के वाहन चालन में दक्षता लाई जा सके और बेहतर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार का ड्राइविंग स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु सड़क सुरक्षा के एक उपाय के रूप में राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया गया है कि वे ड्राइविंग स्कूल खोलने पर विचार करें।

गोलनथोरा रेल स्टेशन पर खोरडाह-पलाशा सवारी गाड़ी में लूट

4248. **श्री रामचन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 27 दिसम्बर, 1980 को गोलनथोरा स्टेशन पर खोरडाह-पलाश सवारी गाड़ी में हुई लूटापाट की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन डाकुओं के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) डाकुओं से यात्रियों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां 27/28.12.80 की रात्रि को बेहरामपुर तथा गोलंथोरा रेलवे स्टेशन के बीच भुवनेश्वर-पलाशा यात्री गाड़ी में एक डकैती की रिपोर्ट मिली है।

(ख) इस मामले में जिन तीन डाकुओं पर शामिल होने का संदेह है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) चलती गाड़ियों में इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। गाड़ियों में रात के समय राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेल सुरक्षा बल के सशस्त्र रक्षकों को तैनात करना, स्टेशनों/प्लेटफार्मों/प्रतीक्षा हालों में गश्त लगाना, पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा रात्रि गाड़ियों की जांच, जैसे निवारक उपाय किए गये हैं। गलियारेदार डिब्बों के दरवाजों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बन्द रखा जाता है। चल टिकट परीक्षकों/परिचरों/कंडकटरों को अनुदेश हैं कि वे आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के प्रति सतर्क रहें।

खुर्दा रोड़ टीटलागढ़ लाइन

4249. श्री रामचन्द्र रथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुर्दा रोड, टीटलागढ़ रेल लाइन बनाने के लिए सरकार को उड़ीसा के लोगों से कोई अभ्यावेदन मिला है, और

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन के निर्माण से सम्बन्धित विवरण क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। खोरधा रोड से बोलनगीर तक एक नई बड़ी रेलवे लाइन के लिए उड़ीसा के लोगों तथा उड़ीसा सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं टिटिलागढ़ पहले ही बोलनगीर से बड़ी लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि फिलहाल, इस रेल सम्पर्क, जो लगभग 285 कि.मी लम्बी होगी और जिसपर लगभग 52 करोड़ रुपये लागत आयेगी, के सर्वेक्षण का काम शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और यह भी कि खोरधा रोड-बोलनगीर रेल सम्पर्क के सर्वेक्षण पर तब विचार किया जायेगा जब धन की स्थिति सुधर जायेगी और इस लाइन के निर्माणार्थ विचार किये जाने की सम्भावना होगी।

ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन में दिल्ली अनुवादक के पद पर बनाया जाना

4250 श्रीजयपाल सिंह कश्यप : क्या विदेश मंत्री ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन में हिन्दी अनुवादक के पद के बनाये जाने के बारे में 18 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में हिन्दी कार्य के लिए उपयुक्त पदों को बनाने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काठमांडू स्थित हमारे दूतावास में हिन्दी अनुवादक का पद जारी रखने के मामले पर पुनर्विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) विदेशों में हिन्दी कार्य के लिए पदों के सृजन के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(ग) और (घ) : इस सम्बन्ध में पुनर्विचार किया गया है और काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास में हिन्दी अनुवादक का पद जारी रखा जा रहा है।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात राज्यों में रेल लाइनों में हुई वृद्धि

4251. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् कुल कितनी लम्बाई में रेल लाइनों का निर्माण किया गया है, और

(ख) उपरोक्त अवधि में रेलवे-वार तथा राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) स्वतन्त्रा प्राप्ति के बाद निर्माण की गई नई रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई 8,270,238 कि० मी० है।

(ख) दो विवरण संलग्न हैं।

विवरण

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निर्माण की गई नयी रेलवे लाइनों की रेलवे वार लम्बाई :—

रेलवे	मार्ग कि० मी०
मध्य	769.090
पूर्व	332.010
उत्तर	1376.513
पूर्वोत्तर	237.575
पूर्वोत्तर सीमा	1082.570
दक्षिण	1025.660
दक्षिण मध्य	234.880
दक्षिण पूर्व	1508.050
पश्चिम	1703.890
	जोड़ : 8270.238

(दो) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निर्माण की गई नई रेलवे लाइनों की राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार लम्बाई :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्ग कि० मी०
असम	497.150
आंध्र प्रदेश	179.230

1	2
बिहार	683.830
गुजरात	843.880
हरियाणा	74.520
हिमाचल प्रदेश	81.110
जम्मू एण्ड कश्मीर	83.370
कर्नाटक	374.930
केरल	281.100
मध्य प्रदेश	1056.870
महाराष्ट्र	483.310
उड़ीसा	626.190
पंजाब	143.100
राजस्थान	716.880
तमिलनाडु	448.890
त्रिपुरा	15 0(.0
उत्तर प्रदेश	868.623
पश्चिम बंगाल	725.475
चण्डीगढ़	6.080
दिल्ली	57.360
गोआ	22.530
	जोड़ : 8270.238

ड्राफ्टसमैनों और अनुमानकर्ताओं का वेतनमान

4252 **श्री समर मुखर्जी** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल बोर्ड द्वारा ड्राफ्ट्समैनों और ऐस्टीमेटरों को 850-1040. रु० का वेतन आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह वेतनमान, जोन-वार, कितने ड्राफ्ट्समैनों और ऐस्टीमेटरों को आवंटित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव सिविल इंजीनियरिंग विभाग में 840-1040 रुपये के वेतनमान में ड्राफ्ट्समैनों और ऐस्टीमेटरों के लिए कुछ प्रतिशतता प्रदान करने का है क्योंकि 1 जनवरी, 19789 से ग्रेड बढ़ाने के लिए आदेश जारी करते समय कोई प्रतिशता नहीं दी गई थी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

रेलवे क्वार्टरों में लगे बिजली के बल्ब

4253. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे क्वार्टरों में बिजली के बल्ब/ट्यूब केवल रेल कर्मचारियों की आवंटन के दौरान ही लगाये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली के इन बल्बों/ट्यूबों के खराब हो जाने पर रेल प्रशासन बाद के अवसरों पर इनके स्थान पर दूसरे बल्ब/ट्यूब नहीं लगाता है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्थान मार्च 1963 के मानक संख्या 418 के अनुसार बल्ब औसतन केवल एक हजार घन्टे तक ही चलता है,

(घ) क्या रेलवे के क्वार्टरों में बाद के अवसरों पर उस समय बल्ब/ट्यूब बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है जब वे एक हजार घन्टे तक जलने के बाद खराब हो जाते हैं, और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में रेलवे बोर्ड ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हाँ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

'रुट रिले प्रणाली'

4255. **श्री निरेन घोष** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल रेलवे स्टेशन पर 'रुट रिले प्रणाली' कब शुरू की जाएगी, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आसनसोल में 31-12-81 तक रुट रिले अन्तर्पाशन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ख) कुछ मात्रा में केबुलों और लकड़ी के स्लीपरों को अभी भी बिछाया जाना है और रुट रिले अन्तर्पाशन की इमारत को वातानुकूलित करने का काम जारी है । यह काम स्थापन के अग्रिम चरण में है और 31-12-81 तक इसके पूरे हो जाने की सम्भावना है।

नांदेड़-चुगुस रेल लाइन

4256. **श्री बी. एन. गाडगिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे ने राज्य सरकार के खर्च पर नांदेड़-अदलहाद-चुगुस परिवर्तन परियोजना का इन्जीनियरी और परिवहन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, और

(ख) क्या योजना आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

मानिकगढ़ चन्द्र लाईन

4257. **श्री बी. एन. गाडगिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अभ्यावेदन किया है कि चन्द्रपुर जिले में मानिकगढ़-चन्द्र रेल लाइन का निर्माण दो नई सीमेंट फैक्टरियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र किया जाना चाहिए, जिनका उत्पादन अक्तूबर, 1982 में शुरू हो जायेगा,

(ख) क्या स्थान के बारे में अन्तिम सर्वेक्षण पूरा हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो इस रेल लाईन का निर्माण कब शुरू होगा ?

रेल मंत्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी हाल में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

खराब हो गये और प्रतिस्थापित किए गए वैगन

4258. **श्री के. ए. राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79 और 1979-80 के दौरान रेलवे वैगनों के लिए कितनी मांग है;

(ख) इन वर्षों के दौरान रेलवे विभाग द्वारा की गई सप्लाई कितनी है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने वैगन खराब हो गए थे और कितने वैगन प्रतिस्थापित किये गये थे, और

(घ) यदि खराब हो गये वैगनों और प्रतिस्थापित वैगनों की संख्या में बहुत अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1978-79 और 1979-80 के दौरान लदान किये गये माल डिब्बों की कुल संख्या तथा वर्ष के अन्त में बड़ी लाइन और मीटर लाइन दोनों पर बकाया मांगों की संख्या नीचे दी गई है :—

	लादे गये माल डिब्बों की संख्या		बकाया मांगों की संख्या	
	1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान	31-3-79 को	31-3-80 को
बड़ी लाइन	8736879	8479305	254388	176112
मीटर लाइन	1967491	187-871	134289	73887

(ग) (चौपहियों में)

	1978-79		1979-80	
	बेकार और सेवा से हटाये गये	बदलाव	बेकार और सेवा से हटाये गये	बदलाव
	माल डिब्बे		माल डिब्बे	
बड़ी लाइन	2420	4895	2842.5	2189
मीटर लाइन	1494	662	1634	1269

(घ) (1) बड़ी लाइन के लिए प्रश्न नहीं उठता।

(2) मीटर लाइन के मामले में, मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने की कई योजनाएं चल रही हैं। इसलिए, माल डिब्बों के बदलाव को निम्न स्तर पर रखा गया था।

विभिन्न पत्तनों में पंजीकृत अयस्क ढुलाई यंत्रीकृत संयंत्र

4259. श्री के. ए. राजन : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन से पत्तन हैं जहां पंजीकृत अयस्क ढुलाई संयंत्र स्थापित किए गए हैं और जहां वे कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 1980 के दौरान, महीने वार, प्रति घंटा अयस्क की ढुलाई की वास्तविक दर क्या थी; और

(घ) यदि कार्य निष्पादन अधिष्ठापित क्षमता के 25 प्रतिशत से कम है तो प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) मद्रास, विशापत्तनम, मार्मुगाव और परादीप।

(ख) पत्तनम का नाम	लौह-अयस्क संयंत्र की निर्धारित क्षमता
मद्रास	5.00 प्रति मिलियन टन
विशाखापत्तनम	8.00 ,, ,, ,,
मार्मुगाव	8.00 ,, ,, ,,
परादीप	3.00 ,, ,, ,,

(ग) ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	मद्रास	विशाखापत्तनम	मार्मुगाव	परादीप
जनवरी	2515	3811	1666	459
फरवरी	2245	3837	1565	511
मार्च	2530	3610	1605	568
अप्रैल	2317	3309	1728	635
मई	1817	3402	1677	420
जून	1608	4088	1102	449
जुलाई	1287	2012	901	399
अगस्त	1957	2644	692	449
सितम्बर	2374	2932	936	445
अक्तूबर	2400	2727	1029	453
नवम्बर	2155	3453	1296	591
दिसम्बर	2544	2576	1120	546

(घ) प्रश्न नहीं होता।

रेलवे श्रमिकों द्वारा दायर किए गए मुकदमें

4260. श्री के. ए. राजन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान रेलवे श्रमिकों द्वारा दायर किए गए मुकदमों के परिणामस्वरूप कानूनी खर्च तथा न्यायालय के निर्णयों के कारण किए गए भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जयपुर डिवीजन में 1978, 1979 और 1980 के वर्षों के लिए अलग-अलग कानूनी खर्च, वकीलों की फ़ीस और याचिकादाताओं के भुगतान पर खर्च की गई राशि का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी भवनों में स्थित रेल कार्यालय

4261. श्री एन. डेनिस : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गैर-सरकारी भवनों में स्थित रेल कार्यालयों का ब्योरा क्या है;

(ख) इन भवनों के लिए कितना मासिक किराया दिया जाता है; और

(ग) इन कार्यालयों को किराये के भवनों में रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 6634/-रुपये।

(ग) रेलवे की जगह उपलब्ध न होने के कारण, तमिलनाडु राज्य में कार्यालय किराये की इमारतों में रखे गए हैं।

विवरण

1. एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर/निर्माण तथा मण्डल बिलजी इन्जीनियर/निर्माण/नागरकोइल का कार्यालय।

2. नागरकोइल में सहायक इन्जीनियर/निर्माण तथा निर्माण निरीक्षक/निर्माण का कार्यालय।

3. डी. एस. टी. ई./डब्ल्यू./नागरकोइल का कार्यालय।

4. तण्डरै-वेलानन्दल दुर्घटना के सम्बन्ध में विषुपुरम में तदर्थ दावा आयुक्त का कार्यालय-एवं-निवास।

5. नं. 5, वासुदेव स्ट्रीट, टी. नगर, मद्रास-17 का बुकिंग कार्यालय।

6. नं. 3, गोम्स स्ट्रीट, मद्रास का बुकिंग कार्यालय।

7. नं. 338, ग्राउण्ड फ्लोर, ट्रिप्लिकेन हाई रोड, मद्रास—600005 का बुकिंग कार्यालय।

8. नं. 539, तिरुवत्तियूर हाई रोड, मद्रास का बुकिंग कार्यालय।

9. इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अम्बत्तूर में बुकिंग कार्यालय।

10. कमरा नं. 5 और 6, जम्मी बिल्डिंग म्यालापुर, मद्रास में बुकिंग कार्यालय।

11. यांत्रिक कर्मचारियों के उपयोग के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में राजाजी रोड, मद्रास में दो कमरों का स्थान।

12. यांत्रिक कर्मचारियों के उपयोग के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट राजाजी रोड, मद्रास में खुली जगह वाला स्थान।

13. यांत्रिक कर्मचारियों के उपयोग के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट राजाजी रोड, मद्रास में एक कमरे वाला स्थान।

मैसर्स पाकर्स डेविस इण्डिया लिमिटेड बम्बई द्वारा घटिया दवाओं का निर्माण

4262. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण कर रही कम्पनियों के सम्बन्ध में 9 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3060 के संबंध में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या मैसर्स पार्क्स डेविस इण्डिया लिमिटेड बम्बई में घटिया दवाओं के निर्माण किये जाने के चौदह मामलों का पता लगाया गया था और प्रत्येक मामले में घटिया दवाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में अल्प अवधि का मैडिकल डिप्लोमा

4263. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अल्प अवधि का मैडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है और उस पर इण्डियन मैडिकल एसोसिएशन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार के विचार से पश्चिम बंगाल में शुरू की गई उक्त योजना ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती और आसानी से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में सहायक होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

भारतीय चिकित्सक संघ ने कटक (उड़ीसा) में 28 से 30 दिसम्बर, 1080 को हुए 56वें अखिल भारतीय सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प पास किया :

"कटक में हुआ 56वां अखिल भारतीय चिकित्सक सम्मेलन अधिकारियों और राज्य सरकारों द्वारा अल्प-कालिक मेडिकल कोर्स शुरू करने के विचार की निन्दा करता है। यह आगे अधिकारियों और सरकारों से आग्रह करता है कि वे अल्प-कालिक मेडिकल कोर्स शुरू करने से बाज आएं और इस प्रकार मेडिकल शिक्षा के स्तर को न घटाएं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के घटिया दर्जे के डाक्टर तैयार न करें और जनता के जीवन और स्वास्थ्य से न खेलें :"

(ख) इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

पालघाट डिवीजन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

4264 **श्री के. ए. राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976, 1977 और 1978 के दौरान टिकट कलक्टरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों जैसे तृतीय श्रेणी के पदों के लिये कर्मचारियों का चयन करते समय पालघाट (ओलावक्कोड) डिवीजन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति का कोटा नहीं दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उक्त अवधि में हुई हानि को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का पूरा कोटा भर लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिलीगुड़ी में नकली बुकिंग एजेन्सियां

4265. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिलीगुड़ी के विभिन्न भागों में अनधिकृत रेलवे आरक्षण और बुकिंग कार्यालयों की भारी वृद्धि से वास्तविक यात्रियों को हो रही असुविधाओं की जानकारी है,

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या ऐसे किन्हीं स्थानों की सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। लेकिन, हाल ही में सिलीगुड़ी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा आरक्षित स्थान हथियाने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) वाणिज्यिक और सतर्कता अधिकारियों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को तैनात करके भ्रष्ट कार्यों में ग्रस्त दलालों/एजेंटों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए अचानक जाँच गहन कर दी गयी है।

(ग) और (घ) बम्बई कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास महानगरों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा आरक्षित स्थान प्राप्त करने के कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

नये ऊपरि पुलों के निर्माण हेतु पेड़ों का गिराया जाना

4266. **श्री के. मालन्ना** : क्या नौहवन और परिहवन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओबराय एवं लोधी होटलों के निकट बनाये जाने वाले वे नये ऊपरि पुलों के लिए रास्ता बनाने हेतु लगभग 300 पेड़ों एवं झाड़ियों को गिराया जाना है और मथुरा रोड, लोधी रोड तथा जाकिर हुसैन रोड और लाला लाजपतराय मार्ग के दोनों तरफ खड़े अशोक एवं नीम के पेड़ ठेकेदारों द्वारा तेजी से गिराये जा रहे हैं तथा उनमें से कुछ पेड़ पिछले 40 वर्षों से राजधानी की सुन्दरता को बढ़ा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेड़ों के गिराये जाने के बारे में विचार करने तथा सरकार को सलाह देने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) लोधी होटल तथा ओबेराय होटल के चौराहों पर फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए लगभग 164 पेड़ और झाड़ियां काट दी गयी हैं या उनके काटे जाने की आवश्यकता है। फ्लाई ओवरों का निर्माण; सड़कों का चौड़ा किया जाना तथा चौराहों इत्यादि के सुधार के कार्य की ब्यौरेवार जांच विशेषज्ञ समन्वय समिति द्वारा की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के इन्जीनियरिंग सदस्य इसके अध्यक्ष हैं। यह समिति जहां तक संभव होता है पेड़ों के काटने के बारे में या तो संशोधन कर देती है या कम से कम पेड़ काटने का निर्णय लिया जाता है। इन 164 पेड़ों तथा झाड़ियों को बचाने के लिए भी प्रयास किए गए परन्तु स्थान की कमी के कारण इनका काटा जाना नहीं रोका जा सका।

तालचेर एवं राउरकेला से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ को सुदृढ़ बनाया जाना

4267. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर में हो रही एवं राउरकेला में विद्यमान औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि उस राज्य में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ को सुदृढ़ किया जाये और उन्हें वर्ष भर खुला रखा जाये,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(ग) सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) (ख) और (ग) उड़ीसा सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के औद्योगिक महत्व को देखते हुए इस पूरे राजमार्ग का सुधार करने के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन भारत सरकार इस मार्ग के महत्व को समझती है और वर्ष 1980-85 की योजना में इस राजमार्ग के स्तर को क्रम से ऊंचा करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में विभिन्न निर्माण किए जाएंगे जैसे राजमार्ग पर आने वाले ऐसी जगहों पर पुलों व सड़कों का निर्माण जहां पहले से पुल या सड़क नहीं है और सड़क पर गाड़ियों के आने जाने वाले भाग को चौड़ा करना। यह कार्य धन के उपलब्ध होने और सारे देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की प्राथमिकता पर निर्भर है।

मैसर्स वेयर इण्डिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा घटिया दवाइयों का निर्माण

4268. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जीवन रक्षक दवाइयों का निर्माण कर रही कम्पनियों के सम्बन्ध में 9 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3063 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वेयर इण्डिया लिमिटेड बम्बई द्वारा घटिया दवाइयों का निर्माण किए जाने का पन्द्रह बार पता लगा;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बार इस तरह की जिन दवाइयों का निर्माण किए जाने के बारे में पता लगा उनके नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घटिया दवाइयों का निर्माण करने के लिए इस फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स बूट्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा घटिया दवाओं का निर्माण

4269. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री जीवन रक्षक दवाइयों का निर्माण कर रही कम्पनियों के सम्बन्ध में 9 दिसम्बर 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3063 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बूटस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड बम्बई में घटिया दवाइयों के निर्माण के सम्बन्ध मे नौ बार शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उस कम्पनी में प्रत्येक बार घटिया दवाइयों के नाम क्या हैं, और सरकार ने कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमिगत नागाओं के लिए बर्मा में शरण-स्थल

4270. **श्री एस. बी सिदनाल** :

श्री संतोष मोहन देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत नागाओं ने सीमा के उस पार बर्मा के राज्य क्षेत्र में अपने लिए एक शरण स्थल बना लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बर्मा सरकार से इस बारे में कोई बातचीत करने का है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ भारतीय नागा विद्रोहियों की बर्मा में उपस्थिति के कारण उन्हें हमारे देश के अन्दर गड़बड़ी पैदा करने के लिए बराबर शक्ति मिलती रहती है ।

(ख) और (ग) सरकार नागा विद्रोहियों से सम्बद्ध सभी उपलब्ध सूचना से समय समय पर बर्मा सरकार को अवगत कराती रही है और उनसे अनुरोध किया है कि बर्मा की भूमि को किसी पड़ोसी मित्रदेश के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की अनुमति न देने की अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए इन तत्वों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए । बर्मा प्राधिकारी अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए इन तत्वों पर बराबर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में गाड़ियों में डकैतियां

श्री ईरा मोहन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में डाकुओं ने कितनी गाड़ियां लूटी हैं ।

(ख) लूटा गया माल किस-किस किस्म का था । और उसका मूल्य क्या-क्या था,

(ग) डकैती के दौरान यदि कोई मौतें हुई हैं तो कितनी हुई हैं,

(घ) प्रत्येक मामले में जांच पड़ताल के क्या परिणाम रहे तथा कितने डाकुओं का गिरफ्तार किया गया और कितनी सम्पत्ति पकड़ी गई,

(ङ) क्या अन्य राज्यों में कहीं और स्थानों पर ऐसी घटनायें हुई हैं, और

(च) यदि हां, तो डकैती के ऐसे आंतक से बचाव के लिए भारतीय रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी, 1980 से फरवरी 1981 तक उत्तर प्रदेश और बिहार में चलती गाड़ियों में डकैती के क्रमश: 24 और 41 मामलों की रिपोर्ट मिली थी।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में डाकुओं द्वारा चलती गाड़ियों में से क्रमश: 2,89, 139-35 रुपये और 3,23,644 रुपये मूल्य की नकदी, कपड़े, जेवर, घाड़ियां तथा अन्य व्यक्तिगत सामान लूटा गया था।

(ग) उपर्युक्त घटनाओं में तीन व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मारे गये थे।

(घ) उत्तर प्रदेश में 51 तथा बिहार में 110 डाकू गिरफ्तार किए गए थे तथा इन मामलों में क्रमश: 24,439 रुपये और 36,450 रुपए मूल्य की सम्पति बरामद की गई थी।

(ङ) जी हां।

(च) यात्रियों के प्रति हो रहे अपराधों पर रेलवे को गहरी चिन्ता है किन्तु कानून और व्यवस्था के मामले रेलों के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं जो संविधान के अनुसार राज्य का विषय है तथापि रेलें राज्य सरकारों के समन्वय से यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा गाड़ियों में मार्गरक्षण के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा बल के 2000 कर्मियों को तैनात कर रखा है। स्टेशनों/प्लेटफार्मों/प्रतीक्षालयों में गश्त लगाई जाती है। अधिकारियों द्वारा रात्रि में चलने वाली गाड़ियों में भी जांच की जाती है तथा भेद्य स्टेशनों पर पहरा देने के लिए टुकड़ियां तैनात की जाती हैं। 2200 बजे से लेकर 0600 बजे तक सवारी डिब्बों के गलियारे बन्द रखे जाते हैं। चल टिकट परीक्षकों, परिचरों/कन्डक्टरों को अनुदेश हैं कि वे सतर्क रहें तथा सवारी डिब्बों में विशेषकर आरक्षित डिब्बों में अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकें।

पूर्वी रेलवे में अपराधों में वृद्धि

4272. श्री जर्नादन पुजारी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे में वैगन तोड़े जाने और बुक किए गए माल की चोरी करने आदि जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1979 और 1980 के दौरान वैगन तोड़े जानेकी कितनी घटनायें हुई और इन घटनाओं के कारण इस अवधि में रेल विभाग को कितनी हानि हुयी;

(ग) इन घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और

(ख) निःसंदेश पूर्व रेलवे पर 1979 की तुलना में 1980 में माल डिब्बे तोड़े जाने तथा बुक किये गए परेषणों की उठाईगीरी आदि के मामलों में वृद्धि हुयी है। लेकिन चुरायी गयी सम्पत्ति के मूल्य को देखते हुए इस रुख में गिरावट आयी है जैसा कि नीचे दी गयी तालिका से देखा जा सकता है :

	1979		1980	
	मामलों की संख्या	चुराई गयी संपत्ति का (मूल्य रु. में)	मालों की संख्या	चुरायी गई संपत्ति का मूल्य (रुपयों में)
चलती गाड़ियों में चोरी	241	13,94,404	356	17,76,373
यार्डों में चोरी	228	18,47,523	260	16,76,609
माल-पार्सल प्लेट-फार्म पर चोरी	37	42,825	22	19,908
उठायीगीरी	11,776	91,77,937	13,055	40,92,280
जोड़ :	13,282	1,24,62,689	13,693	75,65,170

(ग) अपराधों की घटनाओं में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई है :—

(1) जिन राज्यों में यह रेलवे पड़ती है उनमें कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट।

(2) अधिकांश संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी से हटाकर सवारी गाड़ियों में मार्गदर्शियों के रूप में तथा रेलवे परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करने और हड़ताल के समय रेल कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने जैसी गैर अनुसूचित ड्यूटियों पर लगाना।

(3) रेलवे सुरक्षा बल की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि किए बिना रेल परिसम्पतियों में वृद्धि का वर्धन।

(घ) इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

(1) चाय, खाद्यान्न, सीमेंट, इसपात, कोयला आदि जैसी कीमती वस्तुओं के सभी ब्लाक रेकों को रे. सु. बल. के पहरे में चलाना।

(2) बड़े तथा महत्वपूर्ण यार्डों में इलाकेवार गश्त और पहरे की व्यवस्था।

(3) भेद्य स्थलों पर सशस्त्र रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल द्वारा रेल पथ पर गश्त लगाना।

(4) भेद्य स्थलों का पता लगाने की दृष्टि से चोरी के मामलों की जाँच पड़ताल करना तथा निवारक कार्यवाही करना।

(5) चोरी का माल खरीदने वालों की दुकानों/गोदामों और अपराधियों के अड्डों पर

रेल सुरक्षा बल/केन्द्रीय/आसूचना ब्यौरो के कर्मचारियों द्वार बार-बार छापे मारना तथा तलाशी लेना।

(6) अपराधियों को अपराध करते हुये गिरफ्तार करने के लिये पुलिस के साथ सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

बेची गई रेल टिकटों का मूल्य

4273. **श्री जयपालसिंह कश्यप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 5 फरवरी से 16 फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान पूरे देश में रेलवे द्वारा प्रतिदिन कितने-कितने मूल्यों की टिकटें बेची गयी;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में 16 फरवरी को आयोजित किसान रैली में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिये आने और जाने की निःशुल्क यात्रा का प्रबन्ध किया गया था;

(ग) दिनाँक 16. 17 और 18 फरवरी. 1981 को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन कितने-कितने मूल्य की टिकटें बेची गयीं;

(घ) दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर 10 से 17 फरवरी, 1981 तक प्रतिदिन कितने कितने मूल्य की टिकटें बेची गयीं और प्रतिदिन कुल कितनी-कितनी टिकटें बेची गयीं; और

(ङ) क्या सरकार का कथित विना टिकट निःशुल्क रेल यात्रा के मामले की निष्पक्ष जाँच करवाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जन) : (क) से (घ) 16 फरवरी, 1981 की किसान रैली में भाग लेने वाले किसानों के लिए विशेष गाड़ियां वर्तमान नियमों के अन्तर्गत दर-सूची के अनुसार पूरा भुगतान करने पर बुक की गई थी।

बेचे गए टिकटों की संख्या तथा उनके मूल्य से संबन्धित तारीख वार आंकड़े सभी स्टेशनों पर संकलित नहीं किए जाते।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16, 17 और 18 फरवरी, 1981 को बेचे गए टिकटों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

दिनांक	टिकटों का मूल्य
16-2-1981	4,11,771 रुपये
17-2-1981	5,28,566 रुपये
18-2-1981	4,35,980 रुपये

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई

4274. **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री हीरालाल आर. परमार :

श्री तारिक अनवर : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1981 के दौरान यह सूचना दी गई है कि अमरीका सरकार पाकिस्तान को एफ.-16-79 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पहले अमेरिका ने यह घोषणा की थी कि वह नाटो संधि से बाहर के किसी देश को एफ-16 लड़ाकू विमान नही वेचेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या उसी अवधि के दौरान पाकिस्तानी वायु सेवा के उच्चस्थरीय दल ने अमरीका की यात्रा की थी; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या भारत ने अमरीकी सरकार को वता दिया है कि पाकिस्तान को शस्त्रों से लैस करने का अर्थ है भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा और जैसा पहले हुआ है, इन शस्त्रों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) सरकार को अखवारो में छपी इस आशय की खबरों की जानकारी है कि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमरीका से एफ-16-79 किस्म के विमानों और अन्य अद्यतन हथियार लेने में दिलचस्पी रखता है। इन खबरों में यह भी वताया गया है कि अमरीकी अधिकारी हथियारों के लिए पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि अमरीका एफ-16-79 किस्म के विमान पाकिस्तान को देने के लिए राजी हो गया है।

(ख) अमरीका की ऐसी कोई घोषित नीति नहीं है कि वह एफ-16 किस्म के विमान केवल नाटो देशों को ही वेचेगा। इस्राइल और मिस्र को भी इस किस्म के विमान वेचे गये हैं। एफ-16-79 विमान, निर्यात के लिये वनाये गए एफ-16 विमानों का कम शक्ति शाली रूप है।

(ग) सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं, जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तानी विमान चालक, एफ-16-79 विमानों की परीक्षण उड़ान भरेंगे।

(घ) भारत सरकार यह बात हमेशा ही अमरीकी सरकार के ध्यान में लाती रही है कि कि पाकिस्तान को आधुनिकतम अमरीकी हाथियारों की सप्लाई से हमारे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी और यह भी कि इस बात की पूरी समावना है कि पहले की तरह फिर ये हथियार भारत के विरूद्ध इस्तेमाल किये जायेंगे।

बड़े पत्तनों में कर्मचारियों के प्रशासनिक निकाय

4275. श्री एम. एम. लारेंस : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बड़े पत्तनों में कर्मचारियों के प्रशासनिक निकाय विद्यमान हैं,

(ख) क्या यह सच है कि प्रो. एम. एम. चटर्जी की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति ने कर्मचारियों के प्रशासनिक निकायों को समाप्त करने की सिफारिश की है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय सभी बड़े पत्तनों पर जहाँ गोदी श्रम-बोर्ड बनाए गए हैं वहाँ प्रशासनिक निकाय है। केवल कलकत्ता में नहीं है जहां ये निकाय 1976 में हटा दिए गए थे।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सुझावों से लाभ और हानि के बारे में गोदी श्रम बोर्डों से परामर्श करना होता है जिन्हें इस मामले में लिखा गया है। गोदी श्रम बोर्डों की टिप्पणियों की जाँच करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सदस्य सरकारों के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए नियम

4276. **श्री सुभाष यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे दूध के विपणन हेतु जो स्तन-दुग्ध का स्थान ले सके, सदस्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं,

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाए गए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का क्या ब्योरा है,

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) सरकार ने इन नियमों को क्रियान्वित सुनिनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) इस संहिता (कोड) का उद्देश्य स्तन पान का सुरक्षण करके और उसे बढ़ावा देकर तथा जब माँ के दूध को जगह दिये जाने वाले पदार्थ देना आवश्यक हो, उस समय उनका उचित उपयोग हो इस बात को सुनिश्चित करके, पर्याप्त जानकारी के आधार पर और समुचित विपणन और वितरण के जरिये शिशुओं के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पोषण की व्यवस्था करने में योगदान देना है।

(ग) और (घ) यह अन्तर्राष्ट्रीय संहिता भारत सरकार के ध्यान में है और इस विषय पर एक राष्ट्रीय संहिता तैयार करने के बारे में प्रारम्भिक कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें वैसी ही बातें होंगी जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संहिता में दी हुई हैं।

क्षय रोग के उपचार के लिए कदम

4277. **श्री सुभाष यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि घातक रोगों की सूची में क्षय रोग अभी प्रथम स्थान पर है,

(ख) इस रोग की रोकथाम और उपचार के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, क्या विशेष कदम उठाए गये हैं, कितनी धनराशि व्यय की गई और रखी गई, और

(ग) छठी पचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि रखी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हाँ।

(ख) भारत सरकार का एक व्यापक राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम है जिसमें रोगियों का पता लगाना, उनका उपचार करना, और रोग की रोकथाम के लिए कारगर उपाय करना शामिल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में स्थित सभी वर्तमान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के जरिए क्षयरोग से पीड़ित रोगियों का पता लगाने, उपर्युक्त उपचार तथा रोग निरोधक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में उपकरणों तथा कर्मचारियों से सुसज्जित जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बी. सी. जी. टीका कार्यकलापों को विस्तृत टीका कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यकर्ताओं को बी. सी. जी. टीका लगाने की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान जो रकम रखी गई और खर्च की गई उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(रुपए लाखों में)

	रखी गई रकम	व्यय की गई रकम
(क) 1977-78	190.00	183.46
(ख) 1978-79	200.00	183.44
(ग) 1979-80	225.65	218.41

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए 700 लाख रुपए की रकम केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में रखी गई है।

पलवल और असावटी स्टेशन के बीच जंजीर का खींचा जाना

4278. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली के बीच चलने वाली मेल/एक्सप्रेस, यात्री तथा शटल गाड़ियों की पलवल और असावटी स्टेशनों (मध्य रेलवे) के बीच रोजाना जंजीर खींची जाती है और जिसके फलस्वरूप प्रत्येक रेलगाड़ी रोजाना 20-25 मिनट विलम्ब से पहुंचती है, और

(ख) यदि हां, तो जंजीर खींचे जाने की घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये हैं और यदि कोई उपाय नहीं किये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मथुरा—दिल्ली खण्ड पर खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं बहुत अधिक होती है। अनेक उपाय किये जाने के बावजूद खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं जारी है।

कुपोषण और अल्प पोषण से पीड़ित व्यक्ति

4279. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक श्रम कर रहे एक औसत व्यक्ति के लिए अपेक्षित कैलोरी में दैनिक भोजन क्या है और इस भोजन में अपेक्षित कैलोरी में प्रोटीन तत्व की मात्रा कितनी है, और

(ख) क्या यह सच है कि भारत में अभी तक ऐसे दस करोड़ व्यक्ति हैं जो कुपोषण और अल्प पोषण से पीड़ित हैं और इसी कारण वे कई रोगों के शिकार हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे रोग कौन से हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) शारीरिक श्रम करने वाले एक सामान्य व्यक्ति के दैनिक भोजन में कैलोरी और प्रोटीन की जितनी मात्रा होनी चाहिए, वह इस प्रकार है :

	कैलोरी	प्रोटीन
पुरुष	2800 किलो कैलोरी	55 जी. एम.
महिला	2200 किलो कैलोरी	45 जी. एम.

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर कितने व्यक्ति कुपोषण और अल्पपोषण से पीड़ित हैं, इसके बारे में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे कुपोषण के अधिक शिकार होते हैं। कुपोषण के कारण होने वाले विभिन्न रोगों में से सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रोग प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण से होता है भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में नेशनल न्यूटीशन मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा लिए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 3 प्रतिशत बच्चे गम्भीर कुपोषण और अल्प पोषण से पीड़ित हैं और इससे दुगने बच्चों में अधिक मन्द विकास देखा गया है जो छोटी आयु में कुपोषण और अल्पपोषण का परिचायक है। इस तरह लगभग 9 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और अल्पपोषण से पीड़ित हैं और उन्हें कुछेक रोगों के लगने का खतरा रहता है।

(ग) इन बच्चों को आम तौर पर श्वसन और दस्त सम्बन्धी रोग होते हैं।

घटकोपर तथा बम्बई वी. टी. के बीच और अधिक स्थानीय रेलगाड़ियों की मांग

4281. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटकोपर बम्बई लाईन के यात्रियों की ओर से प्रातः के समय घटकोपर तथा बम्बई वी.टी. के बीच और शाम के समय बम्बई वी. टी. से घटकोपर के बीच और अधिक स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने की मांग की जाती रही है,

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त सेवा आरंभ करने से बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ पहुंचेगा, और

(ग) यदि हां, तो इस सेवा को आरंभ करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान घटकोपर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली उपनगरीय गाड़ियों की संख्या 1970 में 274 और 1975 में 365 से बढ़कर 1980 410 तक पहुंच गयी है। तथापि, घाटकोपर से प्रारम्भ होने वाली/समाप्त होने वाली अतिरिक्त गाड़ियां चलाना व्यापक हित में वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे अप और डाउन दिशा की रनिंग

लाइनों को बंद करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप उच्च आवृत्ति वाली वर्तमान उपनगरीय गाड़ियों की संख्या में विशेषकर व्यस्त काल के दौरान कमी करनी पड़ेगी।

पारदीप समुद्री-व्यापार विभाग का एक उप-कार्यालय खोला जाना

4282. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की पूरी तटरेखा को समुद्री व्यापार विभाग के जिलों में विभाजित किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने जिले हैं और प्रत्येक के कृत्यों का ब्योरा क्या है,

(ग) क्या पारादीप पत्तन में कोई उप कार्यालय नहीं है,

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार परादीप में एक उप कार्यालय खोलने का है, और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अधीन भारत का सम्पूर्ण तट विभाजित किया गया है अर्थात् : बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। वाणिज्यिक समुद्री विभाग, बम्बई के अधिकार क्षेत्र में वे छोटे कार्यालय हैं जामनगर और मार्मुगाव।

वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास के अधिकार क्षेत्र में तीन छोटे कार्यालय हैं विशाखापत्तनम, कोचीन और तूतीकोरिन।

वाणिज्यिक समुद्री विभाग, कलकत्ता, परादीप के कार्यों की देखरेख करता है।

वाणिज्यिक समुद्री विभाग के कार्यालयों के कार्य इस प्रकार होते हैं : वाणिज्यिक नौवहन कानूनों, जहाजों, के रजिस्ट्रेशन, टनार मापन, कर्मीदल रखना, समुद्र में जीवन सुरक्षा सम्बन्धी नियमों को लागू करना, लोड-लाईन, सुरक्षा उपकरणों, डिजाईन और टेंडरों की संवीक्षा सम्बन्धी नियमों को लागू करना, निर्माण और मरम्मत के दौरान जहाजों की देखरेख करना, अधिकारियों और इंजीनियरों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्रों के लिए परिक्षाओं का आयोजन करना।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार का परादीप में वाणिज्यिक समुद्री विभाग का कोई कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि परादीप पत्तन पर इस समय सर्वेक्षण और नौवहन कार्यालय की काम की मात्रा को देखते हुए वहां छोटा कार्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

रेल कर्मचारियों को सप्ताहिक विश्राम

4283. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल विभाग में किन-किन श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम दिया जाता है, और

(ख) यदि सफाईवालों को साप्ताहिक विश्राम देने की व्यवस्था है, तो स्वास्थ्य निरीक्षकों को यह सुविधा न देने का क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुन) : (क) और (ख) सफाई कर्मचारियों सहित रेल कर्मचारियों का साप्ताहिक विश्राम, जिसे आवधिक विश्राम से जाना जाता है, रेल श्रम अधिकरण, 1969 के निर्णय द्वारा यथा परिशोधित कार्य घन्टे विनियम द्वारा नियमित किया जाता है।

उक्त विनियम के उपबन्धों के अनुसार, उन रेल कर्मचारियों को जिनका नियोजन 'गहन' या 'सतत' है, रविवार से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक सप्ताह में विश्राम दिया जायेगा जो लगातार 30 घंटों से कम नहीं होगा और उन रेल कर्मचारियों को, जिनका नियोजन 'अनिवार्यता सविसमी' है, रविवार से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक सप्ताह में विश्राम दिया जायेगा जो पूरी रात सहित लगातार 24 घंटों से कम नहीं होगा। फिर भी, जहाँ तक पर्यवेक्षण कर्मचारियों का सम्बन्ध है, जिसमें स्वास्थ्य निरीक्षक भी शामिल है, ऐसे कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम देने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, कालकाजी में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी की मृत्यु

4384. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कर्मचारियों की कथित अपेक्षा और तात्कालिक चिकित्सा देख रेख के न होने के कारण 23 फरवरी, 1981 का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कालकाजी में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी 52 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के मामले की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह व्यक्ति औषधालय में गंभीर दशा में था लेकिन वहाँ पर उसे देखने के लिये कोई डाक्टर मौजूद नहीं था और केवल एक 'चपरासी' ने ही उसे 'आक्सीजन' दी थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हाँ। लेकिन स्टाफ की ओर से कोई उपेक्षा नहीं हुई और रोगी की तुरन्त चिकित्सीय देख रेख की गई।

(ख) और (ग) जब रोगी को औषधालय में लाया गया था तो उस समय जो चिकित्सा अधिकारी ड्यूटी पर था वह किसी रोगी को देखने के लिए उसके घर गया हुआ था। फिर भी, रोगी की ठीक देख भाल की गई थी क्योंकि औषधालय के अहाते में एक अन्य डाक्टर रहती है जिसे तुरन्त बुलाकर रोगी को दिखला दिया गया था। उसने रोगी में प्राण लौटाने के हर संभव तरीके अजमाये लेकिन दुर्भाग्यवश रोगी बच न सका। इस व्यक्ति को क्रानिक ब्रांकियल अस्थमा था।

(घ) सूचना मिलते ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के निदेशक ने तुरन्त मामले की जांच की। इस जांच से मालूम हुआ कि सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ की ओर से कोई उपेक्षा नहीं हुई है।

आवश्यक वस्तुओं के लिए स्टाक यार्डों का बनाया जाना

4285. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :

श्री चिंगवांग कोनयक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नमक, सीमेंट और इस्पात जैसी आवश्यक वस्तुओं का न्यू बंगाईगांव और जोगीपाडा में स्टाक्यार्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वहां से पूर्वोत्तर क्षेत्र के पांच राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों को इन वस्तुओं का वितरण समान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रमुख पण्यों की मांगों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए साधारण नमक और इस्पात के लिए न्यू बोंगाईगांव में और सीमेंट के लिए जोगीघोपा में स्टाक यार्डों को विकसित करने का प्रस्ताव हैं। इसके बाद, स्टाक यार्ड से संचलन आवश्यकतानुसार रेल अथवा सड़क से किया जायेगा।

"टी. बी. रिमेन्स ए जायंट किलर" शीर्षक समाचार

4286. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री बी. के. कोडियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1981 के 'पैट्रियट' अंग्रेजी दैनिक में "टी. बी. रिमेन्स ए जांइट किलर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार का एक व्यापक राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम है जिसमें रोगियों का पता लगाना उनका उपचार करना और रोग की रोकथाम के लिए कारगर उपाय करना शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में स्थित सभी वर्तमान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के जरिए क्षयरोग से पीड़ित रोगियों का पता लगाने, उपर्युक्त उपचार तथा रोग निरोधक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में उपकरणों तथा कर्मचारियों से सुसज्जित जिला क्षयरोग केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बी. सी. जी. टीका कार्यकलापों को विस्तृत टीका कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है और प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यकर्ताओं को बी. सी. जी. टीका लगाने की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बैंगल एक्सप्रेस का चलना

4287. **श्री ईरा मोहन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 100 किलोमीटर प्रति घन्टे की गति से चलने वाली बैंगल एक्सप्रेस को केवल एक आर्म के होम सिगनल से चलाए जाने की अनुमति है जब कि नियमों के अन्तर्गत इस गति की गाड़ियों के लिए दो आर्म होने चाहिए, और

(ख) क्या यह भी सच है कि तमिलनाडु में बैंगल एक्सप्रेस को एक आर्म वाले होम सिगनल से चलाकर रेल विभाग जोखिम उठा रहा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बैंगई एक्सप्रेस मद्रास-मंदुरै खंड पर 100 कि.मी. प्रति घन्टे की रफ्तार से चलती है, जिसके कुछ स्टेशनों पर एक भुजा वाले होम सिगनल लगे हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार इसके लिए रेल संरक्षा आयुक्त बैंगलूरु का अनुमोदन प्राप्त है।

क्षेत्रीय रेलों में श्रेणी एक, दो, तीन चार के कर्मचारी

4288. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में कार्य कर रहे श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन, और श्रेणी चार के कर्मचारियों की संख्या क्या है,

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे मजदूरों की संख्या क्या है, और

(ग) भारतीय रेलवे में पंजीकृत मजदूर यूनियनों की संख्या क्या है तथा केन्द्रीय स्तर के फेंडरेशन में पंजीकृत मजदूर यूनियनों के कितने सदस्य सम्बन्ध हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर 2 मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत यूनियनें हैं जो कि नेशनल फेंडरेशन आफ इन्डियन रेलवेमेन या आल इन्डिया रेलवेमैन्स फेडरेशन से सम्बद्ध हैं।

इस मान्यता प्राप्त यूनियनों के अलावा रेलों पर बडी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त यूनियनें कार्यरत हैं तथा सरकार के पास उनके सम्बन्धन सहित उनके सम्बन्ध में सही विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(क) 31 मार्च, 1980 को प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर कार्यरत श्रेणी I, II, III तथा IV के कर्मचारियों की संख्या।

रेलवे	वर्ग 'क' (श्रेणी-I)	वर्ग 'ख' (श्रेणी-II)	वर्ग 'ग' (श्रेणी-III)	वर्ग 'घ' (श्रेणी-IV)	कुल
मध्य	639	581	93,075	115,754	210,049
पूर्व	472	645	104,271	117,275	222,663
उत्तर	580	841	102,096	123,949	227,466

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर	338	325	43,583	55,768	100,014
पूर्वोत्तर सीमा	265	332	36,079	52,855	89,531
दक्षिण	529	3 4	67,960	66,300	135,183
दक्षिण मध्य	478	275	53,513	62.364	116,630
दक्षिण पूर्व	654	547	85,965	110,384	197,550
पश्चिम	705	489	88,967	111,583	201,744
कुल	4660	4429	675,509	816,232	1,500,830

(ख) इस समय प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या इस प्रकार है :

रेलवे	संख्या
मध्य	40,504
पूर्व	20,832
उत्तर	41,734
पूर्वोत्तर	18,135
पूर्वोत्तर सीमा	10,420
दक्षिण	35,325
दक्षिण मध्य	31,968
दक्षिण पूर्व	23,007
पश्चिम	45,348
जोड़	267,273

कोल इण्डिया द्वारा की गई वैगनों की मांग

4289. **श्री सत्य नारायण जटिया :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की ढुलाई के लिए जनवरी 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान, दिए गए वैगनों की तुलना में कोल इन्डिया लिमिटेड द्वारा (मासवार) कितने वैगनों की मांग की गई,

(ख) क्या यह सच है कि अभी कुछ समय पूर्व कोयले की कमी के कारण यात्रियों और सामान के यातायात के लिए रेलों का आवागमन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था, और

(ग) यदि हाँ, तो इससे कौन-कौन से रेलवे जोन प्रभावित हुए थे और अनुमानत: कितनी हानि हुई ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जो रेलें कोयले की कमी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुई थीं, वे हैं-उत्तर, दक्षिण और पश्चिम । गाड़ियों को रद्द किये जाने के कारण हुई हानि के बारे में कोई हिसाब नहीं रखा गया है ।

विवरण

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सभी कोयला क्षेत्रों से, सिंगरैनी को छोड़कर, जनवरी 1980 से जनवरी, 1984 तक जितने माल डिब्बों की माँग और की गयी और रेलों द्वारा जितने माल डिब्बों की सप्लाई की गयी उनकी महीनेवार संख्या ।

महीना	माँग**	सप्लाई
जनवरी, 80	9403	8023
फरवरी	9735	8288
मार्च	10075	8384
अप्रैल	10004	7963
मई	9621	7768
जून	9569	7781
जुलाई	9549	7625
अगस्त	8904	7502
सितम्बर	9182	7519
अक्तूबर	8972	7832
नवम्बर	9377	7905
दिसम्बर	9852	8393
जनवरी'81	9550	8738

नोट :—मांग के आंकड़ों से माल डिब्बों की वास्तविक माँग परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि इन आंकड़ों में कुछ आवृत्तिमूलक और अप्रमाणिक माँगें शामिल हैं ।

विलासपुर-इन्दौर एक्सप्रेस का उज्जैन में देरी से आना

4290. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान विलासपुर-इन्दौर एक्सप्रेस गाड़ी कितने दिन समय पर उज्जैन स्टेशन पर पहुँची; और

(ख) क्या इस गाड़ी के देरी से उज्जैन पहुँचने के कोई कारण हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी

1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान, 34 अप बिलासपुर-इन्दौर एक्सप्रैस 7 बार सही समय पर उज्जैन पहुँची थी।

(ख) इस गाड़ी के देर से चलाने के मुख्य कारण खतरे की जंजीर खींचा जाना तथा अन्य परिचालनिक खराबियां थीं।

लोको रनिंग रेल कर्मचारी

4291. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोको कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अधिकारियों द्वारा बर्खास्तगी के नोटिस भेजे गए हैं; और

(ख) उन रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ सरकार द्वारा हाल की लोको हड़ताल प्रारम्भ होने के बाद से दूसरे रूपों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ;

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

सियालदह डिवीजन की उपनगरीय रेल गाड़ियों के लिए प्रयुक्त कर्षण मोटर

4292. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों के चलने में देरी और रुक जाने तथा सियालदह डिवीजन के रेल पथों पर कर्षण मोटरों की असफलता के भारी प्रभाव के कारण नहीं है,

(ख) क्या इस डिवीजन में उपनगरीय रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए प्रयुक्त कर्षण मोटरें 'भेल' से नहीं खरीदी जाती हैं और प्रति वर्ष परेशानी बढ़ रही है,

(ग) क्या कुछ समय से 'भेल' उन मोटरों की मरम्मत करने के लिए तैयार है जब वे उसके पास रेलवे द्वारा भेजी जाती है, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या मरम्मत का प्रभार 2 लाख रुपये के आस-पास होता है जो स्वयं मोटर के मूल्य के करीब होता है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सियालदह मंडल में उपनगरीय गाड़ियों का समयपालन औसतन 90 प्रतिशत रहा है। कर्षण मोटरों की खराबी के कारण समयपालन पर केवल 0.08 प्रतिशत प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी हाँ. सियालदह मंडल की उपनगरीय बिजली गाड़ियों में लगायी गई कर्षण मोटरों में से काफी संख्या में कर्षण मोटरों का निर्माण बी.एच.ई.एल. द्वारा किया गया है, ये मोटर बार-बार परेशान करते रहे हैं.

(ग) जी नहीं। लेकिन, जिन खराब कर्षण मोटरों की मरम्मत अपेक्षित होती है, बी. एच.ई.एल. उनकी मरम्मत नहीं कर पाते।

(घ) जी नहीं। बी एच ई एल द्वारा की गई कर्षण मोटरों की मरम्मत की लागत 59,000/-रुपये से 1.30 लाख रुपये के बीच बैठती है।

जूनियर डाक्टरों द्वारा राष्ट्र-व्यापी सांकेतिक हड़ताल और विरोध-रैलियां

4293. **श्री एम. एम. कृष्ण** :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स एसोसिऐशन, यदि उनका 14-सूत्री माँग-पत्र स्वीकार नहीं किया गया, तो मई, 1981 में राष्ट्र-व्यापी सांकेतिक हड़ताल और विरोध-रैली की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) आल इण्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स एसोसिऐशन से प्राप्त उनके 5 अक्तूबर, 1980 के पत्र की प्रतिलिपि सलग्न है। इससे यह भी देखा जा सकता है कि यह पत्र सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी भेजा गया है। चूंकि विभिन्न माँगों और विशेष रूप से ठोस माँगों पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी समुचित विचार किया जाना है इसलिए इस मंत्रालय ने उन्हें भी आवश्यक कार्यवाई के लिए लिखा है।

विवरण

आल इन्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर एशोसियेशन

तारीख : 5 अक्तूबर, 1980

सेवा में,

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

महोदय,

हम, देश के विभिन्न जूनियर डाक्टर संघों के प्रतिनिधियों ने जिसमें इटर्न, हाउसमैन, पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रार और अन्य रैजीडैंट डाक्टर शामिल हैं) अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 4 और 5 अक्तूबर, 1980 को आल इन्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर एसोसियेशन की जनरल कौंसिल की बैठक की थी।

हमें यह देख कर बड़ी चिन्ता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं बड़ी उपेक्षितावस्था में हैं। जहां हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं तक से वंचित है, वहाँ यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि अनेक अर्हताप्राप्त डाक्टर बेरोजगार हैं और कई अल्प-रोजगार कर रहे हैं। विसंगति की यह स्थिति स्वास्थ्य परिचर्या के प्रति नीति निर्माताओं की सामान्य उदासीनता का परिचायक है और इसे तत्काल दूर किए जाने की जरूरत है।

दूसरे, जूनियर डाक्टरों के मामले से, अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का आधार स्तम्भ खड़ा करने के लिए, उनका भारी शोषण किया जा रहा है। साथ ही उनके लिए नौकरी के अवसर धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं जिसके कारण उनके मन में बड़ी निराशा और रोष बढ़ता जा रहा है।

इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत हमारा निवेदन है कि :

1. स्वास्थ्य परिचर्या का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार होना चाहिए।

2. यह कहना कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के प्रति उदासीन हैं बहुत बड़ा धोखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसर हैं ही नहीं। गाँवों के लोगों को बराबर की स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है और वित्तीय सुविधाओं के रूप में समुचित साज सामान तथा सुप्रशिक्षित कर्मचारी अनिवार्यत: उपलब्ध किए जाएं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ सुविधाएं काफी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अच्छी विशेषज्ञ परिचर्या प्रदान की जा सके।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे दर्जे की स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में जिस तीन वर्षीय एम. बी. बी. एस. डिप्लोमा कोर्स का प्रस्ताव किया गया है उसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

4. स्वत: रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डाक्टरों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने चाहिए ताकि वे ग्रमीण क्षेत्रों में अपना कार्य शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त उनको प्रारम्भ में बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए।

5. ग्रामीण इन्टर्नशिप की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे गांवों के लोगों का तो कोई हित होता नहीं बल्कि इससे इन्टर्नों के प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है।

6. मेडिकल कालेजों की सीटों की संख्या उस क्षेत्र की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों तथा उपलब्ध नौकरियों के अनुसार होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी डाक्टरों को उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर उपयुक्त नौकरियों में लगाया जाए।

7. सभी जूनियर डाक्टरों के काम घन्टे एक सप्ताह में अधिक से अधिक 48 घन्टे निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ओवरटाइम करने पर उन्हें ओवरटाइम भत्ता दिया जाना चाहिए।

8. सभी जूनियर डाक्टरों को छुट्टियों के सभी लाभ—जैसे अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, बीमारी की छुट्टी तथा प्रसूति छुट्टी, वैसे ही दिए जाने चाहिए जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

9. सभी जूनियर डाक्टरों के वेतनमानों में उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे उनकी योग्यता के अनुरूप हो क्योंकि वे इस अवधि के दौरान पूर्ण डाक्टर अथवा पूर्ण विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं।

10. जूनियर डाक्टरों के रूप में उनकी सेवा अवधि के पूर्ण लाभ वेतन वृद्धि, वरिष्ठता तथा पेंशन के लिए उन्हें मिलने चाहिए।

11- भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन तत्काल किया जाना चाहिए।

12. मेडिकल कालेजों में केपिटेशन फीस समाप्त की जानी चाहिए।

13. जूनियर डाक्टरों को उनसे संबन्धित निर्णय लेने वाले सभी निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

14. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए थीसिस बन्द कर दी जानी चाहिए।

ऊपर कुछ समस्याएं दी गई हैं जिनसे देश की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को आघात पहुँच रहा है और उसका तत्काल निराकरण करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि सभी वर्गों के लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं दक्षतापूर्वक पहुँचायी जा सकें। अतः हमारा आग्रह है कि आप इन समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें और इनके लिए कोई सन्तोषजनक समाधान ढूढें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

ह०/-

(डा. पी. एस. साहनी)

अध्यक्ष,

आल इण्डिया फेडरेशन आफ

जूनियर डाक्टर एसोसियेशन

प्रतिलिपि :

1. माननीय प्रधान मन्त्री, नई दिल्ली।
2. सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रीगण।
3. स्थाई कार्यालय, आल इण्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर एसोसियेशन।

रेलवे दुर्घटना जांच समिति को दिए गए ज्ञापन

4294. **श्री के. लकप्पा :**

श्री एन. एन. गौडा :

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 79 को रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक ज्ञापन रेलवे दुर्घटना जाँच समिति को दिया गया था और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या रेल कर्मचारियों ने तमिलनाडु में शुरू की गई नई सिगनल प्रणाली का विरोध किया था और यदि हाँ, तो क्या यह नई सिगनल प्रणाली अनेक रेल दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार रही है,

(ग) यदि हाँ, तो क्या तमिलनाडु में वर्तमान सिगनल प्रणाली को समाप्त करने का विचार किया गया है, और

(घ) तमिलनाडु में दुर्घटनाओं से बचने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। लेकिन, समिति ने अपनी बैठक के दौरान क्षेत्रीय रेलों, रेल अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता से सूचना इकट्ठी की थी।

(ख) तमिलनाडु में कोई नयी सिगनल प्रणाली लागू नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तमिलनाडु राज्य में ही कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है।

क्षय रोग के अस्पतालों की कमी

429. श्री के. लकप्पा :

श्री एच. एन. गौडा :

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षय रोग के रोगियों का उपचार करने के लिए क्षयरोग के अस्पतालों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्षयरोग का उपचार करने के लिए अधिक अस्पतालों के निर्माण के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में मौजूदा टी. बी. अस्पतालों की संख्या काफी सन्तोषजनक समझी जाती है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोगियों का घर पर जाकर इलाज करने पर जोर दिया जाता है।

(ख) आवश्यकता को देखते हुए टी. बी. के और अधिक अस्पताल खोलने की योजना को छठी योजना अवधि (1980-85 में राज्य योजना क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।

माल भाड़े की भिन्न दरें

4296. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में फलों की टोकरियों और बीजों की टोकरियों की ढुलाई के लिए भिन्न दरें हैं,

(ख) इनकी ढुलाई के लिए भिन्न दरें लागू करने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या माल भाड़े की भिन्न दरें समाप्त करने तथा उपरोक्त वस्तुओं की दो किस्मों के लिए एक समान भाड़ा लागू करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) पौधों की तुलना फलों से नहीं की जा सकती है। जहाँ पौधों का उपयोग कृषि के प्रयोजन के लिए किया जाता है, फल खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति

4297. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोग से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं,

(ख) गत एक दशाब्दि के दौरान उनकी संख्या में कमी आई है अथवा वृद्धि हुई है,

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों को राहत देने के लिए क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,

(घ) क्या कुष्ठ रोगियों का उपचार करने के अतिरिक्त उन्हें अपना जीवन उपयोगी बनाने और उनका पुनर्वास करने से सम्बन्धित भी कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1971 में कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों की अनुमानित संख्या 32 लाख थी ।

(ख) इन रोगियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है क्योंकि जिन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम नहीं चलाया गया था उन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने से और अधिक रोगियों का पता चला है ।

(ग) कुष्ठ रोगिया की राहत के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम की मुख्य बातें अनुबन्ध 1 में दी गई हैं ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम में केवल मेडिको सर्जिकल पहलुओं के लिए व्यवस्था की गई है न कि समाजार्थिक पहलुओं के लिए सकाज कल्याण मंत्रालय कुष्ठ से मुक्त रोगियों के पुनर्वास के लिए एक नई योजना तैयार कर रहा है जिसके ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों को राहत देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में 19 मार्च 1981 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4279के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से कुष्ठ रोग को फैलने से रोकने और कुष्ठ रोगियों को उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए सन 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया था । इसके प्रारम्भ से 1968-69 तक यह कार्यक्रम केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम रहा और 1969-70 से 1978-79 तक इसे शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया गया । 1979-80 से यह कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है लेकिन केन्द्र और राज्यों के बीच इसका खर्च 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है । वर्ष 1981-82 से यह योजना शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाई जाएगी ।

इस रोग को फैलने से रोकने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रोगियों का पता लगाया जाता है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ नियन्त्रण यूनिटों, सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्रों, पुन: रचनाकारी शल्यचिकित्सा यूनिटों को स्थापित कर खोले गए बाह्य क्लिनिकों में तथा आन्तरिक पलंगों पर उनका इलाज किया जाता है ।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम की निगरानी के अन्तर्गत अब तक अधिक और अत्यधिक स्थानिक मारी वाले इलाकों की लगभग 32 करोड़ 50 लाख आबादी को कवर कर लिया गया है । और लगभग 26 लाख रोगियों का पता लगाया गया है और 22 लाख रोगियों का उपचार किया गया है । 1976-77 से लगभग 60 हजार कुष्ठ रोगियों को छुट्टी दी जा चुकी है जिनमें रोग मुक्त और मृत रोगियों की संख्या भी शामिल है । बाह्य रोगियों को उपचार उपलब्ध करने के लिए 381 कुष्ठ नियन्त्रण यूनिट, 6595 सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार केन्द्र और 430 नगरीय कुष्ठ रोग केन्द्र खोले जा चुके हैं । कुष्ठ रोग के गम्भीर और जटिल रोगियों को

अस्पताल में भर्ती कर इलाज करने के लिए 199 अस्थाई वार्ड खोल दिए गए हैं । कुष्ठ रोगियों के नाक, हाथ या पैर की विकृतियों को ठीक करने के लिए 71 पुनः रचनाकारी शल्य चिकित्सा यूनिट कार्य कर रहे हैं । कुष्ठ के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 42 सरकारी और स्वैच्छिक कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें दो केन्द्रीय और दो क्षेत्रीय संस्थान शामिल हैं । बेहतर सर्वेक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए 107 जिला/क्षेत्रीय कुष्ठ अधिकारी यूनिट और 753 परा-चिकित्सा सुपरवाइजर यूनिट खोले गए हैं ।

डी. डी. एस. गोलियाँ जो अब तक एक मुख्य कुष्ठ रोधी दवाई के रूप में उपयोग की जाती रही हैं, अब लगभग 10 प्रतिशत संक्रामक रोगियों पर अप्रभावकारी रही है जो अधिक अवधिक तक पाजीटिव रोगी बने रहे । जब रोगियों को रिफैम्पीसिन कुछ दिनों के लिए भी दी गई तो यह कुष्ठ रोगों के जीवाणुओं को नाश करने में सफल रही । जिन रोगियों पर डी.डी. एस. प्रभाव नहीं करती या उन पर इसकी प्रतिक्रिया होती है तो उन मामलों में लैम्परीन प्रभावारी पाई गई है । जिन संक्रामक रोगियों पर दवाई का प्रभाव नहीं पड़ता उनकी प्रतिशतता कर करने के लिए रोगी को आमतौर पर डी. डी. एस. के साथ आई. एन. एच. और थियासेटाजोन मिलाकर देने की वकालत की गई है ।

इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू में कुछ जिलों में संक्रामक, जटिल और डी. डी. एस.—रोधी अथवा प्रतिक्रिया वाले रोगियों के लिए वर्तमान मोनो-इग थेरोपी के स्थान पर इन नई औषधियों का उपयोग करते हुए मल्टी-इग थेरोपी को मार्गदर्शी आधार पर शुरू किया जाएगा और यदि यह सफल हो गया तो इसे देश के अन्य स्थानिकमारी वाले जिलों में इसका उपयोग किया जाएगा ताकि इस रोग के प्रसार को बहुत हद तक रोका जा सके और इस रोग से पीड़ित होने वाले नए लोगों की संख्या को काफी सीमा तक कम किया जा सके ।

छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य :

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात मार्च, 1985 तक यह परिकल्पना की गई है कि :

(क) सक्रिय रोगियों पर इस रोग की प्रभावकारिता 50 प्रतिशत कम हो जाएगी ।

(ख) पूर्णरूप से सक्रिय रोगियों में संक्रामक रोगियों की संख्या 20-25 प्रतिशत से घटकर इससे आधी हो जाएगी ।

(ग) सक्रिय रोगियों की विकृति पर 20-25 प्रतिशत से घटकर इसकी आधी रह जाएगी ।

(घ) विकृति वाले ठीक किए जा सकने वाले रोगियों में से आधे ठीक किए जायेंगे ।

(ङ) सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रोगियों में से 50 प्रतिशत रोगियों को पुर्नस्थापना के लिए तैयार किया जाएगा ।

इसके आलावा यदि रोगियों में मल्टी-ड्रग थेरापी सफल हो तो जाती है और छठी योजना अवधि के दौरान कुष्ठ रोग की वैक्सीन तैयार हो तो जाती है तो 2000 ईसवी तक देश में कुष्ठरोग के उन्मूलन के उद्देश्य की ओर बढ़ना सम्भव हो जाएगा ।

छठी योजना की नीति

उद्देश्य प्राप्त करने के लिए छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम इस प्रकार किया जाएगा :

1. कुष्ठ रोगियों का आरम्भ में पता लगाना और उनका नियमित उपचार करना ।

2. सभी क्षेत्रों की छानबीन करना ताकि कोई कुष्ठ रोगी ऐसा न रहे जिसका पता न लगाया गया हो, उसका उसका उपचार न किया गया हो और कैमोप्राफीलेक्सिस के द्वारा अधिक बच्चों को संक्रामक कुष्ठ रोगियों के सम्पर्क से बचाना।

3. सभी असंक्रामक रोगियों के इलाज के लिए आम दवाई डी. डी. एस. होगी, रोगी यह दवाई अपनी हजम करने की शक्ति के अनुसार ले सकता है।

4. सभी संक्रामक रोगियों के लिए डी. डी. एस. सहित मोनो-ड्रग थेरापी की बजाए रिकेम्पीसिन, लेप्मरीन, डी. डी. एस. आई. एन, एच. थियासिटाजोन का मिश्रण पर्याप्त मात्रा में देना आरम्भ किया जाएगा ताकि रोगी का संक्रमण तत्काल पर्याप्त मात्रा में कम हो जाए ताकि लोगों में इसे रोग के संक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए आरम्भ में विभिन्न राज्यों के अति-स्थानिक भारी वाले 15 जिलों में इन दवाइयों के मिश्रम के मार्गदर्शी क्षेत्रीय परीक्षण कि जायेंगे :

5. कुष्ठ रोग के प्रशिक्षण कार्य को बढ़ाया जाएगा और यह प्रशिक्षण और अधिक क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं रेफरल संस्थान स्थापित कर उनमें कार्यशालाएं आयोजित कर और छात्रवृत्तियां देकर सफरी सर्जनों के जरिये प्रदान किया जाएगा ताकि कार्य की क्वालिटी में सुधार लाया जा सके और एकीकरण के लिए क्षेत्र तैयार किया जा सके। छात्रवृत्तियां बढ़ी हुई दरों पर दी जाएगी और अपेक्षित गुणवत्ता के लिए नए पाठ्यक्रम भी आरम्भ किए जाएंगे।

6. कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास का मेडिको सर्जिकल पहलू आरम्भ करने के साथ-साथ उनकी पुनः रचनाकारी शल्य चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा की जाएगी, सरंक्षात्मक जूते दिये जाएंगे, व्यावसायिक चिकित्सा उपलब्ध की जाएगी, कार्य तथा औजार दिए जाएंगे और नौकरियां दिलाई जाएगी। ऐसी 15 पुनर्वास संबंध यूनिट खोली जाएंगी और उन्हें वर्तमान कुष्ठ गृह अस्पताल अथवा कालोनी से सम्बद्ध किया जाएगा ताकि रोगियों की पुनर्वास सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पुनर्वास के लिए अधिकेन्द्र खोले जा सकें।

7. मार्गदर्शी परियोजना क्षेत्रों, माडल कुष्ठ नियन्त्रण केन्द्र क्षेत्रों तथा रेफरल एवं पुनर्वास केन्द्रों में वैज्ञानिक ज्ञान तथा तकनीकों के प्रायोगिक पहलुओं के बारे में क्षेत्रीय अनुसंधान किये जाएंगे। इस रोग का और अधिक जोरदार ढंग से मुकाबला करने के लिये कुष्ठ रोग की वैक्सीन का आविष्कार करने हेतु अनुसंधान कार्यों पर विशेष जोर दिया जायेगा।

8. नमूना सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन एकक खोले जायेंगे जिनका काम आकड़ों में तैयार किये गये नमूना सर्वेक्षणों के जरिये ऐसे इलाकों में जिनमें कुष्ठ कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है, कुष्ठ रोग की समस्या कुष्ठ कार्य में लगी संस्थाओं के कार्यों की तथा कार्यक्रम वाले स्थानों पर इस रोग के रूख का पता लगाना होगा और वर्तमान विधियों में संशोधन करने के लिये इस रोग की व्यापकता के आंकड़े प्राप्त करने होंगे।

9. महामारी विज्ञान सम्बन्धी दलों का गठन कर अविस्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में इस कार्य को संघठित और तेज किया जायेगा तथा पहले से स्थापित यूनिटों और केन्द्रों का, कर्मचारियों तथा सामान की व्यवस्था करने के बाद दर्जा बढ़ा कर सुपरवीजन और मार्गदर्शन दिया जायेगा।

10. बहुऔषधीय उपचार तथा शल्य चिकित्सा की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिये सरकार द्वारा नये वार्ड बना कर तथा स्वैच्छिक संगठनों को बराबर का केपिटेशन अनुदान देते हुये उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त स्थान का उपयोग कर कुष्ठ रोगियों के लिये अतिरिक्त पलंग तैयार किये जाएंगे ।

11. इस कार्यक्रम की जरूरतों में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं तथा द्विपक्षीय एजेन्सियों को इस काम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

12. इस रोग के साथ जुड़े हुए सामाजिक कलंक तथा बहिष्कार को दूर करने तथा इस रोग से सम्बन्धित थे—वैज्ञानिक जानकारी का प्रचार करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया जाएगा तथा उसे तेज किया जाएगा ताकि कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगाया जा सके, इन रोगियों को इनके परिवारों से अलग करने से रोका जा सके, उपचार की सहायत की जा सके और उन्हें फिर से बसाया जा सके । कुष्ठ रोग पर पैम्फलेट्स, पोस्टर तथा पुस्तिकाएं छाप कर तथा स्लाइडें तथा लघुचित्र तैयार कर कुष्ठ रोग सम्बन्धी कार्य के प्रचार को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

13. कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिये नेमी औषधि-डी. डी. एस. गोलियां समस्त पंजीकृत सरकारी अथवा स्वैच्छिक संगठनों तथा पंजीकृत चिकित्साकों को कुष्ठ रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए सप्लाई की जाती रहेगी ।

14. कुष्ठ नियन्त्रण यूनिटों तथा कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सीमित संख्या में जरूरी भवन ग्रामीण विशेष कर पहाड़ी, आदिवासी तथा पिछले इलाकों में बनाये जाएंगे क्योंकि वहां इनके लिए किरायों पर स्थान नहीं मिलते ।

15. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद के सुझाव पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय, नई दिल्ली ने कुष्ठ रोग को धीरे-धीरे सामान्य स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ने का निश्चय किया है । लेकिन इसे एकीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कुष्ठ रोगी उपचार करवाना बन्द न कर दें और उन्हें जनरल अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में निदान और उपचार कराने के लिए स्वीकार किया जाए ऐसे एकीकरण का वस्तुतः कार्य आरम्भ हो उससे पहले इस बात को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों के लिए कुष्ठ रोग के कार्य में विस्तृत प्रशिक्षण देने और रुख में परिवर्तन लाने की जरूरत होगी । एकीकरण की यह प्रक्रिया बहुत धीरे-धीरे की जानी चाहिए और इस कारण से कुष्ठ नियन्त्रण कार्य को कोई क्षति पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के बाद ही इसे सबसे पहले कम स्थानिकमारी वाले जिले में, फिर मध्यम स्थानिकमारी वाले जिलों में और अन्त में अधिक स्थानिकमारी वाले जिलों में किया जाएगा ।

16. यह कार्यक्रम मुख्यतः राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों के जरिए और कुछेक स्थानों में स्वशासी और निगमित निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार विशेषरूप से क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं रेफरल संस्थान स्थापित करने, कुष्ठ नियन्त्रण कार्य को तेज करने के लिए मार्गदर्शी परियोजना चलाने, मरक विज्ञान सम्बन्धी निगरानी दल गठित करने और कुछेक कुष्ठ रोग पुनर्वास सबन्धन यूनिटें तथा नमूना सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन यूनिटें स्थापित करने का काम करेगी ।

स्वेच्छा से नसबन्दी कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं

4298. श्री दया राम शाक्य क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृ करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधायें दे की घोषणा की है जो स्वेच्छा स परिवार नियोजन करेंगे तथा अपनी नसबन्दी करायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) और (ख) इस विषय पर लोक सभा में 31 जनवरी, 1980 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 59—क के उत्तर में जारी किए गए दोनों आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई थी। इन दोनों आदेशो की एक-एक प्रति सभा पटल पर पुनः रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2135/81]

रेल कर्मचारी सहकारी बैंकिंग सोसाइटी यूनियन जोधपुर

4299. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारी बैंकिंग सोसाइटी यूनियन, जोधपुर से रेल कर्मचारी सहकार बैंकिंग/क्रेडिट सोसाइटियों के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात रेल पास प्रदान किए जा के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क जी हां।

(ख) रेलवेमैन्स कोवापरेटिव सोसायटीज/बैंक्स के कर्मचारियों को सुविधा पासों अनुमति प्रतिबन्धित रूप से केवल उनके सेवा में रहने तक विशेष सद्भावना के रूप में दी जा है। ये लोग नियमित रेल कर्मचारियों के समतुल्य नहीं होते हैं। सेवा निवृत्ति मानार्थ प नियमित रेल कर्मचारियों को दिये जाते हैं और नियमित रेल कर्मचारियों को अतिरिक्त अ कर्मचारियों के लिए इस सुविधा का विस्तार करने का कोई औचित्य नहीं समझा गया है।

उखाड़ दी गई रेल लाइनें

4300. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उखाड़ गई उन रेल लाइनों, जो दूर दराज और उपेक्षित क्षेत्रों से मुख्य स्टेशनों को जोड़ती हैं, की पु स्थापना करने के मामले में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 12 मा 1973 को लोक सभा में तत्कालीन रेल मन्त्री ने अपने भाषण में इस नीति की घोषणा की कि नदियों में बाढ़ की विभीषिकाओं से क्षतिग्रस्त रेल लाइनों या अन्य कारणों जैसे विश्व के दौरान रेल पथ सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उखाड़ी गयी रेल लाइनों फिर से बिछाने का काम उन्हीं स्थानों पर किया जायेगा जहाँ तटीय स्थिति ठीक हो गयी है जहाँ परिवहन के वैकल्पिक साधनों का विकास नहीं हुआ है और जहाँ नई लाइनों के बिछाने नयी संभावनायें उत्पन्न होंगी और पिछड़े इलाकों के आर्थिक सुधार में सहायता मिलेगी।

ई. एम. यू. रेल डिब्बो का निर्माण तथा सप्लाई

4301. श्री आर. के. महालगी : क्या रेल मन्त्री 600 नए ई. एम. यू. रेल डिब्बों के संबन्ध में 3 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2829 के संबन्ध में दिए गए उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से रेलवे प्रशासन ने 648 ई. एम. यू. रेल डिब्बों के निर्माण की योजना तैयार की है तब से ई. एम. यू. रेल डिब्बों का कुल कितना निर्माण हुआ और कितनी सप्लाई की गई;

(ख) क्या इन डिब्बों के निर्माण तथा सप्लाई की समयसारणी थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बम्बई के उपनगरों के यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त समयसूची का ठीक-ठीक पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980-81 के दौरान (28-2-81 तक) कुल 123 ए. सी. एम. यू. सवारी डिब्बों का पहले ही निर्माण हो चुका है। मार्च, 1981 के दौरान लगभग 30 और सवारी डिब्बों का निर्माण होने की सम्भावना है।

(ख) जी हां, रेल प्रशासन ने 1980-81 में 192 ई. एम. यू. सवारी डिब्बों, 1981-82 में 216 तथा शेष का 1982-83 में निर्माण करने की योजना बनायी है।

(ग) 1980-81 के दौरान 192 ई. एम. यू. सवारी डिब्बों के निर्माण लक्ष्य की तुलना में 123 ए. सी./ई. एम. यू. सवारी डिब्बों का पहले ही उत्पादन हो चुका है। 22 डी. सी./ई. एम. यू. सवारी डिब्बों सहित (बम्बई उप-नगरीय क्षेत्र के लिए) 30 और ई. एम. यू. सवारी डिब्बों का 1980-81 के अन्त तक निर्माण होने का सम्भावना है।

(घ) डी. सी./ई.एम. यू. सवारी डिब्बों के निर्माण में कमी हुई है जिसका कारण देशी-स्रोतों से बिजली उपकरणों की यथासमय सप्लाई मिलने में कठिनाई रही है। तदनुसार आयात की व्यवस्था की गयी है।

प्रशिक्षित समुदाय स्वास्थ्य-स्वयं सेवक और उन पर खर्च की गई धनराशि

4302. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में दिसम्बर, 1980 तक कितने समुदाय-स्वास्थ्य-स्वयं-सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ख) इस योजना की उपलब्धियों और असफलताओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के फलस्वरूप बहुत से नीम-हकीम पैदा हो गए हैं और क्या इस सम्बन्ध में विभाग ने कोई सर्वेक्षण किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 31-12-1980 तक विभिन्न राज्यों में लगभग 1,56,555 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस योजना पर दिसम्बर, 1980 तक 4,725,46 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) से (घ) इस योजना को अक्तूबर, 1977 में शुरू किया गया था। फिलहाल इसे जम्मू व कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और लक्ष्यद्वीप को छोड़कर शेष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 2398 प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों में चलाया जा रहा है। लक्ष्यद्वीप के अलावा उक्त शेष तीनों राज्य और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के समान ही अपने यहां अन्य योजनायें चला रहे हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के काम-काज के दो मूल्यांकन-अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लोगों ने इस योजना का स्वागत किया है और जन स्वास्थ्य रक्षकों का काम संतोषजनक है। यह सही नहीं है कि इस योजना से नीम-हकीम पैदा हुये हैं। वैसे, मूल्यांकन रिपोर्टों में कुछ कमियां बताई गई थी जिन्हें इस योजना के आगामी चरणों में सुधार लिया गया था जब इसे आगे चलाया गया था। इन रिपोर्टों में इस बात की पुष्टि की गई है कि यह योजना तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से व्यावहारिक है। वैसे, इस योजना को अब शतप्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना से बदल कर 50 प्रतिशत केन्द्रीय-सहायता से चलाई जाने वाली योजना बनाया गया तो इसे बड़ा आघात पहुंचा है क्योंकि पंजाब और बिहार ने तो इसे बन्द ही कर दिया है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस योजना में आगे क्या संशोधन किए जाएं इस पर सरकार विचार कर रही है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलताएं और असफलताएं

4303. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 से 1970 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सफल रहा था क्योंकि मलेरिया के रोगियों की संख्या में काफी गिरावट आई थी और यदि हां, तो उसके किए क्या-क्या कारण उत्तरदायी थे;

(ख) क्या यह कार्यक्रम 1970 के बाद सफल नहीं रहा क्योंकि मृत्यु दर में वृद्धि के साथ-साथ मलेरिया के रोगियों में वृद्धि हो गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या किसी देश में मलेरिया कार्यक्रम चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की भांति पूर्णतया सफल रहा है और क्या यह कार्यक्रम इस देश में भी पूर्णतया सफल रहेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हां। इस अवधि में निम्नलिखित कारणों से मलेरिया रोग में कमी आई :

(1) मलेरिया न फैले इसके लिए देश भर में स्थाई प्रभाव वाली कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया गया। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर प्रयोग में लाई जा रही कीटनाशी दवाइयों का बड़ा प्रभाव पड़ा।

(2) मलेरिया के रोगियों का प्रभावशाली ढंग से पता लगाया गया तथा मलेरिया के पाजेटिव रोगियों का जिनमें रेसिस्टेण्ट पी. फाल्सीपेरम के कोई लक्षण नहीं थे, शक्तिशाली मलेरिया रोधी दवाइयों से उपचार किया गया।

(3) लोगों द्वारा कीटनाशी छिड़काव को अधिक स्वीकार किया गया।

(4) प्रशंसनीय सफलता के परिणामस्वरूप मलेरिया कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो गया।

(ख) मलेरिया का प्रकोप 1970 से बढ़ना शुरू हुआ। मलेरिया के रोगियों में वृद्धि के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) देश के अधिकांश भागों में मलेरिया के मच्छरों में कीटनाशी दवा (डी. डी. टी.) को पचाने की क्षमता उत्पन्न हो जाना। यही स्थिति बी. एच. सी, जैसों अन्य कीटनाशी दवाओं की भी हो गई है।

(2) लोगों में इत्मीनान और छिड़काव के लिए कम सहमत होना।

(3) कीटनाशी दवाओं तथा मलेरिया रोधी दवाओं की कम सप्लाई तथा समय पर सप्लाई न होना।

(4) पैट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के कारण पैट्रोलियम से बनने वाली कीटनाशी दवाओं की, कीमतों में कई गुणा वृद्धि होना।

(5) देश के कुछेक भागों में पी. फाल्सीपरम (मलेरिया परजीवी) में जीवन रक्षक औषधियों, क्लोरोक्विन को पचाने की शक्ति आ जाना।

(6) जिला/ब्लाक स्तर पर स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का अपर्याप्त होना तथा मलेरिया उन्मुलन कार्यक्रम के "अनुरक्षण चरण" के अन्तगत जिन इलाकों को शामिल किया गया था उनके लिए राज्यों द्वारा धन और सामान की कम व्यवस्था करना।

(ग) 38 देशों को जो अधिकतर अमेरिकी और योरोपीय क्षेत्रों में स्थित है, मलेरिया से मुक्त किया जा चुका है। लेकिन दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के किसी भी देश में यह स्थिति नहीं आई है।

मलेरिया रोग के दुबारा बढ़ जाने के कारण भारत सरकार ने देश में मलेरिया रोग पर काबू पाने के लिए एक अप्रैल, 1977 से एक संशोधित कार्य योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकना है। तथापि इस योजना का अन्तिम लक्ष्य मलेरिया रोग का उन्मूलन करना ही है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लगे हुए विदेशी नागरिक

4304. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ग्रामीण विकास परियोजनाओं में 1980-81 के दौरान विदेशी नागरिक कार्यरत थे; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में 1979 और 1980 के दौरान इन्स्टीट्यूट आफ कल्चरल, अफैयर्स, लन्दन द्वारा शुरू की गई परियोजनायें क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र जा रही और है एकत्र होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी .

ग्रेट ब्रिटेन जाने के इच्छुक भारतीयों को परेशान किया जाना

4305. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मन्त्री ग्रेट ब्रिटेन जाने के इच्छुक भारतीयों को

परेशान किए जाने के बारे में 19 फरवरी 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रेट ब्रिटेन में भारतीयों को परेशान न किया जाये, क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ख) अब तक की गयी कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम जाने के इच्छुक भारतीयों को परेशान किये जाने के बारे में सरकार की चिन्ता से समय-समय पर ब्रिटिश सरकार को विभिन्न स्तरों पर अवगत कराया जा रहा है। भारतीय हाई कमिश्नर ने 13 जनवरी 1981 को ब्रिटिश गृह राज्य मन्त्री श्री टिमोथी रसायन से मिलकर इस समस्या के विषय में बातचीत की। श्री रसायन ने हाई कमिश्नर को बताया कि वे मामले की जांच करेंगे और आप्रवासन अधिकारियों को यह हिदायत देंगे कि वे इस बारे में कोई कड़ा रुख न अपनायें। हाई कमीशन भारतीयों को परेशान किये जाने और उनसे भेदभाव किये जाने के विशेष मामलों की छान-बीन करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत करता रहता है।

गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली

4306. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री दस जल मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में 19 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 585 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी पद्धति के सम्बन्ध में हुए अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं,

(ख) इसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के हल्दिया-फरक्का भाग में नौवहन की सम्भावना के बारे में अध्ययन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) इस जल मार्ग पर मूल स्थान से गन्तव्य स्थान तक सर्वेक्षण तथा माल के यातायात की मौजूदा स्थिति के आधार पर अगले 10/20 वर्षों के लिये आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(2) कुछ चुने हुये टर्मिनल स्थानों पर आधारभुत सुविधाओं के स्वरूप, जिनमें माल को चढ़ाने-उतारने के उपस्कर भी शामिल हैं, और इनकी पूंजीगत व परिचालन लागत का उल्लेख किया गया है।

(3) जलमार्ग को नौवहन के योग्य बनाये रखने और नौचालन के सहायक साधनों की लागत का निर्धारण किया गया है।

(4) नदी और यातायात की मौजूदा स्थिति के आधार पर उपयुक्त जलयानों और उनकी पूंजीगत परिचालनात्मक और अनुरक्षात्मक लागत पर भी चर्चा की गई है।

(5) इस परियोजना की संभावना और सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण भी बताई गयी है।

(ख) (1) अगर कुछ कठिन भागों में नौवहन को सुधारने के लिये कुछ उपाय किये

जायं और फरक्का बाँध से पर्याप्त मात्रा में पानी का मिलना सुनिश्चित कर दिया जाए तब हल्दिया से फरक्का के बीच नदी माल सेवा पुन: शुरू करना तकनीकी दृष्टि से सम्भव है।

(2) इस समय त्रिवेणी से आगे अन्तर्देशीय जल परिवहन की कोई सर्विस नहीं है। और सारा यातायात रेल या सड़क द्वारा होता है। हल्दिया से फरक्का तक यातायात पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है और जब लाक, जिसका निर्माण किया जा रहा है, बनकर तैयार हो जायेगा, तब फरक्का से आगे नौचालन का मार्ग खुल जाने पर और भी अधिक यातायात होने लगेगा।

(3) आशा है कि यहां पर यातायात जो 1980-81 में 29 लाख टन था, सन 2000 में बढ़कर टन 109 हो जायेगा।

(4) जब माल को अधिक दूर से लाना पड़ता या अधिक दूर तक ले जाना पड़ता है तब माल को चढ़ाने-उतारने के खर्च को शामिल करने पर भी अन्तर्देशीय जल परिवहन से यातायात पर कम लागत हो जाती है। यह परियोजना वाणिज्यक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि दो प्रकार से लाभप्रद है।

(5) ईंधन की कीमत बढ़ जाने पर यह और भी सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अन्तर्देशीय यातायात को विश्वासनीय और लाभप्रद बनाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने जरूरी हैं।

आई. डब्ल्यू. टी., पटना के कर्मचारियों की सेवायें स्थाई रूप में घोषित करना

4307. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई. डब्ल्यू. टी. निदेशालय, पटना की स्टाफ यूनियन ने भारत सरकार के सम्बद्ध नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों को स्थाई घोषित करने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर की थी,

(ख) क्या उपरोक्त न्यायालय ने सरकार को निदेश देते हुये एक विशेष तारीख तक सभी पात्र कर्मचारियों को स्थाई घोषित करने के आदेश दिये थे, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार सभी पात्र कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए आवश्यक आदेश कब तक देने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में विभिन्न श्रेणियों के ग्रुप 'ग' तथा ग्रुप 'घ' में 152 स्थाई पदों में (16.2.74 से 121 तथा 3.4.1976 से 31) से 140 कर्मचारियों को अब तक स्थाई घोषित किया जा चुका है। कार्यकारी अधिकारी पटना से बाकी बचे 12 स्थायी पदों के संबन्ध में बाकी कर्मचारियों को स्थाई घोषित करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।

विदेशों में भारत के वाणिज्यक दूत के रूप में विदेशियों की नियुक्ति

4308. **श्री एन. डेनिस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार विदेशों में भारत के वाणिज्यक दूत रूप में अन्य देशों के नागरिकों को नियुक्त कर रही है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह चयन किस आधार पर किया गया ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) (क) जी हां। अपने देश के राष्ट्रिकों अथवा प्राप्त करता देश के राष्ट्रिकों की अवैतनिक कोंसली प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत तथा बहुत प्राचीन राजनयिक प्रथा है। स्वतन्त्रता के बाद से सरकार हमेशा इस प्रथा का अनुसरण करती रही है। हमने भारतीय नागरिकों, भारतीय मूल के व्यक्तियों के अतिरिक्त विदेशी राष्ट्रिकों को भी विदेशों में अपने अवैतनिक कोंसिल प्रतिनिधियों में रूप में नियुक्त किया है।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) : सरकार अपनी विवेक शक्ति के अनुसार चयन करती है तथा कुछ स्थानों में इस प्रकार के प्रतिनिधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार के संसाधनों पर कोई अनुचित दबाव डाले बिना प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पद नाम
1.	श्री जे. एस. कोठारी	भारत के अवैतनिक कोंसल, दिजोबूटी
2.	श्री राबर्ट डेस्प्रेचिस	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल, घेंट (बेल्जियम)
3.	श्री एफ. एल. सी. टेरेंड	भारत के अवैतनिक प्रधान कोसल, एन्तवर्ष (बेल्जियम)
4.	श्री फेलिक्स सिरिली डी. नोर्स	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल
5.	श्री विक्टर बी. स्ट्रैम्ड	भारत के अतवैनिक प्रधान, कोंसल, क्रोनप्रिनसेसेगडे (डेनमार्क)
6.	श्री जैक बर्म्स कैवेलों	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल, क्विटों (इंक्वेडोर)
7.	श्री राबर्ट गेदोन	भारत में अवैतनिक प्रधान कोंसिल म्यूनिक (पश्चिम जर्मनी)
8.	डा. आर. किस्सल	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल, (पश्चिम जर्मनी)
9.	श्री जेक वलेरिकी	भारत के अवैतनिक कोसल, गेनोआ (इटली)
10.	डॉ नीनो त्रापानी	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल,
11.	श्री एन्टोनियो रोडोल्फो	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल असन्शन (पाराग्वे)

1	2	3
12.	श्री उलिरच डब्ल्यू रास्क	भारत के अवैतनिक कोंशल, एवेनिदा (ग्वाटेमाला)
13.	श्री लुई वालेरियानो गोंसालेज पेरेज	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल, बार्सेलोना (स्पेन)
14.	श्री शान्तलाल यादव जी मिथाने	भारत के अवैतनिक कोंसल, पोर्ट सूडान (सूडान)
15.	श्री आर. डी. राजवानी	भारत के अवैतनिक कोंसल, फ्रीटाऊन (सीयारा लियोन)
16.	श्री दौलतराम बूलचंद नन्दवानी	भारत के अवैतनिक कोंसल, क्यूराकाओ (नीदरलैंडस एन्टीलस)
17.	कर्नल जार्ज पी क्रिकफोर्ड	भारत के अवैतनिक कोंसल, क्लेवेलैंड (संयुक्त राज्य अमरीका)
18.	श्री डेविड वाट्समल	भारत अवैतनिक कोंसल, होनोलुलु (संयुक्त राज्य अमरीका)
19.	श्री जार्ज देनाग्रे	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल न्यू ओर्लीन्स (सं. रा. अ.)
20.	श्री फ्रैडरि जे. ओर्थ	भारत के अवैतनिक कोंसल, सी.-टिल (सयुक्त राज्य अमेरिका)
21.	डा. एच. एस. डायरे	भारत के अवैतनिक कोंसल, हुऊासटन (सं. रा. अ.)
22	श्री एडोल्फ वेग	भारत के अवैतनिक प्रधान कोंसल, मोंटेवीडियो (उरुग्वे)
23.	श्री एस. वर्मा	भारत के अवैतनिक कोंसल, गिडनिया (पोलैंड)

कोचीन अपंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार नियंत्रण) योजना, 1980,

4309. **श्री एम. एम. लारेंस :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन अपंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार का नियंत्रण) योजना, 1980 नामक एक योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विधेयक को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) गैर-रजिस्ट्रीकृत गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) योजना, 1980 नामक एक योजना 27.9.1980 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी जिस पर सभी सम्बन्धित पक्षों से उनके सुझाव एवं आपत्तियां मंगाई गई थीं। जवाब में कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों/सुझावों पर

विचार करने के बाद ही प्रस्तावित योजना को लागू करने के संबध में अन्तिम फैसला किया जाएगा ।

एस. सी. बी. मेडिकल कालेज कटक के कैम्पस में कैंसर अनुसंधान तथा चिकित्सा केन्द्र की स्थापना

4310. श्री रामचन्द्र रथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एस. सी. बी. मेडिकल कालेज, कटक के कैम्पस में कैंसर अनुसंधान तथा चिकित्सा केन्द्रस्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उपकरण आदि खरीदने के लिए इस कैंसर अनुसंधान केन्द्र को अब तक कुल कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसा ही कैन्सर अनुसंधान केन्द्र, एक बरहामपुर और एक सम्बलपुर में, खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने का सरकार का प्रस्ताव भी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार ने पहले ही एस. सी. बी. मेडिकल कालेज, कटक के कैन्सर विभाग को क्षेत्रीय कैन्सर अनुसंधान तथा उपचार केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए चुना हुआ है ।

(ख) 6.50 लाख रुपये ।

(ग) और (घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । वैसे उड़ीसा सरकार को वी. एस. एस. मेडिकल कालेज बुर्ला (सम्बलपुर) में रोटेटिंग हैड और कोलिमेशन की सुविधाओं वाला एक कोबाल्ट थेरेपि यूनिट लगाने के लिऐ केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ।

आधुनिक माल-कन्टेनर-एवं प्रशिक्षण पोत

4311. श्री रामचन्द्र रथ : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक आधुनिक माल कन्टेनर और प्रशिक्षण पोत खरीदने का निर्णय किया है,

(ख) इस पोत की अनुमानित लागत क्या है,

(ग) इस पोत को खरीद कब की जायेगी, और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख), और (घ) प्रश्न नहीं होता ।

दिल्ली की ओर जाने वाले माल डिब्बों मे गेहूँ का चुराया जाना

4321. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा से दिल्ली जाने वाले माल डिब्बों में से बड़े पैमाने पर गेहूं चुराये जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं :

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार ने इस कारण प्रतिवर्ष कितनी राशि के दावों का भुगतान किया : और

(ग) 28 फरवरी, 1981 तक कितनी राशि के दावे लम्बित थे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला छपरा में उपरि रेल पुल

4313. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छपरा में उपरि रेल पुल के निर्माण के बारे में बिहार के लोगों की लम्बे समय से चल रही मांग का पता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस उपरि पुल के अभाव में लोगों द्वारा कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या रेल लाइन को पार करते हुए कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है; और

(घ) छपरा में उपरि पुल कब तक उपलब्ध कराये जाये की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) छपरा जंक्शन पर वर्तमान समपार के बदले एक उपरी सड़क पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव रेलवे तथा राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। छपरा जंक्शन के पश्चिमी सिरे पर जनता को रेल पथ पार करने के लिए एक ऊपरी पैदल पुल निर्माणाधीन है और इसके जून, 1981 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

छठी योजना में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, एवं काश्मीर और चण्डीगढ़ में नई रेल लाइनें

4314. प्रो.नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर और चण्डीगढ़ में छठी योजना के दौरान नई रेल लाइनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और नई रेल लाइनों के प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किये जाने और इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जम्मू एवं काश्मीर राज्य में जम्मू से ऊधमपुर तक एक नयी बड़ी लाइन बिछाने का कार्य छठी योजना में शामिल किया गया है। अन्तिम स्थान निर्धारिण सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कांगड़ा घाटी रेलवे में हुई रेल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

4315. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मई, 1979 को तलारा और भारमर रेलवे स्टेशनों के बीच कांगड़ा घाटी

रेलवे में हुई रेल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को रेल प्रशासन ने पुरी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है,

(ख) यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों के नाम, पते क्या हैं और इस दुर्घटना के फलस्वरूप दुर्घटनास्थल पर मरे अथवा उसके बाद मरे,

(ग) इन मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों में से प्रत्येक को कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया और उनके नाम पते क्या हैं, और

(घ) यदि सभी मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके दावे अभी रेलवे प्रशासन के पास विचाराधीन हैं और इन सभी दावों का कब तक निपटान किए जाने की सम्भावना है और प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेलें समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रेल अधिनियम 1890 और रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम 1950 के उपबन्ध के अन्तर्गत गाड़ी दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करती है। इस मामले में सभी छः मामले पदेन दावा आयुक्त (जिला मजिस्ट्रेट) कांगड़ा, धर्मशाला के पास विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गए निर्णय के आधार पर मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा। बहरहाल, सभी छह मृतकों के परिवारों को अन्तरिम मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के नाम और पता संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

(ख) इस दुर्घटना में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2 घायल व्यक्तियों की बाद में मृत्यु हो गई। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

जिनकी दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी

क्रम संख्या	नाम पता
1.	श्री कलगी राम, सपुत्र श्री बाबू राम, ग्राम : पलाथी, डाकघर, जवांवाला लाढू तहसील : नूरपुर, जिला कांगड़ा।
2.	श्री ध्यान सिंह, सपुत्र श्री नाथू राम, ग्राम पलाथी, डाकघर जवांवाला लाढ़ तहसील : नूरपुर, जिला कांगड़ा।
3.	श्री अमीन चन्द सपुत्र श्री मनसा राम, ग्राम और डाकघर तकोली, तहसील-नूरपुर, जिला कांगड़ा।
4.	श्री बाबू राम सपुत्र श्री चरकू, ग्राम : लुधियां, डाकघर : पलादा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा
5. और 6.	इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी।

1	2
	जिनकी बाद में मृत्यु हो गई
7.	श्री गोरखू राम, सपुत्र श्री उदई राम, ग्राम एवं डाकघर, हरसर देहरी तहसील-नूरपुर, जिला कांगड़ा।
8.	श्री करम सिंह सपुत्र श्री बसंत सिंह, ग्राम एवं डाकघर, हरसर देहरी, तहसील-नूरपुर, जिला कांगड़ा।

कुष्ठ रोग के लिए सस्ती दवाओं का तैयार किया जाना

4366. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए कुछ सस्ती दवाएं तैयार की हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को ऐसी किसी दवाई की जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बन्दरगाहों पर जहाजों की भीड़भाड़।

4317. **श्री सुधीर गिरि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बन्दरगाहों पर जहाजों की भीड़भाड़ है, और

(ख) इस भीड़भाड़ को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अभी कुछ समय में बम्बई पत्तन के ट्रांजिट शैडों में माल जमा हो गया है। इसके अलावा, कभी कभी जहाजों को घाट प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। देश में अन्य बड़े पत्तनों पर माल और जहाजों की भीड़ नहीं है।

(ख) इस मन्त्रालय द्वारा गठित अन्तर-मंत्रालयों समिति माल के आयात/निर्यात सम्बन्ध पत्तनों की समय-समय पर योजना बनाकर उर्वरक, उर्वरक के लिए कच्चे माल, सीमेंट, खाद्य तेल जैसे माल का लाना ले जाना विनियमित करती है जिससे कि पत्तनों पर जहाजों और माल का जमाव न हो और वहां उपलब्ध सुविधाओं का पूरी तरह से प्रयोग हो सके। बड़े पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में किए जा रहे हैं।

शिपयार्डों के लिए मूल्य का नया फारमूला

4318. **श्री पी. के. कोडियन** :

श्री के. मालन्ना : क्या नौहवन और परिहवन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के शिपयार्डों के लिए मूल्य का एक नया फारमूला तैयार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस नये फॉमूले से विशाखापत्तनम और कोचीन स्थित दो मुख्य शिपयार्डों को कितनी राहत मिलेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मूल्य सम्बन्धी नए फॉमूले के अन्तर्गत, सरकार एक प्रतिशत सीधी सबसिडी की बजाय अन्तर्राष्ट्रीय सममूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर सीधी सबसिडी शिपयार्डों को देगी और इसके अलावा, छः पूर्व-निधारित मदं के सम्बन्ध में उनके देशी मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय न्यूनतम मूल्य के बाच जो अन्तर होगा, वह भी सरकार देगी। इन मूल्यों के बीच अन्तर की यह राशि पुराने फॉमूले के अन्तर्गत जहाज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के 10 प्रतिशत तक ही सीमित होगी। इसके अतिरिक्त, नए फार्मूले के अन्तर्गत जहाज के मालिकों को शिपयार्डों को जहाज के अन्तर्राष्ट्रीय सममूल्य के अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देनी होगी ताकि आयातित पुर्जों पर होने वाले खर्च की आंशिक पूर्ति की जा सके। पहले, पुराने फार्मूले के अन्तर्गत यह राशि 5 प्रतिशत होती थी।

प्रति व्यक्ति फीस वसूल करने वाले गैर सरकारी कालेजों की मान्यता समाप्त करना

4319. **श्री भीकू राम जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन गैर सरकारी मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त कर देने का है जो प्रति व्यक्ति फीस लेने की प्रक्रिया को समाप्त नहीं करते; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पहले ही राज्य सरकारों को परामर्श दिया हुआ है कि उनके यहाँ जो मेडिकल कालेज प्रति व्यक्ति फीस लेते हो, उनकी इस प्रणाली को खत्म किया जाए।

सिल्चर से न्यू बोंगाई गांव होकर कलकत्ता के लिए रेल

4320. **डा. आर. रोथूगामा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम के कछार जिले के की समूची जनसंख्या को सिल्चर/अगरतला से आसाम के बाहर किसी अन्य राज्य के लिए कोई सीधी रेल सेवा की सुविधा प्राप्त नहीं है जबकि आसाम के एक ही जिले, जैसे लखीमपुर जिले के रहने वालों को आसाम से बाहर रेल यात्रा के लिए डिब्रूगढ़ से कलकत्ता के लिए कामरूप एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से बिहार में बरौनी तक के लिए आसाम मेल और डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के लिए तिनसुकिया मेल अनेक सीधी गाड़ियां हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का प्रस्ताव कम से कम किसी एक वर्तमान यात्री गाड़ी

को, या तो बरक वैली एक्सप्रैस अथवा कोचर एक्सप्रैस को सिल्चर से न्यू-बोंगाई गांव होकर कलकत्ता के लिए सीधी रेलगाड़ी में बदलने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कामरूप एक्सप्रैस और तिनसुकिया मेल से मेल लेने के लिए 11/12 बारक वैली एक्सप्रैस या 201/202 कछार एक्सप्रैस को न्यू बोंगाई गांव तक बढ़ाने के लिए मांग प्राप्त हुई है । न्यू बोंगाईगांव में पर्याप्त टर्मिनल सुविधा न होने के कारण तथा सवारी डिब्बों और रेल इन्जनों की कमी के कारण भी इस समय बारक वैली एक्सप्रैस अथवा कछार एक्सप्रैस को न्यू बोंगाई गांव तक बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम रेल मार्ग का विद्युतीकरण

4321. श्री के. ए. स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण किया जायेगा :

(ख) इस क्षेत्र में रेलवे मार्ग के विद्युतीकरण के कार्यान्वयन के प्रस्तावित चरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1981, 1982 और 1983 में दक्षिण मध्य रेलवे में विद्युतीकरण के लिए आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । विद्युतीकरण के दीर्घकालीन मास्टर प्लान में इस मार्ग का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) चूंकि इस खण्ड के विद्युतीकरण के लिए यातायात का घनत्व अपेक्षाकृत कम है इसलिए इस काम को धन उपलब्ध होने पर सातवीं योजना/शुरू किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) 1981-82 : 4.51 करोड़

1982-83,

1983-84 : अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

मेहसी स्टेशन पर शैड

4322. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज लाईन पर यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मगानती और मेहसी स्टेशनों पर अभी तक शैड न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मगौली और मेहसी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरखाना/प्रतीक्षालय कक्ष और छतदार प्लेटफार्म के रूप में पहले से मौजूद स्थान इस प्रकार हैं :

	सगौली	मेहसी
(1) मुसाफिरखाना	112 वर्ग मी.	122 वर्ग मी.
(2) ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय	व्यवस्था है	व्यवस्था है
(3) छतदार प्लेटफार्म	350 वर्ग मी.	—

सगौली रेलवे स्टेशन पर मौजूद छतदार स्थान पर्याप्त समझा गया है। मेहसी रेलवे स्टेशन पर छतदार प्लेटफार्म की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को भावी वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के विचार किया जायेगा बशर्ते धन उपलब्ध हो।

सड़क परिवहन विकास निधि

4323. डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद की बैठक में उन्होंने यह घोषणा की थी कि सड़क परिवहन विकास निधि की स्थापना की जायेगी,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या प्रस्तावित निधि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस बारे में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

लहसुन के उपचार का सामान्य लोगों पर प्रभाव

डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मेडिकल शोधकर्त्ताओं ने हाल ही में ये पता लगाया है कि लहसुनयुक्त दवाओं के लम्बी अवधि तक देने से वास्तव में कोलेस्टोरल बढ़ जाता है और यदि महिलाओं को इसका लम्बे समय तक सेवन कराया जाए तो उन्हें भी नुकसान पहुंचता है;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त दिष्कर्षों का अध्ययन किया है और लहसुन के उपचार सामान्य लोगों, हृदय रोगियों, महिलाओं तथा बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की है;

(ग) क्या लहसुन चिकित्सा के प्रचार के कारण लापरवाही से उसका सेवन करने पर लोक स्वास्थ्य को हानि पहुँचने की आशंका है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि लहसुनयुक्त दवाओं से लम्बी अवधि तक इलाज करने से कोई लाभ अथवा हानि होती है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई विस्तृत विषविज्ञान सम्बन्धी (टाक्सिकालोजीकल) मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इस बात का निश्चित प्रमाण नहीं है कि इसका इस्तेमाल लाभकारी या हानिकर होता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा, पंजाब आदि में ताप विद्युत संयंत्रों की कोयले की मांग

4325. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित बड़े ताप विद्युत संयंत्रों में से प्रत्येक की कोयले की मासिक औसत मांग कितनी है और गत बारह महीनों के दौरान प्रत्येक संयंत्र को हर मास वास्तव में कितना कोयला सप्लाई किया गया;

(ख) क्या विद्युत संयंत्रों ने इस बारे में कोई शिकायतें भेजी है; और

(ग) यदि हां, तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सम्पर्क स्थापना समिति द्वारा किये गये आबटन के अनुसार कोयले की औसत मासिक आवश्यकता और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुख्य ताप बिजली घरों को दी गयी कोयले की यात्रा (दिये गये माल डिब्बों के अनुसार) दिखायी गयी है। इस समय सम्पर्क स्थापन समिति द्वारा प्रत्येक बिजली घर के लिए किया गया आवंटन निर्धारित लदान लक्ष्य से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

(ख) और (ग) विगत में समय पर कोयला न मिलने तथा कोयले की किस्म घटिया होने के सम्बन्ध में बिजली घरों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। बिजली घरों के लिए कोयले का लदान प्रतिदिन 3000 माल डिब्बों से बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 4000 माल डिब्बे कर देने से इस प्रकार की शिकायतें वस्तुत: लुप्त हो गयी है।

विवरण

बिजली घरों में कोयले की आवश्यकता और प्राप्ति

(आंकड़े टनों में)

बिजली घर का नाम	मार्च, 80 से फरवरी 81 तक प्रतिमाह मांगे गए कोयले की औसत मात्रा	प्राप्त कोयले की औसत मात्रा (दिए गए माल डिब्बों के अनुसार)
दिल्ली		
1. बदरपुर	142500	123291
2. इन्द्रप्रस्थ	128300	99057
हरियाणा		
3. फरीदाबाद	36300	31243*
4. पानीपत	53800	34889
पंजाब		
5. भटिंडा	113300	105142

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
6. हरदुआगंज ख और ग	138300	95946
7. कानपुर आर. एच. पी. एच.	30000	19795
8. पंकी न्यू	7800	6 189
9. पंकी ओल्ड	28300	204 6
10. ओबरा	289200	241139

* केवल पिछले चार महीनों का औसत ।

दरभंगा-जयनगर रेल लाइन को बदलना

4326. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्री ने 1980-81 के अपने बजट भाषण में सदन को इस बात का आश्वासन दिया है कि दरभंगा से जयनगर की छोटी रेल लाइन को बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे बड़ी लाइन में बदले जाने का काम किस चरण में है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण-कार्य के 30-6-1981 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले की आगे जांच की जायेगी और पर्याप्त पाए जाने पर परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा बशर्ते योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाए और धनराशि आवंटित कर दी जाए ।

मुजफ्फरपुर-दरभंगा रेल लाइन

4327. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच एक नई रेल लाइन शुरू करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य निकट भविष्य में शुरू होने जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से पर्याप्त नहीं पाई गई और इसलिए इसका निर्माण शुरू नहीं किया गया है ।

दरभंगा नर कटियागंज लाइन का बदला जाना

4328. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा से नर कटियागंज लाइन को मीटरगेज से बदल कर बड़ी लाइन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) मुजफ्फरपुर के रास्ते और दरभंगा के रास्ते भी समस्तीपुर से रक्सौल तक वर्तमान मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1969-70 के दौरान एक सर्वेक्षण किया गया था। चूंकि इन परियोजनाओं से बहुत कम प्रतिफल प्राप्त हो रहा था इसलिए इन परियोजनाओं को पूरी तौर से आगे नहीं बढ़ाया गया। 1975 में केवल समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर तक के खण्ड को बड़ी लाइन में बदला गया था। समस्तीपुर और दरभंगा खण्ड के आमान परिवर्तन का अनुमोदन कर दिया गया है और इसे शीघ्र शुरू किया जाएगा।

खरीद कार्यालय

4329. श्री चिन्तामणि जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए अपेक्षित सामान खरीदने के लिए स्थापित किए गए खरीद कार्यालय उड़ीसा राज्य से बाहर स्थित हैं हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे का प्रमुख हिस्सा इस राज्य में है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में ऐसा एक खरीद कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि खरीद कार्यालयों की स्थापना उड़ीसा राज्य से बाहर स्थित होने के कारण रेलवे द्वारा सामान की आवश्यकताएं राज्य में स्थित सहायक एककों से नहीं खरीदी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिण पूर्व रेलवे के खरीद कार्यालयों की स्थापना राज्य में ही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। नीति के तौर पर क्षेत्रीय रेलों के खरीद करने वाले कार्यालयों का केन्द्रीकरण किया गया है और वे अपने-अपने मुख्यालयों में स्थित हैं। यद्यपि यह रेलवे विभिन्न राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में फैली हुई है किन्तु इसका खरीद कार्यालय का मुख्यालय गार्डनरीच, कलकत्ता में स्थित है।

(ख) और (घ) इस समय क्षेत्रीय रेलों के खरीद कार्यालयों को उनके मुख्यालयों से बाहर स्थापित करने की वर्तमान नीति में इस समय कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं। रेलों के लिए माल की खरीद निविदाएं आमंत्रित करके की जाती हैं। इस प्रकार की निविदाओं को देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। रेलों

के साथ पंजीकृत फर्मों को बुलिटन टेंडर इन्क्वारियां भी जारी की जाती हैं। राज्यों की अनुषंगिक औद्योगिक इकाइयों में वितरण करने के लिए उड़ीसा राज्य के उद्योग निदेशक को बुलिटन टेंडर इन्क्वायरी की प्रतियां नियमित रूप से भेजी जाती हैं। जब कभी रेलों द्वारा ऐसी निविदाएं जारी की जाएं तब माल सप्लाई करने की इच्छुक उड़ीसा राज्य की औद्योगिक इकाइयां सदैव इस प्रतिस्पर्द्धा में भाग ले सकती हैं।

समुद्री जहाजों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

4330. श्री राम विलास पासवान : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री जहाजों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध वर्तमान सुविधाएं क्या हैं;

(ख) नौवहन स्थितियों में परिवर्तनों के अनुसार इनको आधुनिक बनाने की दृष्टि से क्या सरकार ने इन सुविधाओं की पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) समुद्री कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित मर्चेण्ट नेवी प्रशिक्षण संस्थान विद्यमान हैं :—

(1) प्रशिक्षण पोत 'राजेन्द्र', बम्बई। इस संस्थान में 250 नौचालन के उम्मीदवारों को एक-वर्षीय समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) समुद्री इन्जीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता। इस संस्थान में इन्जीनियरी के प्रशिक्षार्थियों को 4 वर्षीय समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(3) समुद्री इन्जीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय, बम्बई। इस संस्थान में इंजीनियरी के स्नातकों को एक वर्षीय पूर्व-समुन्द्र पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(4) लाल बहादुर शास्त्री नौ-इन्जीनियरी कालेज, बम्बई। इस संस्थान में नौवहन और परिवहन मन्त्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न व्यावसायिक परीक्षाओं के लिऐ अधिकारियों को समुद्रोत्तर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(5) तीन नाविक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात कलकत्ता में प्रशिक्षण पोत भद्रा', विशाखा-पत्तनम में प्रशिक्षण पोत 'मेखला' और नवलखी में प्रशिक्षण 'पोत मोलक्षी है। इन प्रशिक्षण संस्थानों में व्यापारी जहाजों में सैलून/डेक/इन्जिन रुम विभागों में काम करने के इच्छुक युवकों को समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) और (ग) नौवहन के क्षेत्र में आये दिन तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं और इसलिए, इन तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं में भी तदानुसार परिवर्तन किये जाने चाहिए। इसलिए विश्व भर में आज जो-जो तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके निम्नतम स्तर को पूरा करने के लिये भी वर्तमान प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने और उनमें आधुनिक उपकरण जुटाने की विशेष आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में हमेशा कोशिश की जाती है।

सरकार ने प्रशिक्षण-ढांचे की समीक्षा करने और नाविकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की भावी रूप रेखा सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

अपनी प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुछ नए और आधुनिक उपकरणों की खरीद करने के लिए भारत सरकार ने नार्वे सरकार के साथ 2-7-1979 को एक कार्य-योजना पर हस्ताक्षर किए।

नीलाचल एक्सप्रेस में सुरक्षात्मक उपाय

4331. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी घटनायें कम नहीं हैं, जब डाकुओं ने नीलाचल एक्सप्रेस को लूटा हो और यात्रियों के सामान को छीना हो : और

(ख) यदि हाँ, तो इस गाड़ी के प्रत्येक डिब्बे में सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था किये जाने तथा वातानुकूलित 'टू-टायर' डिब्बों की खिड़कियों में लोहे के सरिए लगवाए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इन सभी सुरक्षा उपायों को किस तारीख तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी, 1980 से अब एक नीलाचल एक्सप्रेस में डकैती की केवल एक मामले की रिपोर्ट मिली है, जिससे शामिल गैंग का पता भी लग गया है और इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो न्यायाधीन है।

(ख) इस गाड़ी के प्रत्येक डिब्बे में सुरक्षा रक्षकों की व्यवस्था नहीं की गयी है। तथापि इस गाड़ी में रात्रि के समय राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कार्मिक मार्गरक्षी के रूप में चल रहे हैं।

वातानुकूलित 2-टियर शयनयानों सहित सभी वातानुकूलित सवारी डिब्बों में यात्रियों को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए दोहरे शीशे वाली खिड़कियों की व्यवस्था की गई है। खिड़की में लगे इन शीशों से पर्याप्त सुरक्षा तथा खिड़की के रास्ते बदमाशों के प्रवेश को रोकने की व्यवस्था हो जाती है। खिड़कियों में छड़ लगाने से कोई लाभ नहीं है। फिर भी इन सवारी डिब्बों के दरवाजों की खिड़कियों में छड़े लगायी जाती हैं।

"एक बड़े युद्ध के संकेत" (सिग्नल आफ ए मेजर वार) के बारे में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

4332. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इटली के समाचार पत्र "करियगरे डेला सेरा" में 20 फरवरी, 1981 को प्रकाशित, प्रधान मन्त्री के इस वक्तव्य कि "एक बड़े युद्ध के संकेत विद्यमान हैं।' अर्थात् सिग्नल आफ ए मेजर वार) की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी दुःखद घटना से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हाँ। सरकार को 20 फरवरी 1981 को "कोरिएर्स डेला सेरा" में प्रकाशित इस वक्तव्य की जानकारी है। यह रिपोर्ट महा-शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और तनाव-औचित्य की प्रक्रिया में गतिरोध के कारण एशिया के विभिन्न भागों में बढ़ते हुए तनाव के परिपेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गये उत्तर पर आधारित थी।

(ख) और (ग) भारत सरकार शांति और स्थायित्व बढ़ाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तौर-तरीके तय करने के लिए इस क्षेत्र की और विश्व के अन्य भागों की सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए है। सरकार उन मुद्दों और परिस्थितियों के राजनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी अन्य देशों के नेताओं से सम्पर्क बनाये हुए हैं जिनसे संघर्ष और संकट पैदा हो सकते हैं। सरकार महाशक्तियों के टकराव को कम करने और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सतत् प्रयत्नशील रहेगी सदन ने यह देखा ही होगा कि गुटनिरपेक्ष विदेश मन्त्रियों की हाल ही की बैठक में भारत ने इस दिशा में रचनात्मक रुख अपनाया है।

रेलवे स्टेशनों में लाइसेंसशुदा कुली

4333- **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों में कार्य कर रहे लाइसेन्सशुदा कुलियों के लिए एक पंचायत पद्धति लागू करने हेतु कोई नीति अपनायी है ताकि वे अपने हितों की स्वय देखभाल कर सकें।

(ख) क्या विभिन्न रेलवे प्रशासनों को निदेश दिए गये हैं कि वे सभी रेलवे स्टेशनों में यह पद्धति लागू करें;

(ग) यदि हां, तो जोनवार ऐसे रेलवे स्टेशन कौन-से हैं जहां यह पद्धति लागू की गई है;

(घ) ऐसे रेलवे स्टेशनों में जहां यह अब तक लागू नहीं की गई है, इस पद्धति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) क्या किसी संगठन ने सभी रेलवे स्टेशनो में यह पद्धति लागू करने के लिए मांग की है;

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) ऐसे कुछ स्टेशनों पर जहां लाइसेन्सशुदा भारियों की संख्या अधिक नहीं है, परीक्षण के तौर पर इन लाइसेंसशुदा भारियों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक पचायत प्रणाली शुरू की गई है। इन स्टेशनो के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

विवरण

(ग) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्षेत्रवार नीचे दिये जा रहे हैं जहां पर पंचायत प्रणाली शुरू की गयी है :

मध्य रेलवे : बम्बई वी. टी., दादर, कल्याण, पुणे, दौन्ड, शोलापुर, नागपुर, वर्धा, जबलपुर, कटनी, मथुरा, जंक्शन, आगरा कैंट, झाँसी, नन्दगाँव, मनमाड, चालीसगाँव, धूल, भुसावला, ब्रुरहानपुर, खंडवा, हारदा, इटारसी, मलकापुर, शेगाँव, अकोला, मुर्तजापुर, बडनेरा, अंजनगांव, जामनेर, देवलाली, नासिक, जलगाँव,

पूर्व रेलवे : दम दम कंचरापाड़ा, कल्यानी, मदनपुर, शिमुरोली, चकदा, प्याराडंगा, कृष्णनगर सिटी, धनबाद, गोमी, हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वा रोड, डालटनगंज, पटना जक्शन, पटना साहिब, मुगलसराय, सासाराम, डेरी आन सोन, अनुग्रहनारायण रोड, रफीगंज, गया, भाबुआ रोड, रामपुरहाट, भागलपुर, जमालपुर, बथुआदहारी, देवग्राम,

उत्तर रेलवे : मिर्जापुर, चुनार, विन्ध्याचल, नैनी, फूलू, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, फफून्द, हिसार, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, टून्डला, सादुलपुर, हाथरस, खुर्जा, अलीगढ़, जक्शन, जोधपुर, रतनगढ़, श्रीगंगा नगर, ऋषिकेष, हापुड़, चन्दौसी, गजरौला, बालामऊ, अमरोहा, हरदोई, नगीना, दिल्ली किशनगंज, सब्जी मंडी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला सिटी, रोहतक, जाखल, जगाधरी, धुरी, राजपुरा, सरहिन्द, रोपड़, जीन्द, नागंल डेम, कैथल, खतौली, मुजफ्फरनगर, चण्डीगढ़, कुरुक्षेत्र, दिल्ली शाहदरा, मोदी नगर, मेरठ छावनी, रामपुरा फूल, मनसा, जम्मू तवी, अमृतसर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, मधोई, झांसी, प्रतापगढ़, प्रयाग, उन्नाव, शाहगंज, मुरादाबाद, बरेली, रेवाड़ी, हनुमानगढ़, दिल्ली सराय रोहिल्ला,

पूर्वोत्तर रेलवे : रक्शौल, लहरिया सराय, मधुबनी, जयनगर, रुसेराघाट, अडिहार जक्शन, मउ जक्शन, छपरा, सीवान, बलिया, भटनी, हलद्वानी, काठगोदाम, वाराणसी सिटी, देवरिया सदर, इलाहाबाद सिटी, बहराइच, सीतापुर, कासगंज पीलीभीत, फरुकाबाद,

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे : जोगबनी, बरसोई, पूर्णिया, सोनाईनी, सलमारी, कोकराझार, नयाअलीपुर द्वार, नया कूचबिहार, दुभगुड़ी, रंगपाड़ा नाथ, बोंगाईगाँव, कामाख्यागुड़ी, धुबरी, बिन्नागुड़ी, तागंला, मुरकोंगसेलक, सोरमोग, हरमुती, सनेकेती, नार्थ लखीमपुर, अलीपुर दुआर, जक्शन, विजनी, तेजपुर, सीलापथर, न्यूमाल जंक्शन, हाशीमारा, बरपेटारोड, फकीराग्राम, डलगाँव, रोवतावागान, विश्वनाथ चरालि, जलपाईगुड़ी रोड, धनारहाट, फलाकाटा, तेलम, डिब्रूगढ़ टाउन, डिगनोई, सिमलगुड़ी जक्शन, जोरहाट, गोलघाट, तिनसुकिया।

दक्षिण-मध्य रेलवे : हैदराबाद, काजीपेट, दोर्णाकल, वारांगल, काचीगुड़ा, नादेड़, परमनी, औरंगाबाद, कुरनूलटाउन, निजामाबाद, विजयवाड़ा, गुन्तूर, नेल्ला नेलौर, ओंगोल, चिराला, तेनाली, पाक्रपेट, एलुरू, टाडेपालीगुडूम, विडदबोलु गोदावरी, राजमुन्द्री, समलकोट, तूनी, अनाकापल्ले, काकीनाड़ा टाउन, भीमवरम जक्शन, गुडीवाड़ा, मिरज, कोल्हापुर, वेलगाम, हुबली, गडग, बागलकोट, हासपेट, वेल्लारी, वास्कोडेगामा, रायचूर, गुन्तकल्लू, तिरूपति,

दक्षिण पूर्व रेलवे : बालासोर, टाटानगर, राउरकेला, इतवारी, गोंदिया, रांची, आंद्रा रायपुर।

पश्चिम रेलवे : अहमदाबाद, आनन्द, अंकलेश्वर, आबू रोड, अजमेर, आगरा फोर्ट, भरतपुर, मरूच, डबोही, गोधरा, जयपुर, जामनगर, कोसाम्बा, खम्भात, मणिनगर, मियांगाम कर्जन, नजला सोपारा: नडियाद, पेटनाड, राजकोट, सुरेन्द्रनगर उज्जैन, वीरमगाम, वडोदरा, वांकनेर।

मेरठ शटल को मेरठ छावनी तक ले जाया जाना

4334. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक यात्री संघ, मेरठ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मेरठ शटल (आई. एन.एम./जेड. एन. एम.) को मेरठ छावनी स्टेशन तक ले जाया जाय :

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभ्यावेदनों में व्यक्त की गई दिक्कतों को देखते हुए सरकार का विचार उस शटल को मेरठ छावनी स्टेशन तक ले जाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिल्ली और मेरठ सिटी के बीच चलने वाली शटल गाड़ियों को मेरठ छावनी में/तक चलने की व्यवहारिकता की जांच की गयी है किन्तु मेरठ छावनी पर टर्मिनल की कमी तथा मेरठ सिटी-मेरठ छावनी खण्ड पर लाइन क्षमता के संतृप्त होने के कारण इसे परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाया गया।

भारतीय नौवहन कंपनियों को 'कंटेनर कंसर्टियम''

4335. श्री जगदीश टाइटलर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन नौवहन कम्पनियों अर्थात् शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, सिंधिया स्टीमनेवीगेशन कम्पनी और इण्डियन स्टीमशिप ने कंटेनर सार्थक संघ के रूप में कार्य करने का निर्णय किया है, और

(ख) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां। आशा है कि प्रस्तावित सहायता-संघ अप्रैल, 1981 के पहले हफ्ते में कलकत्ता से एक कन्टेनर जहाज चला कर 1.4.1981 से अपना काम-काज औपचारिक रूप से शुरू कर देगा और इसके बाद, हर पन्द्रह दिनों के बाद एक एक जहाज चलाया जाएगा। ये कंटेनर जहाज सीधे कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और बम्बई जाएंगे और इसके अलावा, इग्लैंड स्थित फेलिक्सटोवे और यूरोप स्थित हैम्बर्ग से भी होकर गुजरेंगे। ये जहाज इंग्लैंड और यूरोप के मुख्य पत्तनों से माल लेंगे और इन पत्तनों पर माल उतारेंगे। शेष ब्रेक-बल्क कार्गो की ढुलाई के लिए कंटेनर जहाजों के साथ-साथ अन्य परंपरागत जहाज भी चलाए जाएंगे। ब्रेक-बल्क सर्विस उन पत्तनों के लिए चालू की जाएगी जिन पर कंटेनर जहाज नहीं आते-जाते।

प्रस्तावित कंटेनर सहायता-संघ का निर्माण करना नौवहन कम्पनियों का एक वाणिज्यिक मामला है जिसका उद्देश्य नौवहन सेवा में सुधार लाना है।

विटामिन "ए" रहित वनस्पति की बिक्री

4336. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में विटामिन "ए" रहित वनस्पति खुले आम भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विटामिन "ए" रहित वनस्पति की इस किस्म से उपभोक्ताओं को गंभीर हानि पहुंचेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे बोर्ड में हिन्दी टाइपिस्टों को नियमित करना

4337. श्री आर. एन. राकेश : क्या रेल मन्त्री तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में 26 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नतियों/नियमित करने स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्तियों आदि सम्बन्धी नियमों तथा आदेशों/परिपत्रों के बारे में सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचित करना होता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड में हिन्दी टाइपिस्टों को 1 नवम्बर 1980 से उन्हें नियमित करने के बारे में आदेशों की सूचना न देने के क्या कारण हैं और इसमें विलम्ब के लिए कौन जिम्मेवार है; और

(ग) सम्बन्धित कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के नियमन के बारे में आदेशों की जानकारी कब दे दिये जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्तमान परिपाटी के अनुसार, जब रेलवे बोर्ड के किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति, अस्थानातरण, पदोन्नति आदि पर रेलवे बोर्ड कार्यालय से स्थानांतरित किया जाता है, तो आम तौर पर संबंधित आदेश की एक प्रति उस कर्मचारी को भेजी जाती है।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड के निर्देशों के परिपालन में उक्त कर्मचारियों के समाहित करने और अपनी रेलवे पर उनके ग्रहणाधिकार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उत्तर रेलवे ने औपचारिक आदेश जारी कर दिये हैं। सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक सूचना दी जा रही है।

286. डाउन पैसेन्जर रेलगाड़ी में आग लगाने से मारे गए लोगों को मुआवजे का भुगतान न किया जाना

4338. श्री चन्द्रजीत यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मई, 1978 को खुरहाट और पालीगढ़ हाल्ट के बीच 286 डाउन पैसेंजर रेलगाड़ी में आग दुर्घटना के कारण तीन अनवरोल फरजाना रुकमाना, श्रीमती शमशुन्निसा मोमुद्दीन और वहरुद्दीन की मृत्यु हो गई और अनेक यात्रियों को चोटें पहुंचीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आजमगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पदेन दावा आयुक्त) ने इसके शिकार परिवारों को मुआवजा दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए मुआवजे सहायता की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो मृत्यु/दुर्घटनाओं के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए मुआवजे/सहायता का ब्यौरा क्या है और इसका अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन दावों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार का क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह दुर्घटना 11-5-78 को हुई थी जिसमें 9 व्यक्ति मारे गये थे और 14 व्यक्तियों को चोटें आई थीं।

(ख) से (ङ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पदेन दावा आयुक्त), आजमगढ़ द्वारा मंजूर की गयी क्षतिपूर्ति की रकम के बारे में एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। ज्यों ही याचिका का निपटारा हो जायेगा, भुगतान की व्यवस्था कर दी जायेगी।

फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए स्थान

4339. श्री वी. एन. गाडगिल : : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए 1970 और 1980 में संस्थानों में कुल कितने स्थानों की व्यवस्था की गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार औषध उद्योगों में उत्पादन तथा प्राइवेट तथा सरकारी औषधालयों, अस्पतालों और कैमिस्ट की दुकानों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए स्थान बढ़ाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के लिए 1000 अतिरिक्त स्थान मंजूर करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) 1970 ..... 1730 सीटें

1980 ..... 3700 सीटें

(ख) फार्मेसी के डिप्लोमा धारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में हाल ही में कोई मैनपावर सर्वे नहीं किया गया है। फार्मेसी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड विचार करता है जिसने सभी राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं और उन्हें बोर्ड की संबधित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करें।

(ग) महाराष्ट्र सरकार को पहले ही यह परामर्श दिया जा चुका है कि वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और उसकी पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के विचारार्थ कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजे।

उत्तर-दक्षिण वार्ता

4340. पीयूष तिरकी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर दक्षिण वार्ता विशिष्ट वर्गों और नौकरशाहों के लिए चिन्ता का विषय है और इसका गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसी अर्थव्यवथा की आंतरिक समस्याओं से कोई सरोकार नही है;

(ख) भारत द्वारा पिछले दशकों में गलत धारणाओं को दूर न किये जाने के क्याकारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार संयुक्त राज्य के महासचिव को दिसम्बर, 1979 में पेश की गई रिपोर्ट पर विकसित देशों द्वारा उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए स्वयं असम्बद्ध महसूस कर रहा है; और

(घ) ई. ई. सी. और भारत में उत्पाद और व्यापार में पारस्परिक सहयोग के बारे में 'इमाल मैन कमेटी रिपोर्टों" का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी नहीं। उत्तर-दक्षिण वार्ता से आशय

विकसित और विकासशील देशों के बीच विचार-विमर्श से है, जिसमें विकासशील देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को नया रूप दिया जाय क्योंकि यही इससे बुनयादी तौर पर से विकसित देशों की जरूरतें ही पूरी होती हैं। इस वार्ता में बल इस बात पर दिया जा रहा है कि विकसित देशों से अधिक मात्रा में संसाधन और प्रौद्योगिकी विकासशील देशों को अन्तरित की जाय तथा उनका अधिक प्रयोग किया जाय।

दिल्ली नगर निगम आयुर्वेदिक फार्मेसी, निगमबोद गेट में आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन

4341. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम आयुर्वेदिक फार्मेसी निगमबोद गेट का प्रांगण औषधि नियंत्रण अधिनियम, के अन्तर्गत औषधियों के उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान को औषधियों के उत्पादन के उपयुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम श्रेणी रेल पास-धारक

4342. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी का रेल पास-धारक कर्मचारी अपने निजी नौकर के लिए दूसरी श्रेणी के रेल पास का हकदार है,

(ख) क्या यह भी सच है कि वह निजी नौकर केवल वही वेतन भोगी व्यक्ति हो सकता है जो उस कर्मचारी की निजी सेवा से कम से कम छः महीने से अधिक रहा हो, और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) पास नियमों के प्रयोजन के लिए परिचर शब्द का तात्पर्य पास/सु. टि. आ. धारी की व्यक्तिगत सेवा में पूर्णकालिक वेतन के आधार पर नियोजित व्यक्ति से है। इसके लिए कोई न्यूनतम सेवा की सीमा नहीं निर्धारित की गई है।

पहले दर्जे के पास/सु. टि. आ. के पात्र रेल कर्मचारियों को यात्रा के दौरान अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए दूसरे दर्जे में एक परिचर ले जाने की सुविधा की अनुमति दी गयी है और इस शब्द की हरिभाषा में केवल वेतनभोगी व्यक्ति को इसलिए शामिल किया गया है ताकि पास धारी से वेतन प्राप्त करने वाले नौकर से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को साथ ले जाकर इस सुविधा के दुरुपयोग की कोई गुन्जाइश न रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विदेश मंत्रालय की वर्ष 1981-82 के लिए अनुदानों की ब्यौरे वार मांगें

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं वर्ष 1981-82 के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2128/81)

कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 2129/81)

इंडियन मेडीसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, उत्तर प्रदेश के 5 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन इंडियन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड रानीखेत, उत्तर प्रदेश का 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, उत्तर प्रदेश के 5 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुई अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) इंडियन मेडीसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, उत्तर प्रदेश के 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) इंडियन मेडीसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, उत्तर प्रदेश के 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 2130/81)

मार्च, 1981 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई वरोट) : मैं मार्च, 1981 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2131/81) **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**)* आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको पहले पढ़ना चाहिए कि किस विषय पर एडजर्नमेंट मोशन आ सकता है। एडजर्नमेंट मोशन दे देने से आपका अधिकार नहीं बन जाता है कि आप हाउस में खड़े हो कर उस पर बोलना शुरू कर दें। जो बात है उसको आप दूसरे ढंग से लाएं। आपको इजाजत देंगे। 377 इसी पर एलाउ किया हुआ है। इस तरीके से नहीं होगा। अनुमति नहीं दी जाती है। (**व्यवधान**) कोई फायदा नहीं होता। बिला वजह कोई बात नहीं हो सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है उसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। (**व्यवधान**)* यह स्थगन प्रस्ताव के लिए विलय नहीं है। (**व्यवधान**)* आपको आपस में बात करके फैसला कर लेना चाहिए कि कौन बात करेगा। मोशन से आपको यह नहीं करना चाहिए। (**व्यवधान**)* यह हो सकता है। लेकिन इसका एडजर्नमेंट कोई ताल्लुक नहीं है।

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर, गंजन के वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सभा पटल पर रखे जाने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर, गंज के वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 2132/81) (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

आप मोशन दे दीजिए। एडजर्नमेंट मोशन नहीं। कोईफायदा नहीं है। (**व्यवधान**)* यह हाउस इस में नहीं जा सकता है। यह सभा इसे नहीं ले सकती है।...मैं यह नहीं कर सकता यह न्यायिक है। (**व्यवधान**)* आप बैठ जाइये। बिल्कुल अनुचित बात है। अनुचित ढंग से आप कर रहे हैं और विदाउट रूल्ज कर रहे हैं। जो काम होगा रूल्ज के तहत होगा। बिल्कुल इनके खिलाफ नहीं करूंगा। ऐसे नहीं करूंगा। मैं आपका इतना समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। (**व्यवधान**)* बिल्कुल कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकती है। रूल्ज एलाउ नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न दीजिए, मोशन दीजिए। (**व्यवधान**)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आपका अध्यक्ष महोदय, कहना बिल्कुल जायज है कि एडजर्नमेंट मोशन इस पर नहीं हो सकता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की हालत है—

अध्यक्ष महोदय : और मोशन दीजिए। इस तरीके से घांधली से थोड़े काम चलता है? कोई मोशन दीजिए। मैंने कब इन्कार किया है? (**व्यवधान**)* आप मेरे से बात कर लीजिए आ कर।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य के महासभा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियमों (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 13 मार्च 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई शिफारिशें नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग विधेयक, 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 मार्च, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 मार्च, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 मार्च, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और जिसे राज्य सभा के विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने का निदेश हुआ है।"

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : मैं सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं। (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त मे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

पांचवा प्रतिवेदन

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पसन्द नहीं है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : खड़ी हुई।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। (व्यवधान) * मेरे को यहीं इसी सदन में रोका गया है (व्यवधान) * आपकी बात बिल्कुल जायज है। लेकिन इस तरीके से एडजर्नमेन्ट मोशन नहीं हो सकता है? (व्यवधान) * किसान की बात हम कर रहे हैं। बहुत इम्पार्टेंट सवाल है। (व्यवधान) *

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी दिल्ली में राजस्थान के जज जिन परिस्थितियों में गायब हुये हैं उसके बारे में मैंने आपको एडजर्नमेंट मोशन के बारे में लिख कर दिया था।...

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अधीन पहले ही चर्चा स्वीकार कर ली है। (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री टाईटलर।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : मैं संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण और मुआवजे की

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अदायगी न करने। अपर्याप्त अदायगी करने, जिसके कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, का समाचार।"

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दहत योजना के अनुसार दिल्ली का विकास करने तथा उसकी उन्नति के लिए यदि किसी भूमि की आवश्यकता होती है तो उसको दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अन्तर्गत अर्जित किया जाता है। क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण उक्त अधिनियम की धारा 23 तथा 24 को उपबन्धों के अनुसार किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि अर्जित की गई भूमि के लिये दी जाने वाली राशि का निर्धारण करने में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि की बाजार कीमत को ध्यान में रखा जाना है। मूल्यांकित क्षतिपूर्ति के अलावा, 15 प्र.श. अधिग्रहण की अनिवार्य लागत के रूप में अदा किया जाता है। इसके अलावा, धारा 4 के अन्तर्गत एवार्ड की घोषणा के अन्तर्गत अधिसूचना की 3 वर्ष की अवधि के समाप्त होने की तारीख से 6 प्र.श. की वार्षिक दर से ब्याज भी अदा किया जाता है।

2. दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए 2,262 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है और वास्तविक भूमि मालिकों को 5,23,62,-294, 10 रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि अदा की गई है।

3. यह भी बतलाया जाता है कि भूमि अधिग्रहण समाहर्तों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया न्यायिक हैं और उसके द्वारा दिये गये एवार्ड न्यायिक पुनरीक्षण के लिए खुले हैं। भूमि अधिग्रहण समाहर्तों द्वारा दिये गये एवार्ड से यदि कोई व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं है तो उसकी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिल्ली को और उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की भूमि अधिग्रहण समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। मालिकाना हकूक के विवादास्पद मामलों को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को वास्तविक मालिकों को क्षतिपूर्ति का विभाजन करने के लिए भेजा जाता है।

4. जिनकी भूमि अर्जित की जाती है उनको निम्नलिखित लाभ भी दिए जाते हैं :-

(1) अनुमोदित कालोनी में अर्जित की गई भूमि के 40 प्र. श. की सीमा तक एक रिहायशी प्लाट का आवंटन किया जाता है जोकि पूर्व निर्धारित कीमत पर 250 वर्ग गज की अधिकतम सीमा की शर्त पर होता है; और

(2) जिनकी भूमि अर्जित की गई है उनकी अपनी जीविका कमाने की दृष्टि से विभिन्न कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई दुकानों का 10 प्र.श. पूर्व निर्धारित दरों पर लाटरी द्वारा आवंटन किया जा रहा है।

जगदीश टाईटलर : दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रति न्याय की भावना से प्रेरित हो मैं कुछ कहने से पहले···

अध्यक्ष महोदय : वह न्याय की भावना कहां है ?

श्री जगदीश टाईटलर : दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रति न्याय की भावना से प्रेरित हो कर मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी अनेक उपलब्धियां हैं। उनमें से कुछ की

विपक्ष ने केवल आलोचना करने के लिए ही आलोचना की है। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं किन्तु मैं उन्हें वह श्रेय देना चाहता हूं जिसके वे अधिकारी हैं। पुनर्वास कालोनियों में दस लाख से अधिक लोग बसाए गए हैं, वे लोग वहां मजे से रह रहे हैं इससे विपक्ष को भले ही अप्रसन्नता हुई हो और पिछली बार भी यह बात सिद्ध हो चुकी थी। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जो कार्य भी कर रहा है वह सब सही कर रहा है। निसन्देह, बागवानी का विकास हुआ है, कलात्मक पार्कों का निर्माण हुआ है बड़े पैमाने पर गृह निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग के लिए प्रतिष्ठित परियोजना, रोहिणी काम्पलेक्स का विकास भी हो रहा है किन्तु अब ऐसा समय आ गया है कि सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की गतिविधियों में हस्ताक्षेप करना चाहिए क्योंकि ग्रामीण जनता की अधिकांश भूमि अधिग्रहीत की जा रही है और उसके बदले में जो मुआवजा दिया जा रहा है वह बिल्कुल 'न' के बराबर है और यदि वह 'न' के बराबर न भी हो, तो भी उन्हें वह मुआवजा समय पर नहीं मिलता है और न्यायालय में मुआवजे पर निर्णय होने में वर्षों लग जाते हैं। आपने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि वह न्यायालय जा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में न्यायालय किस प्रकार निर्णय देते हैं। गरीब किसानों को तो मुआवजा लेने के लिए न्यायालय में जाने के बारे में काफी जानकारी भी नहीं है। डी. डी. ए. द्वारा अधिग्रहीत भूमि में से कुछ भूमि नीलामी के माध्यम से बेची जाती है। इसका मूल्य 100 रुपए से बढ़कर हजार गुणा अधिक हो जाता है। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि इससे स्थानीय लोगों अथवा दिल्ली के लोगों को क्या सहायता मिल रही है, कि वह अपने घरों के लिए किस प्रकार भूमि प्राप्त करते हैं।

अब इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर मैं कुछ स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों को गौर से सुनेंगे। (1) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि पिछले 20 वर्षों में डी. डी. ए. द्वारा अधिग्रहीत भूमि में से केवल 25 प्रतिशत भूमि का ही वास्तव में विकास किया गया है। (ख) डी. डी. ए. द्वारा अधिग्रहीत भूमि में से 9,000 हैक्टर भूमि, जिसका अधिग्रहण हो चुका है और जिस के लिए मुआवजे का भुगतान भी किया गया है, गैर कानूनी तौर पर कुछ लोगों के कब्जे में है (2) और अगर ऐसा है तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तावित उपाय क्या हैं।

(2) मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि डी. डी. ए. द्वारा अधिग्रहीत 68,000 हैक्टरों में से लगभग 38,000 हैक्टर (अर्थात 50 प्रतिशत) भूमि खाली पड़ी है और इसके लिए इसके स्वामियों को कोई मुआवाजा नहीं दिया गया है। (3) क्या यह सत्य है कि 111 गांवों में रहने वाले लगभग 25,000 परिवार अपने घरों के गिराए जाने की संभावना का सामना कर रहे हैं और क्या इन ग्रामीण और किसान लोगों को जिनकी भूमि अधिग्रहण की सूचना 1959-61 में घोषित की गई थी, उनका भी मुआवजा नहीं दिया जा सका है। भूमि का अधिग्रहण 1959-61 में किया गया था (4) मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि डी. डी. ए. इतनी भूमि का अधिग्रहण कर रहा है कि उसका वह अगले 20 वर्षों में विकास नहीं कर पाएगे भले ही उसके विकास की रफ्तार वही रहे जो आज है। किन्तु इसके लिए किसानों को कितनी हानि हो रही है उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

(5) इस स्थिति को ध्यान में रखकर मैं पूछना चाहता हूं कि डी. डी. ए. अधिक से अधिक भूमि का अर्जन क्यों कर रहा है जबकि उसका उचित रीति से विकास और प्रयोग नहीं किया जा सकता और जबकि वह उसके लिए मुआवजा देने में भी अक्षम है ? अन्त में, मैं यह बात समझ सकता हूं कि दिल्ली में जनसंख्या में दिन-ब-दिन वृद्धि हो रही है। कुछ समय पहले, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिसके अन्तर्गत दिल्ली के इर्द-गिर्द छोटी छोटी राजधानियों का विकास किया जाना था ताकि दिल्ली में भी दवाव कम हो जाए और अन्ततः यह आवासीय भूमि वन जाए और उसमें हरियाली कहीं दिखाई न दे। यहां तक दिल्ली के इर्द-गिर्द सब्जियों की पट्टी की भूमि में भी दिन-ब-दिन ह्रास होता जा रहा है। मेरा विचार है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी। इसमें तो डी. डी. डी. ए. भी स्वयं को असहाय पा रहा है। यह उचित होगा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिधि में आने वाले राज्यों से कहे कि वह इन क्षेत्रों का शीघ्र ही विकास करें, तभी दिल्ली में भूमि पर दवाव को कम किया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तीव्र गति से विकास न किया गया तो दिल्ली में किसानों की कृषि भूमि को जनसंख्या के दवाव के कारण लेना पड़ेगा। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ कड़े उपाय करने चाहिए। दिल्ली को बचाने का एक मात्र यही एक उपाय है। यदि आप ऐसा नहीं करते, वैसे यह सरकार का दायित्व है, यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि दिल्ली के इर्द-गिर्द राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास किया जाए ताकि दिल्ली पर दवाव को कम किया जा सके ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं माननी सदस्य का आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है। जहां तक भूमि अधिग्रहीत कर डी. डी. ए. की दी गई है और जहां तक भूमि के विकास का सम्बन्ध है, मैंआप के माध्यम से इस गौरवशाली सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने अन्तिम रूप से 44,739 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली है और 33108 एकड़ भूमि डी. डी.ए. को दी गई है। शेष 11,631 एकड़ भूमि दिल्ली प्रशासन के पास है। 23,983 एकड़ भूमि का डी. डी. ए. द्वारा विकास किया जा चुका है। मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि आप जानना चाहते थे कि भूमि कास कि प्रकार उपयोग किया गया है। शेष 9,126 एक भूमि में से 2783 एकड़ भूमि पर विकास आरम्भ होने वाला है। शेष 6,343 एकड़ भूमि में से 6,047 एकड़ अप्राधिकृत बस्तियों के अन्तर्गत है, झुग्गी-झोपड़ियों के नीचे है और 295 एकड़ भूमि अभी ली जानी है। स्थिति यह है और यह बात नहीं है कि केवल 20 प्रतिशत अधिग्रहीत भूमि ही डी. डी. ए. को दे दी गई है और उसका विकास हुआ है। आपने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि गृह निर्माण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चल रहा है। मैं अब उसका ब्यौरा नहीं देना चाहता। सरकार किसानों और अन्य व्यक्तियों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, के कष्टों से चिन्तित है। आपको मालूम होगा कि अभी हाल में किसानों से अधिग्रहीत भूमि के बदले दिए जा रहे मुआवजे के कम होने तथा दिल्ली मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में हमारी माननीय प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह अभ्यावेदन हमारी माननीय प्रधान मंत्री को किसान रैली, जोकि हमारे देश में और मेरे विचार में

समूचे विश्व में सबसे बड़ी किसान रैली थी, में प्रस्तुत किए गए थे···(व्यवधान) । हां समूचे विश्व में यह किसान रैली सबसे बड़ी थी । आप ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं बता सकते और यहां तक कि विदेशी सचाचार पत्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। (व्यवधान) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बर) : श्री भीष्म नारायण सिंह ने केवल गोयबल्स की तरह बातें कर रहे हैं बल्कि वह गोयबल्स ही नजर आ रहे हैं (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : इसके अतिरिक्त, मैं यह बात भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे किसानों की हमारी प्रधान मन्त्री में अटूट आस्था है। (व्यवधान) मैं भी एक किसान हूं और मैं उनकी भावनाओं को और लोगों से अधिक अच्छी तरह से जानता हूं (व्यवधान) किसान रैली के समय प्रधान मन्त्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि शहरी विकास के लिए जिन किसानों से भूमि का अधि-ग्रहण किया जा रहा है वह उन किसानों की समस्याओं से परिचित हैं। अतः सरकार हमारे कृषकों की समस्याओं से परिचित है किन्तु दिल्ली के लिए एक अधिनियम है यह 1894 में बनाया गया था और इसके अन्तर्गत मुआवजा दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भूमि-अधिग्रहण किया जाता है। अतः हमें इस अधिनियम का अध्ययन करना होगा और सरकार उस पर कार्य कर रही है कि उसमें कैसा संशोधन किया जाये कि मुआवजा दिया जा सके और किसानों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। अतः स्थिति यह है और सरकार भूमि के योजनाबद्ध विकास के लिए वचनबद्ध है।

आपने हरियाली का उल्लेख किया है। सरकार को इस सम्बन्ध में काफी चिन्ता है शहरी कला आयोग इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए मौजूद है। वह इस सम्बन्ध में सक्रिय हैं। दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है—आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि दिल्ली की जनसंख्या 62 लाख हो गई है।

प्रो. मधु दंडवते : उसके लिए भी जनता सरकार उत्तरदायी है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने उसका बिल्कुल उल्लेख नहीं किया है। यदि आप मुझे याद दिला रहे हैं तो मैं जनता सरकार का कभी उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि आपने कुछ भी कार्य नहीं किया था।

जब पहला मास्टर प्लान बनाया जा रहा था तो उस समय दिल्ली की अनुमानित आबादी 45 लाख थी, अब यह बढ़कर 62 लाख है। आप कल्पना कर सकते हैं अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की योजना है। हम उन्हीं आधारों पर कार्य कर रहे हैं ताकि जनसंख्या का दबाव कम किया जा सके। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पहले हरियाणा सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां थी। अतः मैं हरियाणा के वर्तमान मुख्य मन्त्री से बात करने का प्रयास कर रहा हूं। योजना आयोग ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास सम्बन्धी योजना का समर्थन किया था। अतः हम समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं और सरकार इस सम्बन्ध में पूरी तरह सचेत है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी से

प्रधान मन्त्री की कोठी के सामने जहां तक आप जाने देते हैं वहां तक दिल्ली के आस-पास के देहात के किसान धरना देकर बैठे हैं। 600 किसानों ने इसके जेल काटी है, गिरफ्तार हुए हैं। कितनी महिलाओं ने भी उसमें हिस्सा लिया । उसका यही कारण है कि डी. डी. ए. ने उनकी जमीन को नोटिफाइ किया है और उस जमीन के लिए 90 पैसे से 1 रुपया 70 पैसे प्रति स्क्वायर यार्ड आफर किया है। डी. डी. ए. का जो परफामेंस है लैंड ऐक्वीजीशन के बारे में वह बहुत ही पैथेटिक है अभी मुझसे पहले जो रूलिंग पार्टी के मेम्बर बोले हैं उन्होंने भी यह मंजूर किया है कि पिछले बीस साल में जब से 1894 के लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के सेक्शन 4 के अन्दर ऐक्वीजीशन का नोटिफिकेशन किया जाता है उसके बाद एवार्ड जो दिया जाता है उसमें भी एक-एक डिकेड का फर्क हो जाता है। उसके बाद भी उन्होंने बताया कि जो जमीन की कीमत किसान को दी जाती है उसमें और डी. डी. ए. को आक्शन में जो पैसा मिलता है उसमें कितना फर्क है। नेहरू प्लेस में जो जमीन एक्वायर की गई थी उसका दाम दिया गया है 1 रुपया और जब डी. डी. ए. ने बेचा तो उसकी कीमत हो गई 1 हजार रुपया। ऐसी दो तीन जगहों की बात मैं बता सकती हूं। समय नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूं। लेकिन यह जगह जो है अपने भाषण में इसके लिए उन्होंने कोई एकसप्लेनेशन नहीं दिया कि यहां यह क्यों हो रहा है ? क्योंकि यह ठीक है कि किसान के पास से जमीन ले रहे हैं, उसके बाद उसको जो कम्पेन्सेशन आप देते हैं वह भी बहुत देर के बाद देते हैं और नोटिफिकेशनके बाद किसान उस जमीन को किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फर्टाइल लैंड ऐसे ही पड़ी रहती है, उसका कोई यूज नहीं हो पाता, वह उसको डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल बहुत ही महत्व का है।

ये जो किसान प्रधान मन्त्री की कोठी के सामने बैठे थे उनकी मांग थी कि यह जो 20 साल में हालत हो गई है, उसमें यह था कि 74350 एकड़ जमीन नोटिफाई होगी, 16000 उसमें से डेवलप होगी और 5 हजार अंडर-डेवलप्ड रहेगी और बाकी जो जमीन है 30 हजार एकड़ से ज्यादा उसका कुछ हुआ नहीं, वह वैसी ही पड़ी हुई है। इसके बारे में मुझे लगता है कि सारे सदन को सोचना चाहिए और डी. डी. ए. की सारी फंक्शनिंग की एक एन्क्वायरी होनी चाहिए। एक बाजू से हम किसानों की रली बुलाते हैं उसके बाद बजट में किसान के लिए कुछ नहीं होता है, और फिर रैली बुलाने के बाद किसान की जमीन का ठीक तरह से कम्पेन्सेशन अगर नहीं देंगे तो किसान अपना जीवन आगे किस प्रकार ले जाएंगे ? तो इसका जवाब चाहिए कि इतने दिनों से जितने किसानों की जमीन आपने ली है या डी. डी. ए. ने ली है उनके परिवार के कितने लोगों को आपने दुकान दी है या कुछ कम्पेन्सेशन किस प्रकार से आप काइंड में देना चाहते हैं वह कितनों को दिया है ? दुकान के लिए लाइसेंस उनमें से कितनों को मिला है ? इसका जवाब भी आना चाहिए। किसान धरना देकर बैठे हैं और दिल्ली देहात कल्याण समिति के जो प्रेसीडेन्ट हैं उन्होंने एक मेमोरैण्डम दिया है, इसके बारे में आपने अपने जवाब में कहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है ? मुझे उसके प्रेसीडेन्ट, मि. सिसोदिया ने, उनके दूसरे कार्यकर्ता श्री कपूर ने और किसानों ने बताया कि अभी तक ज्वाइन्ट मीटिंग करके कोई फैसला करने का काम नहीं हुआ है। किसानों की यह मांग है कि उनकी फर्टाइल लैंड को नहीं लिया जाना चाहिए। आज भी दिल्ली में सब्जी

की कमी बनी रहती है। इसलिए अगर आप उनकी फर्टाइल लैंड को एक्वायर ही करते हैं तो उस जमीन पर पब्लिक पर्पजेज के लिए स्कूल्स, हास्पिटल्स वगैरह बनाने हों तभी एक्वायर करें। किसान भी कहते हैं कि उसके लिए हमारा कर्तव्य होता है, हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट हाउसिंग के लिए, एसोसिएशन्स के लिए उनकी जमीन को लेना चाहते हैं तो उसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अभी तक आपके पास जमीनों का एक्वीजिशन नहीं हुआ है तो डी. डी. ए. जमीन एक्वायेर करने के लिए क्यों नोटिस दे रहा है ? इसके लिए आपका कहना है कि आप 6 परसेन्ट इन्ट्रेस्ट देते हैं लेकिन आज बैंकों का रेट आफ इन्ट्रेन्स क्या है ? 1894 में जो 3 परसेन्ट रेट आफ इन्ट्रेस्ट था उसको आपने बढ़ाकर 6 परसेन्ट किया है। बैंकों का रेट बढ़ता जा रहा है, वह तीन-चार टाइम्स ज्यादा है तब सरकार 6 परसेन्ट क्यों देती है ? इसके बारे में भी क्या आप सोचने के लिये तैयार हैं कि जितना बैंकों का रेट है उतना ही देने की व्यवस्था की जाए ?

उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल को रेल रोको आन्दोलन शुरू करेंगे और उसके बाद जमीन का एक्वीजीशन करेंगे। आपने नोटिफिकेशन किया है लेकिन आगे और कुछ अगर नहीं करते तो वह लैप्स हो जायेगा, एक्वायर करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या आप यह भी बतायेंगे कि जब डी. डी. ए. में उसको एक्वायर करके जल्दी डेवलपमेन्ट करने की ताकत नहीं है तो एक्वीजीशन प्रीसीडिंगज आपने क्यों चलाई हैं ?

दूसरी बात यह है कि किसानों की जो मांग है कि आप नोटिस वापिस लीजिए और आगे जब कभी पब्लिक पर्पजेज के लिए जरूरत हो तो एक्वीजीशन हो जायेगा लेकिन दूसरी किसी काम के लिए नहीं - इस प्रकार का आश्वासन, मि. सिसोदिया और दूसरे लोग जो हैं उनके साथ बैठकर और बातचीत करके देने के लिए क्या आप तैयार हैं ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : सबसे पहले तो मैं श्रीमती प्रमिला दण्डवते जी से आग्रह करूंगा कि कोई आन्दोलन कराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश का हृदय है और यहां की आबादी में जो बढोत्तरी हो रही है उससे आप भी अवगत हैं। आप भी चाहती हैं कि दिल्ली के लिए द्वितीय मास्टर प्लान बने, उसके लिए जमीन एक्वायर हो और दिल्ली का सुनियोजित विकास का कार्यक्रम आगे बढ़ता चले तथा साथ ही किसानों को भी सही मुआविजा मिले।

जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो कानून है, जिसके अन्तर्गत मुआविजा तय होता है या जमीन एक्वायर की जाती है वह बहुत पुराना है। उसके अन्तर्गत मार्केट रेट से दाम दिए जाते हैं लेकिन जिस दिन से नोटिफिकेशन होता है उसी दिन से मार्केट रेट देने की बात होती है। ऐक्ट की धारा (4) के मुताबिक यह होता है लेकिन धारा (6) तक पहुंचते-पहुँचते, जबकि फाइनल एवार्ड बनता है, काफी टाइम निकल जाता है। इसका जेन्युइन मिला किसानों को है, जैसाकि मैंने शुरू में ही अपने जवाब में कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : डेवलपमेंट कास्ट वगैरह निकालने के बाद आप 50 परसेंट किसानों को भी दीजिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं कहने जा रहा था। पोजीशन यह है कि लोगों को मिला

है कि जब सेक्शन (4) में नोटीफाइ होता है उस वक्त का मार्केट रेट तय किया जाता है। इससे उनको मिला होता है। जैसा मैंने बताया, हम इस पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक आपने डी. डी. ए. के बारे में कहा, अभी एक माननीय सदस्य ने डी. डी. ए. के काम की सराहना की है। पिछले साल उन्होंने 24 हजार मकान बनाकर रिलीज किए। इस वर्ष की योजना में वे 50 हजार से भी अधिक मकान बनाने वाले हैं। डी. डी. ए. अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं है। मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप डी. डी. ए. के काम को जाकर देखें तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि दिल्ली के लिये बहुत अच्छा काम कर रहा है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : आप उन्होंने जो मैमारेंडम दिया है, उस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं, आन्दोलन बन्द करने के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने कहा कि हम इस पर देखेंगे।

श्री सज्जन कुमार (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली की बढ़ती हुई आवास की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण जमीन लेकर और जमीन पर लोगों के मकान बनाने के लिए व्यवस्था कर रही है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के किसानों को भी इस बात की जानकारी है कि हर साल दिल्ली में करीब एक लाख लोग जो दूसरे गाँवों और शहरों से आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए, जरूरी है कि सरकार जमीन लेकर और वहाँ पर लोगों के रहने के लिए मकान बनाए। किसान इस बात का स्वागत भी करता है। लेकिन किसान को ऐतराज इस बात का है कि 1961 में दफा 4 के नोटिस दिए गए और नोटिस देने के बाद किसानों से उन जमीनों को ले लिया गया और किसान का इन्टरेस्ट उस जमीन से समाप्त हुआ। 1961 में जो नोटिस दिये गये थे, आज 1981 में सरकार उस जमीन को ले रही है। मन्त्री जी ने अपने जवाब में यह कहा कि उन्हें 6 परसेंट का ब्याज दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे बीस बरस तक वह उपजाऊ जमीन, जिससे किसान अपना पेट भरता है, अपने परिवार का पेट भरता है और इसके साथ ही हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए खुराक की व्यवस्था करता है। बेकार पड़ी रही इस वजह से वह किसान उस जमीन पर काम करना, नए ट्यूब-वैल लगाना और नए सिरे से डवेलपमेंट करना छोड़ देता है-कारण यह कि किसी भी वक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण जमीन ले सकता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जिस दिन 1961 में दफा-4 के अन्दर नोटिस दिया गया था, तो उसको एक साल के अन्दर जमीन ले लेनी चाहिए थी। यदि किसी कारण वश नहीं ली जाती है, तो जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो बैंकों से ब्याज दिया जाता है और लिया जाता है, उसके आधार पर किसान को ब्याज देने की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस जमीन पर उसके पूर्वज और बुजुर्गों ने जमीन का सीना फाड़कर गर्मी में या सर्दी में अपने और अपने देश के लिए काम किया है, जब उसको वह जमीन देनी पड़ती है, तो उसको दुःख होता है। लेकिन उस वक्त उसको ज्यादा दुःख होता है जब एक तरफ उसका पुश्तैनी रोजगार खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ नौकरियों में स्थान नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के लोग, जो बहुत शोर करते हैं, किसानों की बात को आज ऊंची आवाज से उठाते हैं, 1977 से पहले हम जिन लोगों की जमीनों को लिया करते थे, उन्हें

1 प्रतिशत स्थान नौकरियों में देने की व्यवस्था की थी और सैकड़ों नौजवान लड़कों को जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरीकृत क्षेत्रों में आए, उनको नौकरियां दी गई थी लेकिन 1978 के अन्दर पिछली जनता पार्टी की सरकार ने उस रिजोल्यूशन को समाप्त कर दिया और 15 परसेंट जो नौकरियों में स्थान दिया जाता था, उस पर पाबन्दी लगा दी गई।

इसी जगह से रिहायशी बिल्डिंग की माननीय मंत्री जी ने बात कही। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के लोगों ने 1977 से 1980 तक कितने लोगों को रिहायशी प्लाट दिए और कितने लोगों को रिहायशी प्लाट देने बन्द कर दिये ? मैं माननीय मन्त्री जी के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकारण को बधाई देना चाहता हूं कि उनके सरकार में आने के बाद, हमारी सरकार के आने के बाद, उन्होंने जो दुकानें थी, उसमें 10 प्रतिशत रिजर्वेशन वहाँ के रहने वालों के लिए किया है और उसके साथ रिहायशी प्लाट, जो पहले देने की व्यवस्था थी, उसको पुन: शुरू किया है।

इसके साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जब दिल्ली विकास प्राधिकारण अधिग्रहीत उन जमीनों को कामर्शियल परपज के लिए बड़े ऊंचे-ऊंचे दामों पर बेचता है, एक-एक करोड़ और दस-दस करोड़ में बेचता है। हमें इस बात से बिलकुल भी ऐतराज नहीं है कि आप किसी कामर्शियल बिल्डिंग को किस रेट पर बेचते हैं, हमें ऐतराज इस बात का है कि वह जमीन, हमारी मां है, जिसमें से किसान अपना पेट भरते थे और इस देश का भी पेट भरते थे, उस जमीन की कीमत आप उचित दें। उस जमीन की कीमत आप मार्केट रेट से दें। 1961 में आप ने नोटिस दिया, उसके आधार पर अब 1 रुपये 20 पैसे या डेढ़ रुपये या दो रुपये गज जमीन की कीमत दी जाती है मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं क्या दो रुपये गज में कोई अच्छा कपड़ा भी खरीद सकते हैं ? 2 रुपये गज में तो दिल्ली क्लाथ मिल का लटठा भी नहीं मिलता है, लेकिन किसान से जमीन दो रु. गज में ले ली जाती है, इसी बात का दुःख किसान का है। आप इसके बारे में चाहे संविधान में संशोधन करें या किसी प्रकार का कोई अध्यादेश लागू करें लेकिन किसान को उसकी जमीन का उचित मूल्य मिलना चाहिये, जो आज की मार्केट कीमत है वह उसको मिलनी चाहिए।

आप की तरफ से रिहायशी प्लाट दिये जा रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। 1977 से 1980 के बीच में जिन शहरीकृत गाँवों को सरकार ने लिया उनके विकास के लिए एक ईंट भी नहीं लगाई गई, न वहाँ पर शौचालय बने और न दूसरे मुख सुविधा के साधन मुहिया किये गये, लेकिन आज मैं दिल्ली विकास प्राधिकारण को आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस वर्ष करीब 3 करोड़ रुपया खर्च करके उन शहरीकृत गाँवों को विकास की सुविधायें दी गई हैं। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ यह ठीक है कि आप रिहायशी प्लाट्स दे रहे हैं, दुकानों के प्लाट्स दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि जिन किसानों की जमीनें ली जाती हैं उनके लिये जिस तरह से 1977 से पहले 15 प्रतिशत स्थान नौकरियों में सुरक्षित किये जाते थे अब फिर से उनके लिये सुरक्षित किये जायं। इसके साथ ही वहां पर जो औद्योगिक प्लाट्स बनाये जायं, कामर्शियल प्लाट्स बनाये जाय उनमें भी उनको प्राथमिकता दी जाय और वे फिक्स्ड-प्राइस पर दी जांय।

एक निवेदन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हरिजन, भूमिहीन, बैकवर्ड क्लासेज के भाई

उन्हीं गाँवों में रहते थे, जिनका उन जमीनों के साथ सम्बन्ध था, जैसे कोई लोहार का काम करता था, कोई सुनार का काम करता था, कोई चमड़े का काम करता था, उस गाँव के किसान से उसका सम्बन्ध था उनको भी सुविधायें दी जाएं। तो जब आप किसान को रिहायशी-प्लाट देते हैं, कामर्शियल प्लाट देते हैं, नौकरियों में सुरक्षित स्थान देते हैं, तो फिर उन हरिजनों, भूमिहीनों और बैकवर्ड-क्लासेज के लोगों को क्यों नहीं देते हैं ? मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिये, जिससे इन भूमिहीनों, परिजनों और बैकवर्ड क्लासेज को भी प्लाट मिल सके। मैं यह भी चाहता हूँ कि जो भी सुविधायें आप अब तक देते आ रहे हैं वे सब उन को भी देते रहें।

मैं इस अवसर पर रोहिणी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। रोहिणी के बारे में बहुत प्रचार किया जा रहा है और अपोजीशन के लोग उसकी बहुत आलोचना कर रहे हैं। यह बात भी कही जाती है यह "अवन्तिका" का ही एक हिस्सा है। उस समय जब वह स्कीम शुरू हुई थी 500 मकानों का काम शुरू किया गया था, उनकी नींव भरी गई थी, लेकिन अभी तक उनको पूरा नहीं किया गया। आज दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "रोहिणी" के नाम से जो योजना शुरू की है-उसके लिये हमारे मंत्री जी और दिल्ली विकास प्राधिकारण बधाई के पात्र हैं। जब से रोहिणी की स्कीम का काम शुरू हुआ है, दिल्ली में जमीनों के दाम जो बहुत ऊंचे होते जा रहे थे, अब कुछ घटने लगे हैं। रोहिणी की वजह से आज दिल्ली के लोगों को आशा होने लगी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से उनको भी प्लाट मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मैंने जो सवाल आप के सामने रखे हैं उनको आप किस तरह से पूरा करने जा रहे हैं-इसके सम्बन्ध में हमको बतलायें।

श्री भीष्म नारायणसिंह : माननीय श्री सज्जन कुमार जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, उनमें बहुत से प्रश्न तो बहुमूल्य सुझाव के रूप में हैं···

अध्यक्ष महोदय : सवाल भी पूछे हैं।

श्री भीष्म नारायणसिंह : मैं वही निवेदन कर रहा हूं। मैं हमेशा माननीय सदस्यों के अच्छे सुझावों का स्वागत करता रहा हूँ। परन्तु दो बातों की तरफ आपके माध्यम से मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि किसानों को मार्केट-रेट के आधार पर दाम दिए जाएं। मार्केट-रेट का प्रावीजन एक्ट में भी है। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखा जाता है—जैसे आपने स्वयं ही कहा है कि रोहिणी प्राजेक्ट शुरू होने से पहले जमीन के दाम पहले जो बढ़ रहे थे, वे रुकने लगे हैं। डी. डी. ए. को बनाने का उद्देश्य भी यही रहा है कि जमीन के दाम बहुत ज्यादा ऊंचे न हो जाएं—इसके लिए अंग्रेजी में स्काई-राकेटिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी आसमान छूते हुये दाम न हो जाये। दोनों में संतुलन रखना होगा, किसानों को उचित मुआवजा मिले, जो मार्केट रेट के मुताबिक हो, लेकिन इतना ज्यादा भी न मिले कि डी. डी. ए. को विवश होकर प्लाट के ज्यादा दाम लेकर देना पड़े, स्काई-रकेटिंग न हो जाय, आसमान छूने वाले दाम हो जायं। इसलिये दोनों में संतुलन रखना पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाता है। जहाँ तक सरकार की मंशा की बात है, सरकार की मंशा ··

अध्यक्ष महोदय : आप का जो उत्तर है—इसमें 2262 प्लाट्स हैं जिनकी कीमत आपने 5 करोड़ 23 लाख 62 हजार 294 रुपये दी है, इसका अनुपात बैठता है—तकरीबन 23 हजार रुपये एकड़। इस बात का उनके प्रश्न से सम्बन्ध है—क्या इस कीमत पर जमीन मिल सकती है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने बतलाया है···

अध्यक्ष महोदय : वह उचित की बात कर रहे हैं। क्या यह उचित है कि 23 हजार रुपये एकड़ में दिल्ली में जमीन मिल सकती है ?

श्री भीष्म नरायण सिंह : मैंने शुरू में ही कहा था कि जब सैक्शन 4 में जमीन लेने के लिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन नोटीफाई करता है और जब सैक्शन 6 में फाइनल एवार्ड बनता है उस वक्त तक समय में बहुत अन्तर हो जाता है। नोटिफिकेशन के समय के मार्केट रेट और फाइनल एवार्ड के समय के मार्केट रेट में काफी अन्तर हो जाता है—यह एक कमी है। खुद मैंने इस बात को कहा है कि यह डिटेल की बात है और सरकार इसके डिटेल में जाना चाहती है। चूंकि इसके साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है और प्रधान मन्त्री जी का भी मैंने उद्धरण दिया है—जो कुछ उन्होंने कहा, इसलिये सरकार इन बातों को देखेगी और देख रही है और उचित कार्यवाही की जायेगी -

प्रो. मधु दंडवते : स्पीकर साहब की सहानुभूति भी ध्यान में रखी जाय।

अध्यक्ष महोदय : आखिर वह कहाँ से खायेगा, पेट तो उसे भरना ही है।

श्री भीमसिंह (भटनागर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि दिल्ली का एक्सपेन्शन होगा और पब्लिक यूटिलिटी के लिए जमीनें भी एक्वायर की जायंगी, पहले भी एक्वायर की गई हैं और आगे भी की जायगी। लेकिन जो पब्लिक इन्स्टीचूशन है, वह एक्वायर करने के बाद प्राइवेट आदमी की तरह से प्राफीटियरिंग करें, काश्तकार की जमीन को सस्ते दामों पर लें और लाखों करोड़ों रुपये बीच में कमाये, काश्तकार को बिलकुल अप-रूट कर दे—यह उचित नहीं है और उसके हित को सेफगार्ड करना ही इस चर्चा का मकसद है।

काश्तकार की जमीन एक दिन में डवेलप नहीं होती है। सदियों से पीढ़ियों से वह इरोडेड जमीन को डवेलप नहीं करता है, वह उसके लिए सोने का अन्डा देने वाली मुर्गी है। अगर डी. डी. ए. उसकी मुर्गी को जिबह करके बड़े इन्डस्ट्रीयलिस्ट को सिल्वर-प्लेट में सर्व कर दे तो गरीब किसान का तो सारा मामला ही खत्म हो जाता है। पब्लिक यूटिलिटी के लिए, स्कूल-कालेज के लिये आप जमीन लेकर वे और रीजनेबिल दाम पर दें तो वह बात मानी जा सकती है, लेकिन मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ— आपकी मीखा जी कामा प्लेस में 2300 एक्सायर यार्ड जमीन कई करोड़ रुपये में आइ-स्टैण्ड-टु-करैक्शन मुझे बतलाया गया है 6 करोड़ रुपये में बेची गयी है जिसका रफली 90 हजार रुपये प्रति-स्क्वयर-यार्ड वैल्यूएशन बनता है। मेरा निवेदन है—जब आप इतना रुपया प्राप्त कर रहे हैं तो किसान के लिए भी कोई परमनेन्ट कायम कर दें तब काश्तकार को कोई एतराज नहीं होगा। आपके जमीन लेने के बाद उसको डवेलप करते हैं डवेलप करने में आपका जो खर्चा आता है आप उसका 100 टाइम्स ले लीजिये, एक रुपये के 100 रुपये ले लीजिए, लेकिन वह जमीन जितने रुपये में आक्शन में जाती है, उसका 25 या 30 परसेन्ट काश्तकार को देने का तय कर दीजिये, तब काश्तकार को कोई ऐतराज नहीं

होगा। आपने फरमाया कि आप उसके लिये दुकानें 10 परसेंट रख रहे हैं। आप यह बतलाइये पीढ़ियों से वह काश्त कर रहा है, क्या ओवर-नाइट प्रोफेशन चेन्ज करके दुकानदार बन जायेगा अपने पास की पूंजी दुकान में लगायेगा तो वह भी चली जायगी, वह पापर हो जायगा। आपको देना है, तो उसको जमीन दीजिए। आपने यहां एक्वायर किया है तो दिल्ली से 10 मील पर 20 मील पर आप उसको जमीन एलाट कर दीजिए और जितनी जमीन उसकी ली है, उससे दुगनी उसको दे दीजिए परन्तु उन्हें उनके व्यवसाय में पुनः लाइये। ताकि वह उसमें सैटिल हासिल हो सके। वह दूसरे प्रोफेशन में कैसे जा सकेगा ?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करता हूं कि आज जो आप जमीनें लेते हैं, वे दस, दस साल तक यूटीलाइज नहीं हो पाती हैं। आज दिल्ली में, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है, 20, 20 साल से जमीनें यूटीलाइज नहीं हो पा रही हैं। वह डी. डी. ए. की इनएफीशियेन्सी है। जब आप जमीन को यूटीलाइज करने की तैयारी कर लें आप उसकी प्लानिंग पहले से बना लें, तब उनको यूटीलाइज कीजिये। इसके लिए आयन्दा के लिये पाबन्दी लगाई जाये कि जब से जमीन एक्वायर की जाये, एक या दो वर्ष में इसका उपयोग अवश्य किया जाना चाहिये। आप जमीन को लेकर उसका होर्डिंग करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अनाज वाले व्यापारी, काश्तकार होर्डिंग न करें। क्यों होर्डिंग करते हैं, आप का डी. डी. ए. होर्डिंग करता है तो फिर इस होर्डिंग में और उस होर्डिंग में क्या अन्तर हुआ ?

तीसरी बात मैं मुआवजे के क्वेश्चन के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। मुआवजे के क्वेश्चन के बारे में एक कमेटी बनी थी श्री आनन्द नारायण मुल्ला, मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट की अध्यक्षता में। वह कमेटी 1970 से पहले बनी थी क्योंकि उसकी रिपोर्ट सन् 1970 में आई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेन्श दिये थे लेकिन उन रिकमेंडेन्श को आज तक फालो नहीं किया गया है उन रिकमेंडेशन्श के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा। अभी जो मार्केट वेल्यू के बारे में आप ने उस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर पोटेंशियल वेल्यू भी मेंशन की गई है, उसमें मार्केट कम पोटेन्शियल वेल्यू का जिक्र है। वह किस काम के लिए यूटीलाइज होने वाली है, उसी पर उसकी कीमत आयेगी। जो जमीन को खरीदता है, तो सोचता है कि यह जमीन मैं इतने में खरीदूंगा और इस पर पेट्रोल पम्प लगाऊंगा, तो मुझे इससे इतना पैसा मिलेगा। उससे वह उस जमीन की वेल्यू को निर्धारित करता है। इसी तरह से जो प्राइवेट इंडस्ट्री वाला है वह सोचता है कि मैं इस जमीन को इतने में खरीदूंगा और इस पर इन्डस्ट्री लगाऊंगा, तो मुझे इतनी रिटर्न अपने रुपये की मिलेगी। तो वही जमीन की पोटेंशियल वेल्यू होती है। यह जो उनकी रिपोर्ट है, उसमें से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं पृष्ठ 231 में से उद्धृत करता हूँ :

'क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के सिद्धान्त मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें :

बाजार मूल्य :— सभी अधिग्रहित भूमियों के लिए क्षतिपूर्ति केवल बाजार मूल्य के आधार पर दी जानी चाहिए, जैसा कि अब तक स्वीकृति मार्गदर्शी सिद्धान्त रहा है।

'बाजार मूल्य' को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका यह अर्थ स्वीकृत हो चुका है कि ऐसा मूल्य जिसकी कोई बेचने वाला उचित कर सकता है तथा जिसे खरीदने वाला देने के लिये तैयार है।

संभन्य मूल्य :— भूमि का संभन्य मूल्य बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक संगत आधार होना चाहिए।

आगे उन्होंने पृष्ठ 71 पैरा 5.38 में बताता है :

"हमने संभान्य मूल्य के सिद्धान्तों पर, जोकि ...ीय न्यायालयों में भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण में अपनाये जाते रहे हैं तथा इगलैंड में इसको लागू करने पर लगाये गये प्रतिबंधों पर तथा विधि आयोग के विचारों पर भी ध्यान पूर्वक विचार किया है। दिन प्रति जीवन में कोई भी इच्छुक क्रेता के निकट भविष्य में भूमि सभन्य उपयोग पर ही ध्यान दे कर ही इच्छुक विक्रेता को दिये जाने वाले मूल्य का निर्धारण करता है। भूमि के सामान्य क्रय-विक्रय के सौदों में इस बात का ध्यान रोका जाता है।"

और खास तौर पर मैं निवेदन करता हूँ :

"भूमि के मालिकों को हम समुचित प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिये क्षति पूर्ति देते समय उस धन से वंचित नहीं करना चाहते, जोकि उन्हें अन्यथा बाजार मूल्य के रूप में उपलब्ध होता। इसलिए हमारा मत है कि भूमि का सभन्य मूल्य निर्धारण करने के लिए संगत आधार होना चाहिये जैसा कि ऊपर उद्धृत चेमुंडु के मामले में कहा गया है।"

इन शब्दों के साथ मुझे इतना ही निवेदन करना है कि यह प्राबलम खाली दिल्ली की नहीं है बल्कि मैं इतना और निवेदन करूंगा कि दूसरी स्टेट्स में भी जहां जहां पर आप ने अर्बन इम्यूवमेंट ट्रस्ट्स कोर्स किये हैं, मास्टर प्लान बनाए हैं, वहां पर काश्तकारों की लूटमार पूरे मुल्क में चल रही है। तो आप कम से कम स्टेट्स के जो अरबन इम्वप्रुमेंट ट्रस्ट्स के मिनिस्टर्स हैं उसका एक सेमिनार बुलाइये और उनको गाइडलाइन्स दीजिये ताकि काश्तकारों को उनकी जमीन की सही कीमत मिल सके और लूटपाट का तरीका बन्द हो सके।

श्री भीष्म नारायण सिंह : श्री भीम सिंह जी ने कई बातें सुझाव के रूप में कही हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम माननीय सदस्यों के सुझावों का आदर करते हैं। जहां तक गुल्ला कमीशन की रिपोर्ट की बात आपने कही है, वास्तविक रूप के उसका कृषि मत्रालय से ज्यादा सम्बन्ध है। आपकी चिंता है कि उचित दाम किसानों को मिले लेकिन जो सूचना मुझे मिली है उसके मुताबिक इसका सम्बन्ध कृषि मत्रालय से है।

मार्केट रेट के सम्बन्ध में मैंने बताया है कि जहाँ कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों के समाधान की चेष्टा की जा रही है और अब यह चेष्टा की जाती है कि सेक्शन चार में अगर नोटिफाई हो तो तीन साल के अन्दर अगर सेक्शन 6 में उसका अवार्ड न हो तो वह लेप्स समझा जायेगा। सरकार इस सम्बन्ध में सचेष्ट है।

आपने कामा प्लेस के आक्शन के बारे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो मास्टर प्लान बनता है उसमें प्लाट्स आईडेन्टिफाई हो जाते हैं कि उनका अलाटमेंट क्या होगा। सरकार के नियम के मुताबिक जो कमर्शियल प्लाट्स होते हैं उनको आक्शन किया जाता है। यह नियम पहले से चला आ रहा है। कमर्शियल प्लाट्स के तल्ले ऊपर तक जाते हैं, 16-16 और 17-17 तल्ले ऊपर जाते हैं इसलिए उनकी यूटिलिटी काफी हो जाती है और इस से उनका दाम भी ऊपर चला जाता है।

कमर्शियल प्लाट्स से, जो आप कह रहे थे, उसका ताल्लुक नहीं है, रिहायसी भूमि से उसका सम्बन्ध हैं। मैं आपसे फिर कहता हू कि जो आपने सुझाव दिये हैं ··

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि जो आप किसी प्रोफेसन के लिए या दुकान के लिये लेते हैं उनको तो जमीन दिल्ली के नजदीक मिले। यह एक खास सुझाव उन्होंने दिया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह एक सुझाव है।

श्री भीम सिंह : मंत्री महोदय ने फरमाया है कि मुल्ला कमेटी जो थी वह एग्रीकल्चर के लिए थी। यह रिपोर्ट मेरे हाथ में हैं और इसके इन्ट्रोडक्शन में लिखा है···

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 75 वर्ष पुराना है। जब यह अधिनियमित हुआ था तब वह भारत के संविधान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था।

यह ब्रिटिशर्स के टाइम में बना था और यह आज एक सेन्चरी पुराना हो गया है। यह एक पर्टिकुलर लेंड एक्विजिशन के लिए कमेटी अपोइंट हुई थी। इसका टर्म्स आफ रेयेंस क्या है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह · हमें जो सूचना मिली है वह यह है।

श्री एच. के. एल. भगत (पूर्व दिल्ली) : भूमि अधिग्रहण की प्रमुख समस्या, क्षति पूर्ति की अदायगी और उसके उत्पन्न होने वाले अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

हमें अति प्रसन्नता है कि जब कांग्रेस (आई) के हमारे संसद सदस्य प्रधान मंत्री तथा आवास मंत्री से मिले थे तो उनका रुख पर्याप्त सहानुभूतिपूर्ण था (व्यवधान)

आपने संघटन के बारे में कहा, मैंने इस पर आपत्ति नहीं की। आपने 50 व्यक्तियों की चर्चा की। मैंने आपत्ति नहीं की। मुझे आदर है।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस मामले पर कुछ कहा है। मुझे किसान रैली में प्रधान मन्त्री द्वारा कही गई बातों का भी पता चला है। भूमि की क्षति पूर्ति के बारे में मैं कहना चाहूँगा ·· (व्यवधान)

प्रधान मंत्री ने दिल्ली के बारे में कुछ कहा था। आप नहीं जानते (व्यवधान) कम से कम मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि दी जा रही क्षतिपूर्ति सर्वथा अपर्याप्त है तथा इतनी कम है कि कई मामलों में यह हास्यास्पद बन जाती है, जैसा कि मेरे इस ओर के तथा उस ओर के साथियों ने भी बताया है। इस बारे में कानून तथा अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्त अत्यन्त पुराने हैं तथा मैं समझता हूँ कि आज के हालात में तो वे क्कूर हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह अत्यन्त सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनायें। मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह कार्य कितनी जल्दी कर दिया जाएगा। यदि इस बारे में कानून बदलने की आवश्यकता है तो मैं सरकार से माँग करूंगा कि इस पर शीघ्र कार्यवाही करें तथा अपेक्षित विधेयक इस सभा में इसी सत्र में लाया जाये। मेरी यही माँग है। यह मांग बड़ी बेशक लग सकती है परन्तु यह बात मैं इसलिए चाहता हू क्योंकि भूमि अधिग्रहण आयुक्तों के पास तथा अपीलीय न्यायालयों के पास बहुत से मामले बकाया पड़े हुए हैं। यह ठीक है वह अर्ध न्यायिक कार्य है तथा वे अर्थ न्यायिक अधिकरण हैं वे कतिपय कानूनों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। श्रीमान, मैं इसके पूरे विवरण सभा में नहीं दे

रहा हूं। एक व्यक्ति उसी फार्मूला के अंतर्गत एक बात कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसी के अन्तर्गत भिन्न बात कहता है। एक अधिकरण ने एक बात कही है तथा अपीलीय अधिकारी ने अन्य बात कही है और नीचे का न्यायर्यकरण अपीलीय न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं करता। जब क्षति पूर्ति की राशि देनी होती है तो इसमें असाधारण रूप से विलरब होता है। और तो मैं भी कह सकता हूं कि क्षतिपूर्ति की अदायगी में तथा उसकी राशि निर्धारण में भ्रष्टाचार चल रहा है। अतः इस मामले पर शीघ्र तथा गम्भीरता पूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है तथा मैं इस सरकार से, जोकि किसानों के प्रति सहानुभूति रखती है, आशा करता हूं कि उसे शीघ्र ही इनको कठिनाइयों से मुक्त करें।

दिल्ली के तथा बाहर के मेरे कुछ साथियों ने कुछ बहुत सही बातें कही हैं। मुझे पता चला है कि एक मामले में क्षतिपूर्ति प्रति वर्ग गज 60 पैसे ही दी गई है, जबकि साथ लगी हुई उत्तर प्रदेश की जमीन के लिए 5 रुपए से भी अधिक क्षतिपूर्ति दी गई···

एक माननीय सदस्य : मारुति की भूमि ?

श्री एच. के. एल. भगत : मारुति की भूमि नहीं। मारुति के मामले काफी अधिक क्षति पूर्ति दी गई थी। मैं यमुनापार के क्षेत्रों की बात कर रहा हूं जहां पर पुनर्वास बस्तियां बनी हैं।

इस अधिग्रहण से बहुत से अन्य मामले भी उठते हैं। वे सभी संगत प्रश्न हैं तथा मैं मंत्री महोदय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करता हूं। पहले नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस जारी करने, वास्तविक अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति की अदायगी तथा भूमि का कब्जा लेने में कई वर्ष का समय लग जाता है। उसमें, क्षतिपूर्ति के प्रश्न के अलावा बहुत सी अन्य समस्याएं पैदा होती हैं। किसी स्थिति तक जमींदार को बेचने का हक था, उसने भूमि बेच दी, लोगों ने वह भूमि खरीदी तथा दिल्ली में आज लाखों लोग ऐसी भूमि पर बने पक्के मकानों में बसे हुए हैं। वह भूमि या तो अधिग्रहीत कर ली गई हैं अथवा अधिग्रहीत किये जाने की प्रक्रिया में है दिल्ली में समस्या भूमि अधिग्रहण की ही नहीं है। मंत्री महोदय को ऐसी भूमि का अधिग्रहण से मुक्त करना चाहिए क्योंकि वहां पर बने पक्के मकानों में लाखों लोग रहते हैं। यह इसी कारण है क्योंकि अधिग्रहण इस प्रकार किया गया की नोटिस जारी किये गये थे परन्तु भूमि की स्थिति वही रही, किसान को बेचने का हक था जबकि बिक्री पर रोक लगी हुई थी तो अन्य तरीके अपनाये गये थे। मैं जानता हूँ कि दिल्ली बढ़ रही है। यह अच्छी बात है। रोहिनी अच्छी योजना है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्य बहुत अच्छा रहा है, हाल ही में उसके कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है, विकास की गति तेज हो गई है। परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं जनहित में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। दिल्ली के कुछ मामले अत्यन्त स्पष्ट है जिनके बारे में मैं बहुत महसूस करता हूँ। रोहिनी अच्छी योजना है। आपको दिल्ली में अधिक आवास उपलब्ध कराने चाहिए। दिल्ली की जनसंख्या 3 लाख वार्षिक की दर से बढ़ रही है। एक लाख तो स्वाभाविक जनसंख्या की वृद्धि के कारण तथा शेष दो लाख बाहर से आने वाले, विशेष कर पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण। अब दिल्ली एवं सर्वदेशीक नगर है। यह छोटा भारत है।

प्रो एन. जी. रंगा (गुंटूर) : यह केवल पंजाब तथा हरियाणा से है···

श्री एच. के. एल. भगत : प्रो. रंगा की जानकारी पुरानी है। यदि उन्होंने पंजाब तथा

हरियाणा के लोगों को दिल्ली में देखा है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के हजारों लोग, दक्षिण भारत के लाखों लोग दिल्ली में बसे हुए हैं। कुछ लाख बिहार के भी हैं। यह छोटा भारत है। मैं यह कहता हूं कि दिल्ली की आबादी पर दबाव बढ़ा हुआ है···

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आन्ध्र के लोगों की संख्या मतदान में संतुलन करने के लिये काफी है।

मेरा निवेदन यह है कि जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है आवास की आवश्यकताओं पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बारे में मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा कार्य कर रही है। जनता शासन के दौरान पूरा गतिरोध पैदा हो गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक उपयोगी सेवा कर रही है। परन्तु मैं समझता हूँ कि आवास कार्य केवल डी. डी. पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम को क्यों नहीं सम्बद्ध किया जाता ? भारतीय जीवन बीमा निगम को आवास कार्यों के लिए बड़े रूप में सम्बद्ध किया जाना चाहिये। अन्य ऐजेंसियों को भी इस कार्य से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। तथा इस कार्य को केवल डी. डी. ए. पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिये। डी. डी. ए. तक सीमित रखने का अर्थ यह है कार्य को सीमित रखना। डी. डी. ए. को अन्य दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। इसलिए अन्य ऐजेंसियों का भी जनता को आवास देने के लिए उपयोग किया जाना चाहिये।

अब एक शब्द भूमि के मूल्यों के बारे में, जिनका कि इस मामले के साथ सम्बन्ध है। मैं जानता हूं कि हम सिद्धान्त रूप से इसे स्वीकार नहीं करते। मैं मानता हूँ कि भूमि नगर की सम्पत्ति है तथा इसका उपयोग नगर के विकास-सम्वर्धन, समाज कल्याण योजनाओं विशेषतः समाज के गरीब वर्गों के कल्याण कार्यों के लिए किया जाना चाहिये। दिल्ली में डी. डी. ए. ने यह कार्य किया है। डी. डी. ए. के धन का उपयोग करते हुए बहुत से लोगों को भली प्रकार बसाया जा चुका है। परन्तु उसके साथ ही भूमि के मूल्य बढ रहे हैं। मन्त्री महोदय ने बताया कि बहु मन्जलीय निर्माण के कारण मूल्य बहुत ऊंचे प्रतीत होते हैं। हो सकता है कि जो लोग उन्हें खरीदते हैं उनके साधनों से मूल्य अधिक न हों। फिर भी दिल्ली में भूमि के मूल्य बढ़ रहे हैं आज यह बम्बई से भी अधिक हैं। कुछ मामलों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के भूमि के मूल्य विश्व भर में सबसे अधिक हैं। इसलिए भूमि के मूल्यों को कम किया जाना चाहिए। एक साथ 20 प्लाटों की नीलामी से आप अधिक व्यवसायिक आवासों को उपलब्ध कर सकते हैं तथा शीघ्र मूल्यों को कर सकते हैं। इस बारे में कुछ न कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

दिल्ली में बहुत भीड़ है। आपने भूमि का अधिग्रहण किया है और करने जा रहे हैं। परन्तु दिल्ली में अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की समस्याओं का समाधान भीड़ कम करने में है। जनगणना के आकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में घनत्व सबसे अधिक है। अतएव दिल्ली में भीड़ कम की जानी चाहिए। ऐसा आप किस प्रकार कर सकते हैं मेरे एक सहयोगी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उल्लेख किया था। मन्त्री महोदय ने बताया कि वह हरियाणा से बात कर रहे हैं। यह सही है कि एक समय हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये एक स्वायत्त मन्डल बनाये जाने के विरूद्ध था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिकरण की स्थापना राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के

सहयोग से की गई थी और बहुत सा उपयोगी कार्य हुआ था। मैं समझता हूँ कि यह दिल्ली के प्रति सबसे बड़ी कुसेवा थी—मुझे पड़ोसी क्षेत्रों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना—और मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता—जनता के शासन के दौरान जब मन्त्रालय का भार एक दिल्ली के प्रतिनिधि के पास था तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विचार छोड़ दिया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूँ—वह अपनी फाइलों की छान-बीन करें कि 1977 में मेरठ, हापुड़, अलवर, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जैसे दिल्ली के पड़ोसी नगरों में पीने का पानी की सुविधायें उपलब्ध कराकर केन्द्रीय विद्यालय खोलकर तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराकर इनका सुधार करने के लिए वित्त तथा रेल मन्त्रालयों और राज्य सरकारों की सहमति से रचनात्मक और ठोस सिफारिशें की गई थीं। एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस मामले का अध्ययन किया था तथा सिफारिशें की थीं जिन पर विचार किया जाना था तथा जिन्हें क्रियान्वित किया जाना था। दुर्भाग्य से हम हार गये तथा आज हम पूर्व स्थिति में हैं। मन्त्री महोदय कृपया फाइल देखें तथा इन सिफारिशों को क्रियान्वित करें।

अन्त में मैं एक शब्द कह कर भाषण समाप्त करता हूँ। इन सब बातों के अलावा, ग्रामीण लोगों के लिये भूमि अधिग्रहण के अलावा विस्तार की समस्या है आप उन्हें विस्तार की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जब वे विस्तार करते हैं तब आप आपत्ति करते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। वे लाल डोरा भूमि को संभाले हुये हैं। आप उनसे कहते हैं—आपको अधिकार नहीं है। परन्तु आप लाल डोरा भूमि का विस्तार नहीं करते।

श्रीमान दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत सी समस्यायें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन तरह के गाँव हैं। एक शहरी गाँव हैं, दूसरे ग्रामीण गांव हैं और तीसरे ऐसे गाँव हैं जोकि वृद्ध योजना की नगरीकरण की सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं। मैं जानता हूँ कि डी. डी. ए. तथा अन्य एजेंसियां अच्छे इरादों से अपना योगदान दे रही हैं परन्तु फिर भी जो कुछ हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है तथा इन सभी समस्याओं का तुरन्त तथा गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

एक अन्य बात भूमि के आवंटन के बारे में है। आपके पास बहुत सी सरकारी भूमि है और आप निर्माण और आवास मंत्रालय के रूप में एक बहुतबड़ा भू-स्वामी है। भूमि इसलिये आपको यह छोड़नी पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं: आप शाहजहानाबाद के बारे में क्या कर रहे हैं। दिल्ली की भीड़ कम करने के लिए यह निर्णय किया गया था कि मिन्टो ब्रिज के आगे की भूमि को इस उद्देश्य के लिए रखा जाये। मुझे बताया गया है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के क्षेत्र में भूमि है। यह भूमि पुरानी दिल्ली के विस्तार के लिए रखी गई है। एक और बात-जब आप इन आवासों का आवंटन कर रहे थे—मैं यह बात बात अपने इस ओर अथवा उस ओर के साथियों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ उस समय आपने संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए कुछ आरक्षण रखे थे। परन्तु जनता सरकार ने उन्हें समाप्त कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप यह सुविधा दोनों को पुनः दें। मैं इन्हीं बातों का आप से उत्तर चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं अपने माननीय मित्र श्री भगत द्वारा किसानों की कठिनाइयों के बारे में व्यक्त विचारों से सहमत हूँ। यदि मैं यह कहूँ कि मैं पहले ही अपने भाषण में बहुत सी बातों का उत्तर दे चुका हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ। बहुत सी बातें कही गई है। आपके माध्यम से मैं श्री भगत तथा अन्य साथियों से कहना चाहता हूं कि इस मामले पर मैं उनसे परामर्श करके अत्यन्त उचित कार्य करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि हम इसके लिए सचेष्ट हैं।

विलम्ब के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अधिसूचना जारी किये जाने तथा अन्तिम निर्णय के बीच सदा समय का अन्तर होता। यद्यपि सरकार ने कुछ कार्यवाही की है, इस पर तीन वर्ष से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। ये लम्बे मामले हैं। हम उन पर विचार करेंगे श्री भगत का सदा स्वागत है मैं आपकी तथा अन्य सदस्यों की भी राय लूंगा तथा मामले में उचित कार्यवाही करूंगा। मुझे इतना ही कहना है।

श्री एच. के. एल. भगत : संसद सदस्यों के लिए आरक्षण के बारे में आपने क्या कहना है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : संसद सदस्यों के लिए आरक्षण के बारे में मैं समझता हूँ कि मैं एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता चुका हूं। पहले कुछ प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

श्री एच. के. एल. भगत : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे इन सुझावों के प्रति आपकी सहानुभूति है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं आरम्भ में ही बता चुका हूं। आपके विचारों से सहमत हूं। न केवल मेरी अपितु प्रधान मन्त्री की अपितु पूरी सरकार की इस मामले में सहानुभूति किसानों के साथ है। यह बात मैं आरम्भ में ही बता चुका हूं।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : श्रीमान मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्ध नहीं है। आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हुं कि सभी सदस्यों की संविधान के संरक्षण में रुचि है। आपकी अनुमति से इस प्रश्न की सवैधानिकता के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले नियमों को बदलें, तब यह प्रश्न करें। अन्यथा आप उपाध्यक्ष महोदय को पत्र लिखो।

श्री बापू साहिब परुलेकर : पत्र लिखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह 47वें संशोधन विधेयक के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे। श्री रामसिंह यादव

श्री बापू साहिब परुलेकर : आप मुझे अनुच्छेद पढ़ने की अनुमति नहीं देते। यह क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को एक और अवसर मिलेगा तथा आप इसकी चर्चा कर पायेंगे। अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे। श्री रामसिंह यादव।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : क्या आप लैंड एक्वीजीशन एक्ट में कोई संशोधन ला रहे हैं कि नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अरावली स्वचालित वाहन आटोमोबाइल लिमिटेड अलवर (राजस्थान) को पुनः चालू करने के उपाय

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, अरावली स्वचालित वाहन ओटोमोबाइल्स लि. अलवर सरकारी क्षेत्र की एक स्कूटर कम्पनी है। इसका उत्पादन 1978-79 में शुरू हुआ। कम्पनी के उत्पादों की बाजार में बहुत माँग थी परन्तु कुप्रबन्ध के कारण फैक्ट्री 1979 में बन्द करनी पड़ी। राजस्थान सरकार ने निर्णय किया कि इस फैक्टरी को किसी निजी कम्पनी को सौंप दिया जाये और अन्ततः उन्होंने मैसर्स केलवीनेटर कम्पनी से बातचीत की। केलवीनेटर कम्पनी फैक्टरी को खरीदने को तैयार हो गई परन्तु भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया यह फैक्टरी अभी भी बन्द पड़ी है तथा उसके कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं, उन्हें लगभग एक वर्ष से कोई वेतन नहीं मिल रहा है। इन दिनों उनके लिए अपने परिवारों के साथ इतनी लम्बी अवधि तक बिना किसी वेतन के निर्वाह करना बहुत कठिन है। सरकार ने अभी तक अरावली स्वचालित आटोमोबाइल्स लि. अलवर के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है कि क्या उसे सरकारी क्षेत्र में ही चलाना है अथवा उसे बातचीत द्वारा किसी भी रूप में सरकारी हित में किसी निजी कम्पनी को सौंपना है।

इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अरावली स्वचालित वाहन आटोमोबाइल्स लि. के बारे में शीघ्र निर्णय ले ताकि फैक्टरी को यथाशीघ्र सरकार के तथा कर्मचारियों के हित में चालू किया जा सके।

(दो) आयुध वस्त्र कारखाना, शाहजहांपुर की क्षमता के उपयोग में सुधार करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : महोदय, मैं सरकार का, विशेष रूप से रक्षा उत्पादन मंत्री का, ध्यान शाहजहांपुर आयुध वस्त्र कारखाने की ओर दिलाना चाहता हूँ, सभी जानते हैं कि यह एसिया की सबसे बड़ा आयुध वस्त्र कारखाना है और किसी समय इसमें 14000 आदमी काम करते थे। पर काम कम होने के कारण आज वहाँ केवल 7,000 आदमी हैं, इस कारखाने में यदि काम बढ़ा दिया जाए तो उसके पास इतनी भूमि, भवन, तकनीकी जानकारी आदि उपलब्ध हैं कि वह उसमें दो गुने आदमी काम पर रखे जा सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि सीमा सुरक्षाबल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, औद्योगिक सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल तथा राज्य की सिविल और सशस्त्र पुलिस जैसे अर्ध-सैनिक बलों की वर्दियाँ बनाने के काम के लिए बड़े पैमाने पर इस कारखाने को आर्डर दिलाएं। सशस्त्र सेना को कई प्रकार की वर्दियों की जरूरत होती है पर इनका निर्माण प्राइवेट कम्पनियों से कराया जा रहा है। इन सब मदों के निर्माण का काम शाहजहापुर कारखाने को दिया जाना चाहिए ताकि इसकी नियोजन क्षमता में सौ प्रतिशत की वृद्धि की जा सके। इससे बेरोजगारी कम होगी और सशस्त्र सेनाओं एवं अन्य सरकारी संगठनों को बेहतर किस्म का माल मिल सकेगा।

(तीन) कर्नाटक में देवदासी प्रथा समाप्त करने के उपाय

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी ही पीड़ा एवं लज्जा का विषय

है कि 33 साल की आजादी के बाद भी आज देश के एक भाग — कर्नाटक— में देवदासी प्रथा प्रचलित है। दकियानूसी विचारों एवं अंध विश्वासों पर आधारित, भोग विलास में लिप्त स्वेण पुजारियों द्वारा धर्म की आड़ में अनभिज्ञ एवं निरीह अबलाओं के साथ अदियों पुराना चला आ रहा यह कुचक्र आज स्वतंत्र भारत के मस्तिष्क पर कलंक का टीका मात्र बन कर रह गया है। विदित हुआ है कि आज भी प्रतिवर्ष लगभग पाँच हजार देवदासियां बनाई जा रही हैं। उनमें अधिकांश बम्बई, पुणे, कोल्हापुर आदि नगरों में अपनी अस्मत बेचने को बाध्य हो रही हैं। यह नारी उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। यह कितना अमानवीय है कि 5,6 वर्ष की अबोध बालिकाएं दे वदासी बना दी जाती हैं और वे जीवन-पर्यन्त कठोर यातनाएं सहती रहती हैं।

क्षोभ की बात है कि इस घृणित प्रथा के उन्मूलन के लिए जो भी उपाय अपनाये गए वे पूर्णरूपेण प्रभावहीन हैं। 1907 में मैसूर के तत्कालीन महाराजा ने इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। तत्पश्चात् ब्रिटिश शासन में 1934 में देवदासी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। परन्तु निष्ठा के अभाव में इनका कार्यान्वयन विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ।

मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से सविनय आग्रह करूंगा कि जो भी उपाय आवश्यक हों, तत्काल कठोरता से अपनाये जाएं जिससे इस लज्जाजतक प्रथा का अविलम्ब उन्मूलन हो सके। साथ ही वर्तमान देवदासियों के पुनर्वास एवं जीविकोपार्जन के लिये प्रभावकारी एवं व्यवहारिक कार्यक्रम चलाये जायें जिससे उन्हें अपनी दुखियारी जिन्दगी में कुछ राहत मिल सके।

(चार) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विज्ञान नीति अध्ययन केन्द्र को बन्द किये जाने का समाचार

श्री के. ए. राजन (त्रिपुर) : विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राधिकारी विश्वविद्यालय के विज्ञापन नीति अध्ययन केन्द्र को बन्द करने की बात सोच रहे हैं। इससे छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

रमान्ना समिति इसलिए नियुक्त की गई थी कि वह विश्वविद्यालय में विज्ञान नीति अध्ययन के लिए एक व्यवहारिक कार्यक्रम तैयार करेगी, न कि इसलिए कि वहां जो कुछ विद्यमान है उसे ही समाप्त कर दिया जाए।

रमन्ना समिति की रिपोर्ट से पूर्व भी यह केन्द्र पिछले मार्च से लगभग बन्द सा है।

इसको बन्द करने का अर्थ है शोध छात्रों को अपने कार्य के अन्तिम चरणों में बाहर निकाल फेंकना।

विश्वविद्यालय ने कोई आदेश जारी नहीं किया फिर भी प्राधिकारियों ने मनमाने ढंग से केन्द्र के मूल स्वरूप को ही बदल डाला है।

अतः मैं सरकार से इस केन्द्र को बन्द करने के प्रस्ताव को समाप्त करने का आग्रह करता हूं।

(पांच) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना बरेली में करने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच खोले जाने के लिए बरेली व उसके आसपास के 8.10 जिलों के

वकील कई दिन से हड़ताल करके व अदालतों का बहिष्कार कर के सार्वजनिक सभायें व जूलूसों का आयोजन कर रहे हैं। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में पिथोरागढ़, चमोली, टेहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल के निवासियों को भी बरेली में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित होने से अत्यधिक लाभ होगा। वकीलों व जनता की यह मांग सर्वथा उचित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आठरह हजार मुकदमे अनिर्णीत पड़े रहना भी इस मांग का औचित्य सिद्ध करता है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस प्रश्न पर मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए बरेली में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना की मांग करता हूं।

(छः) राजस्थान के एक जिला और सेशन न्यायाधीन के 16 मार्च 1981 से लापता होने का समाचार

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : राजस्थान का एक जिला और सैशन जज 16 मार्च, 1981 से रहस्यमय ढंग से लापता है। झुंझुन के श्री मंगत राम मित्रुका, जिन्हें स्थानांतरित किया जा रहा था, श्री आर. एल. गुप्त के घर के आगे संदिग्ध तरीके से घूम रहे व्यक्तियों का पीछा करते हुए श्री गुप्त के घर से बाहर निकले। श्री मित्रुका कुछ दस्तावेज लेकर दिल्ली आए थे और राजस्थान न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ करना चाहते थे। श्री मित्रुका के पास जो दस्तावेज थे उनके बारे में वह 9 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिले थे। कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली में उनका पीछा कर रहे थे। वे लोग बिलड़ा मंदिर में उनके उस कमरे में भी गए जहां श्री मित्रुका ठहरे हुए थे। बाद में वह दिल्ली के अतिरिक्त जिला न्यायधीश श्री आर. एल. गुप्त के घर चले आये। पर श्री गुप्त के घर भी कुछ लोग उनका पीछा करते रहे। 6 मार्च को श्री मित्रुका ने उन लोगों का पीछा किया जो श्री गुप्त के घर के बाहर संदिग्ध रूप में घूम रहे थे। श्री मित्रुका ने राजस्थान उच्च न्यायालय के सतर्कता रजिस्ट्रार की हैसियत से राजस्थान न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ दस्तावेजीय साक्ष्य इकट्ठा किया था। पीछे भी श्री मित्रुका को जान से मार डालने की कई धमकियां दी गईं। उनके अचानक सहायपूर्ण तरीके से लापता हो जाने से लोगों में गम्भीर क्षोभ है। मैं केन्द्रीय विधि और गृह मंत्रियों से श्री मित्रुका को तलाश करने में सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में दूर-संचार सुविधाओं में सुधार करने के उपाय

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपद दूरसंचार सेवाओ के संदर्भ में बहुत पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण स्वरूप यहां के लोगों को बहुत अधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है :—

(1) यहां के जनपदों के मुख्यालयों को माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा लखनऊ व देहली से जोड़ा जाना आवश्यक है, ताकि प्रदेश की व देश की राजधानी से यहां के लोगों का सीधा सम्बन्ध जुड़ सके।

(2) यहां पोस्ट आफिसों व पब्लिक कॉल आफिसों को खोले जाने के संदर्भ में विभाग के वर्तमान मानकों को बदला जाना आवश्यक है, ताकि यहाँ अधिक से अधिक पोस्ट आफिस व पब्लिक काल आफिस खुल सके। वर्तमान समय में कई दूरस्थ क्षेत्रों का सम्पर्क जिला व तहसील

मुख्यालयों से नहीं है। इसके अभाव में न केवल यहाँ प्रशासन कुप्रभावित होता है, अपितु स्थानीय जनता भी इन वर्तमान सुविधाओं से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह जाती है। यहाँ कई क्षेत्रों में स्थानीय सब-पोस्ट आफिस में डाक आने के बाद तीन दिन डाक के बंटने में लग जाते हैं।

(3) अल्मोड़ा नामक स्थान में डी. ई. टी. का मुख्यालय खोला जाये, ताकि जिला अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ व चमोली के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

(4) संचार विभाग के इन जनपदों में कार्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया जाये, ताकि इन दुर्गम सुविधा-विहीन क्षेत्रों में कर्मचारी काम कर सकें।

(5) यहाँ कार्यरत समस्त केन्द्रीय कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाये, क्योंकि यहाँ की सेवा-स्थितियों को देखते हुए प्रान्तीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाता है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर संचार मन्त्री जी से निवेदन है कि वह अविलम्ब ध्यान देने की कृपा करें।

(आठ) चित्तौड़गढ़ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रान्त में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अत्यधिक प्रभाव है। लम्बे समय से यह माँग की जाती रही है कि एक रसायन उर्वरक कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में यहां डाला जाये। अभी हाल ही में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने भी इस दृष्टि से राजस्थान का दौरा किया। मान्यवर, मेरा भी निवेदन है कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला सब तकनीकी दृष्टियों से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है, क्योंकि :—

(1) चित्तौड़गढ़ के पास ही उदयपुर में झामर कोटड़ा नामक स्थान में प्रतिदिन 600 टन राक फास्फेट निकलता है, जो कच्चे माल के रूप में रसायन खाद बनाने के काम आता है। देश का 96 प्रतिशत राक फास्फेट राजस्थान से ही निकलता है, जिसे ढोकर दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है।

(2) इस रसायन खाद के कारखाने के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। राजस्थान के इसी भाग में सरफेस वाटर उपलब्ध है। घोसुन्डा नामक स्थान पर बेडच नदी पर बाँध बन रहा है, इससे पानी को रोका जाएगा। इस सरफेस वाटर का पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है।

(3) अभी हाल ही में कोटा-चित्तौड़गढ़ ब्राडगेज लाइन मन्जूर हो गई है। अतः यदि यह रसायन उद्योग वहां होगा, तो माल को निकालने में किसी तरह की परेशानी नहीं पड़ेगी।

अतः इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उद्योग मन्त्रालय का ध्यान दिलाना चाहूँगी कि राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का डाला जाना विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रसायन उद्योग के लिए चित्तौड़गढ़ ही सबसे उपयुक्त स्थान है। इस बात का ध्यान रखा जाये।

(नौ) हैजा और मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए यमुना पार की कालोनियों में सफाई की व्यवस्था

श्री भीखा भाई (वांसवाड़ा) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :

यमुना पार कालोनियों में लक्ष्मी नगर और गुरु अंगद नगर कालोनियां बीस साल से भी अधिक पुरानी है। लक्ष्मी नगर में एफ. ब्लाक और गुरु अंगद नगर एक्सटैन्सन सबसे पहले आबाद हुए थे। इन ब्लाक्स में न अभी आवागम्मन के लिए सड़कें ही हैं और न गन्दे पानी की निकासी के लिए नाले-नालियां। ऊपर से आबादी के बीच में और प्राइमरी स्कूल के निकट ही गन्दगी डालने की नगर निगम की गार्बेज-बिन भी बनी हुई है जिसकी सफाई कई-कई दिन तक इसलिए सफाई-ट्रक नहीं करते क्योंकि वहां पर सड़क नहीं है।

इस कालोनी की गलियों में गन्दा पानी भरा हुआ है जिससे आवगमन की कठिनाई के अतिरिक्त गन्दे पानी और गन्दगी के कारण मलेरिया और हैजा जैसे संक्रामक रोगों का वहां सदा प्रभाव बना रहता है।

इस विषय में मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि जहां दासियों हजार की तादाद में स्त्री-पुरुष और बच्चे धीरे-धीरे मौत के मुंह में स्थानीय लोकल सेल्फ वाडीज द्वारा धकेले जा रहे हैं, ऐसे नारकीय क्षेत्र का एक बार वे स्वयं निरीक्षण करने का कष्ट करें क्योंकि डी. डी. ए. और नगर निगम तो मात्र लोगों से सम्पत्ति कर वसूल करता है। तो उनसे ये अपेक्षित है कि वे वहां के निवासियों का दुख दर्द भी सुने।

मैं आशा करता हूँ कि गर्मियों में हैजा और मलेरिया जैसे रोगों की महामारी फैलने से पहले ही मंत्री महोदय कुछ कर सकेंगे।

(दस) मेसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्रा. लि. कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर): मेसर्स कार्टर कूलर एण्ड कं. प्रा लि. कलकत्ता के राष्ट्रीयकरण मामला काफी अर्से से लम्बित पड़ा है। इस विषय में मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि भूतपूर्व रक्षा मन्त्री ने पश्चिम बंगाल को एक पत्र लिखा था कि कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का प्रारूप प्रस्ताव निर्माण के अन्तिम चरणों में है और कई सरकार के फैसले के अध्यधीन नई लोक सभा में इस बारे में एक विधेयक पेश किए जाने की सम्भावना है। तब से कई संसद सदस्य एवं कर्मचारी यूनियन सरकार से इस बारे में अभ्यावेदन करते आ रहे हैं, पर सब निष्फल रहा है।

इस असाधारण विलम्ब के कारण उद्योग मंत्रालय को कई अवसरों पर प्राधिकृत मालिकाना नियन्त्रण अवधि बढ़ाने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करनी पड़ी है। कर्मचारियों में नौकरी की असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की दिशा में शीघ्र कार्यवाही की जाए।

विशेष वाहक बन्ध पत्र (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक जारी—

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री आर. वेंकटरामन द्वारा 18 मार्च, 1981 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी, अर्थात् :

"विशेष वाहक बन्धपत्र, 1981 के धारकों को कुछ उन्मुक्तियां तथा ऐसे बन्धपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों से कुछ छूटों और उनसे सम्बद्ध विषयों की बाबत उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं विचार किए जाने के प्रस्ताव को अब सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैंने कल अपना संशोधन पेश किया था और आपने कहा था कि मुझे आज बोलने की अनुमति दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन कल निपटाया जा चुका है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : कल आपने माननीय सदस्य से कहा था कि उन्हें उस समय बोलने की अनुमति दी जाएगी जब आपके ध्यान में यह बात विशेष रूप से लाई जाएगी कि उन्होंने 205 पर नहीं अपितु विधेयक के परिचालित करने के लिए संशोधन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनके संशोधन को निपटा चुके हैं। मेरे विचार में वह अब नहीं बोल सकते। मैंने उनसे बाद में बोलने को कहा था।

अब मैं विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को सभा के···मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि विशेष वाहक बन्धपत्र, 1991 के धारकों को कुछ उन्मुक्तियां तथा ऐसे बन्धपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों से छूटों और उनसे सम्बद्ध विषयों की बावत उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। खंड दो पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खन्ड 2क (नया)। श्री मूलचन्द डागा···उपस्थित नहीं हैं।

खण्ड 3

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(3) कोई व्यक्ति जो ऐसे विशेष वाहक बन्धपत्र खरीदा है एक कानूनी बयान देगा कि उक्त बन्धपत्र खरीदने के पश्चात् उसके पास काला धन नहीं है।" (2)

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 11,—

"(क)" के पश्चात "लोक सेवक के सिवाय"

अन्त स्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 15,—

"अधीन" के पश्चात् "लोक सेवक के सिवाय"

अन्तःस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 20,—

"कि" के पश्चात् "लोक सेवक के सिवाय"

अन्तःस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 23 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"स्पष्टीकरण—धारा 3 (1) और धारा 4 के प्रयोजनों के लिए लोक सेवक से भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित रूप में व्यक्ति अभिप्रेत है।" (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29,—

"किसी" से पूर्व "सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभियोजन या की गई कार्यवाही के सम्बन्धमें या" अन्तःस्थापित किया जाए।" (7)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित

अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(3) उपधारा (1) में की गई कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी, जो आर्थिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध हैं और जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम या चोर बाजारी और जमाखोरी निवारण अधिनियम और जिनके निरोध को किसी बोर्ड, अधिकरण या न्यायालय ने अपास्त न किया हो।" (8)

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, प्रश्न यह है कि जो प्रयास किया जा रहा है उसमें सफलता कहाँ तक मिलेगी? यह सारा काला धन हिन्दुस्तान पर छाया रहेगा और हिन्दुस्तान के लोग या हिन्दुस्तान की सरकार कभी ऐसी निश्चित स्थिति में नहीं पहुँच पायेगी कि काले धन से उसको छुटकारा मिल जाए। यह काला धन रखने वाले जो सरमायेदार हैं उनको हमेशा प्रोटेक्शन मिलती आई है। अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती तो वे जबर्दस्ती ले लेते हैं। मजबूर होकर उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैं अपने अमेन्डमेन्ट के जरिए से केवल यह चाहता हूँ कि वह स्थिति कब आयेगी जबकि हिन्दुस्तान में कहा जायेगा कि यहां काला धन नहीं है। वित्त मन्त्री जी ने एक शुरूआत की है जिससे काला धन प्रकट हो लेकिन क्या उनसे यह नहीं कहा जा सकता है कि बेयरर बांड खरीदने के बाद ये एक ऐसा लीगल स्टेटमेन्ट दें कि अब उनके पास काला धन नहीं है। नहीं तो सरकार इस प्रकार से काला धन निकालने का प्रयास करती जाएगी और काला धन बढ़ता जाएगा। हमारे वित्त मन्त्री जी ने राज्य सभा में कहा था कि प्यार न करने वालों से प्यार करने की कोशिश करने वाले अच्छे होते हैं लेकिन मेरा कहना है कि प्यार करने में विफलता के कारण जो परिणाम होता है वह काफी गम्भीर होता है। सरकार ने जो राष्ट्रीय हित में काला धन लगाने की बात कही है वह उद्देश्य तो बहुत अच्छा है परन्तु इसके कारण जिनके पास काला धन है वे बहुत सजग हो जायेंगे। अभी आपके पास काला धन की कोई बड़ी राशि नहीं आ सकी है। मैं समझता हूँ जितनी राशि हिन्दुस्तान की सरकार के पास है या

जितना आपके बजट में प्राविधान किया है उतना पैसा तो काला धन रखने वालों के पास भी है जिससे कि उनका प्रभाव राष्ट्र पर छाया रहता है। इसके सोल्यूशन के लिए मैंने आपको एक सुझाव दिया है कि बीयरर बांड खरीदने के बाद वह अपना एक लोगस स्टेटमेंट दें कि इसको खरीदने के बाद अब मेरे पास कोई काला-धन नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार आप अमेंडमेंट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री बापू साहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आठों संशोधन पेश कर दिये हैं और आप कृपया इन आठ संशोधनों के लिए मुझे समय देने पर विचार करें।

महोदय, इन आठ संशोधनों में से संशोधन संख्या 3 से 5 और 9 तथा 10 एक ही किस्म के हैं और संशोधन संख्या 6 का सम्बन्ध संशोधन संख्या 3 से 5 और 9 तथा 10 से है क्योंकि उसमें "लोक सेवक" का स्पष्टीकरण दिया गया है और महोदय, संशोधन 7 और 8 स्वतन्त्र संशोधन है

महोदय, मैं पहले संशोधन संख्या 7 के बारे में कहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : पारुलेकर जी, संशोधन संख्या 9 और 10 खन्ड 4 के अन्तर्गत हैं। केवल 8 तक।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैंने केवल यही कहा है कि वे एक जैसे हैं। महोदय, खन्ड 3 के उप-खन्ड 2 में उस उन्मुक्ति से छूट की व्यावस्था है जो खन्ड 3(1) के अन्तर्गत स्वीकृत है। उप-खन्ड 2 में यह उल्लेख किया गयाहै कि उप-खन्ड एक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो दंड संहिता के अधीन किए गिए किसी अपराध पर तथा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम आदि के अधीन किये गये किसी अपराध पर लागू होती है। अर्थात् मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई लोक सेवक अपनी आय से अधिक की सम्पति का अर्जन करता है तो वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दन्डनीय है, किन्तु यह मालूम होता है कि उस विशेष मामले में जांच करने के लिए यह छूट दी गयी है और ठीक दी गई है। किन्तु भ्रष्टाचार का तथा काले धन का प्रमुख स्रोत तस्करी है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के द्वारा रोका तथा नियन्त्रित किया जा रहा है मेरा सुझाव यह है कि जहां तक दन्ड संहिता के अधीन तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोग चलाने का सम्बन्ध है जब आप खन्ड 1 के अधीन उन्मुक्ति की छूट दे रहे हैं। तो यह नितांत आवश्यक है और मैं तो कहूँगा कि यह अधिक आवश्यक है कि सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन कार्यवाही तथा अभियोग की उन्मुक्त से छूट दी जाये मैं जो यह बात कह रहा हूँ कारण यह है उसका मान लिया जाये कि मेरे पास टेप पर रिकार्ड की गई बातचीत का साक्ष्य है, मेरे पास यह साक्ष्य है कि किसी बाहरी देश से निषिद्ध माल की तस्करी की गई है तथा मेरे पास यह भी साक्ष्य है कि ऐसे माल को किसी विशेष दुकान पर बेचा गया है, इत्यादि तो जैसा कि, मैंने कहा है कि ऐसे निषिद्ध माल की बिक्री के परिणामस्वरूप जो धनराशि किसी को प्राप्त होती है उसे इन विशेष बांडों के अन्तर्गत रख दिया जायेगा तो इस प्रकार उन्मुक्ति मिल जायेगी। तस्करी की सम्पति की बिक्री से खरीदे गये बांडों को उन्मुक्ति मिल जायेगी। किन्तु यदि कोई व्यक्ति गबन करता है और गबन की गई राशि को बांड में बदलता है तो उसे उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि कोई लोक सेवक अपनी आय से अधिक की सम्पति अर्जित कर लेता और बांड खरीदता है तो उन्मुक्ति नहीं दी जायेगी, किन्तु तस्कर को उन्मुक्ति दी जायेगी।

इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इसमें सीमाशुल्क के अधीन कार्यवाही तथा अभियोग चलने से छूट देने का इरादा है।

तथापि इस शब्दावलि से देश के नागरिक यह महसूस करेंगे कि यह सरकार तथा हम सब इन तस्करों को विशेष रियायत देना चाहते हैं। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि वे मेरा संशोधन संख्या तथा खन्ड 3(2) में निम्नलिखित शब्दों के अन्तःस्थापन को स्वीकार करें तो इसका अच्छा लाभ होगा :

"सीमशुल्क अधिनियम के उपबन्ध के अधीन अभियोजन या की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में"

अन्यथा आप उन्हें तस्करी करने और उस धन को इन विशेष क्षेत्रों में निवेश करने की खुली छूट दे रहे हैं।

मेरा दूसरा संशोधन भी जो संशोधन संख्या है। एक महत्वपूर्ण संशोधन है। आपको याद होगा कि जब हम "कोफेपोसा" विधेयक पर पिछली संसद में वाद-विवाद कर रहे थे तो प्रत्येक व्यक्ति ऊंची आवाज में कह रहा था कि चोर बाजारी और जमाखोरी को रोका जाना चाहिए, अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के बावजूद यह कानून आवश्यक है। महोदय यह दिखाने के लिए कि सरकार इन चोरबारी करने वालों तथा जमाखोरों को गलत तरीके से संरक्षण नहीं देना चाहती है, मैंने यह संशोधन रखा है। इस संशोधन में कहा गया है कि इस विशेष अधिनियम में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि वे चोरबाजारी करने वाले तथा जमाखोर, जिन्हें सम्बद्ध अधिनियम के अधीन कभी हिरासत में लिया गया हो और जिनकी हिरासत को न्यायाधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया हो, खन्ड 3(1) के अधीन इस उन्मुक्ति के हकदार नहीं होंगे। मेरा यह अनुरोध है कि इसमें एक कठिनाई है क्योंकि कोई भी जाकर बांड खरीद सकता है किन्तु इसमें जांच की भी व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना है कि इसमें जांच का उपबन्ध होना चाहिए और जिन्हें "कोफेपोसा" अथवा चोरबजारी और जमाखोरी निरोध अधिनियम के अधीन हिरासत में लिया गया है उन्हें खण्ड 3(1) के अधीन उन्मुक्ति का काम पाने का हक नहीं होना चाहिये। तभी लोग यह महसूस करेंगे कि संसद तथा इस सरकार की वास्तविक धारणा चोरबाजारी करने वालों, जमाखोरों और तस्करों की रक्षा करना नहीं है।

अन्त में जहां तक संशोधन संख्या 3, 4, और 5 का सम्बन्ध है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने खन्ड 4 के अन्तर्गत भी इसी प्रकार का संशोधन दिया है। मैंने सुझाव दिया है कि लोक सेवकों को उन्मुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। अतः मैंने कहा है कि लोक सेवक के सिवाय किसी भी व्यक्ति को जिसने इन बांडों में धन जमा किया है उसके लिए अपना धन प्रकट करना आवश्यक होगा "लोक सेवक" का अर्थ वही है जो भारतीय दन्ड संहिता में इसको परिभाषा दी गई है जिसमें माननीय सदस्य अर्थात् संसद सदस्य और विधान सभा, जिला परिषद तथा पंचायत समितियो के सदस्य शामिल हैं। अन्यथा समस्त देश में एक ऐसी सामान्य धारणा बन गई है कि राजनीतिज्ञों, मंत्रियों और संसद सदस्यों के काले धन की रक्षा के लिए एक विशेष विधेयक बनाया गया है तथा उनके पास बाहर कुछ धन है जिसे वे यहां लाना चाहते हैं और इसे इन बांडों में बदलना चाहते हैं। यदि ऐसी धारणा है और यदि सरकार इस धारणा

को दूर करना चाहती है तो यह नितांत आकश्यक है कि इसमें एक अपवाद होना चाहिए कि यह उन्मुक्ति 'लोक सेवकों' को नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी 'लोक सेवक' ने अर्थात् किसी मंत्री ने या ससद सदस्य ने अपना धन इन बांडों में, जिन्हें मैं काले बांड कहता हूं लगाया है तो खन्ड 3 में जाँच से छूट की व्यवस्था है। चाहे किसी के पास साक्ष्य भी हो, ठोस साक्ष्य भी हो, टेप में रिकार्ड किया गया साक्ष्य भी हो, टेलीफोन पर बातचीत टेप भी की गई हो, उस साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया जा सकता है क्योंकि खन्ड 3 में उन्मुक्ति दी गई है। अतः मेरा कहना यह है कि यदि हम इन संस्थानों अर्थात् संसद सदस्य और मन्त्रि मन्डल के मन्त्रियों की गरिमा बनाये रखना चाहते हैं तो यह नितांत आवश्यक है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये और यदि आप इसे स्कीकार नहीं करते तो लोग समझेंगे कि आप समाज के इस वर्ग विशेष की भी रक्षा करना चाहते हैं। अतः वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यदि वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे तो इसका बहुत लाभ होगा। किन्तु यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं तो इसकी भारी एवं गम्भीर आलोचना होगी। वास्तव में विपय के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिये जा सकते हैं किन्तु हमें देखना है कि क्या तर्क और विचार सरकार के तह दिल से आ रहे हैं। अतः मैं फिर माननीय वित्त मत्री से अपील करता हूँ कि वे इन संशोधनों को स्वीकार करने के बारे में गम्भीरता से विचार करें और कहें कि क्या इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : जहां तक श्री जटिया के संशोधन का सम्बन्ध है, यह विधेयक के मूल सिद्धांत के विपरीत है। सिद्धांत यह है कि गुमनामी होनी चाहिए और यदि सदस्य चाहते हैं कि वह व्यक्ति अपने आपको प्रकट करे तो इसका मूल उद्देश्य विफल हो जाता है अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

वास्तव में मैं उन्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक चमरधेंच चिड़िया पकड़ने गया और वह उसे पकड़ नहीं सका। उसने अपने दोस्त से पूछा.....

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं इन कहानियों का एक छोटी पुस्तिका में संग्रह करूंगा और आपके खर्चे पर उनको प्रकाशित करूंगा।

श्री आर. वेंकटरामन : तब उसने अपने मित्र से पूछा कि इस पक्षी को कैसे पकड़ाजाये उसके मित्र ने उसे सलाह दी। "इस पक्षी के सिर पर कुछ मक्खन रख दो। यह गल जायेगा। और इससे यह पक्षी अन्धा हो जायेगा, तब वह इस पन्क्षी को पकड़ पायेगा।" हमारा कहना यह है कि जब तक गुमनामों नहीं होती तब तक इन बांडों में धन नहीं लगाया जायेगा। मेरे मित्र कहते हैं कि उस व्यक्ति से कहिए कि वह यह घोषित करे कि वह बांड का खरीददार है। अतः यह विधेयक के मूल सिद्धान्त के प्रतिकूल जाता है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री बापू साहेब परुलेकर ने कुछ वैध मुद्दे उठाये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने स्वयं विधेयक में ही इनके बारे में व्यवस्था की है। जहां तक लोक सेवक का सम्बन्ध है, हमने कहा है कि वाहक बांडों के होने से किसी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि तथा भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित अपराधों के मामले में अभियोग चलाये जाने से कोई उन्मुक्ति नहीं मिलेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सास और ननद।

श्री आर. वेंकटरामन : सारा झगड़ा यह है कि सम्बन्धी और अपराधी बहुत गड़बड़ी करते हैं जैसा कि श्री परुलेकर ने कहा है, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध टेप रिकार्ड आदि का पर्याप्त साक्ष्य है कि उसने सीमाशुल्क आदि कानूनों का उल्लंघन करने का अपराध किया है तो इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है अथवा उसे उन्मुक्ति दी जाये। इस विधेयक में केवल यही कहा गया है कि इस बांड के होने से उसे इस बारे में स्पष्टीकरण के लिए नहीं कहा जायेगा। सीमाशुल्क अधिकारी उससे यह नहीं पूछ सकता है कि उसने यह बांड कहां से लिया है। अन्यथा अन्य सभी मामलों में अर्थात क्या उसने सीमाशुल्क कानून का उल्लघन किया है, क्या वह देश में तस्करी का माल लाया है, क्या उसने इन चीजों को बेचा है आदि सभी बातें रहेंगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आपने खन्ड 2 में कहा है : "उप धारा (1) की कोई बात, भारतीय दन्ड सहिता के अधीन या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दन्डनीय किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजना के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। इसका अन्तर्निहित अर्थ यह है कि आपने सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अभियोजन को शामिल नहीं किया है। सीमाशुल्क अधिनियम को क्यों शामिल नहीं किया गया है। तर्क यही दिया जायेगा और अपराधियों पर न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता है' अतः यदि आप इसे भी जैसा आप कहते हैं, शामिल करें तो कोई हानि नहीं है ;

श्री आर- वेंकटरामन : अभियोग किस बारे में ? (व्यवधान) ऐसा नहीं कि सीमा शुल्क के उल्लंघन के बारे में अभियोजन किन्तु अभियोजन इन चीजों को रखने के बारे में नहीं अभियोजन केवल इस कारण नहीं होगा कि आपके पास ये बांड हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप अपराध करते हैं और सीमा शुल्क कानून के उल्लघन के सम्बन्ध में अपराध स्थापित हो जाता है और आपके पास बांड होने से आपको उन्मुक्ति मिल जायेगी।

श्री बापू साहिब परुलेकर : इसमें जांच का स्वरूप विशेष प्रकार का होगा।

श्री आर. वेंकटरामन : नहीं जांच ..

श्री बापू साहिब परुलेकर : चूंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया आप इसे ऐसे समझें कि वस्तुओं की तस्करी की गई है। उन्हें बांडों में परिवर्तित कर दिया गया है मुकदमा दायर किया जाता है। क्या सीमाशुल्क प्राधिकारी मामले की जांच कर सकेंगे ? वह इस खण्ड के कारण जांच नहीं कर सकेंगे।

श्री आर. वेंकटरामन : जहां तक मेरी कानून की समझ और जिस प्रकार मैंने इस कानून को बनाया है और जैसे मुझे सलाह दी गई है, उसके अनुसार यह सीमा शुल्क सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत अपराधों की जांच पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता। इन बांडों के रखने पर व्यक्ति को इस कानून के अन्तर्गत दन्डित नहीं किया जा सकता है। यदि आप यह कहें कि अमुक व्यक्ति के पास बांड हैं, उन्होंने उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नहीं दिया है और आप उसका यह अर्थ लगाते हैं कि उन्होंने किसी अन्य कानून का उल्लघन किया है तो, तो केवल उसी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है किन्तु आपके पास कोई अन्य स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने सीमाशुल्क सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत अपराध किया है और वस्तुओं की तस्करी की है

और उन्हें एक विशेष तरीके से बेच दिया है ··(व्यवधान) नहीं बांडों की खरीद का यहां कोई संदर्भ नहीं है कि उन्हें पास रखना ऐसी बात नहीं है जिसकी जांच की ये, अन्य बातों की जांच की जा सकती क्योंकि बांड का स्वरूप ·····मैं जहां भी कठिनाई है उसे स्पष्ट करूंगा। अब यदि वह उन्हें खरीदता है। उदाहरण के तौर पर यह एक बियरर बांड है। उसका परिचालन होगा, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा। हो सकता है वह उसका खरीददार हो वह उसका मालिक न हो सकता है वह उसके हाथों से गुजरा हो। अतः हम यह नहीं कर सकते कि उसने इस सीमाशुल्क कानून विशेष का उल्लंघन करके उसे खरीदा है, कि उन्होंने तस्करी की है अथवा वह किन्हीं तस्करी की गतिविधियों में संलक्त है। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक सीमाशुल्क कानून के अन्तर्गत अपराध का सम्बन्ध है अपराध के सम्बद्ध कोई भी स्वतन्त्र साक्ष्य स्वीकार्य होगा और इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा कि उसने सीमा शुल्क सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत अपराध किया है। इन बियरर बांडों को केवल अपने कब्जे में रखने से इस प्रकार की जांच से मुक्ति नहीं हो सकती है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि जिन व्यक्तियों को एक बार नजरबन्द कर दिया गया है। उन्हें बियरर बांड अपने कब्जे में रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी यह बात है कि बियरर बांड एक हाथ से दूसरे में जाते हैं। जब तक आप यह नहीं कह सकें कि उनका वास्तविक मालिक कौन है, तब तक यह कहना कठिन होगा कि खरीददार 'क' अथवा 'ख' है और चूंकि यह बात विधेयक की व्यवस्था के विपरीत पड़ती है, मैं इस बात पर सहमत नहीं हो सकता हूँ तीसरी बात लोक सेवकों के सम्बन्ध में है। मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को पूरी तरह अध्ययन किया गया है। हमने इसे नोट कर लिया है, हमने इसे पूरी तरह जांच परख लिया है। हमारा विचार है कि लोक सेवकों सम्बन्धी उपबन्ध पूरी तरह इसके अन्तर्गत आ जाता है लोक सेवकों द्वारा किया गया कोई भी अपराध, अपकरण, दुष्करण और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सब इसके अन्तर्गत आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्य नारायण जटिया, क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अडमेंट रखा है, उसको शायद माननीय वित्त मन्त्री जी समझ नहीं पाये हैं। मेरा कहना यह है कि जो बियरर बांड खरीद लेता है, और ये बांड इसलिए हैं कि जिससे कि ब्लैकमनी राष्ट्रीय हितों में लग सके, उसके बाद खरीदने वाला यह तो घोषित करे कि अब उसके पास काला धन नहीं है। आखिर कहीं तो यह काले धन की प्राब्लम समाप्त होनी चाहिए। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब भी नाम पुकारा जायेगा। (व्यवधान) उन्हें इसकी आशा नहीं है·····(व्यवधान) इतनी ही बात नहीं है। मेरा विचार है कि आप···(व्यवधान) आपको इस पर जोर देने का पूरा अधिकार है।

अब मैं श्री सत्य नारायण जटिया द्वारा खंड 3 के लिए प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 3 के लिए श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3,4,5,6,7 और 8 मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कि खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 "किसी व्यक्ति" के पूर्व "लोक सेवक के सिवाय" अन्तः स्थापित किया जाए।

10. पृष्ठ 2 पंक्ति 38, "विशिष्टतः" के पश्चात लोक सेवक के सिवाय अन्तः स्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा खंड 4 के लिए प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 तथा 10 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 9 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गए

उपाध्यक्ष महोदव : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड, 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय विधेयक पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, मेरे विचार से आपने एक घण्टे का समय-एक घंटे से अधिक समय ले लिया है। तीसरे वाचन में (व्यवधान)

श्रीबापू साहिब परुलेकर : यह समय उन्होंने विधेयक पर नहीं लगाया, वह संकल्प पर बोले थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही अस्वीकृत हो चुका है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आप कैसे कह सकते हैं ? मेरे पास तीन प्रस्तावों की एक सूची है। जीवन बीमा निगम विधेयक पर विधेयक के पुरःस्थापक को 40 मिनट का समय दिया गया था। कल, हरिजनों के सम्बन्ध में प्रस्तावक को 37 मिनट दिये गए थे। किन्तु श्री ज्योतिर्मय बसु को 29 मिनट ही मिलते हैं। आप क्या यही मानक अपना रहे हैं। मैं इस पर बोलूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अधिक समय न लेना।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया व्यवधान मत डालिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। मैं केवल आपका मार्ग दर्शन कर रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय महोदय : आपको मार्ग दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय को किसी का मार्गदर्शन नहीं करना होता है। वह केवल सभा से अनुरोध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अवारगेले वेंकटरामन ने कल कोई बात कही थीं और मैं उनकी बात का प्रत्युत्तर देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि वह उन्हीं हैडमास्टर को पढ़े जिन्हें उन्होंने उद्धृत किया था।

"40 पौंड प्रतिवर्ष पर अमीर हो रहे, यद्यपि हार चुके किन्तु तर्क करेंगे ही।" कृपया उन्हीं हैडमास्टर के पास जाइये क्योंकि मैं अब अपनी बात अब उचित ठहराऊंगा। (व्यवधान)

हमारे वेंकटरामन तमिलनाडु में भी एक प्रतिष्ठित पुरुष माने जाते हैं उन्हें यह बात सार्वजनिक सभा में जाकर नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कल कहा था :

"क्या मैं यहीं बस कर दूं। मेरा विचार है कि श्री ज्योतिर्मय बसु वस्तुतः उन व्यतियों में से एक हैं जिन्हें अपने द्वारा दिए जाने वाले तथ्यों पर पूर्ण विश्वास होता है और जो सर्वदा भली-भाँति तैयारी करके बोलते हैं।"

यह उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसके लिए उनके प्रति आभारी हूँ।

"उन्होने 20 फरवरी, 1981 को एक प्रश्न का उत्तर पूछा था जिसमें उन्होंने यही बात पूछी थी···।

उत्तर शुद्धियों राहत डिवेड के पृष्ठ 12408 पर दिया गया है :

"विदेशी मुद्रा विनिमन अधिनियम 1975 की धारा 19 के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी व्यक्ति बाँडों को भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं ले जा सकेगा।"

हमें देखना चाहिए कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में क्या कहा गया है, यह विदेशी मुद्रा विनियनन अधिनियम है, कोई छोटा मोटा कागज नहीं। इस अधिनियम की धारा 19 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि सिक्योरिटी···

श्री आर. वेंकटरामन : बॉड सिक्योरिटी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, यह एक पावती है। यह धन की पावती है। यह सिक्योरिटी

नहीं है। यह धन की पावती है। आप इसे ओवरड्राफ्ट के लिये प्रथम सिक्योरिटी ही तो मान रहे है। इसे केवल ओवरड्राफ्ट के लिये समर्थक ऋणाधार के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव पुर) : यह मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत है।

श्री आर. वेंकटरामन : मेरा विचार है कि श्री चटर्जी को उनकी सहायता करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मित्र से परामर्श कर सकता हूं। किन्तु मैं अपनी सहायता स्वयं ही कर सकता हूँ। मैं इस सम्बन्ध में आपको विश्वास दे सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप महिला प्रधान मन्त्री की सहायता करें जिनमें न तो कोई दम है और न ही कोई समझ, वह बहुत मजबूत होने का स्वांग करती हैं किन्तु है बहुत ही कमजोर, मैंने यह बात अनेक बार कही है।

हम अब पृष्ठ 12414 पर आते हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या आपने वह बांड खरीदा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह प्रस्तुत किया गया था। इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है मैं इसे वापस नहीं कर रहा हूँ। कल मैंने इसे वापस किया था।

अवारगेले वेंकटरामन ने कहा है··· (व्यवधान) अवारगेले एक सम्मान सूचक शब्द है।

अध्यक्ष महोदय : आपको 'अवारगेले' शब्द वेंकटरामन के पश्चात लगाना चाहिये। यह एक सम्मान सूचक शब्द है किन्तु इसे नाम के पश्चात प्रयोग में लाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा कौन कहता है ? आप अंग्रेजी की पुरानी पुस्तकें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर फिशमेन-लक्ष्मण-स्क्वायर स्क्वायर होता है····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमेशा सही होते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं हमेशा सही नहीं होता। किन्तु उन्होंने ही यह मुझे बताया है।

कृपया अब पृष्ठ 12414 पर आइये। मेरे माननीय वरिष्ठ मित्र, वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था :

> "श्री ज्योतिर्मय बसु के आधे घटे के भाषण में एक ही वैध बात है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है— वह है कि आप विदेशी वाहकों को पैसा कैसे लौटायेंगे ? यदि उन्होंने विधेयक को पढ़ा होता तो वह उससे देख सकते थे हम उन्हें रुपये में भुगतान करेंगे और हम विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिये बाध्य नहीं हैं।"

"यदि उन्होंने विधेयक को पढ़ा होता—" अब सदन जिस दण्ड की व्यवस्था करे मैं उसे भोगने के लिये तैयार हूँ — और उन्हें खड़े होकर यह कहना चाहिये, "मैं भी किसी भी दण्ड के लिये तैयार हूं—" यदि वह विधेयक में यह बात दिखा दें कि विधेयक में पैसा लौटाने के बारे में कोई व्यवस्था की गई हैं। उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने विधेयक को तीन बार पढ़ा है। मैंने पिछली बार इसे तीन व्यक्तियों से पढ़वाया है। विधेयक में इस सम्बन्ध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। श्री वेंकटरामन ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुप्रभाव में आकर अपनी विद्वता से सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवश्य ही एक बार फिर श्री वेंकटरामन अवगेंज का मुझे

बांड उधार देने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। इस बार मैं वापस नहीं करना चाहता हूँ। कल मैंने इसे पुनः वापिस लेने के लिए वापिस कर दिया था। उन्होंने उपहार में दिया है। आखिर वे मेरे बड़े भाई के समान हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसका मूल्य कितना है ?

श्री आर. वेंकटरामन : इसका मूल्य टायलेट पेपर जितना भी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें उल्लिखित है :

"भारत के राष्ट्रपति एतद् द्वारा इस के वाहक को रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में या भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा और भारत स्थित इसके अनुषंगी बैंकों में भुगतान का वचन देते हैं।"

क्या भारतीय स्टेट बैंक की लन्दन या संयुक्त राज्य अमेरीका में शाखाएं नहीं हैं ? क्या रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालय यहां-वहां नहीं है ? (व्यवधान) मैं केवल इतना समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि यदि कोई इस बांड को भारतीय स्टेट बैंक की लन्दन स्थित मोरगेट शाखा में प्रस्तुत करता है तो उन्हें यह 12,000 रुपये की राशि भारतीय मुद्रा में देनी होगी। एक व्यक्ति लन्दन में बैठा है और उसे 12,000 रुपए मिलते हैं तो वह उसका क्या करेगा ? वह काला बाजारी करेगा वह इन रुपयों को उन एजेंसियों को दे देगा जो इन्हें भारत विरोधी विभिन्न गतिविधियों के लिए इस्तेमालकरना चाहती है। मैं सरकार को यही बात समझा रहा हूँ या उसके दिमाग में बैठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपने इन बांडों को विदेशों में विक्रय-योग्य क्यों रखा है, क्योंकि आप कतिपय बड़ी शक्तियों के आभारी हैं। और इस विषय में आपको उनसे परामर्श करना पड़ा था। उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या उन्होंने मंत्रिमंडल के अपने सभी साथियों से परामर्श किया था ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वित्त मंत्री से ही परामर्श नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास और सूचना भी है। उन्होंने शायद हमारे पुराने मित्र रामचन्द्रन् से परामर्श किया हो। परन्तु यह एक अलग चीज है। उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे अच्छे मित्र हैं। मुझे बहुत खेद है कि वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि उन्होंने इसे विदेश में बेचने की व्यवस्था क्यों रखी है ? वस्तुतः असली सकट सिद्ध होगा अगामी 10 वर्षों में यह बांड तस्करों के अनुकूल रहेगा, इसका प्रयोग विध्वंसक कार्यों के लिए होगा, तथा इससे चुनाव निधि एकत्रित की जाएगी। पिछले वर्ष मध्य-पूर्व के देशों से कितनी धन राशि आई ? उन्हें अब भारतीय मुद्रा खरीदनी पड़ी। इस बार इसका स्थान बांड ले लेंगे। अतः वेंकटरामन अवर्गल आपने जो कुछ मुझे कहा है उसे अपने विभाग के लोगों से भी कहिए। उन्हें उत्तर देने दीजिए। मेरी धारणा तो यह थी कि अफसरों द्वारा टाइप किए गए इन सात पृष्ठों से आपकी आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। परन्तु अब मुझे अपनी राय बदलनी पड़ेगी।

कल मैंने 'नेशनल हैरल्ड' के एक सुस्पष्ट मामले का उल्लेख किया था जिसमें जनता सरकार के शासनकाल में उन्होंने अपनी लेखा पुस्तकों में 82 लाख रुपए की राशि को उड़ा दिया था। जब वहां हड़ताल हुई तो मुझे उन दस्तावेजों को देखने का मौका मिला : बात यहीं खत्म

नहीं हो जाती। इस धन को उन्होंने अपने नकली एजेंटों से प्राप्त राशि के रूप में दिखाया है। जबकि इसकी बिक्री केवल 2500 प्रतियों की है और 1500 प्रतियाँ आनार्थ जाती हैं। परन्तु उस अखबारी कागज का क्या हुआ···

श्री पी. राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : यह बात यहाँ किस प्रकार संगत है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री राजगोपाल नायडू गरु, इससे काला धन बनता है।

उस धन का क्या हुआ जो उन्होंने फालतू अखबारी कागज को बाजार में बेचकर प्राप्त किया था ? मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि मर्यादा की तो यह मांग है कि 'नेशनल हेरल्ड' के विरुद्ध काले धन के आरोप के संबंध में विशेष जांच की जाए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यही समझूंगा कि उन्होंने अपनी आत्मा, दिमाग आदि को उस भद्र महिला के हाथों यहाँ इस अदना नौकरी के लिए बेच दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह काले धन से संबंधित स्पेशल बीयरर बान्ड का जो बिल है, इस पर पहले तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया, मगर मैं अब इसका समर्थन कर रहा हूँ और इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पिछली दफे पहली सरकार बनी, यह काला धन किस तरह से देश में फैला यह मार्किसिस्ट लोग बैठे हुए हैं इनकी सरकारें तीन प्रान्तों के अन्दर हैं, यहां जब ब्लैक मार्किटियर्स के खिलाफ, होर्डर्स के खिलाफ जो कानून लाया गया उसको इम्पलीमेंट करने में इनकी सरकारों ने मना कर दिया और इस वजह से ज्यादा काला धन इस देश में पैदा हुआ···

श्री बापूसहिब परुलेकर : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैं नियम 376 को उद्धृत कर रहा हूँ। इस उम्र में तो आप क्षण भर की प्रतीक्षा कर लिया करें। मेरा प्रश्न यह है। यह तीसरा वाचन है। नियम कहता है कि तीसरे वाचन में विधेयक का समर्थन नहीं किया जा सकता। वह विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। वह विधेयक का विरोध करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु वह विधेयक समर्थन नहीं कर सकते। आपको इस नियम का पालन करना होगा जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक उन्होंने विधेयक का समेलन आरम्भ नहीं किया तब तक मैंने इनका विरोध नहीं किया। महोदय, आप उस नियम को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आपने कई अवसरों पर इस नियम का उल्लेख किया है। अतः आप उन्हें या तो बैठने के लिए कहिए अथवा विधेयक का विरोध करने के लिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं इसका विरोध नहीं कर सकता।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आप इसका समर्थन भी नहीं कर सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जो चाहे बोल सकता हूँ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : नहीं, आप नियमों के अधीन रहस्य ही बोल सकते हैं।

प्रो. मधु दंडवते : मैं मांग करता हूं कि इन्हें बोलने की अनुमति दी जाए और विधेयक का विरोध करने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 94 कहता है :

"इस प्रस्ताव पर कि विधेयक, या विधेयक, संशोधित रूप में, यथास्थिति, पारित किया

जाए, चर्चा विधेयक के समर्थन या उसे अस्वीकार करने के लिए दिए गए प्रतकों तक सीमित होगी। भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे अधिक निर्देश नहीं करेगा जितना कि उसके प्रतकों के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो जो कि सामान्य रूप के होंगे।"

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं इसे आपका विनिर्णय मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम उद्धृत कर रहा हूँ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं भी यही बात कह रहा हूं। यह आपका विनिर्णय है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या, जो यह आपत्ति उठा रहे हैं?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया) : उन्हें नियम उद्धृत करने दीजिए।

श्री बापू साहिब परुलेकर : जब कोई नियम नहीं होता तो प्रथाए और उदाहरणों से काम लिया जाता है। आप यह सब जानते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : महोदय, क्या मैं निवेदन करूं...।

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे विचार में वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आपका विनिर्णय स्वीकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, संक्षेप में कहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि काला धन इस देश में किस तरह से बढ़ा। हमारी सरकार ने आते ही यह बिल लाने की कोशिश की जिसका उन्होंने यहाँ पर भयंकर विरोध किया। इसके बाद इनकी सरकारों ने, जो सरकार यहां पर थी, उन्होंने भी कहा काला धन और ब्लैक मार्केटियर्स के सम्बन्ध में जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया उसको हम अपनी स्टेट्स में लागू करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, पहले जनता पार्टी में थे, इनकी सरकारों ने भी इस कानून को लागू करने से मना कर दिया। इस प्रकार से सारे देश में जितनी 11 सरकारें थीं कम्युनिस्ट मार्किसिस्ट पार्टी की और जनता पार्टी की...। उन तमाम सरकारों ने इस कानून को लागू न करके इस देश के ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स और स्मगलर्स को भारी प्रोत्साहन दिया जिससे इस देश का काला धन बढ़ा है आज यही इसकी निन्दा कर रहें हैं। मेरा कहना है कि यही लोग हैं जिनकी वजह से काला धन बढ़ा है।

आपको उपाध्यक्ष महोदय, याद होगा इसी फ्लोर पर एक मेम्बर ने कहा था कि बंगाल बिहार से 50 लाख टन कोयला बिना कानून के निकाला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से लोग हैं जो 50 लाख टन काला सोना निकालते हैं और उसको स्मगल करते हैं?

(व्यवधान)

मैं इस कोल की कोयला न कहकर काला सोना कहता हूं। इसे इस तरह से निकाल कर ये काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर यहां शिकायत करते हैं। इस प्रकार के कार्य ये लोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। यह अन्तिम अवस्था है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी काली करतूतों के बारे में बताना चाहता हूँ, नहीं तो यह कहते जाते हैं।

इन्होंने उस समय में 500 रुपये तोला सोना बेचा, आज उसके भाव क्या हैं ? इन्होंने उस समय सोना बेचकर बहुत-सा काला धन कमाया है। ये भी जनता पार्टी के लोगों के कारनामें हैं जिन की वजह से देश में कालाधन बढ़ा है। हमारे वित्त मंत्री जी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी के इस कार्य का समर्थन करता हूँ और जिन्होंने इस देश में काला धन बढ़ाया है, उनकी निन्दा करता हूँ।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि 'विधेयक पारित किया जाय'। मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री चित्त बसु (बारसाट : तब आपके भाषण की क्या आवश्यकता है ?

श्री जी. एम. बनातवाला : इस विधेयक द्वारा वर्तमान आर्थिक संकट व्यावहारिक रूप को दिखाने का प्रयास किया गया है। मैं यह कहता हूँ कि यदि काले धन का पता लगाने के लिए और स्थिति का सामना करने के लिए कोई प्रयत्न न किया गया होता तो हमने इस सरकार पर दोष लगाया होता। इसलिए यह बेहतर है कि कोई कदम उठाया तो गया है।

मैंने विधेयक के विरोध में दिए गए तर्कों को धैर्य से सुना है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इन तर्कों का दोषारोपण के अतिरिक्त कोई आधार नहीं था। उन दोषों के संबंध में मैं केवल यही कह सकता हूँ कि वे विकृत दिमाग का मतिभ्रम है। उठाए गए प्रत्येक कदम का गलत अर्थ क्यों लगाया जाता है ?

मौजूदा उपाय में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। कुछ गड़बड़ी वाली बातें हैं। उदाहरण के लिए इन बांडों को विदेशों में विक्रय-योग्य क्यों रखा जा रहा है इसको कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। मैं सरकार से ऐसी त्रुटियों पर गम्भीरता से विचार करने तथा ऐसा तरीका ढूंढने की अपील करता हूँ जिससे कोई भी विदेशी शक्ति हमारी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था को तबाही न कर सके। इस प्रकार विधेयक में कुछ त्रुटियां है और गलत बातें हैं और सरकार को उनका ध्यान रखना होगा।

एक माननीय सदस्य ने यह तर्क दिया था कि विशेष वाहक बाँडों से एकत्र किए जाने वाले धन की कोई उपरिसीमा निर्धारित नहीं की गई। अतः जब वित्त मंत्री को इस धन को वापिस करने के लिए कहा जाएगा तो उस पर पड़ने वाले बोझ की भी कोई सीमा नहीं होगी। एक तरफ तो वे यह कहते हैं कि विशेष वाहक बाँड योजना असफल सिद्ध होगी और दूसरी ओर वे इस चिन्ता से ग्रस्त है कि इसकी कोई अपरिसीमा नहीं है।

एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा है कि वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इससे एक हजार करोड़ रुपए की वसूली होगी और इस तथ्य को देखते हुए कि एक विशेष राशि निर्दिष्ट की गई है। ऐसा लगता है कि कुछ सौदेबाजी हुई है। इससे कई विवादात्मक और परस्पर-विरोधी वक्तव्य सामने आ रहे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि देश की अर्थ व्यवस्था की सफलता हेतु इस उपाय को सफल बनाएं।

महोदय, हम कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि काले धन का पता लगाने के लिए प्रयास किया गया, चाहे यह प्रयास लघु ही है। यह एक अच्छी बात है कि हमारी आर्थिक-प्रणाली में जितना अधिक मुद्रा प्रसार है उसे समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है, चाहे यह प्रयत्न त्रुटिपूर्ण ही है। यह एक अच्छी बात है कि इससे एक हजार करोड़ रुपए वसूल होने की आशा है और इसका बहुत ही कम लागत पर देश के आर्थिक के विकास के लिए प्रयोग किया जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कदम का समर्थन करता हूँ। साथ ही सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सावधान रहे और इस विधेयक की अनुचित बातों को किसी न किसी तरीके से इस विधेयक से निकाल दे। धन्यवाद, महोदय।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : महोदय, इस विधेयक पर बोलने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। परन्तु महोदय, श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा सम्पादित पत्रिका 'सूर्या' में एक लेख पढ़कर मैं बोलने के लिए उत्तेजित हुआ हूँ। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि देश के भले और लोकतन्त्र के लाभ के लिए काले धन का होना आवश्यक है मैं इसमें से कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूं और सोचता हूं कि हमारे बंधुआ वित्त मन्त्री...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उनसे कोई उत्तर चाहिए ?

श्री ए. के. राय : मैं उन्हें बन्धुआ कह रहा हूँ। मेरा कहने का अर्थ है वे मनोवैज्ञनिक दृष्ठि से बन्धुआ हैं। मुझे इससे प्रेरणा मिली है तथा मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दो या तीन वाक्य ही उद्धृत करें क्योंकि आपका तीन मिनट का समय समाप्त होने वाला है।

श्री ए. के. राय : "गतिविधियों का अन्य क्षेत्र जहाँ काला धन एक महत्वपूर्ण स्थिति में है, वह राजनीति है। वास्तव में यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि काला धन वह नींव का पत्थर है जिस पर भारत का सम्मानित लोकतन्त्र खड़ा है। हमारे लोकतन्त्र का मूलाधार स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव है और हो सकता है कि हमारे चुनाव निष्पक्ष तो हैं परन्तु निश्चय ही वे व्यय रहित नहीं हैं।" अतः इस प्रकार वे काले धन की वकालत कर रहे है।

महोदय, मैं एक या दो बातें कहना चाहता हूँ।

आचार्य भगवान देव : यह आर्टिकल श्रीमती मेनका गांधी का है या और किसी का ? उसका लेखक कौन है ? (व्यवधान)

श्री ए. के. राय : यह एक विशेष लेख है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस सन्दर्भ में ही पढ़ें। यह ठीक है। (व्यवधान)

श्री ए. के. राय : इस देश में प्रत्येक जानता है कि यह पत्रिका किन लोगों द्वारा प्रकाशित की जाती है और इससे इन लोगों की आन्तरिक भावनाओं, विचारों, उनके निर्णय, उनके दृष्टिकोण का पता चलता है और जब वे ये कहते हैं कि काला धन अनिवार्य है और इसे संस्थागत किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय तक सीमित रहिए और अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

श्री ए. के. राय : मुझे आश्चर्य है कि ऐसी विकृत राजनीति हमें कहां ले जाएगी ? इस देश पर शासन करने का इन लोगों का अनोखा तरीका है। जहरीली शराब से लोग मर रहे थे, इसका हल सरकार ने यह निकाला कि शराब की और दुकानें खोल दी जाएं। करो की चोरी होती है। इसका हल सरकार को यह मिला कि निजी कर के स्तर को घटा दिया जाए। आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहा है तो इसका हल सरकार के पास यह है कि आरक्षण को आगे ले जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। यह सरकार हर विषय में पीछे है। निजी क्षेत्र विरोध कर रहा है। इसका हल सरकार के पास यह है कि निजी क्षेत्र को समाप्त कर दो। (व्यवधान)। घटिया किस्म के व्यवहार की कोई सीमा होनी चाहिए। हमें इस विधेयक से घटिया किस्म का व्यवहार करना चाहिए।

हमारा संविधान एक ऐसा तरु है जिसकी जड़े मौलिक आधार हैं और शाखाएं नीति निदेशक तत्व हैं इसका अर्थ है, हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए आप विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

श्री ए. के. राय : मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता, बल्कि इसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ। अत: यदि आप यह कहते हैं कि हम शनैः शनैः नीति निदेशक तत्वों की ओर अग्रसर हो रहे है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गति तीव्र या धीमी हो सकती हैं...।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी आपकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता।

श्री ए. के. राय : हम पीछे खिसक रहे हैं। हम पीछे लौट रहे हैं। निश्चय ही यह चिन्ता का विषय है। परन्तु हम अपने संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि यह हमारे संविधान के विरुद्ध हैं। यह एक धोटवा है। यह भारतीय नैतिकता की समग्र विचाराधार के साथ एक विश्वासघात है।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि इस अध्यादेश के इस्तेमाल का कुछ औचित्य होना चाहिए। हम इसके तीसरा वाचन पर हैं। हम यात्रा के अन्त पर हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं। यदि वह वास्तव में बन्धुआ नहीं है तो उन्हें खड़े होकर इस प्रकार के अस्पष्ट अध्यादेश को लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह दुर्भाग्य की बात है कि चर्चा के दौरान उठाए गए विभिन्न मुद्दों का माननीय वित्त मन्त्री ने उत्तर नहीं दिया है। हम निर्धारित और लगाए गए बकाया करों की राशि जानना चाहते हैं, अर्थात वे कर जिनका निर्धारण कर दिया गया है और देय पाए गए हैं परन्तु जिनकी वसूली नहीं हुई है। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि उन्होंने जो प्रस्ताव तैयार किये थे वह केवल बजट कार्य का एक अंग था। उन्हें इतना विश्वास नहीं है कि इसका देश में मौजूद काले धन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अत: नए कर लगाने से बचने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने कहा है यदि सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को रद्द कर देता है तो और कर लगाने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अत: कराधन के विकल्प के रूप में वे यह व्यवस्था कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप निर्धारित, देय और बकाया करों मे से 800 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए वसूल क्यों नहीं करते। मैं वित्त मत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वे सभा को बताएं कि इन बड़े व्यवसायिक एकाधिकारी गृहों आदि से कर वसूल करने में क्या कठिनाई है ?

श्री आर. वेंकटरामन : आप वह जानते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप देश के लोगों को बताएं।

इस देश में कतिपय लोग निर्धारित और देय करों को देने में विश्वास नहीं रखते। वे अपनी आय को पूर्णतया प्रकट करने में विश्वास नहीं करते। उन्हें कई प्रकार से लाभ होता है। उन पर करों का निर्धारण किया जाता है परन्तु वे कर देते नहीं हैं। वे अपनी आय प्रकट नहीं करते, वे उसका लाभ उठाते हैं।

तीसरी बात, अब उस काले धन को बिना किसी पूछताछ के सफेद करने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। मैं कहता हूं इस देश में लोगों के एक नए वर्ग का निर्माण किया जा रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा घर है और वह इसे बेचना चाहता है। वह बेच देता है और धन का वाहक बांडो में निवेश कर देता है। यह महत्वपूर्ण है, उसे धन कर न देने की छूट है उसे उपहार कर न देने की छूट है और जब वह मरेगा तो वाहक बांड उसके सम्पदा शुल्क विवररणी में शामिल नहीं किए जा सकते। इस प्रकार देश में लोगों का एक वर्ग प्रकट की गई आय पर कर नहीं देगा और उस धन पर भी कर नहीं देगा जिसे वह छिपा रहा है। वे देश में एक ऐसे पूर्णतया नए वर्ग का निर्माण कर रहे हैं जिन पर राजस्व कानून लागू नहीं होंगे।

मुझे पता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राजा या रानी की अपेक्षा अधिक राजभक्त हैं। कई बातों का सुझाव दिया गया है। क्या हम भावी पीढ़ी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं? लोकसभा एक ऐसा उपाय पारित कर रही है जिसे माननीय मंत्री जी ने स्वयं अनैतिक कहा है। चलो वे कम से कम इतने ईमानदार तो हैं। हम यह भी जानते हैं कि हम अपने वर्तमान वित्त मंत्री से, जिन्होंने यह कहा है कि "यह एक अनैतिक विधेयक है, इसके पीछे कोई सामानता नहीं है। अधिक करों से बचने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ?" इतनी ईमानदारी की आशा तो कर सकते हैं। वे इस देश के मध्यम श्रेणी के लोगों पर यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि वह उनके प्रति बहुत चिन्तित हैं वह उनको राहत देना चाहते हैं, वह देश में इतने निर्धारितियों को समाप्त कर रहे हैं और इसलिए लोगों की निगाहों में अच्छा बनने के लिये वह इस्पात, पेट्रोलियम उत्पादों, औषधियों आदि के दाम बढ़ाकर स्रोतों को समाप्त कर रहे हैं। बजट में इन चीजों को नहीं लाया जाता है। बजट ऐसा बनाया गया कि वह कम से कम मध्यम श्रेणी के लोगों को तो बहुत ही अच्छा दिखाई पड़े, मानो मध्यम श्रेणी को राहत दी गई हो। इस सारी गणना का आधार यह अनैतिक विधेयक 41 उन्होंने स्वीकार किया है कि यह एक अनैतिक विधेयक है।

मेरे विचार में भावी पीढ़ी के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। वे इस कानून के माध्यम से एक अस्थायी, अनिश्चित और सांयोगिक लाभ उठाना चाहते हैं। वे इस देश की सम्पूर्ण राजस्व प्रणाली को दूषित कर रहे हैं। लोक सभा को दूषित किया जा रहा है और एक ऐसी विचारधारा को वह ला रहे हैं जिसकी समानता अर्जेंटीना या श्रीलंका या फिलीपीन से की जा सकती है। वह इस प्रकार की समानता चाहते हैं।

इसीलिए हम कहते हैं कि हमें इस विधेयक पर आपत्ति है। हमने कई मुद्दे उठाए हैं। उनका हमारे कई मित्रों पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा। परन्तु देश के लोग पूछ रहे हैं, क्या यही लाभ है, यही इनाम है, ईमानदारी का ? मैं ईमानदार हूँ परन्तु इसका लाभ बेईमान को दिया जा रहा है। क्या इस देश का दर्शन यही है ? देश के लोग यही सब पूछ रहे हैं। संभवतया माननीय वित्त मन्त्री यह कहें कि हम 1985 में लोगों के पास जाएंगे। परन्तु यह मत सोचो कि लोग लगातार कई वर्षों तक आपके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री आर वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय सर्व प्रथम मैं अपने सम्मानित मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर दूंगा। मुझे खेद है कि उन्होंने मेरे सम्पूर्ण भाषण का अन्य अर्थ निकाल लिया है। उन्होंने मेरे द्वारा कही गई बातों को इस तरह मिला दिया है मानो जो कुछ उन्होंने कहा है, वह मैंने कहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके बारे में लोगों की यही धारणा है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं इसे अब स्पष्ट करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको इसका अवसर दे रहा हूँ।

श्री आर. वेंकटरामन : धन्यवाद।

मैंने कहा था इसका सर्वप्रथम उद्देश्य देश की अर्थ व्यवस्था में भद्रा प्रसार को नियन्त्रित करना है, जिसके बिना मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। हमने सभी तरीके अजमा लिए हैं और हम सफल नहीं हुए हैं। यह उन तीरकों में से एक है जिनका सुझाव 1947 से, जब हम स्वतन्त्र हुए थे तभी से, दिया जा रहा है। यह उन तरीकों में से एक है जिनका सुझाव वांचू समिति के प्रतिवेदन की विमति टिप्पणी में भी दिया गया है। यह एक तरीका है जो···

श्री ज्योतिर्मय बसु : समिति के प्रतिवेदनों की क्या स्थिति है ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं कहता हूँ कि इसमें मत वैभिन्य है। इस ओर उस ओर के सदस्यों के अनेक मत हैं और इसीलिए मैं इस प्रयोग को करके देखूंगा। और यही बात मैंने एक प्रश्न के उत्तर में भी कही थी। आपने यह भी कहा था, कि "उससे इस वर्ष आपका बजट पूरा हो जायेगा। यदि न्यायालय इसके विरुद्ध निर्णय दे देत है तो आप क्या कर लेंगे ?" यह तो एक भिन्न प्रश्न के उत्तर में था और इसलिये मैं यह मान लेता हूँ कि ये दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं। अब एक अलग प्रश्न का उत्तर देते समय अर्थात 'यदि बांधपत्र रद्द कर दिये जाते हैं तो आप क्या करेंगे ?" मैंने कहा था, 'मैं अतिरिक्त कर लगाऊंगा।' हमें यही करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसके बदले।

श्री आर. वेंकटरामन : बात यह नहीं है···मेरा कहना था कि दो बातें हैं। पहली यह है कि मैं द्रवता को नियन्त्रित करना चाहता हूं। हमने बहुत से तरीकों को अपनाया है और हम सफल नहीं हुये हैं। यह वह एक तरीका है जिसको मैं आजमाने जा रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस तरीके से सहमत नहीं हूं।

श्री आर. वेंकटरामन : आप माने या न माने, परन्तु जब तक अपने विवेक के अनुसार

हमें अपने देश का शासन चलाने का अधिकार है तब तक आप यह नहीं कह सकते कि मुझे आपकी सोच-समझ के अनुसार शासन चलाना चाहिये। (व्यवधान)

फिर दूसरा मुद्दा जिसे श्री सोमनाथ चटर्जी ने उठाया था वह यह था कि कितना धन बकाया है। मैं आँकड़े प्रस्तुत करूंगा। 31-3-1980 को करों की देय राशि जिसके लेखा उपलब्ध हैं, 11,100 करोड़ रुपये हैं। 422 करोड़ रुपये अभी वसूली के लिये प्राप्त नहीं हुये हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इसके लिये 35 दिन का समय दिया जाता है। आप तो कार्यरत वकील हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक निर्धारिती के रूप में भी मैं जानता हूँ।

श्री आर. वेंकटरामन : उसके बाद वह राशि आती है जिसे न्यायालयों ने रोक दिया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ यह 175 करोड़ रुपये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर तो आपकी ओर के कुछ वकीलों का एकाधिकार है।

श्री आर. वेंकटरामन : वास्तव में यह राशि 580 करोड़ रुपये है और उसकी भी कई किश्तों का भुगतान किया जा चुका है जो कि इससे सम्बद्ध अनेक प्राधिकरणों ने किया है। यदि हम कहें कि यदि हमने सारी राशि को प्राप्त कर लिया होता तो हम इस खाई को पाट लेते तो, यह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि जो आँकड़े मैंने दिये हैं उनसे पता चलता है कि किश्तें, रोक-आदेश, फिर जिन राशियों का भुगतान देय नहीं है, इन सबका जोड़ मामूली सा है और उससे वास्तव में ही अर्थव्यवस्था में द्रवता को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह भी कहा कि मैं कुछ देशों की संगति कर रहा हूं। मैं तो फ्रान्स जैसे देशों की भी संगति कर रहा हूँ। फ्रान्स ने इस प्रयोग को आजमाया और बड़ी सीमा तक उसे सफलता भी मिली। मेरे विचार से श्री सोमनाथ चटर्जी यह तो नहीं कहेंगे कि फ्रान्स ने जिस प्रयोग को करके देख लिया उसे भारत में करके नहीं देखा जाना चाहिये।

श्री चटर्जी ने दूसरा मुद्दा यह उठाया कि ये लोग किसी प्रकार का कर नहीं देते। मैंने यह बताने के लिये कुछ श्रम किया है कि वास्तव में जब कोई व्यक्ति इन बाण्डों में पैसा लगाता है तो उसका 39% धन वैसे ही चला जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तथाकथित बलिदानों के लिये उनकी प्रशंसा मत कीजिए। यह कहना आपको शोभा नहीं देता है, ऐसा मत कीजिये।

श्री आर. वेंकटरामन : महोदय' कृपया अभिलेख पढ़कर देखिए। क्या मैंने बलिदान की बात कही थी ? नहीं, मैंने कहा था कि चला जाता है, चले जाने और बलिदान के अन्तर को तो आप जानते हैं। कृपया अभिलेख तो पढ़िए। मेरा कहना है कि मैंने बलिदान शब्द का प्रयोग नहीं किया था मैंने यह कहा था कि इतना धन चला जाता है, उन्हें वास्तव में ही छोड़ना पड़ता है। (व्यवधान)

मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यह 39% उससे कहीं अधिक है जितना कि वैद्य करदाता देते हैं।

जबकि सीमान्त-दर 66% है, आय कर की औसत दर तो अनेक प्रकार की छूट आदि देने के बाद 25% ही है। आयकर की औसत दर केवल 25% हैं और जैसा कि मैं पिछली बार

बता चुका हूँ इन लोगों को 39% छोड़ना पड़ता है। अत. वंद्य करदाताओं से अलग हम उन लोगों को कोई भारी छूट नहीं दे रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर विचार करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अपने परम मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाए गये मुद्दे पर आता हूँ श्री ज्योतिर्मय बसु उपस्थित हों।

श्री आर. वेंकटरामन . श्री ज्योतिर्मय बसु मेरे एक ऐसे मित्र हैं जो कभी हार नहीं मानते, उन्हें कभी हराया भी नहीं जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको कहना चाहिए, "उसे कभी नहीं हटाया जा सकता है।"

श्री आर. वेंकटरामन : जब आप कभी हार स्वीकार ही नहीं करते हैं तो कोई आपको हरा ही कैसे सकता है ? (व्यवधान) : इसीलिए तो मैंने कहा था कि आंग्ल कवि गोल्डस्मिथ की कविता के 'ग्राम्य विद्यालय अध्यापक की तरह।' हैं आप।

उनका कहना था कि, "किसी भी व्यक्ति को इन बांडों को देश से बाहर ले जाने का अधिकार है।" और जब मैंने उनका ध्यान विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की धारा 19 की ओर आकृष्ट किया जिसमें कहा गया है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : वेंकटरामन महोदय यहां पर आपने,—इस वाद-विवाद में—'बलिदान' शब्द का प्रयोग किया है।

श्री आर. वेंकटरामन : यदि मैंने यह शब्द कहा है तो मैं क्षमा मांगता हूं और अपना शब्द वापस लेता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं उन्हें अवसर देता हूं कि वह इसे अशुद्ध प्रति में शुद्ध कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अशुद्ध विवरण है।

श्री आर. वेंकटरामन : कुछ भी हो, मैं भ्रमातीत नहीं हूँ। धन्यवाद।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अतः आप मेरी आलोचना न कीजिए।

श्री आर. वेंकटरामन : मैंने तो सदैव 'छोड़ना' शब्द ही प्रयोग करना चाहा था। कभी-कभी जब आप बोल रहे हों तो ऐसा हो जाता है। मुद्दा यह है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है :—

> "कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 81 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत के बाहर किसी भी जगह कोई प्रतिभूति नहीं ले जा सकता अथवा नहीं भेज सकता है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु का तर्क यह है कि ये बाण्ड प्रतिभूतियां नहीं हैं। क्या मैं श्री जेठमलानी और श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे विशिष्ट वकीलों को अपनी सहायता के लिए बुलाऊं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अभी भी यही मान रहा हूँ कि यह एक पावती है।

श्री आर. वेंकटरामन : अभी भी उनकी यही धारणा है। अब मैं पढ़कर सुनाता हूँ···

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वेंकटरामन, कृपया मुझे बताइये कि फिर इसे गौण प्रतिभूति की भूमिका निभानी क्यों पड़ रही है, प्रथम प्रतिभूति की क्यों नहीं।

श्री आर. वेंकटरामन : आप मुझे विचलित नहीं कर सकते हैं। कृपया देखिये···

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : आप 'प्रतिभूति' की परिभाषा पढ़िये।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं विदेशी मुद्रा विनियमन धारा 2 से 'प्रतिभूति' की परिभाषा पढ़कर सुनाता हूँ। श्री ज्योतिर्मय बसु जी 'प्रतिभूति' का अर्थ है :

"शेयर, स्टाक, बाण्ड, ऋण पत्र, ऋण स्टाक···" आदि।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो 'विशेष वाहक बाण्ड' है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं हार मान लेता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो 'विशेष वाहक बाण्ड' है, पंजीकृत गाण्ड नहीं है। आपको इसे इस प्रकार कहना चाहिये, बाण्ड का अर्थ है विशेष वाहक बांड।

श्री आर. वेंकटरामन : यदि श्री ज्योतिर्मय बसु इस प्रकार किसी अदालत में तर्क दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें किस प्रकार का उत्तर मिलेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री जेठमलानी इस पर सहस्रों गिनियां बना लेंगे।

श्री आर. वेंकटरामन : अतः यह तर्क कि बांड प्रतिभूतियां नहीं हैं अतर्कसंगत है।

उन्होंने दूसरी बात प्रतिदान के बारे में उठाई थी। विशेष वाहक बांड के बारे में एक अधिसूचना जारी की गई थी। यह एक राजपत्रित अधिसूचना है जो कि एक सार्वजनिक दस्तावेज है। अधिसूचना में कहा गया है···

श्री ज्योतिर्मय बसु : बांड के अन्दर राष्ट्रपति क्या वचन देता है, राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल, रिजर्व बैंक जो वचन देता है वही तो झगड़े की जड़ है।

श्री आर. वेंकटरामन : जिस अधिसूचना के अन्तर्गत वाहक बांडों को जारी किया गया है उसमें कहा गया है :

"प्रतिदान हर स्थिति में भारत में, भारतीय रुपए में किया जाएगा।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रामिसरी नोट पर आप क्या लिखते हैं ?

"भारत के राष्ट्रपति धारक को एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में तथा भारत में इसके सहायक बैंकों में अदा करने का वचन देते हैं···"

श्री आर. वेंकटरामन : कृपा करके आगे पढ़ते जाइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'विक्री के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर केवल 12,00 रुपये की राशि···। इस पर कोई अन्य ब्याज देय नहीं होगा। बांड को इस शर्त पर जारी किया जाता है···'

श्री आर. वेंकटरामन : 'उपबन्धों के अध्यधीन···'

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री आर. वेंकटरामन : 'इस अधिसूचना के उपबन्धों के अध्यधीन।'···ठीक है, धन्यवाद।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आधा मिनट। अब आपको जाकर आराम करना चाहिए।

प्रश्न यह है : कि क्या वे यहां बैठे हमारे मित्रों के लिये मुकदमे देकर उनकी जेबें भरने के इच्छुक हैं। एक व्यक्ति उन पर लंदन में मुकदमा चलायेगा। जब कभी यहां सुनवाई होगी तो उन्हें 'भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा' के कारण 2000 पौण्ड व्यय करने पड़ेंगे।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं आपसे हार मान लेता हूं।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं यह भी स्वीकार कर लेता हूँ कि इस अशुद्ध वक्तव्य के दौरान

निस्सन्देह, अनजाने में भूल से मैं 'अधिसूचना' कहने के बजाय 'विधेयक' कह गया। मुझे खेद है। जब आप विभिन्न कागज-पत्रों का हवाला दे रहे थे तो उसमें विधेयक तो था, अधिसूचना को मैंने नहीं देखा था। अतः ऐसा हो गया। अतः आप ठीक कहते हैं ''

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं पेश कर रहा हूँ।

श्री आर. वेंकटरामन : महोदय, मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को उनके विवरण के लिए आधा नंबर दे रहा हूँ।

महोदय, मैं नेशनल हैरल्ड के मामले का उत्तर दे चुका हूँ। मैंने बताया है कि जहां तक अपीलीय प्राधिकारण का सम्बन्ध है तथा आयकर अधिकारियों का सम्बन्ध है, जबकि वे यह स्वीकार कर चुके हैं···

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं इस विस्फोटक को उन्हें सौंप रहा हूँ।

श्री आर. वेंकटरामन : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपीलीय आयकर अधिकारियों ने इस बात को, इस विवरण को स्वीकार कर लिया है कि यह व्यावसायिक आय थी। वास्तव में यह किसी उस धन-राशि का मामला नहीं है जो कि दबाई या रोक कर रखी गई हो। यह तो वह धन था जिसे प्रकट कर दिया गया हो और प्रश्न यह था कि इस धन का स्वरूप क्या है ?

अन्त में मैं कहूँगा कि जब पहले की 1975 की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना पर विचार किया गया था तो राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा था :

"रिकार्ड से इस विचार के जन्मदाता का पता नहीं चलता है।···बच्चा हमें अपने द्वार पर मिला।"

महोदय, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं इन वाहक बन्धपत्रों का जनक हूं, जिससे भविष्य में किसी व्यक्ति को चिन्ता करने की आवश्यकता न पड़े।···(व्यवधान) नहीं यह उनका नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये ··*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित क्यों न किया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी पूछते हैं वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर. वेंकटरामन : यह संकल्पनात्मक रूप में मेरा है। मैंने इसकी कारगरता पर ईमानदारी से विश्वास किया है और मैंने इसे प्रस्तुत किया है और इसकी सफलता की मैं पूरी जिम्मदारी लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत—विभाजन संख्या : 14

पक्ष में 14.46 बजे

अब्बासी, श्री काजी जलील	अराकल, श्री जेवियर
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.	आजद, श्री भागवत झा

बनातवाला श्री जी. एम.
बन्सी लाल, श्री
बारोत, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी.
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोले, श्री आर. आर.
भ्रार श्रीमती गुरबिन्दर कौर
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन.
दंडपाणि, श्री सी. टी.
दिग्विजय सिंह, श्री
दुबे, श्री रामनाथ
फर्नान्डीस श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री वी. एन.
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोजागिन, श्री एन.
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जैन, श्री भीकू राम
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
खाँ, श्री आरिफ मोहम्मद
खाँ श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के. टी.
कुचन, श्री गंगाधर एस.
महाजन, श्री विक्रम
मीणा, श्री रामकुमार
मेहता, डा. महिपतराय एम.
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोहसिन, श्री एफ. एच.
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मूर्ति, श्री एम. राजशेयर
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुत्तेमवार श्री विलास
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायडू, श्री पी. राजगोपाल
नायक, श्री जी. देवराय
नायकर, श्री डी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
निहाल सिंह, श्री
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पट्टाभि रामा राव, श्री एस. वी. पी.
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो. एन. जी.
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम. नागेश्वर
रावत, श्री एम. नागेश्वर
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी श्री के. विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
रेड्डी, श्री टी. दामोदर
* सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो.
सेबस्तियन, श्री एस. ए. डोराई
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी

* गलती से किसी अन्य सदस्य की सीट से मतदान किया। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय को सूचित किया।

शक्यवार, श्री नाथूराम
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, डा. शंकर दयाल
शिव शंकर, श्री पी·
सिदनलाल, श्री एस. बी.
सिंह, डा. बी. एन.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुलवन्स कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दरसिंह, श्री

तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
तिवारी, श्री चन्द्रमाल मणि
त्रिपाठी, श्री कमलापति
वर्मा, श्री जयराम
वेलू, श्री ए. एम.
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री रामसिंह
याजदानी, डा. गोलम
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
आजमी, डा. ए. यू.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह, श्री
विश्वास, श्री अजय
बसु, श्री ज्योतिर्मय
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौबे, श्री नारायण
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो. मधु
दास, श्री रेणुपद
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
होरो, श्री एन. ई.
कोडियन, श्री पी. के.
महाटा, श्री चित्त

मंडल, श्री धनिक लाल
मंडल, श्री मुकुन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
नेगी, श्री टी. एस.
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
पाटक, श्री आनन्द
राजदा, श्री रतनसिंह
राकेश, श्री आर. एन.
रियान, श्री वाजू बन
राय, श्री ए. के.
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
सेन, श्री सुबोध
शेजवलकर, श्री एन. के.
सिंह, श्री बी. डी.
सूरज भान, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है।

पक्ष में : 99

विपक्ष में : 40

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में : सर्व श्री जैल सिंह, टी. बी. चन्द्रशेखरप्पा, बी. के. नायर, प्रो. नारायण चन्द पाराशर, पी. शनमुगम, बी. वी. देसाई, पसला पेंचलैया, जी. एस. निहालसिंह वाला, बीरबल, एम. एस. के. सतियेन्द्रन, सुभाष चन्द्र यादव,

विपक्ष में : श्री एम. रामन्ना राय :

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

मणिपुर बजट, 1981-82—सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर), 1981-82 और

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर), 1980-81

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में अब मद संख्या 13, 14, 15 और 16 पर एक साथ विचार किया जायेगा। ज्ञानी जैलसिंह महोदय, अब सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

गृह मन्त्री (श्री जैलसिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 28 फरवरी, 1981 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

जनवरी 1980 में हुये लोक-सभा के चुनावों के साथ ही साथ मणिपुर राज्य विधान-सभा के चुनाव हुये थे। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो सका। श्री आर. के. दोरेन्द्रसिंह के नेतृत्व में कांग्रेस (इ), कांग्रेस (यू) और मणिपुर पीपल्स पार्टी को मिलाकर बने मन्त्रीमंडल ने 14 जनवरी, 1980 को शपथ ग्रहण की थी। श्री दोरेन्द्रसिंह ने मुख्य मन्त्री पद से 19 नवम्बर, 1980 को त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद श्री रिशांग-कैशाग के नेतृत्व में एक नये मिले-जुले मन्त्रीमण्डल ने 27 नवम्बर, 1980 को कार्यभार सम्भाला।

दिनांक 27 फरवरी, 1981 को राष्ट्रपति को भेजे गये अपने प्रतिवेदन में, जिसकी प्रतियां 2 मार्च, 1981 को सभापटल पर रखी गईं, राज्यपाल ने सूचित किया कि 10 सदस्यों के दल-बदल करके विपक्ष में चले जाने से, 23 फरवरी, 1981 को श्री रिशांग-कैशांग के नेतृत्व वाला मन्त्री मन्डल विधान-सभा में अल्पमत में रह गया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की क्योंकि उनकी राय में वर्तमान स्थिति में राज्य में कोई भी पार्टी स्थाई सरकार बनाने की हालत में नहीं है। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि राज्य विधान सभा को निलम्बित रखा जाए। तदनुसार राष्ट्रपति ने 28 फरवरी, 1981 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन एक उद्घोषणा जारी की।

राज्य में स्थाई सरकार बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। पर हो सकता है कि दो मास की अवधि की समाप्ति पर कोई भी सरकार न बन पाए जबकि यह उद्घोषणा का निष्प्रभावी हो जायेगी इस उद्घोषणा का उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद की दोनों सभाओं द्वारा एक संकल्प पास करके अनुमोदन किया जाना है।

अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी ,981 को जारी की गई उद्घोषणा को अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा इन सब मदों पर एक साथ विचार करेगी। ये मदें हैं 13,14, 15 और 1 इन सब पर एक साथ सामान्य चर्चा करेंगे। श्री सुबोध सेन।

श्री सुबोध सेन (जलपाइगुड़ी) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। जिस रिपोर्ट के आधार पर यह उद्घोषणा जारी की गई है वह गलत रिपोर्ट थी। आप रिपोर्ट को पढ़ें। जो फैसला किया गया है वह रिपोर्ट की पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है। उनकी राय किन बातों पर आधारित है। एक कारण यह बताया गया है कि मणिपुर में दलबदल एक आम बात हो गयी है और फलस्वरूप सरकारें बहुत जल्दी.जल्दी गिर जाती हैं।

कांग्रेस (आई) सरकार इसी दल बदल का फायदा उठाकर बनाई गई थी। कांग्रेस (आई) को वहां बहुमत नहीं मिला था। उन्होंने कुछ सदस्यों को खरीद कर अपना बहुमत बनाया। तब वह सत्ता में आई। जब कुछ सदस्यों ने उनका दल छोड़ा तो उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए विवश किया गया। पी. एफ. डी. के नेता ने राज्यपाल से उन्हें सरकार बनाने का अवसर देने की अपील की। पर राज्यपाल ने इनकार कर दिया। केवल कांग्रेस (आई) ही दल बदल का लाभ उठा सकती है। दूसरे दल ऐसा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है। यह है स्थिति वहां। यहां सम-न्याय की बात कही जाती है। न्याय तो तब होता जब राज्यपाल पी. एफ. डी. के नेता को सरकार बनाने का मौका देते। पार्टी के बहुमत की विधान सभा में ही परीक्षा हो जाती। यह बात बड़ी दिलचस्प है कि राज्यपाल असमंजस में पड़ गए थे। वे एक ही सांस में दो बातें कहते हैं। मैं उनकी रिपोर्ट से उद्धृत करता हूँ। कृपया पृष्ठ 5 देखिए। इसमें गया है :

"दूसरे, एक पक्ष का दूसरे पक्ष के लिए वर्तमान सभा से ही स्थाई सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन प्राप्त करना सम्भव हो सकता है।" फिर वे कहते हैं :

"इनके विपरीत यदि सभा को केवल निलम्बित किया जाता है तो पैसा देकर या पद का प्रलोभन देकर समर्थन खरीदने की सम्भावना है। दूसरी ओर सभा को भंग करने से विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।'

यह है स्थिति। कांग्रेस (आई) पैसे या पद का प्रलोभन देकर दलबदल कराकर फायदा उठा सकती है. उसे इसकी इजाजत है। इसीलिए सभा को निलम्बित रखा गया है। इसीलिए पी. एफ. डी. को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। पर यदि पी. एफ. डी. को बहुमत मिल गया तो सभा को भंग कर दिया जाएगा। अतः कांग्रेस (आई) को दल बदल का पूरा लाभ उठाने का मौका दिया जा रहा है। दूसरे दल को बहुमत मिलने पर सभा विघटित कर दी जायेगी। ये मेरी धारणा है। राज्यपाल ने जो भूमिका तैयार की है उसके अनुसार मणिपुर

लोकतंत्रीय सरकार के लिए उपयुक्त राज्य नहीं है राज्यपाल ने विद्रोहियों का मसला उठाया है। और शंका व्यक्त की है कि यदि चुनाव हुए तो कुछ उमीदवार उग्रवादियों की सेवा का लाभ उठाएंगे मणिपुर के लोगों के साथ यह अन्याय है। उद्घोषणा को रद्द किया जाना चाहिए और मणिपुर विधान सभा को इस बात के लिए अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करने दिया जाए कि कौन सी पार्टी बहुमत में है। इस संकल्प पर बोलने का अवसर देने के लिए आप का आभारी हूँ मैं और मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री हरीश चन्द्रसिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सन्दर्भ में रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वास्तव में आज देश के उत्तर-पूर्वी भाग में जो अस्थिरता की स्थिति है, उसमें इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि मणिपुर में कुछ समय के लिए-जब तक वहां पर स्थिरता का वातावरण पैदा नहीं होता है, तब तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये।

मेरे मित्र ने सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौन सी बात है, जिससे उन्हें सरकार की मंशा पर संदेह हो रहा है। वह कहते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने और कुछ समय के लिए विधान सभा को स्थगित करने का कारण यह है कि केन्द्र की कांग्रेस की सरकार चाहती है कि जब मणिपुर में कांग्रेस पार्टी का बहुमत बने, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को भी उठाया जाये और सरकार को गठित करने का अवसर दिया जाये। वह इस बात को इस रूप में भी कह सकते थे कि केन्द्र की कांग्रेस की सरकार मणिपुर में प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन को बनाये रखना चाहती है और मणिपुर के लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को एक निश्चित अवधि के लिए चुनकर भेजा था, वह उन्हें उस अवधि के लिए काम करने का अवसर देना चाहती है।

निश्चित बात यह है कि यदि हमारे मन में प्रजातंत्र के मूल्यों में अस्था न होती, यदि हमारी यह इच्छा न होती कि वहाँ के लोगों को यह अवसर दिया जाये कि वे निश्चित अवधि तक अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुनी हुई सरकार से शासित हों, तो हम राष्ट्रपति शासन के द्वारा भी वहाँ पर सरकार को अनिश्चित काल के लिए चला सकते थे।

जैसाकि मैंने पहले कहा है, उत्तर-पूर्व का इलाका आज अस्थिरता के युग से गुजर रहा है। उस क्षेत्र में हर प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि वहाँ पर अस्थिरता पैदा हो और देश तथा लोगों के लिए कठिनाइयाँ खड़ी हों। इसलिए यह एक बिलकुल वाजिब कदम था कि मणिपुर में अल्पकाल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये और इस बीच में लोगों को समझाने की कोशिश की जाये कि अस्थिरता पैदा करने के प्रयासों को सहन नहीं किया जाएगा, और जो विधायक आज इस पार्टी में और कल उस पार्टी में जाते हैं, उन्हें भी यह समझा दी जाए कि इससे न जनता का और न उनका लाभ हो सकता है।

मैं समझता हूँ कि केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करके और विधान सभा को स्थगित करके वाजिब कदम उठाए हैं। मैं दोनों कदमों का स्वागत करता हूँ और इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोजामिन। कृपया आगे आजाएं।

श्री एन. गोजागिन (बाह्य मणिपुर) : मैं देश के पूर्वोत्तर भाग के एक दूर कोने से आया हूं और मैं यहां भी सभा के इसी कोने से बोलना चाहूंगा जहां मुझे सीट दी गई है।

मणिपुर विधान सभा को निलम्बित किया गया है। विभिन्न रिपोर्टों से आपको मालूम हुआ होगा, कि मणिपुर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रही है। अस्थिर सरकार वाली बातें न न तो इस संसद के लिए और न ही राज्य विधान सभाओं के लिए नई हैं। दलबदल हर जगह जोरों पर है और मणिपुर अपवाद नहीं है। दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्य के मुख से यह सुनकर दुःख होता है कि मणिपुर राज्य लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर भारत के अन्य राज्यों की तरह एक राज्य है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए।

माननीय मन्त्री ने 16 मार्च 1981 को मणिपुर बजट इस सभा में पेश किया और मैं आज मणिपुर का परिचय माननीय संसद सदस्यों से कराना चाहता हूँ। मणिपुर एक बहुत ही छोटा राज्य है। उसकी लोक सभा में दो सीटें हैं। देश के उत्तर-पूर्वी आंचल में जो विद्रोह हो रहा है वह मणिपुर में भी फैल रहा है। वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। विधान सभा का विघटन इन परिस्थितियों में इसका समाधान नहीं है।

मणिपुर देश के उत्तर-पूर्वी छोर के आखिरी कोने में स्थित है और वर्मा की सीमा से लगा हुआ है। यहां संचार सुविधाओं की कमी है। पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं है। लोक तक पनबिजली परियोजना, जो केन्द्र की परियोजना है अभी पूरी नहीं हुई है। इसके पूरे होने के लक्ष्य में पूरे दस वर्ष का विलम्ब हुआ है। मणिपुर में इसीलिए बड़ी और माध्यम औद्योगिक इकाइयां नहीं हैं। वहां परम्परागत कुटीर और छोटे उद्योग ही हमें मिलेंगे। शिक्षित युवकों की बेरोजगारी राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार कार्यालय के वर्तमान रजिस्टर के अनुसार एक लाख लोग वहां पंजीकृत हैं जिनमें सत्तर हजार शिक्षित हैं। लोगों में निराशा छा रही है. देश के कार्यक्रमों में भागीदार बनने की भावना में वहां कमी है और यही वहां के विद्रोह के वातावरण का एक मुख्य कारण है। सरकार चाहे कितनी पुलिस या सेना वहां तैनात कर दे उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है; वहां के लोगों के दिमाग का पता लगाना होगा। इस बात का पता लगाने के लिए कि उनमें निराशा की भावना कैसे पनपी और वे विद्रोह के रास्ते पर कैसे उतर आये सरकार को न केवल मणिपुर अपितु सारे उत्तर-पूर्वी आंचल के लोगों का हृदय टटोलना होगा। वहां आपसी विश्वास का वातावरण बनाना होगा जब तक इस तरह का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता तब तक हम समस्या हल नहीं कर पाएंगे। हम सी. आई. ए. या के. जी. बी. पर आरोप लगा सकते हैं। पर इन खुले आरोपों का आधार क्या है यदि कुछ लोग तोड़ फोड़ के काम में लगे हैं तो हमें उनका पता लगाकर उनको सजा देनी चाहिए। किसी को बिना प्रमाण के आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनका पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

पिछले साल या इस वर्ष कितने केन्द्रीय मन्त्री मणिपुर गए आपने उसकी ओर क्या ध्यान दिया। जब लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, जब वे महसूस करते हैं कि उन्हें देश के मामलों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जब वे अपने यहां और देश के अन्य भागों के सहयोगियों को नहीं पहचानते तो इस तरह की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। अतः उन्हें

मुख्य धारा में मिलाना हमारा कर्त्तव्य है। जो लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना सभी सदस्यों का कर्त्तव्य है। हमें उन्हें जीतना होगा।

अतः विधान सभा को विघटित करने की बजाय उसे राष्ट्रपति ने निलम्बित रखा है। समस्या का यही तत्कालीन समाधान है।

सभी सदस्य जानते हैं कि असम विधान सभा काफी समय तक निलम्बित रखी गई। मणिपुर के मामले में यह अवधि केवल एक वर्ष है। यह न्याय संगत है। यह कोई अपवाद नहीं है। हर जगह दल बदल होते रहते हैं।

राष्ट्रपति ने सही फैसला किया है। गृह मन्त्री के संकल्प को सभा के सभी वर्गों से समर्थन मिलना चाहिए। उन सभी सदस्य को जो लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं और मणिपुर जैसे उपद्रवग्रस्त राज्य के लोगों की शिकायतें भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनवाई चाहते हैं इस संकल्प का समर्थन करना चाहिए। अभी तक हमारे मणिपुरी बहुसंख्यक मैती समाज में से केवल एक व्यक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से आई. ए. एस. बन सका है। ऐसे क्या कारण हैं कि ये लोग विश्वविद्यालय और स्नतोत्तर परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास करके भी प्रतियोगी परीक्षाओं से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नहीं आ पाते। उन लोगों में व्याप्त नैराश्य का यह एक मुख्य कारण है जो विद्रोह को जन्म दे रहा है। अतः मेरा सरकार और इस सभा के सदस्यों से अनुरोध है कि देश के इस समस्याग्रस्त राज्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। जो वहाँ के लोगों की आर्थिक दशा और अन्य प्रकार से उनकी हालत सुधारने में सहायक सिद्ध हो।

इन थोड़े शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री एन. के. शेजवालकर (ग्वालियर) : मैं सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। उन कारणों का उल्लेख करने से पूर्व जिनके आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, मैं मणिपुर में व्याप्त स्थिति का संक्षिप्त में जिक्र करूंगा। सभी जानते हैं कि पिछले एक वर्ष से वहाँ की स्थिति बड़ी विस्फोटक रूप धारण कर चुकी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 8 सितम्बर, 1980 को दिरोवार को छोड़कर मणिपुर को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। इसका क्या कारण रहा, इसकी चर्चा यहां होनी चाहिए। एक समय था जब यह प्रदेश उस सेना का मुख्यालय था जो भारत को आजाद कराना चाहती थी आज उसी प्रदेश में रोजाना हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं। कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कई बातें हो रही हैं।

मेरे अनुमान से मणिपुर की आबादी 14 लाख है। इनमें से 8 लाख लोग मैती कहे जाते हैं। ये वैशणव कर्म को मानते हैं। इन्हें वे सुविधाएं नहीं दी जाती जो अनुसूचित जन जातियों को उपलब्ध हैं। इसाइयों, माओ, नागा, कुकरी, और मिजो लोगों को ये सुविधाएं दी जाती हैं। वहां जो आन्दोलन शुरू हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है मैतियों को सेवाओं और अन्य स्थानों पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसी कारण यह गड़बड़ पैदा हुई है। छात्र संघों ने भी इसी बात को लेकर आन्दोलन छेड़ दिया है। वहां की स्थिति वैसी ही है जैसी कि असम में है। वे

कहत , सभी विदेशियों को निकाल बाहर करो । उनकी माँग इन्हें निकालने की है । तब यह माँग थी और उस आधार पर वहाँ सरकार ने, वास्तव में, अक्तूबर में यह कहते हुए, एक समझौता किया था कि वे 1648 की मतदाताओं की सूची और 1951 के जनगणना प्रतिवेदन पर निर्भर करेंगे तथा अन्य समस्याओं पर वहाँ रखे गये विदेशियों के रजिस्टर के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिए । इसे तत्कालीन सरकार तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री क्षेरेन्द्र सिंह ने मान लिया था । किन्तु चूंकि इसे क्रियान्वित नहीं किया गया अतः स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सका । केवल यही नहीं बल्कि सत्ताधारी दल में आन्तरिक राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी । मैं 'सत्ताधारी दल शब्द उनके अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं जो वहाँ शासन कर रहे हैं क्योंकि समस्त कांग्रेस (आई) वहाँ शासन नहीं कर रही थी ।

वहां चुनाव का परिणाम इस प्रकार था : 60 सदस्यों के सदन में, केवल 15 सदस्य कांग्रेस (आई) के. 10 जनता पार्टी के, 6 कांग्रेस (अर्स) के, - साम्यवादी दल के, एक साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल का, 3 मणिपुर पीपुल्स पार्टी के, 2 अन्य दलों के और 17 अन्य ग्रुपों के थे । पार्टी का गठन इस प्रकार था और कांग्रेस (आई) के केवल 15 सदस्य थे । फिर किसी तरह उन्होंने अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त किया और अपना बहुमत बनाया । किन्तु फिर वे बहुमत में नहीं बने रहे । स्वयं उनके दल में मतभेद हो गया । मुख्य मंत्री को बदलना पड़ा । तीन महीने पहले दूसरे मुख्य मंत्री को शपथ दिलाई गई ।

वास्तव में मणिपुर में जैसी विस्फोटक स्थिति है, मुझे उसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए । सत्ताधारी दल साधारण राजनीतिक लोकतंत्र के सिद्धान्तों को भी अपनाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है । वे सौदेबाजी में विश्वास करते हैं । उन्होंने असम में ऐसा ही किया, मणिपुर में ऐसा ही किया और हरियाणा का उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है । वहां समस्त दल का कांग्रेस (आई) में दल-बदल किया गया । अतः उस सरकार को अपने हाथ लेने अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसी प्रकार यहां भी वे वही चाल चल रहे हैं । वाराणसी से प्रकाशित होने वाला एक दैनिक पत्र है जिसका नाम "आज" है । इसके 6 मार्च के सम्पादकीय टिप्पण में कहा गया कि इन्दिरा कांग्रेस संगठन वह है जो सभी प्रकार की अनुशासनहीनता को, जहाँ भी हो, आश्रय देता है, वह अनुशासनहीनता का परिचय देने वालों का शरण-स्थल बन गया है । यह उसमें कहा गया है और वास्तव में यही हम देख रहे हैं । हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं ? क्या वे भलाई कर सकते हैं । मुझे भय है कि क्या वे कुछ कर सकते हैं । जो कार्यवाही की गई है उसमें स्वयं यह मालूम हो जाता है । मैं इसे समझ सकता हूँ क्योंकि इस सौदेबाजी के कारण कोई दल बहुमत में आ रहा है और कोई अल्पमत में हो रहा है । अतः वहां अस्थिरता बनी हुई है । यदि वे कहते हैं कि अस्थिरता है तो उन्हें विधान सभा को भंग क्यों नहीं करना चाहिए ? क्यों यह सब भंग कर नये चुनाव नहीं कराने चाहिए ? वास्तव में वे यह सौदेबाजी चाहते हैं । आज वे किसी व्यक्ति को लाना चाहते हैं कल वे किसी दूसरे को लाना चाहते हैं इस तरीके से वे चलना चाहते हैं ।

मैं यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि शक्ति से उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है । भले ही वे वहाँ सत्ता में आ जायें किन्तु सत्ता के आधार पर शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है । यदि उनकी निष्ठा है और यदि वे वास्तव में महसूस करते हैं कि अस्थिरता है तो उन्हें कुछ

सिद्धान्तों को और लोक तंत्र के कुछ सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए। कम से कम ऐसी स्थिति में जिसमें वे हैं उन्हें हमेशा के लिए 'आया राम' और 'गया राम' की प्रथा छोड़ देनी चाहिए और समस्त राष्ट्र के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि वे केवल सत्ता के पीछे नहीं हैं। वे निष्पक्ष प्रशासन चाहते हैं जो सही ढंग से लाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार की बातों का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (मोलवाड़ा) : समापति जी, मणिपुर के संबंध में जो रिजोल्यूशन आया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और उसके महत्व को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वहां पर कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन हमारे विरोधी दलों को यह चीज भाई नहीं और जैसा कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास रखती है, लेकिन मैं विरोधी दलों पर आरोप लगाता हूँ कि वे हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करते रहे और इस बात की कोशिश करते रहे कि कैसे कांग्रेस सरकार फेल हो।

समापति महोदय, आप जानते हैं कि यह ट्राइबल एरिया है, सोसिटिव एरिया है, इस वजह से वहां पर निश्चित तौर पर एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। जब तक वहां पर मजबूत सरकार नहीं होगी तब तक वहां व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो सकती। इसलिए कांग्रेस हमेशा प्रयत्न करती रही है कि वहां पर एक मजबूत सरकार रहे, जो उस क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन विरोधी दलों की वजह से इनकी पालिटिकल एक्टीविटीज की वजह से वहां पर दोरेन्द्र सिंह की सरकार गिरी और इसके बाद एक और सरकार वहां पर बनी, लेकिन वह भी कुछ दिनों में ही समाप्त हो गई, वे भी सब आपके ही कारनामे थे, आपकी ही वजह से वहां पर सारा मामला गड़बड़ हुआ। अब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने वहां की असेंबली सस्पेंड कर के प्रेसिडेंट रूल कायम किया है, यह एक निश्चित तौर पर स्वागत- योग्य कदम है। असेंबली का बार-बार चुनाव कराया जाना काफी खर्चीला होता है। कितना खर्चा होता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, इसका असर जनता पर भी पड़ता है। अभी एक साल हुआ है, वहां पर चुनाव हुए थे। इसलिए असेंबली को सस्पेंड कर के वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों का एक मौका दिया गया है कि वे एक मजबूत सरकार वहां पर बनाए। यह निश्चित रूप से एक स्वागत-योग्य कदम है और इस कदम का हर-एक को समर्थन करना चाहिए।

समापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ला एण्ड आर्डर की पोजीशन भी काफी खराब है। जब थोड़े-थोड़े समय पर सरकारें बदलेंगी तो निश्चित है कि वहां पर ला एण्ड आर्डर की पोजीशन खराब होगी। इसलिए वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल करके वहां के प्रतिनिधियों को मौका दिया गया है और यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।

विद्रोहियों की अनेक प्रकार की कार्यवाइयां और गतिविधियां भी वहां बराबर चलती रहती हैं। बहुत सी विदेशी एजेंसियां भी वहां पर काम करती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कदम उठाया गया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

जो बजट रखा गया है उसमें इंडस्ट्रीज की स्थापना तथा काटेज इंडस्ट्री तथा दूसरे प्रकार के कार्यक्रम दिए गए हैं ताकि वहां के लोगों की अनएम्प्लायमेंट की समस्या समाप्त हो। नव-युवकों के अन्दर जो असन्तोष की भावना पाई जाती है वह इसी समस्या से पैदा होती है। जो

इसलिए सरकार ने जनरल तथा रेलवे बजट, दोनों में काफी इसके लिए प्रावधान दिया है। पूर्वी क्षेत्र के जो छोटे छोटे राज्य हैं, मणिपुर आदि राज्य हैं उनमें सड़के बिछाने के कार्यक्रम को हाथ में लेने की व्यवस्था है, रेलों के कार्यक्रम हाथ में लेने की व्यवस्था है। इस प्रकार से वह एक मजबूत राज्य बनें और रेल तथा सड़क तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रम वहां हाथ में लिए जाएं और इंडस्ट्रीज स्थापित करने का काम बड़े पैमाने पर हाथ में लिया जाए तो निश्चय ही वहां के लोगों का मन जीता जा सकता है और वहाँ एक अच्छी व्यवस्था कायम की जा सकती है। यह जो कदम उठाया गया है यह स्वागत योग्य है। जितना अधिक मजबूत हमारा यह बोर्डर एरिया बनेगा, जितनी अधिक वहाँ पर ला एंड आर्डर की स्थिति को मजबूत किया जाएगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाएगी, अनएम्प्लायमेंट को समाप्त करने के लिए वहां के लोगों के वास्ते ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाएंगे उतना ही यह देश हित में होगा और निश्चय ही वहाँ की व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी और हम उन क्षेत्रों का ज्यादा मजबूत बना सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोल्यूशन का स्वागत करता हूं और इसको अपना समर्थन देता हूँ।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा (आन्तरिक मणिपुर) : समापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। आरम्भ में ही मैं सभा से निवेदन करना चाहूँगा कि यह उद्घोषणा एक ऐसे राज्यपाल द्वारा जिन्हें आधी दर्जन से भी अधिक राज्यों की देख रेख करने का कार्यभार सौंपा गया है, किये गये राजनीतिक स्थिति के स्थूल मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप दी गई है और यही कारण है कि इसमें कई खामियाँ हैं तथा कई प्रश्नों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह उनके कार्यालय की रचना है अथवा स्वयं उनकी रचना है, मैं नहीं कह सकता, यह बात तो सभा को तथा गृह मत्रालय को देखनी है। इसके पीछे जो अभिप्राय है उसके बारे में हम स्पष्ट हैं (व्यवधान)। 28 फरवरी को एक गोपनीय अर्ध सरकारी पत्र इस सभा के सदस्यों में परिचालित किया गया। पहले दो पैराग्राफों में उद्घोषणा से परन्तु पहले की स्थिति का उल्लेख है। तीसरा पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मणिपुर में दलों के सदस्यों की जो संख्या है उसे देने का प्रयास किया है और वह लिखते हैं कि वहाँ कांग्रेस (आई) के 39 सदस्य हैं। यदि उन्होंने यह दिया होता कि 39 का हिसाब कैसे लगाया है तो इससे माननीय सदस्यों तथा भारत सरकार को बहुत सहायता मिलती। वास्तव में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गत चुनाव मे मणिपुर के लोगों ने कांग्रेस (आई के केवल 11 सदस्यों को ही चुना था (व्यवधान)। इस बात को हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आरम्भ में 11 थे बाद में 2 और शामिल हुए। अतः हम 13 की संख्या से ही आरम्भ करते हैं। अब दल-बदल कर 13 की यह संख्या बढ़कर 39 हो गयी है। इस प्रकार का दल-बदल सभी जगह हो रहा है और मणिपुर इसमें बहुत पीछे नहीं है। हम तथ्यों को मानने से इन्कार न करें। अन्ततः कांग्रेस (आई) के लोग तथा उन दल इस बात पर गर्व करता है कि वे दल-बदल के माध्यम से अधिक लोगों को अपने साथ कर पाये हैं। मैं नहीं जानता कि वह सत्य है किन्तु जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने अभी-अभी कहा है और दल-बदल विरोधी अधिनियम या विधेयक आदि के न होने से ऐसी चीजें हो रही हैं और हुई हैं। मेरी शिकायत यह है कि राज्यपाल प्रथम को यह तथ्य भी देना चाहिए था। अन्यथा प्रथम दृष्टि

में ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कांग्रेस (आई) ने 39 की सदस्य संख्या से ही आरम्भ किया है जबकि ऐसी बात नहीं है और यही मैं कहना चाहता हूं। यह वास्तव में सूक्ष्म प्रतिवेदन है और इसमें विद्रोह के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उस अर्ध सरकारी पत्र के जो हमें परिचालित किया गया है पृष्ठ 3 के पैरा 8 की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है :

"मणिपुर मे जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है जहाँ अनेक उपद्रव हो रहे हैं।"

इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मुझे याद है कि गत वर्ष 21 जुलाई को मैंने इस सभा के समक्ष कहा था और मैंने गृह मंत्रालय के सभी मंत्रियों से निवेदन किया था तथा मुझे प्रसन्नता है कि उनमें से एक यहाँ उपस्थित भी हैं। कि यह मालूम किया जाये कि क्या कोई बड़ा अधिकारी अथवा कोई मंत्री या मंत्रियों का इसमें कोई हाथ है या इस उपद्रव से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्ष रूप में वे सम्बन्धित हैं। इस बारे में कुछ नहीं सुना गया। मैं नहीं जानता कि गृह मंत्रालय किन्हीं अन्य बातों में व्यस्त है किन्तु गृह मंत्रालय के पास कई आसूचना एजेन्सियाँ हैं जिनसे उन्हें जानकारी मिल सकती है और मैं नहीं जानता कि उन्हें इन एजेन्सियों से वास्तविक विचार अथवा आसूचना प्रतिवेदन मिले हैं। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी। उस पक्ष के मेरे मित्र इस बात पर अपनी सहृदयता प्रकट करते हैं कि हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है तथा हमारी अनेक समस्याएं हैं। मेरी यह अपील है कि आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हमारे प्रति सहृदयता दिखाई जाये और इस बात की भी आवश्यकता नहीं है कि हमारे ऊपर दया दिखाई जाये किन्तु अब समय आ गया है कि जो लोग सत्ता में हैं कि उनमें इतनी शालीनता तथा ईमानदारी हो कि वे हमें समझ सकें और जो कुछ भी आवश्यक है उसे ऐसी तत्परता से करें जैसी तत्परता से उन्होंने उद्घोषणा जारी की है। ऐसी तत्परता न केवल उद्घोषणा निकालने में की किन्तु सभी बातों में दिखाई जानी चाहिए। स्थगन करने या यंत्र करने अथवा उद्घोषणा जारी करने में ही इतनी चिन्ता क्यों की जाये ? 27 तारीख को वहाँ सरकार गिरी थी। 28 तारीख को उद्घोषणा जारी कर दी गई। इसी प्रकार कई बातें की गयीं हैं। अन्य बातों में भी वे इतनी शीघ्रता से कार्यवाही क्यों नहीं करते ? चर्चा के लिए एक विषय हो गया है। एक बात समझने की है। अन्य लोगों को भी क्यों मौका नहीं दिया जाता है ?

इसी प्रतिवेदन में कहा गया है :

"यदि विधान सभा स्थगित की जाती है तो धन से अथवा पद के प्रलोभन से समर्थन प्राप्त किया जा सकता है।"

यह सम्बद्ध मंत्रियों के लिए है कि वे इस बारे में 'हाँ' अथवा 'ना' कहें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : उसके ऊपर भी कुछ है उसे भी पढ़िये।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : चूंकि आपने पूर्व पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहा है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ।

"यह सम्भव हो सकता है कि कोई पक्ष वर्तमान सभा में पर्याप्त समर्थन प्राप्त करे तथा स्थायी सरकार बना सके।"

क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि आप वास्तव में फिर से दल-बदल को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ? मैं नहीं समझता कि श्री मकवाना या श्री जैल सिंह ऐसा करने का विचार रखते हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, वहां सरकार प्राय: क्यों गिरती है ? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कोई नई बात नहीं है। यह बात वहां निन्तर होती रहती है। लगभग एक फैसन सा हो गया है और मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि गृह मंत्रालय के दो मंत्री यहां उपस्थित हैं। हम 1972 तक सीधे गृह मंत्रालय के अधीन रहे हैं। गृह मंत्री हमारे अभिभावक हैं। किन्तु ये अभिभावक अब तक क्या करते रहे हैं ? मैं नहीं समझता कि कोई गृह मंत्री वहां गया हो। एक बार श्री वेंकटसुब्बया इम्फाल में स्थानीय व्यापारियों से मिलने के लिए कुछ मिनट रुके थे। क्या किसी उपद्रव ग्रस्त राज्य का दौरा करने का यही तरीका है ? आप गोहाटी कई बार जा सकते हैं किन्तु इम्फाल जो वहां से हवाई जहाज से 30 मिनट का रास्ता है नहीं जा सकते।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : हम निश्चित रूप से मणिपुर जायेंगे।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : क्या इसका कारण यह है कि मणिपुर में उपद्रवों की इतनी गम्भीरता नहीं है जितनी गोहाटी में है।

वहां की क्या स्थिति है ? वास्तव में केन्द्रीय सरकार कहेगी कि वे धनराशि दे रहे हैं। हम इसके लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद करते हैं किन्तु आपने कभी इस बात की जांच करने का विचार किया है कि यह धनराशि वहां कैसे खर्च की जा रही है ? यहां हमारे मंत्री 3000 रुपये से कम की कुर्सी तथा इससे भी अधिक गलीचे पर नहीं बैठते हैं। मैं उनके निजी जीवन अथवा सरकारी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। किन्तु केन्द्र सरकार के धन का अपव्यय हो रहा है। मैं यह नहीं मानता कि केन्द्र उदार है किन्तु कोई ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि अपव्यय नहीं हो।

वास्तव में भारत में सर्वत्र भ्रष्टाचार है। किन्तु घर-घर में यह अफवाह है और आरोप लगाया जा रहा है कि विधान सभा सदस्य दल के नेता को मंत्री बनने के लिए रुपया देते हैं। गृह मंत्रालय और दूसरों को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

सभापति महोदय : चूंकि यह अफवाह है आप इसका उल्लेख क्यों करते हैं ?

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : घर-घर यह अफवाह है। यदि यह असत्य है तो मुझे खुशी है।

जैसा कि वे कहते हैं उपद्रव को समाप्त करने के लिए सैनिक कार्यवाही हो रही है। यह सन्देहजनक बात है कि कुछ लोग जो सत्ता में हैं उनका वहां उपद्रव से सम्बन्ध है या नहीं, क्योंकि एक दिन पूर्ववर्ती कांग्रेस (आई) मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने एक सार्वजनिक सभा में, जहां मैं मुख्य अतिथि था, उपद्रवकारियों की प्रशसा की। उन्होंने निर्भीकता से कहा कि मणिपुर में जो रुपया आ रहा है वह मत्रालय के, जिसका वह स्वयं अंग है, प्रयासों से नहीं आ रहा है किन्तु उपद्रवकारियो की गतिविधियों के कारण आ रहा। स्थानीय समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था। साथ ही उसी मत्री ने बाद में इसका खंडन किया...(व्यवधान) मैं अदालत

के समक्ष साक्ष्य दे सकता हूँ। उन्होंने यह मेरी उपस्थिति में कहा है। मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री को जो कुछ इस मंत्री ने कहा था वह सूचित किया था। वास्तव में अब वह मंत्री नहीं हैं। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप में से कोई स्वयं वहां जाकर स्थिति का मूल्यांकन करें।

उसके बाद एक घोटाला हुआ जिसकी सरकार गिरने के पहले चर्चा थी। इस घोटाले में एक मंत्रालय अर्थात् कृषि मंत्रालय ने लाखों रुपये के बागवानी के पौधे, केले के पौधे (केवेन्डिस किस्म के) के आम के पोधे और इस प्रकार की अन्य वस्तुए खरीदी थी जिनका कभी भी वितरण नहीं हुआ। उनका वितरण केवल कागजों मे ही हुआ होगा इस प्रकार की वहां बातें हो रही हैं यही कारण है कि मेरा माननीय गृह मंत्री अथवा किसी भी अन्य मंत्री से निवेदन है कि वे उस क्षेत्र में जायें और स्थानीय लोगों से मिलें। आप जब कठिनाई में हों केवल तभी साम्यवादियों अथवा विपक्षी सस्दयों के पीछे मांगने का कोई लाभ नहीं है। आप जब कठिनाई में होते हैं तो आप हमारे पास क्यों नहीं आते। दिल्ली आने पर मैंने सुना कि कोई मंत्री हमारे एक नेता के पास हमारे दल का समर्थन प्राप्त करने आये थे। हम हर एक को समर्थन देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि हमारे लोगों का कुछ हित किया जाये तथा उनके लिए कोई और अच्छी बात की जाये। अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है वहां जो गड़बड़ी है आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? मुझे खुशी है कि श्री गोजागिन ने भी जो मणिपुर के दूसरे आधे भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहा है कि यह केन्द्र की उपेक्षा के कारण हैं. वहां जो कुछ हो रहा है, केन्द्रीय सरकार उसके प्रति जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? जब लोग हथियार उठाते हैं और एक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो क्या आप केवल यह कह कर समाप्त कर सकते हैं कि इसके पीछे विदेशियों का हाथ है?

इसके अतिरिक्त भी केन्द्रीय सरकार की क्या असफलताएं हैं? आजादी मिलने के 32 वर्ष बाद आज भी मणिपुर में कारखाने की चिमनी का धुआं देखने को नहीं मिलता है। हमारी मामूली आशाएं हैं। वहां एक भी कारखाना और उद्योग नहीं है। वहां केवल हथकरघा और कुछ अन्य गैर-महत्वपूर्ण उद्योग हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : कताई मिल जो पहले ही चालू हो गई उसकी क्या स्थिति है? कम से कम तथ्यों की उपेक्षा तो न कीजिए।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : क्या इसने कुछ उत्पादन किया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : यह चालू हुआ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : गवर्नमेंट ने एक स्पिनिंग मिल दिया है। वह बहुत बहादुर है। वह भी कमीशन नहीं हुआ है।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : अतः महोदय, तोप, टैंक, मशीनगन और सेना की बजाय आपको हमें अधिक बुलडोजर देने चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि बजाय टैंकों और सेना के कृपया हमें वे चीजेंदीजिए जिनसे वहां के लोगों का कल्याण हो। कृपया वहां अधिक बुलडोजर दीजिए, सांत्रिकी खेती आरम्भ कीजिए, उद्योग लगाकर रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कीजिए और न केवल

कताईमल किन्तु अन्य उद्योग भी वहां लगाइए। कृपया आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और वितरण अपने हाथ में लीजिए तथा लोगों का सहयोग भी प्राप्त कीजिए और इससे वहां उपद्रव कम होंगे। (व्यवधान) एक बार मंत्री से भी सेना की कार्यवाही की बात की थी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : राज्य मंत्री महोदय, कृपया सुनिए।

श्री नगनभाई बरोट : क्योंकि माननीय सदस्य कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं हम उनकी पुष्टि कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : किन्तु फिलहाल तो आप सुनिए।

श्री नगनगोम मोहिन्द्रा : मैं आपके, सामने, बातचीत करने के लिए तैयार हूँ न कि इस तरह से बीच में हस्तक्षेप के लिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आपका स्वागत है।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा: वहां सैनिक कार्यवाही एक ऐसे समय आरम्भ हुई जब कि प्रस्तावित कार्यवाही का व्यापक विरोध था और बाहर, दिल्ली, कलकत्ता तथा दूसरे स्थानों के कतिपय समाचार पत्रों ने कुछ बहुत ही आपत्तिजनक तस्वीरें छापी थीं, इसे मैं रक्षा मंत्री के ध्यान में लाया था। बात क्या होती है ? यदि सेना का कोई वरिष्ट सदस्य, कोई जनरल अथवा कोई अन्य अधीकारी वहां जाता है तो वह लोगों से मिलने की कोशिश नहीं करता है। अतः कृपया वहां लोगों से मिलिए। मुझे परसों यह समाचार देख कर बहुत आश्चर्य हुआ कि योजना मन्त्री, श्री तिवारी कांग्रेस (इ०) के लोगों से मिलने के लिये गोहाटी तथा इमफाल जायेंगे ? आप में इतना प्रांतीयवाद क्यों है ? आप जनता से मिल कर उनकी भावनाओं को सुनते क्यों नहीं ? इससे बड़ी सहायता मिलेगी। मणिपुर दूसरे स्थानों जैसा नहीं है। जिस प्रकार की साम्प्रदायिक घटनाएं मुरादाबाद, दिल्ली, जमशेदपूर और गुजरात में भी होती हैं, मणिपुर में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। हम में से कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं लड़ रहा है। भूतपूर्व गृह मन्त्री, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जिनका स्वागत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था, इस सम्बन्ध में जानते हैं। आपके विभाग के सचिव भी जानते हैं। वहां का युवा वर्ग भिन्न प्रकार से सोचता है। इस प्रकार के विचार नये नहीं हैं और यदि हम समय पर ध्यान दें तो उनमें सुधार किया जा सकता है। आप स्थिति को सीमा विशेष से आगे क्यों खराब होने देते हैं और उसके लिये फिर हमें दोषी ठहराते हैं ? हम समस्याएं उत्पन्न करने वालों में से नहीं हैं। आप अपनी अक्षमताओं और असफलताओं की ओर भी ध्यान दें। मणिपुर के युवा वर्ग ने क्या गलती की है ? वहां की 13 से 14 लाख जनता में से एक लाख व्यक्ति तो पंजीकृत बेरोजगार युवा व्यक्ति हैं। समस्या यह है और मैंने यह बात पिछले वर्ष 21 जुलाई के अपने निवेदन में स्पष्ट कर दी थी।

इसके अतिरिक्त, रोजगार और इसी प्रकार की समस्याओं के बारे में जनता क्या सोचती है ? हम किसी भी विशेषज्ञ, वास्तविक विशेषज्ञ को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। उदाहरण के तौर पर यहां से किसी कार्यकारी अभियन्ता को वहां केवल अधीक्षक अभियन्ता अथवा मुख्य अभियन्ता बनाने मात्र के लिये भेजने से कोई हित नहीं होगा। जितने भी विशेषज्ञ हों, हम उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। हमारा प्रांतीयता में विश्वास नहीं है। किन्तु ऐसे लोगों को भेजें जो बरबादी को रोक सकते हों और जनता के हित में कमियों को दूर कर सकते हों। क्या आप

इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि हम भी भारत के एक अंग हैं? उनमें से अनेक पृथकतावादी हैं। हाँ, उनमें पृथकतावादी प्रवृत्ति है। कुछ बुजर्ग लोग हैं जो युवा वर्ग में जा कर यह कहते फिरते हैं कि सेना, सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व दल आदि की तीन अथवा चार डिविजनें यहां पर हैं। यह सभी युवा लोगों के साथ युद्ध करने के लिये लाई गई हैं।

अब मैं सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि हमारे गृह मन्त्री हमें किस प्रकार का उत्तर देते हैं। मैं अतरांकित प्रश्न संख्या 1384 का उल्लेख करूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मकवाना जी ने यह दिया है :

"मणिपुर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 सितम्बर, 1980 के पश्चात कार्यवाही कई चरणों में आरम्भ की गयी। पकड़े गये व्यक्तियों तथा समर्पण करने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।"

यह उत्तर 25 फरवरी, 1981 को दिया गया था। आप तो यह भी सूचना एकत्रित नहीं कर सके कि कितने व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण किया है, कितने मारे गये हैं हालांकि कार्यवाही 8 सितम्बर, 1980 अथवा उसके पश्चात आरम्भ कर दी गयी थी : क्या मणिपुर जैसे दूर के प्रदेश की तरफ आप यही ध्यान दे रहे हैं ?

मैं बाढ़ों और सूखे आदि के सम्बन्ध में एक अथवा दो और उदाहरण दूंगा। जब भी मणिपुर में बाढ़ आती है, मन्त्री फलते फूलते हैं, जब भी मणिपुर में सूखा बढ़ता है मन्त्री समृद्ध हो जाते हैं। (व्यवधान)

मणिपुर सरकार ने अक्तूबर, 1980 में राज्य में आई बाढ़ के कारण हुई क्षति के बारे में 28-11-1980 को एक ज्ञापन भेजा था। ज्ञापन में कई कमियां पाई गई। यह ज्ञापन प्रतिनियुक्त अधिकारियों, जिन्हें हमारे उपाध्यक्ष मजाक में भगवान का अवतार कहते हैं, द्वारा तैयार किया गया था।

केन्द्रीय सहायता कितनी चाहिये, इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया था। राज्य सरकार से एक संशोधित ज्ञापन माँगा गया। यह संशोधित ज्ञापन 28-11-1981 को प्राप्त हुआ था।

यह कहा गया कि एक इन्जीनियरिंग विशेषज्ञ भेजा जा रहा है। मुझे यह नहीं मालूम कि क्या वह भेजा गया अथवा नहीं। वह मणिपुर में बाढ़ से हुई क्षति के आधार पर धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिये वहाँ जा रहा है।

इस प्रश्न का उत्तर 2 मार्च, 1981 को दिया गया था।

मैं प्रश्न संख्या 1385 पर आता हूँ। यह भी बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में है। सभी लोग मेरे अपने साथी श्री बीर सिंह, की हत्या के बारे में, जो 1-1-1980 को मार डाला गया था, जानते हैं। उसकी हत्या किसने की थी? गृह मन्त्रालय टालने वाले उत्तर देना। श्री मकवाना ने सही सूचना नहीं दी है हालांकि इस सम्बन्ध में वहां सभी जानते हैं। दो हत्यारे थे और अब दोनों हत्यारों को जेल में बताया जाता है। किन्तु यहाँ या तो गृह मन्त्रालय को बेवकूफ बनाया गया है अथवा गृह मन्त्रालय द्वारा मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है।

मैंने प्रश्न पूछा था—

"क्या श्री थोकचम वीर सिंह, जिनकी 1 जनवरी, 1980 को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर हाँ, तो उनकी संस्था क्या है ?

उत्तर यह दिया गया था—

"राज्य सरकार के अनुसार एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह हत्या गैर-कानूनी पीपलस रेवोलूशनरी पार्टी आफ कंगलीपाक के किसी सदस्य के उकसाने पर की गई प्रतीत होती है।"

उस दल का नेता तो जेल में है। कोई जाँच-पड़ताल नहीं की गई है। उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है जैसाकि इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय अथवा कांग्रेस मन्त्रालय को मालूम ही है।

ऐसी स्थिति में मैं एक बार पुन: यह सुझाव देता हूँ कि कृपया ऐसे व्यक्तियों को भेजिये जो वास्तव में विशेशज्ञ हों, जो हमारी वास्तव में सहायता करना चाहते हों। हम यह नहीं कहते कि हम बहुत प्रगति कर चुके हैं। हम अब भी पिछड़े हुए हैं। मैं एक पिछड़े क्षेत्र का हूं। किन्तु मैं यह चाहता हूँ कि इस प्रकार की भावना यहां की जनता में भी होनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय समापति जी, मणिपुर की स्थिति के बारे में हमारे गृह मंत्री जी को बहुत जानकारी है और केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत ·· (व्यवधान) ·· अभी गृह मंत्री जी की देखरेख में, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो त्रिपुरा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, उस समय मैं वहाँ गया हुआ था। काफी दूर तक और अगरतला व त्रिपुरा आदि स्थानों को मैं घूम कर आया हूँ और देखा है कि आप लोग वहा क्या कर रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि मणिपुर की स्थिति भी उतनी ही खराब है, जितनी की उत्तर पूर्व भारत के दूसरे सूबों की। मणिपुर उत्तर पूर्व भारत की समस्याओं से उसी प्रकार घिरा हुआ है, जिस प्रकार की दूसरे राज्य। असम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर घटनायें हुई हैं और उससे कहीं भयंकर रूप में ये घटनायें आज मणिपुर में हैं। उसके पीछे वजह क्या है ? अगर हम इनके कारणों की विस्तार से समीक्षा करें तो मुख्य रूप से इसके पीछे आर्थिक कारण हैं, जिनकी वजह से ये सारी समस्यायें वहाँ पर हो रही हैं। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी, जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा सुनना चाहिए और गृह मंत्री जी भी सुन रहे हैं। वहाँ पर उद्योगों की कमी है, भयंकर बेरोजगारी है, गरीबी है। अभी मुझ से पूर्व माननीय सदस्य ने उन तमाम बातों पर प्रकाश डाला है। जब तक उस क्षेत्र का औद्योगिकरण सुचारू रूप से नहीं किया जाता, जब तक वहाँ पर अधिक रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इस प्रकार की समस्याओं का कोई अन्त नहीं है। क्योंकि आज जितनी भी अराजकता की स्थिति हम वहां पर देख रहे हैं, उन सब की जड़ मुख्य रूप से आर्थिक समस्यायें हैं। सेना और पुलिस के जवानों को भेज देने मात्र से वहां की समस्याओं का हल नहीं होने वाला है। वैसे वहाँ पर विद्रोही गतिविधियाँ हो रही हैं। उन विद्रोहियों को विदेशियों से कुछ सहायता भी मिलती है— हथियारों और पैसे आदि

को। इस संबंध में वहां के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री दोरेन्द्र सिंह ने एक बार में कहा भी था कि विदेशियों का हाथ है। वहां पर जो विद्रोही गतिविधियां होती हैं, उनमें जो विद्रोही लोग हैं, उन्हें विदेशियों से पैसा और हथियार दोनों मिलता है—यह बहुत गम्भीर बात है और सरकार लगभग इस स्थिति को रोकने में पूरे तरीके से असफल हुई है। पूरे उत्तर भारत में, उत्तर भारत के सभी राज्यों में विदेशियों से इस प्रकार की चीजें मिलती रही हैं, लेकिन भारत सरकार उसको हल करने में पूरे तरीके से अक्षम और असफल रही है, इसको तो माननीय गृह मंत्री जी को मानना पड़ेगा।

श्री जमिलुर्रहमान : यदि ऐसी कोई बात हो, तो माननीय सदस्य बतायें।

श्री हरिकेश बहादुर : आपके दल के मुख्य मन्त्री ने ऐसा कहा था। यह बात मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पूरी तरह से असफल रहे हैं। वहां पर सेना और पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं। कभी आकाशवाणी के केन्द्र पर हमला हो रहा है, टैंकरों का अपहरण हो रहा है और ट्रकों का अपहरण हो रहा है, लोगों का अपहरण हो रहा है और बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। इस प्रकार की स्थिति अराजकता को पूरे उत्तर भारत की स्थिति है। यह सरकार इसको नियंत्रण करने में पूरे तरीके से असफल रही है। वहां पर विदेशियों को निकालने का एक आन्दोलन शुरू हुआ। विदेशियों को निकालने में जो आन्दोलन शुरू हुआ, उसमें उन लोगों को भी निकलना पड़ा है, जो हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों से वहां पर गए हुए हैं। यह समस्या जो उत्तर भारत में शुरू हुई है, वह असम से करीब-करीब हर जगह फैलती जा रही है और इसको रोकने में सरकार असफल रही है। यह देश के लिए बहुत घातक है, देश की एकता और अखण्डता के लिए बहुत घातक है, इसलिए इसमें गृह मंत्री जी की अधिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वह ऐसा मानते हैं कि केवल पुलिस या सेना भेज देने और कुछ लोगों को मार देने से, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो वह नहीं हो सकता है। उसमें उन्हें अपने वित्त मंत्री जी से सहयोग लेना पड़ेगा और वहां की आर्थिक समस्याओं का निराकरण करना होगा। जब तक वहां पर बेरोजगारी और गरीबी का अन्त नहीं होता, तब तक इस प्रकार की समस्याओं का अन्त नहीं हो सकता है। वहां पर सड़कें नहीं हैं, उद्योग नहीं हैं, आर्थिक स्थिति खराब है। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि बाढ़ के समय वहां पर कितनी भयंकर स्थिति पैदा हुई। इन तमाम बातों पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मणिपुर में मई 1980 में चावल 6 रुपए प्रति किलो और नमक 4 से लेकर 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका, जिसकी वजह से सरकार को नमक का व्यापार व्यापारियों के हाथ से लेकर अपने हाथ में लेना पड़ा और इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से दूसरे प्रदेशों के लोग मणिपुर छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर है। चीजें ठीक ढंग से नहीं मिल रही हैं, वितरण व्यवस्था भंग हो रही है और सरकार इन चीजों की ओर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे रही है। अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन सभी समस्याओं का हल नहीं है, यह तो केवल राजनीतिक तिकड़म का साधन है इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, विपक्ष को वहां पर सरकार बनाने का मौका देना चाहिये था, लेकिन मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर दल-बदल के जरिए कांग्रेस (ई) के लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : आप पूरे देश में देख लीजिए। हरियाणा को ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए। हिमाचल-प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक और मणिपुर तक एक ही प्रक्रिया चल रही है, उसी के जरिए सरकारों को बनाने-बिगाड़ने का काम चल रहा है।

समापति महोदय, एक सूचना यह आई है कि वहां पर कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा विद्रोहियों को मदद दी जा रही है। ये कौन लोग हैं ? पीपुल्स रेव्यूलेशनरी पार्टी और पिपुल्स लिबरेशन आर्मी के प्रमुख नेता ने यह बात बताई है, जो अभी पुलिस की हिरासत में हैं। विद्रोही गतिविधियां बढ़ रही हैं, भारी मात्रा में हथियारों और पैसों से सहायता दी जा रही है विदेशों से भी सहायता मिल रही है और अन्दर से भी विभिन्न दलों के लोग भी सहायता कर रहे हैं। यह भी सुनने में आया है कि पहले के सत्ताधारी दल के लोग भी उनकी मदद कर रहे है। अखिल मणिपुर छात्र सगठन और अखिल मणिपुर छात्र समन्वय समिति ने प्रधान मन्त्री जी से अपील की थी कि मणिपुर में विदेशियों के मुद्दे को वार्ता द्वारा हल किया जाए। इसके बारे में आपने क्या पहल की है ? आपका वार्ता में विश्वास नहीं है केवल गोली, लाठी, पुलिस, फौज, हम इन चीजों में आपका विश्वास है। जब वहां के लोग वार्ता चाहते हैं तो क्या हर्ज है। अभी तिवारी जी वहां जा रहे हैं लेकिन वे सिर्फ कांग्रेस (ई) के लोग ही मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग कांग्रेस (ई) में मेंबर नहीं हैं उनको आप इस देश का नागरिक भी नहीं मानते। कहीं ऐसी योजना तो नहीं बन रही है। जब मिनिस्टर जा रहें हैं तो मिनिस्टर तो पूरे देश का है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : दूसरे लोगों से मिलेंगे तो आप कहेंगे कि उनको खरीदने जा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : ये लोग ऐसा करते हैं, इसलिए यह कहा जाता है। मैं कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कांग्रेस (आई) का मेंबर न हो उसे इस देश का नागरिक ही न माना जाए और इसलिए जब कोई मन्त्री या प्रधान मंत्री जाएगा तो केवल अपनी पार्टी के ही लोगों से मिलेगा। यह स्थिति देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि सरकार को सभी दलों के प्रतिनिधियों से। सभा वर्गों के लोगों से बात करनी चाहिए, और समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए।

मान्यवर, मेरा एक निवेदन और है। अभी भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बीरेन्द्रसिंह जी को नार्वे का राजदूत नियुक्त किया गया है, अभी वे गए नहीं हैं। मैं कम से कम इतना चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री महोदय उनको यह सलाह दें कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लें, क्योंकि वे राजदूत के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। अभी वे विधायक के रूप में वोट देंगे, कांग्रेस (ई) का काम करेंगे, उच्च परम्पराओं के विरूद्ध है, मर्यादाओं के विरूद्ध है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक गतिविधियों से उन्हें बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए और उन्हें इस प्रकार के कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए।

समापति महोदय एक चीज और है। वहां पर वैली और हिल्स के लोगों के बीच में ठीक ढंग से कोआर्डिनेशन, समन्वय नहीं हो पा रहा है। जब वैली का चीफ मिनिस्टर बनता है तो हिल्स के लोग एजीटेट करते हैं। जब हिल्स का चीफ मिनिस्टर होता है तो वैली के लोग कुछ न

कुछ आन्दोलन शुरू कर देते हैं। एक समन्य की स्थिति वहाँ पर नहीं है। यह देखने की बात है, इसमें भारत सरकार के पहल की विशेष आवश्यकता है।

असम की जो स्थिति है—वह यह है कि अभी कुछ दिनों से आन्दोलन थोड़ा ढीला पड़ा है। भारत सरकार सोचने लगी है, बल्कि वहाँ की सरकार भी सोचने लगी है, कि यह सब खत्म हुआ, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग आराम से सोने वाली स्थिति बना रहे हैं। मेरे ख्याल में यह बात ठीक नहीं है, यदि आप मुख्य समस्या का ठीक ढंग से समाधान नहीं करते हैं तो भविष्य में यह काफी भयंकर रूप धारण कर सकती है। आप पुलिस और फौज भेजकर समस्या का निराकरण कराना चाहते हैं, कुछ देर के लिए तो उससे दब सकती है, लेकिन आग यदि सुलगती रहेगी तो किसी भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकती है। इसलिए वहाँ की आर्थिक समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस अराजकता की स्थिति को सुधारने में वहाँ के लोगों का सहयोग लीजिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए सतर्कतापूर्वक कार्य कीजिए तथा मुस्तैदी से कार्य कीजिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मणिपुर के सम्बन्ध में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा केन्द्र में सत्ताधारी दल द्वारा संविधान के इस उपबन्ध के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है। हमें अपने अतीत के अनुभव से पता है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के हितसाधन के लिए अनेक अवसरों पर अनुच्छेद 355 का दुरुपयोग किया गया है।

यदि आप मणिपुर के राज्यपाल द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन का विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने दल-बदल और अस्थिरता के प्रश्न को अपने प्रतिवेदन का आधार बनाया है अर्थात उन्होंने अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा का परिचय दिया है।

वहाँ पर कभी भी एक-दलीय सरकार नहीं रही, तब भी नहीं जब राजकुमार दोरेन्द्रसिंह की सरकार स्थापित की गई थी। वहां पर संयुक्त सरकार बनी थी। कांग्रेस दल के केवल 11 सदस्य थे और उन्हें कुछ सदस्यों को अपने में मिलाना था वास्तव में उन्हें अपनी संख्या बढ़ाकर चौगुनी करनी थी—यह संख्या 13 से बढ़कर 39 हो गई। ऐसा दल-बदल के कारण हुआ और सरकार दल बदलुओं के आधार पर बनाई गई। सरकार लोभ देकर बनाई गई। अब राज्यपाल यह प्रतिवेदत देते हैं। यद्यपि पी. डी. एफ, प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे छः दल का एक अन्य संयुक्त मोर्चे ने बहुमत का दावा किया है अर्थात 30 सदस्यों की संख्या का दावा किया है, जबकि कांग्रेस (आई) और उसके समर्थक 29 हैं, पर उसे सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। कारण यह है कि पी. डी. एफ. की सरकार, जिनकी सदस्य संख्या 30 है, स्थाई सरकार नहीं हो सकती है। किन्त अन्त में राज्यपाल ने यह सुझाव दिया है कि विधान सभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसे निलम्बित रखा जाये। किस उद्देश्य के लिए ऐसा किया गया है? आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ है—मैं उद्धृत कर रहा हूँ :

"....एक अथवा दूसरा पक्ष कांग्रेस-आई तथा पी. डी एफ. वर्तमान सदन से समर्थन प्राप्त करके भी एक स्थाई सरकार बना सकती है।"

कैसे? क्योंकि समर्थन के खरीदे जाने की सभावना है, पैसे देकर तथा पद का लालच देकर समर्थन खरीदा जाता है। दुर्भाग्य से इस देश के राष्ट्रपति भी इस उद्घोषणा के लिए जिम्मेदार हैं जो इस देश में दल-बदल को बढ़ावा देती है, रिश्वतखोरी और सौदेबाजी को बढ़ावा

देती है। और इस प्रकार के गलत काम को बढ़ावा देती है। अतः मैं इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूँ। यदि वह सच्चे होते तो वह विधान सभा भंग कर देते और एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए परिस्थितियाँ पैदा करते। इसके विपरीत वह दल-बदल, पैसे और पद का लोभ देकर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे मणिपुर के राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट किया जायेगा किन्तु इससे देश के अन्य भागों के राजनीतिज्ञों में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जैसाकि उल्लेख किया गया है कि हरियाणा की पूरी पार्टी को खरीद लिया गया था और वह सत्ताधारी दल बन गया है.....

एक माननीय सदस्य : कर्नाटक के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री चित्त बसु : ऐसे अनेक उदाहरण हैं और उन सबका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। अतः मणिपुर की असली समस्या आज दल-बदल और अस्थिरता की है।

अस्थिरता की समस्या के बारे में मेरा आरोप यह है कि कांग्रेस (आई) दल अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। वह देश के उस हिस्से में एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था बनने के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। मैं यह बात पृष्ठभूमि में प्रचलित कहानियों के आधार पर कह रहा हूँ। आप जानते हैं कि दूर बैठे बैठे नियन्त्रण की क्रिया चलती रहती है। श्री दोरेन्द्र सिंह को मुख्य मन्त्री बना दिया गया। आप जानते ही हैं कि जो लोग सत्ता में हैं, उनकी उनके बारे में अच्छी धारणा समाप्त हो गयी, शायद उसके दो कारण थे। एक कारण यह था कि एक समाचार था—भारत सरकार उसके बारे में जानती है—कि विद्रोहियों के एक वर्ग से उनके कुछ अस्पष्ट—से सम्बन्ध थे। दूसरी बात यह थी कि श्री दोरेन्द्र सिंह ने स्वयं को असम समस्या में फंसा लिया। आप कहानी के बारे में जानते ही हैं वह आल असम स्टूडेन्टस यूनियन और गण संग्राम परिषद और भारत सरकार के बीच मध्यस्थ का काम कर रहे थे। उन्होंने बात-चीत करने में स्वय को भारत सरकार का प्रतिनिधि बनाया जबकि हमारे मित्र उनकी साख को स्वीकार नहीं कर रहे थे।

उन्होंने विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर क्षेत्र की सम्पूर्ण समस्या को जटिल बना दिया। वह यहाँ आये और उन्होंने मणिपुर के छात्रों से, जो आनाकानी कर रहे थे, विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर भेजने के सम्बन्ध में 1952 वर्ष को आधार वर्ष मानने के लिए राजी कर लिया। इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था। उससे बड़ी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थी। यदि भारत सरकार की सहमति से मणिपुर सरकार 1952 वर्ष का आधार वर्ष मानने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेती है तो असम में भी इसका कुछ न कुछ प्रभाव होगा। अतः सत्ता में जो लोग थे, उनकी उनके प्रति अच्छी धारणा समाप्त हो गई। उन्हें नार्वे का राजदूत नियुक्त कर दिया गया। किन्तु श्री दोरेन्द्र सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बातों को गम्भीरता से न लेते हों। अतः श्री रिशग किशिंग को,, जो उनके अधीन उप-मुख्य मन्त्री थे, मुख्य मन्त्री बना दिया गया। और श्री दोरेन्द्र सिंह ने दिल्ली से बाधा उपस्थित करनी शुरू कर दी। नार्वे जाने के स्थान पर वह बिलकुल नहीं बने रहे···और गुटबाजी की राजनीति करने लगे। और श्री रिशंग किशिंग को इस विचार अथवा आशा से मुख्य-मन्त्री बनाया गया था कि विद्रोहियों से वह बेहतर ढग से निपट सकेंगे। किन्तु यह आरोप है कि ऐसा करने के बजाय उन्होंने विद्रोहियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देने के लिए नौकरशाही के एक वर्ग का प्रयोग किया।

महोदय, मैं केवल इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि भूतपूर्व लोक कार्य निर्माण मन्त्री श्री इम्बोटोमबी सिंह ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था अथवा यह भंडाफोड़ किया था कि विद्रोहियों तथा बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों और नौकरशाही के एक वर्ग के बीच सम्बन्ध थे अतः मैं राज्यपाल और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाता हूँ कि विद्रोह भड़काया जा रहा है अथवा उसे सहायता दी जा रही है और यह कार्य कांग्रेस (आई) के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों द्वारा तथा उनके अन्तर्गत सक्रिय नौकरशाही के एक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि विद्रोही तत्व केवल मणिपुर में ही नहीं हैं, विद्रोह तो जैसाकि उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है। 13 लाख जनता में से एक लाख शिक्षित युवा व्यक्ति बेरोजगार हैं उनके पास जीवनयापन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या से विद्रोह के सिद्धान्त का आधार मिल रहा है। वह समर्थन भी उन्हें कुछ बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से मिल रहा है। मैं किसी मुद्दे पर जीतना नहीं चाहता, मैं केवल यह बात कहना चाहता हूँ कि मैं इससे सहमत हूं और मैं यह स्वीकार और अनुभव करता हूँ कि मणिपुर जनता के सामने केवल दो समस्याएं हैं—वह हैं विद्रोहियों की तथा अस्थिरता की। भगवान के लिए अस्थिरता को बढ़ावा मत दीजिए, भगवान के लिए उस राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट न करें क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ही मणिपुर की जनता को अन्ततः राष्ट्रीय मुख्य धारा में मिला सकती हैं।

जहाँ तक विद्रोह सम्बन्धी गतिविधियों का सम्बन्ध है, उनसे तो आर्थिक मोर्चे पर लड़ना होगा। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। कि विद्रोह को दबाने के नाम पर वहाँ बड़े पैमाने पर ज्यादतियां की जा रही हैं। जो अफसर तथा पुलिस व सेना अधिकारी वहां जाते हैं वे मणिपुर के लोगों को अपने भाई तथा अपने आदमी तथा अपने देश के लोग नहीं समझते हैं। लोगों के अन्दर विदेशीय भावना पैदा हो गई है। अफसरों को, बड़े अफसरों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिस ढंग से वे करते हैं जिससे कि और मणिपुर की जनता के युवक वर्ग या शिक्षित वर्ग में यह भावना पैदा हो गई है कि वे भारत के अंग नहीं हैं।

अलगाव की यह भावना विद्रोह की भूमिका तैयार कर रही है। और यह पृथकवादी आन्दोलन की भूमि तैयार कर रही है। मैं अपील करूंगा कि सभी दलों की वहां रुचि पैदा करने के लिए मणिपुर की समस्या पर निम्नलिखित दृष्टिकोण से विचार किया जाना है :

(क) उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, तथा

(ख) मणिपुर के लोगों के मन से अलगाव के भय की भावना को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए।

मुझे आशा तथा विश्वास है कि चूंकि यहां पर राष्ट्रपति शासन है अतः सरकार को राज्य के आर्थिक विकास के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और लोगों में भरोसा कायम करना चाहिए ताकि वे विद्रोह तथा अलगाव की भावना के विरुद्ध खड़े हों।

इन शब्दों के साथ, मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पर उचित रूप से ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री मकवाना।

श्री एन. गोजागिन (बाह्य मणिपुर) : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य अभी बोले हैं वह कांग्रेस तथा कुछ सदस्यों पर मणिपुर के नवयुवकों पर विद्रोह करने के लिये भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। क्या वह आरोप लग रहे हैं या क्या वह केवल अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।...

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। श्री मकवाना।

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमान, मैंने माननीय सदस्यों की सभी बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनी। मैं सर्व श्री चित्त बसु तथा नगनगोम मोहेन्द्रा के विचारों से अपना उत्तर शुरू करना चाहूंगा। दोनों ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के महत्व पर जोर डालने की बात कही है। जब श्री नगनगोम बोल रहे थे तो मैंने बताया कि सरकार इस बारे में काफी उत्सुक है और हमने कुछ कदम भी उठाये हैं। प्रधान मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये काफी उत्सुक हैं। इसलिये उन्होने एक समिति बनाई है जिसका मैं सयोजक हूँ। समिति के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों का दौरा करने तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के विवरणों का अध्ययन करने के बाद हमने बताया है...

श्री आर. के. महालगी (ठाणे) : माननीय सदस्य की शिकायत है कि आप में से किसी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मन्त्री के लिये अल्पावधि में हर भाग का दौरा करना सम्भव नहीं है। मैं दौरा करूंगा। मुझे दौरा क्यों नहीं करना चाहिये ? मैं निश्चित रूप से दौरा करूंगा।

श्रीमान, यह कोई आश्वासन नहीं है जिसे किसी मन्त्री को सभा में देना पड़े कि वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दौरा करेगा। मुझे राज्य का दौरा करने में रूचि है और माननीय सदस्यों के लाभ के लिये मैं बता सकता हूं कि मैं मन्त्री बनने से पहले मणिपुर का दो बार दौरा कर चुका हूँ। इसलिये मणिपुर की समस्यों से अवगत हूँ।

श्रीमान मैं इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के बारे में बोल रहा था। श्री चित्त बसु तथा नगनगोम दोनों ने आर्थिक कार्यक्रमों के लिये उच्च प्राथमिकता पर जोर डालने की बात कही है। वास्तव में, मैं दोनों माननीय सदस्यों की भावनाओं की प्रशंसा करता हूँ और मैं उन्हें बता सकता हूं कि सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये हैं। श्रीमान प्रथम पंच वर्षीय योजना (1951-56) में 1.55 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय था, दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) में यह 6.28 करोड़ रुपये का था; तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में यह बढ़कर 12.88 करोड़ हो गया; चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में यह बढ़ कर 30.32 हो गया था; पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में यह बढ़ कर 92.86 करोड़ रुपये हो गया और छठी पंचवर्षीय योजना में यह बढ़कर 163.20 करोड़ रुपये हो गया है। छठी पचवर्षीय योजना का संशोधित परिव्यय 240 करोड़ रुपये है।

जहां तक वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना का सम्बन्ध है उसमें यह 29.6 करोड़ रुपये था; 1979-80 में यह 32.5 करोड़ रुपये था, 1980-81 में यह 41.85 करोड़ रुपये था और

1981-82 में यह 43 करोड़ रुपये है। सरकार ने इसे यह महत्व दिया है। जहाँ तक आर्थिक विकास तथा क्षेत्र के बेरोजगारी को दूर करने के लिये उद्योगों को स्थापित करने का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को बता रहा था कि वहाँ पर अरारोट/ग्लूकोज तथा चीनी/शराब कारखाने के वे मध्यम आकार के उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। 25,250 तक की क्षमता वाला एक कताई मिल ने वहाँ पहले ही आंशिकरूप से काम करना शुरू कर दिया है। एक लघु सीमेंट कारखाना जिसकी प्रतिदिन की क्षमता 100 टन होगी, उखरल में स्थापित किया जा रहा है। ये वे उद्योग या औद्योगिक परियोजनाएं हैं जिन्हें सरकार स्थापित करने जा रही है, इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिसके लिये हमने धन दिया है।

जहाँ तक सड़कें बनाने का सम्बन्ध है, श्री हरिकेश बहादुर उसके बारे में बोल रहे थे। वह यह बता रहे थे कि इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और सिचाई परियोजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।

माननीय सदस्यों के लाभार्थ यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि सड़कों के निर्माण और सिचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य बड़ी संख्या में हाथ में लिए जा रहे हैं। 1979-80 में कुल 6,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिचाई होती थी। 1980-81 में यह क्षेत्र बढ़कर 11,000 हैक्टेयर हो गया। 1981-82 में 24,000 हैक्टेयर में सिचाई होने लगेगी। सिचाई की यह स्थिति है।

अब सड़कों द्वारा जुड़े हुए गाँवों को देखिए।

1979-80 में ऐसे गाँवों की संख्या 948 थी। 1981-82 में इनकी संख्या बढ़ाकर 1026 करने का प्रस्ताव है। इससे यह पता चलता है कि सड़क निर्माण को सरकार कितना महत्व दे रही है।

इसके बाद बनाई गई सड़कों की कुल लम्बाई देखिए। मैं पक्की बनी सड़कों की लम्बाई के आंकड़े देता हूँ। आंकड़े इस प्रकार हैं :

1979-80	1433 कि. मी.
1980-81	1508 ,, ,,
1981-82	1645 ,, ,,

कच्ची सड़कों की लम्बाई के आंकड़े इस प्रकार हैं :

1979-80	1700 कि. मी.
1980-81	1794 ,, ,,
1981-82	1799 ,, ,,

इससे आपको यह पता चलेगा कि सरकार सड़कों के विकास को कितना महत्व दे रही है।

जहाँ तक बिजली उत्पादन का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति इस प्रकार है :

1979-80	19.6 मेगावाट
1980-81	22.2 ,,
1981-82	27.0 ,, (प्रस्तावित)

इससे आप यह समझ जायेंगे कि राज्य के आर्थिक विकास को कितना महत्व दिया जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए लाभप्रद रोजगार जुटाने के कार्यक्रम चलाए गए हैं।

श्री आर. के. महालगी : क्या यह रिपोर्ट सही है कि मणिपुर में 1 लाख शिक्षित बेरोजगार युवक हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे पक्का पता नहीं है, मैं तुरन्त अभी ये आंकड़े देने में असमर्थ हूं। ये आंकड़े श्रम मन्त्रालय के पास हो सकते हैं, परन्तु इस बात का पता लगाया जा सकता है। त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। जिसमें उद्योग लगाने, मुर्गी-फार्म खोलने, सामाजिक वानिकी, कुकुमुत्ते की खेती करने, उपभोक्ता विभागीय भण्डार खोलने और कर्मशाला आदि चलाने जैसी योजनाएं भी सम्मिलित हैं। हम इन सभी प्रकार की योजनाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। मणिपुर के बेरोजगार युवकों के लिए लाभप्रद रोजगार जुटाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं।

अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की क्या आवश्यकता है ? राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता के बारे में राज्यपाल का प्रतिवेदन बिल्कुल स्पष्ट है। श्री मोहेन्द्रा नगनगोम ने इस प्रतिवेदन से कुछ पंक्तियां उद्धृत की थीं और मैंने कहा था कि आप कृपया पिछले पैराग्राफों को पढ़िए। वह सन्दर्भ से हटकर कुछ पढ़ रहे थे और जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना का सम्बन्ध है, मैं राज्यपाल के प्रतिवेदन के इस अंश को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। राज्यपाल के प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातें की गई हैं :

"निलम्बन के पक्ष में ये कारण है, प्रथम और परम कारण है कि वर्तमान विधान-सभा का चुनाव केवल तेरह मास पूर्व ही हुआ है और इतनी जल्दी एक दूसरा चुनाव कराना वांछनीय नहीं है जिसमें कि मणिपुर की विद्यमान परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर हिंसा होने की सम्भावना है क्योंकि कुछ उम्मीदवार आतंकवादियों तथा अन्य ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त किए हुए हैं। दूसरा कारण यह है कि हो सकता है कि वर्तमान सदन में से ही इस या उस पक्ष को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल जाए।

और तीसरा कारण यह हैं कि विगत अनुभव के आधार पर कोई भी ठीक प्रकार से यह आशा नहीं कर सकता है कि एक दूसरे चुनाव में ऐसे उम्मीदवार विजयी होंगे जिनमें स्थायी दलीय आस्था अधिक होगी या और अच्छी राजनैतिक होगी।"

"इन कारणों के होते हुए यदि विधान सभा का केवल निलम्बन कर दिया जाता है तो पैसे के बल पर अथवा कुर्सी के प्रलोभन से समर्थन प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। दूसरी ओर विधान-सभा के भंग किए जाने का शुद्ध प्रभाव विभिन्न राजनितिक दलों और उम्मीदवारों पर पड़ेगा। दोनों विचारधाराओं का जायजा लेते हुए मैं अनुभव करता हूँ कि सभी प्रकार से अभी विधान-सभा को निलम्बित करना अच्छा होगा। फिर भी, यदि कुछ समय तक स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि वैध साधनों से कोई भी दल बहुमत में नहीं आ पाएगा, और इसलिए विधान-सभा को भंग कर दिया जाना चाहिए।"

राज्यपाल ने ऐसी रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि विधान-सभा को निलम्बन की स्थिति में क्यों रखा जाए और क्यों अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। ये कारण

बताकर उसका यह कहना है कि इसे निलम्बन की स्थिति में रखा जाए। और यदि राज्य में स्थायी शासन स्थापित करना सम्भव नहीं है तो फिर इसे भंग किया जा सकता है। उन्होंने निष्ठा परिवर्तन की बात कही है। राज्य का इतिहास बताता है कि मणिपुर के राज्य बनने से पहले यहां पर राष्ट्रपति शासन दो बार लागू किया जा चुका है। जब से यह पूर्ण राज्य बना है, इस पर 1972, 1973, 1977 और 1979 में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। यदि हम निष्ठा परिवर्तन के प्रश्न की जांच करें तो यह एक मनोरंजक मामला रहेगा, विशेषकर जनवरी 1980 से वर्तमान मणिपुर विधान सभा से दलबदल का मामला।

अब मैं केवल वर्तमान विधान सभा की तसवीर पेश करूंगा। मैं पिछली विधान-सभा के विस्तार में जाना नहीं चाहता। अन्यथा यह बडी मनोरंजक तसवीर बनती। महोदय 24 सदस्यों ने अपनी निष्ठा एक बार बदली, 5 सदस्यों ने दो बार, 5 सदस्यों ने अपनी निष्ठा 3 बार बदली, 3 सदस्यों ने चार बार और 2 सदस्यों ने पांच बार। विधान-सभा की अब यह स्थिति है, सदस्य आए दिन अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। यह पता लगाना राज्यपाल के लिए भी असम्भव है कि आज कोई किस ओर बैठेगा और कल को कहां। आज वह कांग्रेस (इ) में हो सकता है कल को किसी अन्य दल में।' अतः वर्तमान स्थिति में शक्ति-सन्तुलन इस प्रकार है।

इस विधान-सभा में 60 सदस्य हैं। 60 में से 59 ही विद्यमान हैं जिनमें से 31 विपक्ष में हैं और 28 कांग्रेस (इ) में। एक सदस्य निश्चित रूप से अध्यक्ष बनेगा। यदि एक भी सदस्य निष्ठा बदल लेता है तो असन्तुलन पैदा हो जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में कार्य करना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है और जो कारण मैंने गिनाए हैं उनके होते हुए उन्होंने सुझाव दिया है कि अभी कुछ और समय तक विधान-सभा को निलम्ब की स्थिति में रखा जाए और फिर स्थिति की जांच की जाए। उस राज्य की ऐसी स्थिति है। अतः हम इस सभा के समक्ष यह संकल्प और मणिपुर राज्य का बजट लाए हैं। महोदय मैंने माननीय सदस्यों को उन विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में बताया है। जो कि सरकार उस राज्य में चलाना चाहती है तथा किस प्रकार से शिक्षित युवकों में बेरोजगारी कम की जा सकती है यह भी बताया है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा यह कहना था कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री दोरेन्द्रसिंह को नार्वे का राजदूत नियुक्त किया जा चुका है। परन्तु वह अभी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उन्हें यह नेक सलाह देगी कि अब उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह सिद्धांतों और परम्पराओं के विरुद्ध है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब तक श्री दोरेन्द्रसिंह विधान-सभा से त्याग पत्र नहीं देते तब तक वह जिस तरह चाहें मतदान कर सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री गोजामिन ने बोलते समय एक प्रश्न का उल्लेख किया था जो उन्होंने सभा में रखा था और मैंने सभा पटल पर आंकड़े रखने का आश्वासन दिया था। मैं सभा के

समक्ष आऊंगा और वे आंकड़े रखूंगा, परन्तु माननीय सदस्य के सूचनार्थ आंकड़े अभी बताना चाहूंगा ।

ये आंकड़े वर्ष 1980 के हैं और 16 मार्च, 1981 तक के हैं ।

	1980 के दौरान	16-3-1981 तक
मारे गए उग्रवादी	29	2
बन्दी बनाए गए उग्रवादी	195	30
आत्म-सम्पंण करने वाले उग्रवादी	112 (दिसम्बर, 1980 तक)	36

इन आंकड़ों का जोड़ करने से हमें पता चल जाएगा कि कितने उग्रवादी मारे गए, कितने बन्दी बनाए गए और कितने उग्रवादियों ने आत्मसम्पंण किया ।

मणिपुर राज्य की यह स्थिति है । उन कारणों से जो मैंने बताये हैं और जिनका मेरे वरिष्ठ साथी ने पहले ही सभा में उल्लेख किया है, मैं माननीय सदस्यों से सकल्प तथा मणिपुर राज्य के बजट प्रस्तावों को पारित करने का अनुरोध करूंगा ।

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1980-81 के लिए 7.62 करोड़ रुपयो की कुल राशि की अनुपूरक मांगें तथा पांच महीने की अवधि के लिए लेखा-अनुदान सहित 1981-82 के लिए वार्षिक बजट दोनों एक साथ लूंगा ।

अनुपूरक मांगों के लिए कारण बताते समय मैं कुछ तथ्यों का भी उल्लेख करना चाहूँगा 1980-81 के बजट में, जैसा पिछले वर्ष राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, 17.81 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त राजस्व की परिकल्पना की गई थी तथापि 20.30 करोड़ रुपयों के पिछले घाटे तथा पूंजी और लोक लेखा पर लेन-देन के कुल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष का घाटा 30.58 करोड़ रुपय आंका गया था । सशोधित आंकलनों क अनुसार पिछला घाटा 15.15 करोड़ रुपये हैं तथा वर्ष की समाप्ति पर 9.43 करोड़ रुपयों का घाटा रहा । इस घाटे में कभी मुख्यत: राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, योजनाबद्ध स्कीमों के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता, राज्य के पिंचले घाटे को पूरा करने के लिए विशेष ऋण तथा जीवन बीमा निगम स अधिक ऋण मिलने के कारण हुई । यदि मैं योजना व्यय का खुलासा दूं, जिसके 5 करोड़ रुपये होने की आशा है, तो वह इस प्रकार है । अनुपूरक मांगों में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—सिंचाई और जल प्रदाय योजनाओं के लिए 1.59 करोड़ रुपये, विद्युत परियोजनाओं के लिए 93 लाख रुपये, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्रेस स्कीम हेतु 91 लाख रुपये, शिक्षा के लिए 68 लाख रुपये, कृषि के लिए 36 लाख रुपये और उद्योगों के लिए 29 लाख रुपये । प्रमुख गैर-योजना प्रावधानों में ये हैं—भारतीय रिजर्व बैंक से उपायों तथा साधनों के अग्रिम धन पुर्नभुगतान के लिए 67 लाख रुपये, खाद्यान्न की खरीद के लिए 26 लाख रुपये तथा विविध व्यय के लिए 166 लाख रुपये ।

मेरे विद्वान साथी गृह राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पहली ही छठी योजना का कुछ ब्यौरा दिया था और मैं कुछ और ब्यौरा देना चाहता हूँ । जहां तक मणिपुर और उसकी योजना का

सम्बन्ध है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि पंचर्षीय योजना 1979-83 के मसौदे में 173.20 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, अब छठी पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय 240 करोड़ रुपये है।

अब मैं इस प्रश्न पर आता हूँ कि सरकार मणिपुर राज्य में योजना कार्यक्रमों के विकास के लिए कितनी सजग है। मेरे साथी ने पहले ही इस विषय में बताया था। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 36.75 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता सहित 41.85 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। परन्तु श्रीमान् चालू वर्ष 1981-82 के लिए, मणिपुर के लिए 43 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसे शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरा किया जाएगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य श्री नगनगोम मोहेन्द्रा, जिन्होंने यह कहने की कृपा की थी कि केन्द्रीय सहायता उदारता से दी जा रही है, वह इसकी भी प्रशंसा करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में, जहां कुल 41.85 करोड़ रुपये के परिव्यय में 36.75 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता थी, 1981-82 में, जैसा कि मैंने कहा, यह राशि 43 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है और यह पूरी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी।

मैं इस सम्बन्ध में भी कुछ ब्यौरे दूंगा।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा (आन्तरिक मणिपुर) : क्या माननीय मंत्री मणिपुर के लोगों को यह आश्वासन देंगे कि खामियों को पूरा किया जाएगा ?

श्री मगन भाई बरोट : श्रीमान, हम सब यही चाहते हैं और हमें प्रयास करना चाहिए तथा मुझे विश्वास है कि आप भी अपना सहयोग देंगे।

अब श्रीमान, हमें राज्य योजनाओं की महत्वपूर्ण मदों केविषय में कुछ तथ्यों को जान लेना चाहिए क्योंकि मणिपुर के विकास के विषय में चिन्ता व्यक्त की गई है। अतः मैं केवल कुछ तथ्यों का ही उल्लेख करूंगा।

सिंचाई के लिए 1980-81 में 5.87 करोड़ रुपये की तुलना में 1981-82 के लिए योजना परिव्यय 6 करोड़ रुपए हैं तथा 1980-81 में 5,000 हेक्टेयर और 1981-82 में 8,000 हेक्टेयर तक सिंचित क्षेत्र बढ़ने की आशा है।

श्रीमान, यदि मैं स्कीमो और योजना का उल्लेख करूं, तो लोकल लिफ्ट सिंचाई स्कीम उनमें से एक है जिसकी अनुमानित लागत 16.21 करोड़ है। 1979-80 तक 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 6.20 आबंटित किए गए हैं।

इस योजना से चालू वर्ष के दौरान 40,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पैदा होने की आशा है तथा 5000 हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की आशा है।

महोदय सिहदा बांध कई योजनाओं में से एक है और यदि मैं कहूं तो इस योजना का 4,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का लक्ष्य है। 1981-82 के दौरान इस योजना से 1,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई लाभ होगा।

इसके बाद दाऊबल बहुउद्देश्यीय परियोजना पर 54 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। परियोजना पर नियन्त्रण रखने वाले बोर्ड का हाल ही में गठन किया गया है। इस परियोजना के सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण होने की सम्भावना है। इससे 34,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करने की क्षमता उत्पन्न होगी।

जहां तक बिजली पर व्यय का सम्बन्ध है, वर्ष 1981-82 के लिए 3.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्थापित उत्पादन क्षमता 19,672 कि. वाट की है जो कि अधिकांशत: डीजल जनरेटरों से पैदा की जायेगी। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के काम में प्रगति हो रही है वे हैं लोकचाओं और वूनिंग, जिनके 1983 तक चालू हो जाने की आशा है और लेईमाखोंग चरण-III के 1984 तक आरम्भ हो जाने की आशा है। महोदय कुल 1949 गांवों में से, 322 गांवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है। इतने ही गांवों में पीने का पानी सप्लाई किया गया है। उद्योग के बारे में, जिसका कि मेरे सम्मानित सहकर्मियों ने उल्लेख किया है, 2.60 करोड़ रुपये का प्रावधान उद्योग के लिए किया गया है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

ग्रामीण तथा लघु उद्योग	1 करोड़ रुपये।
रेशम उद्योग	1 करोड़ रुपये।
बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग	60 लाख रुपये।

महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में निम्नलिखित काम सम्मिलित हैं :

25,250 तकुओं वाले कताई मिल के 1981-82 तक चालू हो जाने की सम्भावना है। इसमें से 6,000 तकुए पहले से ही चालू हैं और अनुमानित लागत 8.16 करोड़ रुपये की है।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री मगन भाई बरोट : ठीक है आप कल्पना कर सकते हैं कि 6000 तकुए पहले से ही चालू हैं और हम आशा करते हैं कि ये बढ़कर 25,250 हो जायेंगे।

स्टार्च और ग्लूकोज परियोजना 6 करोड़ रुपये की लागत से आरम्भ की गई है। 7.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,2 0 टन की क्षमता वाले चीनी और शराब संयन्त्र को स्थापित करने पर भी विचार हो रहा है।

जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है वर्ष 1981-82 के लिए 3..4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सामान्य शिक्षा के लिए 1.80 करोड़ रुपये, मणिपुर विश्व-विद्यालय के लिए 52 लाख रुपये तथा शारीरिक शिक्षा और खेलों के लिए 50 लाख रुपये भी सम्मिलित हैं। अन्य प्रावधान इस प्रकार किए गये है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये और तकनीकी शिक्षा के लिए 18 लाख रुपये।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बारे में मैं कहूंगा कि योजना व्यय का 35 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों मे पूरक कार्यक्रमो क लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 1981-82 में, 43 करोड़ रुपये के राज्य योजना व्यय का 40 प्रतिशत क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जायेगा। आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अलग से एक आदिवासी विकास निगम है।

श्री आर. के. महालगी : क्या बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए बजट में कोई विशिष्ट प्रावधान किया गया है ?

श्री मगन भाई बरोट . मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे, कि उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों और नवीन उद्योगों को स्थापित

करने के इन सब कार्यक्रमों में बेरोजगार लोग खप जायेंगे। मेरे विचार से मैं सम्भावनाओं और क्षमताओं का वर्षवार ब्यौरा दे चुका हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 1981 को मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1981-82 के लिए मणिपुर राज्य के बजट के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगे रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि मांग संख्या 1 से 25 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

मांग संख्या	मांग का नाम	अनुदान की मांग की रकम जो सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	
		रुपये	रुपये
1.	विधान मंडल, निर्वाचन और न्याय प्रशासन	35,60,000	...
2.	गोपनीय और मंत्रिमडल विभाग	7,20,000	...
3.	सचिवालय	57,10,000	...
4.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण, जिला प्रशासन, पुनर्वास तथा अनुग्रही राहत तथा आयोजन	71,80,000	40,000
5.	बिक्री कर, ऋण दायित्व, राजकोष और लेखा प्रशासन पेंशन अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा सरकारी सेवकों को उधार	57,85,000	22,50,000
6.	मोटर गाड़ियां तथा सड़क परिवहन विभाग	3,90,000	18,75,000
7.	पुलिस, जेलें, अग्नि से बचाव और होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा पुनर्वास योजनाएं	5,11,04,000	20,85,000
8.	लोक निर्माण	2,56,80,000	5,36,65,000
9.	सूचना और जनसम्पर्क तथा पर्यटन	11,60,000	2,50,000
10.	शिक्षा, लेखन सामग्री तथा मुद्रण और अन्य कार्य	6,85,68,000	49,55,000
11.	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	1,88,30,000	30,65,000
12.	स्थानीय स्वायत्त शासन	16,90,000	13,75,000

1	2	3	
13.	श्रम और रोजगार	9,20,000	...
14.	जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,32,70,000	...
15.	खाद्य और नागरिक पूर्ति	8,40,000	1,99,40,000
16.	सहकारिता	40,55,000	43,30,000
17.	कृषि, भूमि-संरक्षण, क्षेत्र विकास और मीन उद्योग	2,13,80,000	1,54,75,000
18.	डेरी उद्योग सहित पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विभाग	65,40,000	4,55,000
19.	वन और भूमि-सरक्षण	67,75,000	...
20.	सामुदायिक विकास तथा पंचायत	97,45,000	...
21.	उद्योग और तोल तथा माप	1,51,40,000	52,40,000
22.	जल पूर्ति और सिंचाई	107,50,000	6,19,40,000
23.	विद्युत परियोजनाएं	3,80,85,000	1,69,85,000
24.	विविध विभाग	2,45,000	...
25.	खेलकूद और शारीरिक प्रशिक्षण, कला और संस्कृति तथा समाज कल्याण	77,75,000	2,70,000
	कुल जोड़	32,58,97,000	19,41,95,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं मणिपुर के वर्ष 1980-81 के बजट सम्बन्धी अनुदानों की पूरक- मांगें रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए ।

मांग संख्या : 1 से 10 तक, 12 से 15 तक और 17 से 25 तक ।"

मांग संख्या	मांग का नाम	अनुदान की मांग की रकम जो सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जानी है।	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	विधान मंडल, निर्वाचन और न्याय प्रशासन	4,15,000	...
2.	गोपनीय और मंत्रिमंडल विभाग	93,000	...

1	2	3	
3.	सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालय	1,14.59,000	...
4.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण, जिला प्रशासन पुनर्वास और अनुग्रही राहत तथा आयोजन	16,12,000	...
5.	राज्य उत्पाद-शुल्क, बिक्री कर, ब्याज संदाय, राजकोष और लेखा प्रशासन, पेंशन, अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,41,000	1,66,000
6.	मोटर गाड़ियां और सड़क परिवहन निगम	94,000	...
7.	पुलिस, जेलें, अग्नि से बचाव और होम गार्ड	1,000	...
8.	लोक-निर्माण, आवास, भवन और सड़कें	...	7,03,000
9.	सूचना, जन-सम्पर्क तथा पर्यटन	1,88,000	...
10.	शिक्षा लेखन सामग्री और मुद्रण	19,00,000	13,35,000
11.	स्थानीय स्वायत्त शासन	2,71,000	10,36,000
12.	श्रम और रोजगार	36,000	...
13.	जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,87,00	...
14.	खाद्य और नागरिक पूर्ति	...	25,64,000
15.	कृषि, भूमि संरक्षण, क्षेत्र विकास और मीन उद्योग	36,45,000	3,14,000
16.	पशु पालन और पशु चिकित्सा विभाग डेरी फार्म सहित	1,000	...
17.	वन और भूमि सरक्षण	2,62,000	...
18.	सामुदायिक विकास	11,80,000	...
19.	उद्योग और तौल माप	30,38,000	...
20.	लघु सिंचाई, सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और जल पूर्ति विभाग	...	1,59,42,000
21.	विद्युत परियोजनाएं	92,98,000	70,00,000
22.	विविध विभाग	7,000	...
23.	खेलकूद तथा शारीरिक प्रशिक्षण, कला, सस्कृति और समाज कल्याण	44,45,000	25,000
	कुल जोड़	3,99,73,000	2,90,85,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1981

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1981-82 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय

राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मगनभाई बरोट : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपूर की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचि को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री मगनभाई बरोट : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मणिपूर विनियोग वियधेक 1981

वित्त मत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मगन भाई बरोट : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

श्री मगनभाई बरोट : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिये मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एन. गौजागिन (वाल मणिपुर) : सभापति महोदय, सर्व प्रथम मैं वर्ष 1981-82 के लिए मणिपुर राज्य के प्रति व्यक्ति योजना आवंटन में की गई वृद्धि के लिए प्रशंसा करूंगा जो पिछले सभी वर्षों के योजना आवंटनों से अधिक है। यह प्रशंसनीय मामला है।

राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। केवल 700 वर्ग किलोमीटर घाटी क्षेत्र है तथा 8000 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र में अब तक कोई सड़क नहीं है। केवल जिला मुख्यालय ही सम्पर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं हमें सड़क परियोजनाओं तथा उद्योगों के विकास के लिए अधिक निधि की आवश्यकता है ताकि विकास की गति को आवश्यकतानुसार तेज किया जा सके।

वस्तुत: कुल 14.33 लाख की आबादी में से 32 प्रतिशत लोग इस पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जो प्राय: अगम्य है। अधिकांश क्षेत्र में हमें पैदल जाना पड़ता है। यदि हम सभी गाँवों को अच्छी सड़कों, सभी मौसम योग्य सड़कों से जोड़ने के संबंध में विचार करें तो आज तक मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। हमें अपनी सड़क परियोजनाओं के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। अत: संबंधित प्राधिकारियों, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए।

दूसरे, औद्योगीकरण के संबंध में जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पर्याप्त बिजली के बिना जल विद्युत या ताप विद्युत छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकेगा। यदि हम डीजल चालित इंजन से एक कताई मिल आरम्भ करते हैं तो यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल पाएगी। अत: हम चाहते हैं कि लोकटक जल-विद्युत परियोजना पूरी की जाए क्योंकि इसका कार्य चालन निर्धारित समय से बहुत पिछड़ गया है। मैं भारत सरकार तथा संबंधित मंत्रलय से अनुरोध करता हूँ कि राज्य के हित में इस केन्द्रीय परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। हमने देश के अन्य भागों में देखा है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न स्थानों पर उद्योग स्थापित किए हैं। मणिपुर में रोजगार दिलाऊ कार्यालय में रजिस्टर्ड एक लाख नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार विशेषकर मणिपुर में एक उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था क्यों नहीं करती ? यह महत्वपूर्ण है कि केन्द्र

द्वारा प्रायोजित उद्योग मणिपुर में लगाया जाए। इससे हमारी लगभग आधी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हमारे युवकों को रोजगार के अवसर केवल सरकारी सेवा में मिलते हैं। यह पर्याप्त नहीं है : अतः मैं संबंधित मंत्रालय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वह इस प्रश्न की गंभीरता से जाँच करें ताकि राज्य तथा उसके निवासियों के कल्याणार्थ मणिपुर राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक उद्योग स्थापित किया जा सके।

श्री मगनभाई बरोट : मैं माननीय सदस्य द्वारा सभा में व्यक्त किए गए विचारों, राज्य के विकास के लिए रखी गई मांगों तथा आकांक्षाओं का उल्लेख करने की प्रशंसा करता हूँ। जब मैंने कहा था कि 1981-82 की योजना का परिव्यय 43 करोड़ रुपये होगा और इसका शत-प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी, तो इसका अभिप्राय है कि सामान्यतया केन्द्रीय सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के विषय में अत्यधिक चिन्तित हैं और उन्हें यह जान कर प्रसन्नता होनी चाहिए कि उपरोल्लिखित शतप्रतिशत में मणिपुर राज्य भी समान रूप से भागीदार है।

मेरे विद्वान साथी श्री मकवाना एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति के संयोजक हैं और वह उत्तर-पूर्वी राज्यों के समग्र विकास की देख-भाल कर रहे हैं तथा समय-समय पर मुझे भी उन्हें सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः औद्योगिक और सम्पूर्ण विकास की ओर ध्यान दिया गया है तथा मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि इस सभा में इस बजट को पारित करते समय, जो राज्य विधान सभा का कानूनी कार्य है, हमने पिछले वर्ष की अनुपूरक मांगों की पुनरीक्षा करने के लिए उन पर ध्यान दिया है तथा हमने नये वर्ष के लिए पर्याप्त रूप से धन की व्यवस्था की है जिससे पता चलता है कि हम उनके लिए कितने चिन्तित हैं।

मैं केवल 1980-81 से खर्च किए जा रहे धन के विषय में कहना चाहूँगा। इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि 1981-82 में उद्योग के लिए हमारा आकांक्षित अनुमानित व्यय 2.60 करोड़ रुपये से 2.65 करोड़ रुपये हो गया है, बिजली के लिए यह व्यय 3.78 करोड़ रुपये से 3.80 करोड़ रुपये हो गया है। अतः यह देखा जाएगा कि अधिक बिजली उत्पादन के लिए यह अतिरिक्त व्यय आकलन किया गया है। यह सच है कि एक कताई मिल पहले ही काम कर रही है और इससे पता लगेगा कि हम कुल मिला कर औद्योगिक विकास के लिए इच्छुक व चिन्तित हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट हो जाएंगे जिन्होंने स्वयं बजट और लेखा अनुदान का स्वागत किया था।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिये मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री मगनभाई बरोट : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री मगनभाई बरोट : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या 66-सीमा-शुल्क [सा. सां. नि. 184 (ङ)] और 67-सीमाशुल्क [सा. सां. नि. 185 (ङ)] हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 19 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अपरिष्कृत असली मोतियों, कलचरी मोतियों और अपरिष्कृत कलचरी मोतियों को (जिनके अन्तर्गत अपरिष्कृत असली मोती और कलचरी मोती समाविष्ट करते हुए मोतियों के अधिमिश्रण भी हैं) उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने संबन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2133/81)

5.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 20 मार्च 1981/29 फाल्गुन (1902) शक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 पुरानी साइकिल मार्किट दिल्ली-6